राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का अड़सठवां दिवस [संख्या : 18

सोमवार

1[illegible] अप्रैल, 2005

राजस्थान विधान सभा की बैठक [illegible].00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल खराड़ी।

फलासिया के टाडा/माडा योजनाओं के अन्तर्गत चयनित गांव

253. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के कौन-कौन से गांव/सामूहिक बस्तियां टाडा/माडा में चयनित हैं?

(2) पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में बसने वाली जनजातियों के लिए टाडा/माडा में कौन-कौन से कार्य करवाये जा सकते हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र फलासिया के टाडा/माडा चयनित गांवों के लिए गत पांच वर्षों के दौरान कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये और अब कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? पूर्ण/अपूर्ण/प्रस्तावित कार्यों का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि टाडा/माडा में चयनित वन/पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में सड़क, पेयजल, यातायात, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा रोजगार आदि सार्वजनिक अन्य सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

(5) क्या सरकार अपूर्ण/प्रस्तावित कार्यों व वन/पहाड़ी क्षेत्र में बिन्दु संख्या चार में वर्णित अभावों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के जो गांव/सामूहिक बस्तियां टाडा/माडा में चयनित हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में बसने वाली जनजातियों के लिए टाडा में करवाए जा सकने वाले कार्यो की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलासिया के गांवों के लिए गत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत कार्यों व पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। प्रस्तावित कार्यो का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि तुलनात्मक रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में टाडा/माडा में चयनित वन/पहाडी क्षेत्र के गांवों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है क्योंकि पहाड़ी एवं दुर्गम होने के कारण यहां शिक्षा, यातायात एवं रोजगार आदि के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं।

(5) जी हां। सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुसार क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं यथा सड़क, पेयजल, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार आदि सुविधाएं मुहैया करवाने का पूरा प्रयास कर रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूलाल खराड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह मानती है कि कि अब तक भी उस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। पिछले वर्षों में सरकार ने क्या प्रयास किया उस क्षेत्र के विकास के लिए और अब क्या योजना है?

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में जो उस क्षेत्र में विकास होने लायक है, उनका विवरण पूरा मैंने दे दिया है और

(श्री कनकमल कटारा)

माननीय सदस्य के इस क्षेत्र में और सम्भावित कार्य जो होने हैं, उसकी सूची भी मैंने संलग्न की है और व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से मैंने आपको भिजवाया भी है और भी इस क्षेत्र में जो आप चाहें कि इस फलासिया, कोटड़ा, जिस क्षेत्र के अन्दर आपकी जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, बजट की उपलब्धता के आधार पर आपकी प्राथमिकता के आधार पर निश्चित रूप से इस काम को मैं पूरा करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो पता नहीं क्या-क्या कह देंगे। आपने यह क्या कह दिया जो यह चाहेंगे वह कर देंगे आप।

श्री कनकमल कटारा : प्राथमिकता से।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं फलासिया विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस शासन में जो हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे, 18 महीने आपको शासन में आए हुए हो गये, इसके बावजूद उन पन्द्रह हैण्डपम्पों को अभी तक नहीं खोदा गया, उसका क्या कारण है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें मुख्य सचेतक। (व्यवधान) मुख्य सचेतक, आप बीच में नहीं बोलें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा जनजाति क्षेत्र में तो जितनी आबादी है, वह तो है ही परन्तु छितरी हुई आबादी भी जनजाति की बहुत है। जैसे मावली में 35 हजार जनजाति के लोग हैं, भिण्डार में 20-25 हजार के आसपास जनजाति के लोग हैं। इनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? माननीय शेखावत साहब के समय में जो योजना भेजी गई थी केन्द्र सरकार को उसके बारे में अभी तक आपने क्या किया है?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कि 18 हैण्डपम्प अब तक क्यों नहीं खोदे, कौन

(श्री अध्यक्ष)

जिम्मेदार है? उसका जवाब तो आने दीजिए पहले। किसकी गलती है, क्यों नहीं खुदे और बात तो बाद की है।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह बहुत व्यापक है। सारे राजस्थान से सम्बन्धित है। मैंने जो प्रश्न पूछा है वह।

श्री मुरारी लाल (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपके जवाब के लिए थोड़े ही मैं कह रही हूं कि न दें, मैं यह कह रही हूं कि जवाब तो आने दीजिए पहले।

श्री मुरारी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो नये रेवेन्यू विलेज बनाये गये हैं पिछले 15-20 साल में और जिनकी आबादी एस.टी. की वहां पचास पर्सेण्ट से अधिक है लेकिन उनका माडा के अन्तर्गत चयन नहीं हो पाया। क्या मंत्री महोदय उनका माडा योजना में चयन करने का विचार रखते हैं?

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, आपने जो प्रश्न पूछा है कि 18 हैण्डपम्प अभी तक क्यों नहीं खुदे। मेरे पास में जो जानकारी आयी और अभी तक नहीं खुदे हैं तो उसकी जानकारी लेकर के, नहीं खोदे गये हैं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी द्वारा तो निश्चित रूप से उसके प्रति कार्यवाही करूंगा और यह निश्चित रूप से खोदे जायेंगे।

अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, बिखरी बस्ती का जहां तक प्रश्न है उसके मापदण्ड हैं। अनुसूचित क्षेत्र टाडा माडा, उसके माप दण्डों के आधार पर बिखरी बस्ती का आपका आग्रह पूर्व में भी रहा है। अभी भी आपने निवेदन किया है और पहले 1991 की जनसंख्या के आधार पर कुछ हमने सर्वे करवाकर टी.एस.पी क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का, जिसका प्रश्न एक और आने वाला है उसके अन्दर हमने उत्तर पूरा दिया है तो उसमें अप्रैल, 2005 में टी.एस.पी. क्षेत्र की हमने रिपोर्ट भेजी है भारत सरकार को, आएगी उसके बाद कार्यवाही होगी।

(श्री कनकमल कटारा)

जहां तक बिखरी आबादी क्षेत्र का प्रश्न है उसके लिए भी 2000 की जनगणना के आधार पर या नक्शा प्राप्त होने पर क्योंकि उसके मापदण्ड तैयार हैं। इसमें अलग से हमको कहीं सर्वे कराने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उसके मापदण्ड तैयार हैं और नक्शा और जनगणना के आधार पर नक्शा तैयार मिल जाएगा, तो उसके पश्चात स्वतः ही बिखरी बस्ती के जो क्षेत्र उसके अन्दर आएंगे वह बहुत जल्द ही, आने वाले इसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत हम पूरी कोशिश करके इसके अन्दर आपको उसमें ले लेंगे.

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्रीजी खड़े हैं उनको पूरा तो सुन लीजिए, वह खड़े हैं ना।

श्री शांतिलाल चपलोत : उत्तर दे दिया ना

श्री अध्यक्ष : तो आप खड़े हो गये इसलिए वह बेचारे बैठ गए।

श्री शांतिलाल चपलोत : नहीं, वह बैठे हैं (व्यवधान) वह बैठ गए थे इसीलिए मैं खड़ा हुआ था।

डा. सी.पी. जोशी : वह बेचारे कैसे हैं, मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, आपको बेचारा कह रहे हैं इससे बड़ी दुर्गति और सरकार की..

श्री अध्यक्ष : Sorry. Excuse me. Sorry. I beg your pardon.

डा. सी.पी. जोशी : विधान सभा का अध्यक्ष किसी मंत्री को बेचारा माने इससे बड़ी दुर्गति तो विधान सभा में और कोई नहीं हो सकती।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ने इनके अनुशासन के कारण से बेचारा कहा है और कोई कारण नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो सबका सम्मान रखते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : जनता की तकलीफ बढ़ जाएगी (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह बेचारे इसलिए हैं कि आपका सामना करना है अभी मदन दिलावरजी होते तो खड़े ही नहीं होने देते। यह बेचारे से भी आपका सम्मान रखा।

श्री अध्यक्ष : वैसे बेचारा भले का पर्यायवाची होता है।

श्री रामप्रताप कासनिया : दया का शब्द है यह।

डा. सी.पी. जोशी : (व्यवधान) मंत्री को दया का पात्र..

श्री शांतिलाल चपलोत : टाडा और माडा में जो गांव हैं उसके अलावा अभी टाडा माडा के लिए वापस विशेष रूप से अभियान चलाने की कौन से टाडा माडा में रह गये हैं उसको आप लेंगे या आप क्या करेंगे इसमें?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का, फलासिया विधान सभा से सम्बन्धित यह प्रश्न है और उसी के लिए मैंने आपको पूछा है कि उस विधान सभा क्षेत्र में 18 हैण्डपम्प क्यों नहीं खोदे गये। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौन से हैं वह?

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 18 हैण्डपम्प हैं, कौन से यह पता ही नहीं है। कौन-कौन, कहां-कहां हैण्डपम्प हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं नाम बोलता हूं। श्री बाबूहाजा के घर के पास जोगीबड में हैण्डपम्प नहीं खोदा गया, कोटमरी फलां, जोगीबड, मवास फलां जोगीबड़, बहरूम खां बारसिया में चबूतरे के पास, प्राथमिक स्कूल के पास प्रोपर्टी खादरिया, प्राथमिक स्कूल के पास सिसलिया, खादरिया (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं हन्ड्रेड डेज, 365 दिन की कार्य योजना का बड़ा ढिंढोरा पीटते हो। तीन-तीन साल से हैण्डपम्प जो स्वीकृत हैं वह खोद नहीं सके और आज यहां जानकारी देने की स्थिति में नहीं हो कि आपने डेढ़ साल में यह हैण्डपम्प क्यों नहीं खोदे।

श्री कनकमल कटारा . माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में एक साल की नहीं, मैं आपको पांच वर्षों की सूची जो कार्य किये उसकी सूची मेरे पास पूरी है। आप चाहे तो मैं पूरा पढ़ दूं और उसके अन्तर्गत आपके रह जाते हो तो माननीय सदस्य आप मुझे बता दें, खुदवाने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्यों बताए, फलासिया से आने वाले विधायक बताएंगे आपको।

श्री कनकमल कटारा : ऐसी स्थितियां भी आती हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्र आता है वहां पर गाड़ियां नहीं जाती....

जहां पर ऐसी स्थिति है घनी बस्तियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसी स्थिति होगी..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप फरमाओ तो सही कि इस वजह से नहीं खोदे। गाड़ी नहीं जाती तो छोटी गाडियां भेजें। हमने भी खुदवाएं हैं अपने एरिये के अन्दर। आदिवासी एरिया मेरे भी पड़ता है..

श्री कनकमल कटारा : हम पूरा प्रयास करेंगे उसी क्षेत्र को आपने जहां चाहा है वहां हैंड पम्प निश्चित रूप से खुदें। लेकिन उस परिस्थिति में जब तक वहां गाड़ी पहुंचे ऐसी स्थिति हो और आपका स्थान बदलकर..(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से पूछना चाहा था कि पिछले समय जो नये रेवेन्यू विलेज बनाये गये थे जिनकी आबादी पचास प्रतिशत से ज्यादा है लेकिन वह माडा के गांव में सम्मिलित नहीं हैं, क्या उनको माडा में सम्मिलित करने का विचार रखती है?...

श्री अध्यक्ष : उनके तो जवाब आ जाने दीजिये पहले। फिर आप पूछ लीजियेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आ गया जवाब, सब संतुष्ट हैं।

श्री मुरारी लाल मीण : बहुत से ऐसे गांव हैं जो नये रेवेन्यू विलेज

(श्री मुरारी लाल मीणा)

बनाये गये थे। माडा में उनका नाम ही नहीं है और उनकी आबादी पचास प्रतिशत से ज्यादा है। एस.टी. की....

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग से प्रश्न है। फलासियां का प्रश्न है यह तो। श्री नन्दलाल मीणा।

श्री सांवर लाल : प्रश्न में या कोई दूसरी प्रक्रिया में आओ आप...

श्री मुरारी लाल मीणा : सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं।

श्री कनकमल कटारा : मानदण्ड के आधार पर तय है कि आप जो फरमा रहे हैं वह निश्चित रूप से इसमें आयेगा। इसमें कहीं अलग से प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने निवेदन किया इसके आधार पर आपका होगा...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप इधर सम्बोधन करें। इधर करें।

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया कि इसके आधार पर निश्चित रूप से अलग से सर्वे करने की आवश्यकता हमको नहीं है क्योंकि इसमें जो मानदण्ड तय किये हैं वह इसके अन्दर आ जायेंगे। 2000 की जनगणना में हमारा जो नक्शा मिल जायेगा उसके अन्दर हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1996 में फलासिया से लगते हुए सिरोही जिले के पिण्डवाडा, फलासिया से लगती हुई गोगुंदा तहसील जो आदिवासी बहुल है और माडा क्षेत्र में है। इसी तरह से पाली जिले का गोरिया और भूमाना क्षेत्र, चित्तौडगढ़ जिले की छोटी सादड़ी, बडी सादड़ी, बेगू और बीजापुर, यह क्षेत्र माडा क्षेत्र में हैं और इनको भारत सरकार के पास टी.ए.डी. सब प्लान में सम्मिलित करने के प्रस्ताव 1996 में भेजे गये थे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पांच साल के कांग्रेस के राज में इस इलाके के बारे में सरकार ने क्या किया और डेढ़ बरस में आपने क्या किया?

श्री कनकमल कटारा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के समय में वह प्रस्ताव भेजे हैं..

श्री नन्दलाल मीणा : बी.जे.पी. की सरकार में।

श्री कनकमल कटारा : या बी.जे.पी. के समय भेजे। मैंने उसके लिए पुनः स्मरण पत्र अप्रैल, 2004 में उसको सम्मिलित करने के लिये लिखा जा चुका है और एक पत्र और भी स्मरण के लिए लिखने के मैंने निर्देश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बृजकिशोर शर्मा। स्थगित प्रश्न है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 अप्रैल, 2005)

जयपुर शहर हेतु पार्किंग व्यवस्था

230. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर शहर की पार्किंग व्यवस्था हेतु कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री प्रताप सिंह सिंघवी) : जी हां। जयपुर शहर की पार्किंग समस्या के समाधान हेतु निम्न पार्किंग स्थलों का चिह्निकरण कर विकास करने का निर्णय लिया गया :-

1. रामनिवास बाग (अण्डरग्राउण्ड पार्किंग)

2. रामलीला मैदान (अण्डरग्राउण्ड पार्किंग)

3. संजय मार्केट (बहुमंजिला पार्किंग)

इनके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मंत्रीजी, क्या यह सही है कि पार्किंग पर ठेकेदार जो पैसा वसूल करता है वह वही पैसा वसूल करता है जो पर्ची पर लिखा होता है।

एक, क्या जो ठेकेदार पार्किंग पर लोगों को रखते हैं उनकी क्या कोई योग्यता तय कर रखी है? क्या पार्किंग पर जो लोग रहते हैं उनकी वर्दी तय कर रखी है?

दूसरा, क्या यह सही है कि कुछ कामर्शियल काम्पलेक्सेज ऐसे मंजूर किये हैं जिनमें पार्किंग की व्यवस्था के बिना ही आपने उनको मंजूर कर दिया और कुछ ऐसे कामर्शियल काम्पलेक्सेज हैं जिनमें आपने पार्किंग की व्यवस्था रखने के बाद मंजूर किया? लेकिन उन कामर्शियल काम्लेक्सेज के मालिकों ने वहां पार्किंग की जगह छोडी हीं नहीं और कंस्ट्रक्शन कर लिया, यह भी माननीय मंत्री महोदय, बताने का कष्ट करेंगे। और अगर ऐसे कामर्शियल काम्पलेक्सेज हैं जिन्होंने पार्किंग की व्यवस्था छोड़े बिना कंस्ट्रक्शन कर लिया तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

तीन, कुछ कामर्शियल काम्पलेक्सेज ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट काम्पलेक्सेज होने के बाद सरकार को बिना मंजूरी के वह कामर्शियल काम्पलेक्सेज के मालिक लोगों से पार्किंग का पैसा वसूल करते हैं? अगर पैसे वसूल करते हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है।

नम्बर चार...(व्यवधान) यह जयपुर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिये इसको आप ईजिली मत लीजिये..

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके पूछिये ताकि वह जवाब दे सकें। उनक जवाब आने दीजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा : चलिये, कोई बात नहीं। इनका दीजिये, उसके बाद कर लेंगे आगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर अभी वर्तमान में पार्किंग की व्यवस्था है और जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

वहां पर जो पार्किंग के ठेकेदार हैं या जिनको पार्किंग की व्यवस्था दी हुई है वह ज्यादा पैसा वसूल करते हैं या उनकी वर्दी का प्रावधान है कि नहीं? मेरी जानकारी में इस प्रकार की न तो माननीय सदस्य ने, न ही किसी ने इस प्रकार की जानकारी दी है कि जिन लोगों को यह ठेका दिया है वह ज्यादा पैसा वसूल करते हैं। माननीय सदस्य या कोई इसके बारे में मुझे जानकारी देंगे तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करवाऊंगा...

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, आप यह कह करके बच नहीं सकते कि जिन लोगों को, आपको यह मालूम नहीं है, या मैं आपको बताऊं कि ठेकेदार जितना पर्ची पर पैसा लिखा होता है उतना ही वसूल करते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जितना पैसा पर्ची पर लिखा हो उतना ही वसूल किया जाए..

श्री प्रताप सिंह सिंघवी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो जयपुर के रहने वाले हैं, इनको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से जानकारी होगी कि कहां ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है। अगर माननीय सदस्य मुझे लिखकर देंगे तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करवाऊंगा...

श्री अध्यक्ष : आपको भी पता होना चाहिये, आप मंत्री हो।

श्री बृजकिशोर शर्मा : ऐसे जयपुर के अन्दर कम से कम पचास से साठ परसेंट पार्किंग स्थल हैं जहां पर्ची से ज्यादा लिखा हुआ पैसा वसूल किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : आप लिस्ट दो ना।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप मुझे लिखकर दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं लिखकर, यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर तैयार नहीं है तो सरकार को वक्तव्य देना चाहिये। आप इसको फिर आगे पोस्टपोन कर लीजिये...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप बैठो... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह वेग सवाल है...

श्री बृजकिशोर शर्मा : मुख्य सचेतकजी को बैठाने की कृपा करें.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह वेग है तो वह जवाब देंगे। इर्रेलेवेंट है तो वह जवाब देंगे...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आसन पैरों पर...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी अनुभव कर रही होंगी 50-60 यदि कोई शिकायत है तो बताओ तो सही कौनसी है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वेग सवाल है तो वह जवाब देंगे। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। वेग होगा तब भी वह बेग बतायेंगे। इर्रेलेवेंट होगा तो इर्रेलेवेंट बतायेंगे। आप क्यों बीच में खड़े हो जाते हैं। उनकी गाइड करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप पर उनको गाइड करने की जिम्मेदारी नहीं है..

श्री सी.डी. देवल : व्यवधान मंत्री हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आपका मूड ठीक नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं और इन्होंने कहा है कि आपकी सरकार की जिम्मेदारी है तो मैं उस जिम्मेदारी से बच नहीं रहा हूं। मैं निश्चित रूप से जांच करवा लूंगा और कहीं दोष पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री बृजकिशोर शर्मा : अभी मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या पार्किंग स्थल पर जहां पैसे वसूल किये जाते हैं वहां रेट लिखी हुई है? क्या पार्किंग स्थल पर जो कर्मचारी रखे गये हैं

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

उनकी कोई योग्यता सीमा तय की है? क्या पार्किंग स्थलों पर जो कर्मचारी रखे गये हैं उनकी कोई वर्दी तय की गयी है? पहले इसका जवाब दे दें फिर मैं आगे नैक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं आपने अपने उत्तर में ही कहा है कि रामनिवास बाग में जो आप पार्किंग बनाने जा रहे हो...

श्री बृजकिशोर शर्मा : पहले इसको पूरा हो जाने दो। प्लीज। मैंने ले रखा है उसको।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : जयपुर ग्रामीण से आने वाले सदस्य की बात से सम्बन्धित, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं जो पार्किंग स्थल पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनके पुलिस वेरीफिकेशन कराने का इरादा रखते हैं क्या?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, पार्किंग पर जो मजदूर लगे हुए होते हैं, मजदूरों की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। ठेकेदार द्वारा वहां पर बोर्ड लगाया हुआ है कि फलां व्हीकल का इतना किराया लिया जायेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की हुई है फिर भी अगर माननीय सदस्य कोई बताते हैं कि कहीं पर किसी ठेकेदार ने कोई बोर्ड हटा दिया है या कोई और बात हुई है तो मैं उसको चैक करवा लूंगा। अगर कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो करवा दूंगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट, संयमजी... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : नाऊ प्लीज, इट्स ओवर...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाउ किया था।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने सारी बात कह दी है।

श्री संयम लोढ़ा : सारी बात का जवाब कहां दिया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अभी पूरी ही नहीं हुई है। दूसरा प्रश्न में पूछ चुका हूं, उसका जवाब नहीं आया है, जिन कामर्शियल काम्पलेक्स को बिना पार्किंग के व्यवस्था की जाने की सैंक्शन दी है वह सैंक्शन क्यों दी गयी। जिन कामर्शियल काम्पलेक्स की पार्किंग की व्यवस्था वहां पर थी और उसके बाद में कामर्शियल काम्पलेक्स के मालिक ने उसकी व्यवस्था नहीं की तो ऐसे जो कामर्शियल काम्पलेक्स हैं, उसके बारे में सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है।

श्री अध्यक्ष : कह तो दिया। सारी बात तो कह दी उन्होंने।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, जो कामर्शियल काम्पलेक्स बने हुए हैं और जिन्होंने रूल्स और रेगुलेशन की अवहेलना की है, उनकी अगर माननीय सदस्य के पास कोई भी जानकारी हो...

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह भी यह सरकार यह कह रही है कि मैं जानकारी दूंगा। तो यह कैसे चलेगा। सरकार को खुद को जानकारी रखनी चाहिए कि कितने काम्पलेक्स हैं, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी गयी है और ऐसे कितने कामर्शियल काम्पलेक्स हैं जिसमें पार्किंग के व्यवस्था देने के बाद उस मालिक ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं रखी है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, भाषण नहीं दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं मेरा प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, बात तो सुन लें पहले। अध्यक्ष महोदय, फिर भी जो माननीय सदस्य ने कहा है कि पूरे जयपुर में कामर्शियल काम्पलेक्स जहां-जहां भी बने हुए हैं सबका सर्वे करवा लूंगा, अगर कहीं पर गलत पाया गया तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही कर दूंगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह कब तक पूरा हो जायेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कार्यवाही करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक बिन्दु की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप सुन तो लीजिये। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो जवाब दिलायें।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। सुनकर क्या करेंगे। जब मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, रामनिवास बाग में 22 करोड़ का पार्किंग सरकार बनाने जा रही है, एक प्रश्न है, उसके बारे में तो पूछने दें आप।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। नैक्स्ट क्वेश्चन।

एक माननीय सदस्य : अलग से प्रश्न है, कोई सम्बन्ध नहीं है।

धांधोला-धुवाला ग्राम (भीलवाड़ा) की डूब क्षेत्र में आई पुलिया का पुनर्निमाण

254. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धांधोला-धुवाला जिला भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़क की पुलिया बीसलपुर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गई है एवं सड़क पर आवागमन बंद हो गया है?

(2) क्या सरकार डूब क्षेत्र में आई उक्त पुलिया के स्थान पर नई पुलिया के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां। वर्णित पुलिया डूब में आ गई है परन्तु उक्त पुलिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित नहीं हुई है। यह पुलिया योजना के पूर्व ही ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित थी। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से अवागमन पूर्ण अवरुद्ध नहीं रहा। वर्तमान में बांध का जलस्तर कम हो जाने के कारण इसी पुलिया के ऊपर से आवागमन पुनः चालू हो गया है।

(2) जी नहीं। उक्त पुलिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार न होने से योजना में प्रस्तावित करना सम्भव नहीं है तथा इसका निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

श्री शिवजीराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने यह स्वीकार किया है कि यह पुलिया डूब में आ गयी है। आप एक तो यह बता दें कि जो वैकल्पिक मार्ग की आप बात कर रहे हैं वह कितने किलोमीटर लम्बा चलकर के गांव के मवेशी जा रहे हैं और क्या उसमें साधनों से निकल रहे हैं। यह जो पुलिया है, यह जो सड़क है, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर और मांडलगढ़ और बिजौलिया तहसील को अजमेर से मिलाने वाली सड़क है। इसमें पांच लाख व्यक्तियों के अवागमन का रास्ता जुड़ा हुआ है। मुझे यह बता दें कि आपने जो वैकल्पिक रास्ता बताया है उसमें कितने वाहन निकलते हैं और यह चाहे किसी भी योजनाओं में बनी हो, मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रधानमंत्री सड़क योजना में पुलिया बन जाये, चाहे ग्राम पंचायत ने बनायी हो, जब यह डूब में आ गयी। इसमें आठ महीने पानी भरा हुआ था। लोगों के आवागमन का रास्ता अवरूद्ध हो गया था। जानवर भी 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर के चरने के लिए जाते थे तो चाहे किसी भी मद में, अगर यह डूब क्षेत्र की पुलिया है, लेकिन बीसलपुर परियोजना अभी बंद नहीं हुई है, चाहे वहां से फंड लेकर के इसको बनाये और जो 5 लाख लोगों के आवागमन का रास्ता है। एक जिले से दूसरे जिले को मिलाने वाली सड़क है। उसमें क्या माननीय मंत्री महोदय पुलिया बनाकर के रास्ता प्रदान करने का विचार रखते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस वैकल्पिक मार्ग के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, यह वैकल्पिक मार्ग कच्चा मार्ग है और 2-4 किलोमीटर लम्बा है। यह खेतों से होकर के गुजरता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बीसलपुर डैम के बैक वाटर के कारण यह पुलिया और उसके साथ 120 मीटर लम्बी सडक डूब क्षेत्र में आ गयी है। यह जो सड़क है धांधोला से धुवाला वाया गंगीथली, यह विलेज रोड है, 14 किलोमीटर लम्बी है। चूंकि यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं बनी है। यह पुलिया ग्राम पंचायत ने बनाई है। जब ग्राम पंचायत ने बनायी उस वक्त बीसलपुर परियोजना सामने नहीं थी और अब बीसलपुर परियोजना आने के कारण यह पुलिया डूब क्षेत्र में आ गयी है। इसमें बीसलपुर परियोजना के अंतर्विभागीय समस्याओं के निराकरण के लिए समिति संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की हुई है, जिसकी बैठक अभी 9 दिसम्बर को हुई थी। बैठक में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस मामले को उठाया था कि यह पुलिया डूब में आ गयी। इसकी राशि इस परियोजना से मिले, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह पुलिया जिसके निर्माण में 38 लाख रूपये मिले। इसका तकमीना बना लिया है और इसके अनुसार इस राशि को प्राप्त करने के लिए हमने सिंचाई विभाग को पत्र भी लिखा है। मैं स्वयं भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करूंगा कि यह पुलिया जिसकी वास्तव में उपादेयता है, इसका निर्माण सिंचाई विभाग से राशि लेकर के जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री जीतराम

नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही

255. **श्री हीरालाल (निवाई)** : श्री जीतराम (मालपुरा) के स्थान पर : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में नकली देशी घी का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ ही आर्थिक शोषण भी हो रहा है?

(श्री हीरालाल)

(2) क्या यह भी सही है कि नकली घी के कारखानों पर छापे की कार्यवाही के पश्चात कम सजा एवं अधिक मुनाफे के कारण ये कारखाना मालिक जगह एवं नाम बदलकर पुनः नकली घी बनाना प्रारम्भ कर देते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाने हेतु बड़े कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में नहीं आया। फिर भी आप अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के स्पष्ट प्रावधान है। एक्ट की धारा 7/16 में निहित प्रावधानों अनुसार नमूने में मिलावट के कारण मृत्यु की दशा में आजीवन कारावास तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने पर छह वर्ष तक कारावास तथा आर्थिक दण्ड व मिस ब्रांड होने की स्थिति में दो वर्ष तक के कारावास तथा आर्थिक दण्ड से दण्डित करने का प्रावधान है।

राज्य में घीं में मिलावाट की रोकथाम हेतु विभाग पूर्णः सजग रहकर कार्यवाही करता है।

श्री हीरालाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि किस-किस जिले में देशी घी के कितने-कितने नमूने लिये गये हैं? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें।

दूसरा, समाचारों के आधार पर गत वर्ष जयपुर शहर में नकली ब्रांड के देशी घी के पैकिंग के छापे पडे हैं। लेकिन उत्तर में भ्रामक जानकारी आप द्वारा दी गयी है। इसमें समाचार-पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरस नामक देशी घी के पैकेटों में भी घी के स्थान पर मिट्टी व निरमा आदि के पैकेट मिलने की शिकायत आयी। कृपया मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

श्री मदन राठौड (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा 29.1.2004 को अशोक कुमार, सुनील कुमार अग्रवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, नकली घी बनाने का, इसी प्रकार सुमेरपुर में मुकदमा नम्बर 55, 9 फरवरी, 2004 दिलीप कुमार, भूरमल अग्रवाल, लालसिंह, मांगूसिंह अनगौर यह

(श्री मदन राठौड़)

मुकदमा दर्ज हुआ। आपने जो जवाब दिया है कि जी नहीं, यह गलत जवाब है। 6-7 मुकदमे दर्ज हुए, क्या यह सही है कि पूरे जोधपुर सम्भाग में केवल एक ड्रग इंस्पेक्टर है और वह पूरी जांच नहीं कर पाता है कि इस कारण से 6-7 मुकदमों में केवल 2 का ही चालान हो सका। बाकी का चालान नहीं हो सका कृपया इसका भी जवाब दें। वह भी कहीं का लोकल है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिए आप।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : एक मिनट मेरा प्रश्न है। क्या यह सही है कि राजस्थान में केवल 20 फूड इंसपेक्टर हैं आपके पास, जबकि हर जिले में कम से कम एक फूड इंस्पेक्टर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप साइड ट्रेक कर रहे हैं बात को।

श्री कालीचरण सर्राफ : जब तक फूड इंस्पेक्टर नहीं होंगे तो कैसे उसकी आप जांच करेंगे और कैसे कार्यवाही करेंगे। यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय विधायक आप, साइड ट्रेक कर रहे हैं बात को, प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल : मंत्री महोदय यह भी बता दें जोधपुर सम्भाग में एक ही फूड इंस्पेक्टर है वह भी बीमार है, कहीं भी नहीं जा सकता है। आज दिन तक उसने कहीं सर्वेक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आप उनके प्रश्न का जवाब तो आने नहीं दे रहे हैं। जवाब आने दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही कि अब तक घी के कितने नमूने लिए।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने नमूनों का नहीं पूछा है, नकली घी का उत्पादन हो रहा है असली घी के नाम पर, यह पूछा है।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने यह पूछा है। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि सन 2000 में 449 घी के नमूने लिए गए उनमें 129 मिलावटी पाये गये और 5 मिस ब्राण्डेड पाये गये। सन् 2001 में 399 नमूने लिए गए जिनमें 87 मिलावटी और 14 मिस ब्राण्डेड पाये गये। इस तरह से हर साल का रिकार्ड है। वर्ष 2004 में 424 घी के नमूने लिए गए जिनमें 71 मिलावटी और 10 मिस ब्राण्डेड पाये गये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य का इस विषय में कंसेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है। नकली घी और मिलावटी घी, दोनों अलग-अलग चीज है। नकली घी खाने की चीज नहीं है। घी के जिन नमूनों में मिलावट पाई गई उनका रिकार्ड मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ब्राण्ड हैं जिन पर साफ लिखा रहता है कि ये बेकरी शार्टनिंग आयटम हैं और खाने योग्य नहीं है, केवल हवन आदि के काम में लें। उसको घी बनाकर या मानकर कोई बेचता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ समय-समय पर कार्यवाही की गई है।

जहां तक फूड इंस्पैक्टर्स की वैकेंसी की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 34 पद फूड इंस्पेक्टर्स के हैं और अभी खाली हैं। (व्यवधान) मुझे लगता है कि आपने मिलावटी घी ज्यादा खाया है।

अध्यक्ष महोदय, इन 34 जगहों पर हमारे जो सैनेटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उनको हमने फूड इंस्पेक्टर्स के पावर दिए हैं और उनसे पूरे राजस्थान में काम ले रहे हैं। धौलपुर, बारां, करौली ही मात्र ऐसे जिले हैं जहां फूड इंस्पेक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वहां के लिए हमने जोन स्तर पर जो फूड इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा यह काम लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमने पहली बार यह किया है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी बी.एससी. कैमेस्ट्री से थे उनको ट्रैनिंग दी है और इसके बाद उनको फूड इंस्पेक्टर्स का दायित्व सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। इससे निश्चित रूप से राजस्थान के हर जिले में ये उपलब्ध हो जाएंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया है, श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : मैंने आपको मुकदमा नम्बर दिए हैं, इसमें नकली घी, यही लिखकर मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसी आधार पर चालान हुआ है। क्या सरकार इस बारे में पुलिस को कार्यवाही करने का अधिकार देने का विचार रखती है? क्योंकि अभी तक उनको इस बारे में अधिकार नहीं है, केवल विभाग के अधिकारीगण को ही यह अधिकार दिया है। हमने बाड़मेर से पुलिस मंगवाकर और जोधपुर से ड्रग इंस्पेक्टर मंगवाकर उनके मुकदमें दर्ज कराए हैं जिनका चालान हुआ, सात मुकदमे दर्ज हुए और आप कह रहे हैं कि नहीं दर्ज हुए, इसके लिए कृपया आप स्पष्टीकरण दें।

डा. दिगम्बर सिंह : एक तो आप अपने आप को करेक्ट कर लें, यह ड्रग इंस्पेक्टर नहीं हैं फूड इंस्पेक्टर हैं, यह ड्रग इंस्पेक्टर का काम नहीं है फूड इंस्पेक्टर का काम है।

श्री मदन राठौड़ : हां, फूड इंस्पेक्टर, वह ठीक है।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो केसेज पकड़े गऐ हैं और जिनका चालान हुआ है, एक केस 14.8.2004 को इण्डाना कृष्णा घी के नाम से नकली पैकेट, सुशील कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, यह भरतपुर में ही पकडे गए थे, यह प्रकरण न्यायालय में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : जब भरतपुर में ही पकड़े गए हैं नकली घी के पैकेट तो आपने कैसे कह दिया कि जी नहीं?

डा. दिगम्बर सिंह : यह उस समय की बात है।

श्री अध्यक्ष : 2004 की बात है।

डा. दिगम्बर सिंह : जी हां।

श्री मदन राठौड़ : मैंने जो दोनों मुकदमा नम्बर दिए हैं, मुकदमा नम्बर 41/29.1.2004, थाना सुमेरपुर, मुकदमा नम्बर 55/9.2.2004 और नाम दिए हैं और अशोक कुमार सुनील कुमार अग्रवाल, दिलीप कुमार भूरमल अग्रवाल, लालसिंह मांगूसिंह अणगार...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : जयपुर में 2 नवम्बर को पूरा कारखाना पकड़ा गया है नकली घी बनाने का।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने इतना जवाब दे दिया और जो पकडे गऐ हैं वह सब आपकी पार्टी के हैं और कार्यकर्ता हैं, आप उनके खिलाफ कार्यवाही चाहते हो क्या, यहां?

श्री हीरालाल : यह तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनका धंधा-रोजगार तो खतम हो गया। (व्यवधान) मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। बैठ जाइए आप।

श्री अध्यक्ष : किसी की भी पार्टी के आदमी हो, नकली घी बनाना जुर्म है।

श्री मदन राठौड़ : कौन कार्यकर्ता हैं, किसके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री हीरालाल : कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे, उनका धंधा तो रहा नहीं, राज रहा नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा मिलता नहीं तो क्या करेंगे, यही धंधा करेंगे। आप बैठ जाइए। (व्यवधान) धंधा करने वालों सुन लो...(व्यवधान) माननीय सदस्य, कांग्रेस के कार्यकर्ता यही धंधा कर रहे हैं, जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप समझाइए उनको। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : यहां आप इस प्रकार की बात करके प्रश्न की गम्भीरता को कम करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय नगर से आने वाले सदस्य, आप प्रश्न की गम्भीरता को कम न करें।

श्री मदन राठौड़ : नकली घी बनाने के कारखाने लगे हुए हैं, यह बात बिलकुल सही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुमेरपुर में कारखाने इनकी मर्जी के बिना चल सकते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : क्या बात कर रहे हैं आप? नगर में जो सब काम हो रहा हैं वह आपकी मर्जी से हो रहे हैं?

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गैर जिम्मेदारी की बात करते रहे हैं, यह शर्मनाक बात है, इतने वरिष्ठ सदस्य होकर ऐसी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए आपको, आप प्रश्न की गम्भीरता को डाइल्यूट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इधर मुंह करके अपना प्रश्न पूछें।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया है, मैंने मुकदमा नम्बर भी दिए हैं। नकली घी के जो कारखाने थे वह अभी माइग्रेट हुए हैं शिवगंज में तो क्या उनको पकड़ने का विचार सरकार रखती है? क्या उनको कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कृपया इसका स्पष्टीकरण दें।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि घी में मिलावट अलग चीज है और नकली घी अलग चीज है।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने मिलावट की बात नहीं की, जैसे दूध बनाते हैं वैसे बिलकुल नकली घी बनाते हैं। जैसे डिटरजेंट और कैमिकल से दूध बनाते हैं जिसमें दूध का कोई लेना देना नहीं होता है उसी प्रकार उससे घी का कोई वास्ता नहीं होता, मिलावट नहीं बिलकुल नकली घी बनाया जाता है उन कारखानों में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नकली घी के नाम से मुकदमा बना है। जैसे घी में एसेंस मिलाया जाता है।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य में एक्ट की धारा 7/16 के अंतर्गत वर्ष 2004 में 234 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में दायर किए गए तथा 490 मुकदमों में...

श्री अध्यक्ष : सवाल तो आपके जी नहीं कहने का है। प्रश्न यह नहीं है कि कितने मुकदमे दर्ज हैं।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : मंत्रीजी प्रश्न को डाइवर्ट कर रहे हैं, नकली घी बनाने के कारखानों की बात है, यदि इनकी तैयार नहीं है तो आगे कर दें साहब, बहुत इम्पोर्टेण्ट प्रश्न है और पूरे राजस्थान की जनता के हैल्थ का सवाल है, नकली घी के कारखाने धड़ल्ले से पकड़े जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

डा. दिगम्बर सिंह : प्रश्न को डाइवर्ट करने की बिलकुल मंशा नहीं है। (व्यवधान) मैंने जो कुछ कहा है, सही कहा है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : आप वही कह रहे हैं जो जवाब उन्होंने दिया है, जी नहीं कहा है, अधिकारियों ने आपसे यही जवाब दिलवाया है।

श्री सी.डी. देवल : मंत्रीजी का जवाब सही नहीं है, मंत्रीजी डाइवर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नकली घी के कारखानों का रैकिट बना है और मंत्रीजी कह रहे हैं कि नकली घी होता ही नहीं है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब मुकदमे दर्ज हो गए नकली घी के नाम से और इनके अधिकारी इनसे जवाब दिलवा रहे हैं, जी नहीं, यह बड़ा गम्भीर मामला है और माननीय मंत्रीजी इस बात को स्पष्ट करें कि अधिकारियों ने आपसे इस प्रकार का जवाब कैसे दिलवाया, जबकि नकली घी के नाम से माननीय सुमेरपुर से आने वाले सदस्य जानकारी दे रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ : नाम और मुकदमा नम्बर सहित बता रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य, मैं उन मंत्रियों में से नहीं हूं जो अधिकारी लिखकर दे देते हैं वही यहां पर पढ़ देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह कौन से मंत्रीजी हैं, यह बता दें।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : मुल्जिम गिरफ्तार हो जाए उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं उन मंत्रियों में से नहीं हूं। आप पता नहीं कौन से

(श्री हेमराज मीणा)

मंत्रियो में से हैं। अधिकारी तो यही कह रहे हैं जी नहीं। जवाब तो आप जी नहीं का दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय अध्यक्ष जी, यह कारबार सारे इनके डिपार्टमेंट का है। सम्बन्धित फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और नकली घी के कारखाने पकड़े हैं। माननीय अध्यक्षजी, मेरे पास भी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : निवाई से आने वाले माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल (निवाई) : ये कारखाने पकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, कृपया यह बताएं...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : माननीय मंत्रीजी, यह बता दें वो कौन-कौन से मंत्रीजी हैं जो पुलिंदा सुनाते हैं।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलेंगे आप। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलें।

श्री हेमराज मीणा : आपने कहा मैं उन मंत्रियों में से नहीं हूं। ये कौन से मंत्रियों में से हैं?

श्री अध्यक्ष : आप सब आसन का काम करने लग जाते हैं। बीच में खड़े होकर आप आसन का काम करने लग जाते हैं। माननीय मंत्रीजी, कृपया उन मंत्रियों के नाम तो बताएं जो अधिकारियों का लिखा हुआ पढ़ते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं, वो लोकसभा के मंत्री थे और कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे, विशेष तौर पर इसमें सी.पी. जोशी साहब थे, यह इनके लिए कहा है इन्होंने। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : शांति धारीवाल थे, सी.पी. जोशीजी थे, बी.डी. कल्लाजी थे।

श्री अध्यक्ष : ये मंत्रीजी भी तो बताएंगे कि आपमें से कौन-कौन से मंत्री ऐसे हैं, यह भी तो बताएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : ये जो खड़े हो रहे हैं ये सब हैं। जो खड़े हो रहे हैं, उचकं रहे हैं सब हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूनी) : भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया, बराबर जवाब आ रहा था।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो ट्रेंड रहा है, पिछली विधान सभा, पिछले मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं उनका मैंने आपको बीच में जिक्र किया।

श्री अध्यक्ष : अब ज्यादा मत उलझाओ मामले को। गलती हो गई आपसे, ज्यादा मत उलझाओ। प्रश्न का जवाब दो।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान) हमारे विभाग के द्वारा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गलत बात है। इस तरह से कहने का कोई हक नहीं और मैंने आपको राजी करने के लिए नहीं कहा है, सही बात कही है मैंने। कोई आपको राजी करने वाली बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज अध्यक्ष महोदय कुछ नये मूड में हैं। अध्यक्ष महोदय, आज कुछ बदले-बदले नजर आ रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, विराजें। (व्यवधान) वे आपके प्रश्न का ही तो जवाब दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया था, आपके प्रश्न का ही जवाब नहीं आया, हमारे प्रश्न का जवाब कहां से आएगा। आपने पूछा कि कौन-कौन से मंत्री हैं उनका जवाब पूछिये ना आप। पहले आपके प्रश्न का जवाब आये।

डा. दिगम्बर सिंह : आप विराजें तो मैं जवाब दूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा था बिलकुल सही कहा था, गलत नहीं कहा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलावटी और मिसब्राण्डेड घी है और इनके निश्चित रूप से मुकदमें दर्ज किये जाते हैं, पर जहां तक नकली घी का प्रकरण है, पुलिस ने इसके मुकदमें दर्ज किये और हमारे विभाग को इसकी कोई सूचना नहीं, न हमारे विभाग के किसी फूड इंस्पेक्टर को इसमें बुलाया गया। पुलिस ने आज तक...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : यह तो और भी गम्भीर मामला है। आपके विभागों में समन्वय नहीं है। पुलिस की सूचना आप तक नहीं और आप उनसे यह जानकारी नहीं ले रहे हो, और भी गम्भीर मामला है। प्रदेश में इतना मिलावटी घी पकड़ा जा रहा है, जयपुर तथा और जिलों में जिसमें लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार को इसकी जानकारी नहीं हो तो यह तो बहुत गम्भीर बात है।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य, आप पहले पूरी बात सुनें। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मिलावटी घी की निश्चित रूप से हमारा विभाग कार्यवाही करता है। मिलावटी और नकली में फर्क तो करके देखिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अगर चिकित्सा विभाग ने उसको नकली नहीं माना तो पुलिस ने उसको नकली कैसे दर्ज कर लिया, यह तो बताएं। वह तो बताएं किस तरह से उसको नकली दर्ज कर लिया?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

डा. दिगम्बर सिंह : देखिए, यह सवाल था देशी घी का...

श्री बृजकिशोर शर्मा : देशी घी भी तो घी है उसका जवाब नकली कैसे दर्ज कर लिया। यदि आपके डिपार्टमेंट ने उसको देशी घी प्रूव कर लिया तो आपने कैसे उसको नकली दर्ज किया।

डा. रा.डी. देवल : यह राजस्थान के स्वास्थ्य का मामला है। मंत्रीजी को कोई ज्ञान ही नहीं है. इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कराकर पूरा जवाब इनसे दिलाया जाए।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सेठ-साहूकारों का मामला है इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। यदि गरीब का होता तो अभी कार्यवाही हो जाती। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : नहीं, बिलकुल निश्चित रूप से इसमें किसी को बख्शने का मतलब नहीं है। मैंने जवाब में कहा (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह जब तक जांच कराओगे तक तक पता नहीं राजस्थान में कितने आदमी मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

बल्लभनगर तहसील के अविद्युतीकृत ग्राम

256. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी के अन्तर्गत उदयपुर जिले में 2225 गांव हैं, जिनमें से 2120 ही विद्युतीकृत हैं? यदि हां, तो बल्लभनगर तहसील में कितने गांव अविद्युतीकृत हैं?

(2) क्या सरकार शेष रहे उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(3) जो फले व ढ़ाणियों अविद्युतीकृत हैं वहां पर बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है?

राज्य मंत्री ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह) : (1) जी हां। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उदयपुर जिले में कुल 2225 गांव हैं जिनमें से माह दिसम्बर, 2004 तक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विद्युतीकृत गांवों को सम्मिलित करते हुए कुल 2120 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका था। बल्लभनगर तहसील के शत प्रतिशत गांव विद्युतीकृत घोषित हैं।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

(2) बल्लभनगर तहसील के शत प्रतिशत गांव विद्युतीकृत घोषित हैं। इनमें कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होने व नियमानुसार उनकी मांग-पत्र राशि जमा कराने पर तदनुसार वांछित विद्युत तंत्र का विस्तार किया जाएगा।

(3) जो फले व ढाणियां अविद्युतीकृत हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित नई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है तथापि वर्तमान में इस विषय में राज्य सरकार की योजना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(योजना के विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष : यह फले क्या शब्द है? हमें तो पता ही नहीं है कि फले किसे कहते हैं?

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : अध्यक्ष महोदय, ढाणी को फले कहते हैं। पहाड़ के ऊपर जो घर बसे होते हैं, अलग-अलग जगह पर चार-चार मकान। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले वर्ष में इन्होंने 22 फले मेरी तहसील में विद्युतीकृत कराये। यह बात तो सही है कि पिछली सरकार ने कागजों पर शत-प्रतिशत घोषित कर दिये, विद्युतीकृत हो चुके हैं, लेकिन अब इस सरकार से हम आशा करते हैं कि यह कागजों पर नहीं हो और असल में विद्युतीकृत हो।

दूसरा यह कि केन्द्र सरकार ने अभी यह घोषणा की है कि हर गांव का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करेंगे, लेकिन उसका कोई पैसा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मिला है, क्योंकि आपने जो परिशिष्ट "अ" पर दिया है उसमें एक डिस्काम में 80 ढाणियां ही विद्युतीकृत होंगी। हमारी तो एक ढाणी उसमें से होगी। इसलिए क्या केन्द्र सरकार से इसके बारे में और कुछ पैसा आया है या उन्होंने केवल थोथी घोषणा की है और जो फले बचे हुए हैं, मेरी तहसील में कम से कम 52 फले ऐसे हैं जो अभी विद्युतीकृत नहीं हुए हैं और कुछ गांव भी हैं जिनके आवेदन भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुए हैं। इसके बारे में बताएं।

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पुरानी परिभाषा के तहत किसी भी

(श्री गजेन्द्र सिंह)

गांव में एक भी वल्ब विद्युतीकृत हो जाए या कोई ट्रांसफार्मर भी लग जाए तो उस ग्राम को इलेक्ट्रीफाइड माना जाता था। इसमें 31.2.2005 को 38654 गांव इलेक्ट्रिफाइड डिक्लेयर किये गये थे आउट आफ 39810। यानी 97 प्रतिशत। जो नयी डेफिनेशन है एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003, उस परिभाषा के तहत कम से कम 10 प्रतिशत घर हैं, वो विद्युतीकृत होने चाहिए एक गांव के अन्दर, नम्बर एक।

नम्बर दो, जितने कम्युनिटी सेण्टर हैं स्कूल हैं, हास्पिटल हैं, पंचायत भवन हैं इन सबका विद्युतीकरण होना आवश्यक है, यह है नई परिभाषा। माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि नई परिभाषा के तहत आपकी वल्लभनगर तहसील के अन्दर 181 गांव इलेक्ट्रीफाइड हैं, आउट आफ 269 । 88 गांव हैं वो बैलेंस पेंडिंग हैं।

मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि जो ए.आर.ई.पी. स्कीम, एक्सीलेटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम अभी 4 अप्रैल को इस योजना को नया नाम दिया गया राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, अभी माननीय प्रधानमंत्रीजी ने 4 अप्रैल को जो स्कीम लांच की, इसके तहत इन्होंने डिक्लेयर किया, इसके अन्दर इन्होंने कहा कि एक तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसहोल्ड को ये मैन मुद्दा बनाएंगे, दूसरा थ्रू आर.ई.सी. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के तहत यह काम करेगा। तीसरा 90 प्रतिशत सब्सिडी है वो केन्द्रीय सरकार स्टेटस को इसके तहत देगी। फेज वन के अन्दर जो टेंथ प्लान है उसके अंदर 5 हजार करोड़ रुपया टोटल सब्सिडी रिलीज की जाएगी राज्य सरकार को टेंथ प्लान के अन्दर। और लास्ट जो है उनका यह था कि रूरल में और अर्बन में अपन जो बिजली देते हैं उनका यह मानना है कि सब राज्य सरकार को बराबर उनका बिजली देने में यह रखा है। अब इसके अन्दर हमारी सरकार ने हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रोटेस्ट किया है कि हमने कहा कि पुरानी परिभाषा के अनुसार राजस्थान के अन्दर खाली 613 गांव अनइलेक्ट्रिफाइड गिने जाते हैं और साढ़े 9 लाख पर-गांव वह दे रहे हैं, केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है इसके तहत खाली हमको 40 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। हमारा यह प्रोटेस्ट है कि जो नई परिभाषा है उसके तहत हमारे 16 हजार गांव हैं, अनइलेक्ट्रिफाइड हैं तो 16 हजार मल्टीप्लाइड बाई साढ़े 6 लाख यानी कि एक

(श्री गजेन्द्र सिंह)

हजार 40 करोड़ केन्द्र सरकार प्रपोजल दे रही है 40 करोड़ रुपये का, हम कह रहे हैं कि नई परिभा .I के अनुसार इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की जो परिभाषा है उसके अनुसार यह जो हमारे टोटल 16 हजार गांव अनइलेक्ट्रिफाइड हैं तो हमें मिलना चाहिए एक हजार 40 करोड़ और केन्द्र सरकार कह रही है कि नहीं, हम पुरानी परिभाषा के तहत खाली 40 करोड़ रुपये देंगे तो हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसके लिए अपील की है।

दूसरा, आपको यह बताना चाहूंगा बल्लभनगर से पधारे सदस्य आपने बोला कि आगे के लिए क्या कार्यक्रम है। ऐसा है इतनी स्कीम्स हैं, सदन को मालूम होना चाहिए कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है तो इसके बारे में कई स्कीम्स हैं आप लोग उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो, हमने लांच कर दी हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं, आप बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह : हमारा जो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम है, इसके तहत हमने लो पावर प्लांटस 10 किलोवाट के बनाये हैं सौर ऊर्जा के, इसके अन्दर हमारे जो डिस्काम्स हैं उन्होंने 451 छोटे गांव जो हैं बिलकुल वीरान एरिया के अन्दर हैं, 451 गांवों को आइडेंटिफाई अक्षय ऊर्जा निगम ने यह बोला है कि 2012 तक इनको हम इलेक्ट्रिफाई नहीं कर पाएंगे तो आर.आर.ई.सी. ने यह टारगेट लिया है कि 107 गांव तो इस व. में इन्होंने कम्पलीट कर दिये हैं, 10 किलोवाट का स्टेंड लो सोलर पावर का तंत्र लगेगा और उसके अन्दर तीन हजार रुपये प्रति कनेक्शन से 50 कृ. कनेक्शन पर गांव में दिए जाएंगे। इसके अलावा भी हमने डोमेस्टिक लाइटिंग का जो सिस्टम है।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न का जवाब दे दिया, अब आप क्या भा .ण दे रहे हो? प्रश्न का जवाब तो आ गया आपका? प्रश्न संख्या 257

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसी मुद्दे पर मेरा भी एक सवाल है।

स्थानीय निकायों को गृह कर की समाप्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति

257. **श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार गृह कर को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार गृह कर समाप्त करने से स्थानीय निकायों को कर में होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए किसी अन्य विकल्प को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्री प्रताप सिंह सिंघवी) : (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह कर समाप्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है, प्रकरण के समस्त पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

(2) चूंकि गृह कर समाप्त करने का अभी निर्णय नहीं हुआ है। अतः निर्णय उपरान्त ही क्षतिपूर्ति के विकल्प पर विचार किया जाएगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शहरी जनता को आकर्षित करने के लिए गृह समाप्ति का जनता से क्या वायदा किया गया था? यदि वायदा किया गया था तो दूसरे बजट के बाद भी परीक्षण पूरा नहीं होने के क्या कारण है दो, तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस परीक्षण की कार्यवाही में नगर निगम, नगरपालिका और नगरपरिषदों को गृह कर वसूली की जगह हानि होने वाले धन पर भी विचार किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : वह जब गृह कर को समाप्त करेंगे तब देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी तो विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र सराधना : मेरा जवाब तो आने दो, साहब, आप ही दे दो तो बहुत है फिर। हां, बताएं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बता दिया साहब, क्या बताऊं अब?

श्री रामचन्द्र सराधना : आपने क्या बताया? क्या जनता से वादा किया गया था?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री रामचन्द्र सराधना : जनता से वादा किया था तो दूसरा बजट पेश करने के बाद यह परीक्षण पूरा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण हैं?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : महिपालजी ने गुर्जरों के बारे में क्या कहा था, याद है आपको?

श्री रामचन्द्र सराधना : क्या कहा था?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : क्या कहा था, आपके पास पड़ोस में बैठते हैं, उनसे पूछना दुबारा।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपसे यह भेजा ज्यादा बड़ा है और लोगों का, आप जैसे +++नहीं हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : बहुत गम्भीर मामला है।

श्री रामचन्द्र सराधना : +++ भी बन गये मंत्री।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मंत्री महोदय क्वेश्चन का यह जवाब देते हैं? (व्यवधान) यह बहुत सेंसेटिव मामला है। (व्यवधान) और सेंसेटिव मामले पर आपने वायदा किया है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : आप जैसे +++भी मंत्री बन गये। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : बिलकुल सही है, आपने वायदा किया है, आपने जनता से इस आधार पर वोट मांगे हैं। (व्यवधान) यह शर्म की बात है। अध्यक्षजी।

श्री सांवर लाल : यह घोषणा पत्र पांच साल के लिए है।

श्री बाबूलाल नागर : आपने गृह कर समाप्त करने का वादा किया है।

श्री सांवर लाल : आपने घोषणा पत्र का एक भी बिन्दु पूरा किया क्या? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : हमारे घोषणा पत्र की बात मत करो। (व्यवधान) आप अपने घोषणा पत्र की बात करो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और हम इसको पूरा करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान की जनता की। हमने जो वादे किए हैं वे सभी पूरे करेंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्षजी, भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है कि वह पूरा करती है। (व्यवधान) जो हमने वादा किया गृह कर हटाने का वह भी पूरा करेंगे। (व्यवधान) एक साल में सारे वादे पूरे नहीं हो सकते।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, वह माफी मांगें सदन में यह कोई जवाब नहीं होता। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, इसको जवाब नहीं मानेंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : चुनाव घोषणा पत्र के वादे तो आप पूरा नहीं करते। हम तो जो भी वादे करते हैं, वह पूरे करते हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : क्या हम यह मानें कि आप दमादम माल कमाने की बुद्धि रखते हो और हम सवाल पूछना भी नहीं चाहेंगे। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्षजी, बड़ा गम्भीर मामला है। माननीय मंत्रीजी ने अपने क्वेश्चन के जवाब में पहले कभी किसका नाम लेते हैं और क्या कह करके उस प्रश्न की गम्भीरता को समाप्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : दादागिरी से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) दादागिरी से कोई दबने वाला नहीं है। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है आपका। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : माननीय अध्यक्षजी, इन्दिरा गांधी नें वादा किया था देश में गरीबी मिटा दूंगी, इनको पूछो वादा पूरा हो गया क्या?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप कोई एक्ससेप्शन हो क्या? कि जब आसन पांवों पर हो तो आप नहीं बैठो। मैं निवेदन यह कर रही थी कि उत्तर तो दे दिया, बहुत स्पष्ट है, विचाराधीन है जब लागू होगा तब हटेगा गृह कर तब कोई नया सोर्स क्या होंगे बिलकुल स्पष्ट कह दिया उन्होंने और क्या चाहते हैं आप?

श्री रामचन्द्र सराधना : जवाब तों आने दो, मैंने यह पूछा है कि आपका विचार आने तक क्या गृह कर वसूली स्थगित कर दी। आप बात नहीं करने दो।

श्री अध्यक्ष : देखिए, वायदा किसी पार्टी का था उस बारे में मैं नहीं जाना चाहती, वायदा क्या था क्या नहीं था लेकिन मैं यह कह रही हूं प्रश्न जो पूछा गया है उन्होंने कहा गृह कर समाप्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है, बात सुनिए आप पहले, विचाराधीन है, जब समाप्त होगा तब अन्य क्या विकल्प होगें कि इन नगरपालिकाओं के लिए, नगर परिषदों के सोर्स का वह बाद में तय करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : बात यह नहीं है, बात यह है कि गृह कर

(श्री रामचन्द्र सराधना)

वसूली के विचार का निर्णय होने तक गृह कर स्थगित कर दिया गया? यह गृह कर स्थगित नहीं कर दिया गया तो वसूली कहां-कहां कर रहे हैं? प्रश्न तो मेरा पाइंटेड है। (व्यवधान) और मंत्री बनने से बुद्धि बदल नहीं जाती है, +++ आदमी बुद्धिमान नहीं होता है मंत्री बनने के बाद। (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाएं। अगर उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है तो गृह वसूली के कैम्प क्यों लगाए जा रहे हैं और कैम्प लगाए जा रहे हैं तो सारी संस्थाओं में करोड़ों रुपये बाकी पड़े हैं वह वसूल क्यों नहीं करते हैं? मंत्री जवाब देते नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सराधना साहब, क्या कहा था उन्होंने, याद है आपको?

श्री बृजकिशोर शर्मा : मंत्री तैयार होकर आते नहीं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : प्रश्न का काम नहीं, बच्चों की तरह बात कर दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : महीपालजी यादव ने क्या कहा था, आपको याद है? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : यह बुद्धि का ठेका ले रखा है इन्होंने। (व्यवधान) मोटा सिर होने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : आप मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : वसुंधराजी की कृपा हो सकती है, प्रतापसिंह सिंघवी पर लेकिन बुद्धि की कृपा भगवान ही देता है, आपने कह दिया बुद्धि नहीं है।

श्री अशोक बैरवा : यहां क्या लड़ रहे हैं क्या इनको फुरसत ही नहीं है पार्टी से। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : यह बुद्धिमान आदमी हैं? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : जनता के साथ क्या बात करेंगे? आप तो यह बताओ कब गृह कर मुक्त करोगे? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब तो दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने हमारे मंत्रीजी को + + + का कह कर अपमानित किया है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" :... ये जनता का कीमती समय निकाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्षजी, इनको बोलिये कि ऐसी बातें नहीं करे सदन में।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्षजी, मेरी बात सुनें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकाल समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। उनसे जवाब दिलवाइये। (व्यवधान) ये कह रहे हैं कि कर वसूली पर परीक्षण पूरा होने तक क्या इन्होंने वसूली स्थगित कर दी और नहीं की तो इन संस्थाओं में वसूली क्यों नहीं कर रहे हैं जो करोड़ों रुपया बाकी पड़ा हुआ है? प्रश्न का जवाब ही नहीं आने दे रहे।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्षजी, इसके साथ-साथ एक और सवाल है कि इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? यह भी बतायें। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : ये + + + हैं, ये + + + मंत्री से जवाब दिलवायें।

एक माननीय सदस्य : आपने कभी वायदे पूरे किये थे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : आइंदा मत कह देना। आइंदा मत बोल देना प्रताप सिंहजी। +++ आदमी बुद्धिमान नहीं होता मंत्री बनने से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री रामचन्द्र सराधना : +++ (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप तो मेरे गुरू हो सराधना साहब। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : +++आदमी मंत्री बन गये, बोलने का होश नहीं है इनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 11 अप्रैल, 2005 से 17 अप्रैल, 2005 तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने दिल्ली में साक्षरता मिशन की बैठक में भाग लेने एवं तत्पश्चात् शिक्षा से सम्बन्धित सेमीनार में भाग लेने हेतु आयरलैण्ड जाने के कारण दिनांक 11 अप्रैल, 2005 से 17 अप्रैल, 2005 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदन की ओर से पाली जिले के ग्राम सारण में लगे क्रेशर से वायु प्रदूषण होने के सम्बन्ध में।
2. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में ए.डी.बी. परियोजना के तहत मूलभूत सुविधाओं को शामिल करने के सम्बन्ध में।

4. श्री हरीशचन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से नावां एवं कुचामन शहर में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

5. श्री तगाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के खेतों में बालू रेत के टीबों की समस्या का समाधान करने हेतु वन लगाने की योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

6. श्री अशोक नवलखा, सदस्य की ओर से गोदावत जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सादड़ी को राज्याधीन करने के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर शहर में आर.पी.एम.टी. का परीक्षा केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

8. डा. ओ.पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय घोषित करने के सम्बन्ध में।

9. श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से जिला बारां के समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में।

10. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में आबंटन योग्य राजस्व भूमि काबिल काश्त का आबंटन नहीं करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सारण (जिला पाली) में लगे क्रेशर से वायु प्रदूषण

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पाली जिले के ग्राम सारण, तहसील मारवाड़ जं. में लगे क्रेशर के कारण वायु प्रदूषण एवं ग्रामीणों में उत्पन्न बीमारियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र खारची के ग्राम सारण में मेशनरी स्टोन का खनन कार्य एवं उसके साथ क्रेशर लगा हुआ है जिसके कारण पूरे गांव के लिए एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। उक्त क्रेशर के कारण वायु प्रदूषण व ब्लास्टिंग से आये दिन पत्थर गिरने से ग्रामीणों को चोटें लगती रहती हैं और उनका जीवन दूभर हो रहा है। गांव के बिलकुल नजदीक होने के कारण आये दिन अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। वायु बहाव की दिशा गांव की तरफ होने पर क्रेशर खानों की डस्ट मकानों में भर जाती है वह लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। गांव में रह रहे बुजुर्ग महिलाएं व बच्चों में तो सिलकोसिस, दमा, तपेदिक आदि बीमारियां होना तो आम बात हो गई है। महोदय, ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव में महामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिये हैं कि नियंत्रण मण्डल द्वारा एक्ट (प्रवेन्शन एण्ड कंट्रोल आफ पाल्यूशन) 1982 के तहत जब तक अनापत्ति नहीं दी जाती तब तक कोई खनन कार्य नहीं होगा। इन निर्देशों की भी विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। ग्रामवासियों द्वारा अनेक बार प्रार्थना पत्र दिये, मेरे स्वयं के द्वारा करीब 6 माह पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल को पत्र लिखा गया, परन्तु आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

महोदय, एक तरफ सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित रहती है व उनके लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है, दूसरी तरफ चन्द प्रभावशाली लोग हैं जो पूरे गांव के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिन्हें तुरन्त रोका जाना आवश्यक है। अत: विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही अनदेखी व उनकी मिलीभगत से हो रहे उक्त अवैध खनन कार्य को रूकवाये जाने हेतु मैं विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय खनिज मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे क्रेशरों पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जावे एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की भी निष्पक्ष जांच करवाई जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, खड़े होकर के बात नहीं करें। श्री हीरालाल।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नाहरगढ़ थाने में...

श्री अध्यक्ष : आपका नाम थोड़े ही है।

श्री हेमराज मीणा : पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पाइंट आफ इन्फार्मेशन, मैं सूचना देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल में नहीं होता पाइंट आफ आर्डर।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इसके बाद करिये जो बात कहनी हो उठाये, जो प्रश्न उठाना है लेकिन अभी तो 295 पढ़ने दें। श्री हीरालाल।

सूचना

नाहरगढ़ कस्बे में (तहसील किशनगंज जिला बारां) एक मुल्जिम की पुलिस थाने में मृत्यु

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे नाहरगढ़ कस्बे में बारां जिले की क़िशनगंज तहसील में एक मुल्जिम की मृत्यु पुलिस हिरासत में हो गई। पुलिस ने उसके साथ जबरदस्त मारपीट की। पुलिस ने उसको सात दिन तक टार्चर किया। उसका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराने पर बताया कि उसके पीलिया रोग हो रहा था और हार्ट फेल होने से उसकी मृत्यु हुई है लेकिन अध्यक्ष महोदय, 7 दिन तक लगातार उसकी पिटाई करते रहे उसके कारण से उसकी मौत हुई है। एस.पी., एस.डी.एम. वगैरह सब मिलीभगत करके वहां के थाना स्टाफ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं तो अध्यक्ष महोदय,

(श्री हेमराज मीणा)

आपके माध्यम से चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी उस थानेदार और स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : हो गया। श्री हीरालाल। (व्यवधान) जवाब सुनें उनका, वो क्या कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय मेरे ध्यान में आया है कि पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस पूरे प्रकरण को मैं दिखा रहा हूं, इसमें जो-जो भी अगर कोई, जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसके आधार पर तो यह है कि उसका हार्ट फेल हो गया लेकिन फिर भी चूंकि पुलिस कस्टडी में रहते हुए उसकी मृत्यु हुई है, मैं इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर इसमें जो भी दोषी अगर पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें इतनी सी बात है कि उसको 7 दिन तक थाने में टार्चर किया। पीलिया से हुई है उसकी मौत और हार्ट फेल से हुई है यह तो मेडिकल की रिपोर्ट है। लेकिन 7 दिन तक उसको टार्चर किया और वो नकबजन था, डकैत था तो उसने पुलिस के साथ हाथापाई की इस कारण से उसकी इतनी मार पिटाई की 7 दिन तक, कि उसकी मौत हो गई।

श्री अध्यक्ष : वो कह दिया न उन्होंने।

श्री हेमराज मीणा : उसमें अभी तक थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी थानेदार के खिलाफ, स्टाफ के खिलाफ तुरन्त आप कार्यवाही करें, वहां से उनको हटायें उसके बाद जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया न कि कार्यवाही करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को आश्वस्त करता हूं कि किसी उच्चाधिकारी को भेजकर के इस सारे प्रकरण को दिखवा दूंगा। उसमें जिस-जिस का भी दोष

होगा वह निश्चित रूप से दण्ड का भागी बनेगा। आपको इस बारे में कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। जो भी सच बात होगी उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रामनारायण साहब, आज ड्रेस चैंज करके आये हैं, कोई विचार बदल लिया क्या?

श्री अध्यक्ष : वापस जम रहा है उनका मामला इसलिए तो रोजाना फार्म में आ रहे हैं। श्री हीरालाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बामनवास में पेयजल समस्या

श्री हीरालाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बामनवास व बौंली के अधिकांश ग्राम व ढाणियां हर वर्ष सूखे से प्रभावित व असिंचित क्षेत्र है। क्षेत्र के अधिकांश ग्राम ढाणियों में बसे हुए हैं व ढाणियां दूर-दूर बसी होने के कारण अन्य पेयजल की बड़ी योजनाओं से पेयजल उपलब्ध कराना असम्भव है। विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों का जल स्तर घट जाने से पुराने निर्मित कुओं का पानी सूख गया है। विधान सभा क्षेत्र के पेयजल पीड़ित ग्राम व ढाणियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केवल मात्र एक ही विकल्प नवीन हैण्ड पम्प स्वीकृत करना, नाकारा हैण्ड पम्पों की जगह नये हैण्ड पम्प लगाना व खराब पड़े हैण्ड पम्पों की मरम्मत कर ही क्षेत्र की पेयजल समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है।

विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री पेयजल योजनान्तर्गत नवीन हैण्ड पम्पों के निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाया जाये जिससे विधायक कोष के 10 प्रतिशत राशि से पर्याप्त हैण्ड पम्पों लग सकें।

तहसील बामनवास व बौंली के अधिकांश ग्राम व ढाणियां जो अभी

(श्री हीरालाल)

तक पेयजल योजनाओं से वंचित हैं तथा पेयजल संकट से बहुत परेशान हैं, कुछ ग्राम व ढ़ाणियों को कई वर्षों से टैंकों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे ग्राम व ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने का एक मात्र विकल्प है अधिक से अधिक नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत करना व चालू पेयजल योजनाओं के लिए जल स्त्रोत बढ़ाने प्रधान मंत्री पेयजल योजना के हैण्डपम्पों का लक्ष्य बढ़ाने व हैण्डपम्प मरम्मत हेतु विभाग को अधिक से अधिक संसाधन जुटाने, नाकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर शीघ्र ही नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत करने तथा तहसील बौंली के तहसील मुख्यालय बौंली हेतु पेयजल योजना चरणवया दय से प्रस्तावित है, उसे तुरन्त स्वीकृत कराया जाये और सरकार पूरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम व ढाणियों का सर्वे कराकर शीघ्र से शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मेघवाल।

जोधपुर शहर में ए.डी.बी. परियोजना के तहत चल रहे कार्य

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में जो ए.डी.बी. परियोजना के तहत कार्य चल रहे हैं, उनसे निश्चित ही शहर में व्याप्त मूलभूत सुविधाओं में काफी सुधार होगा। मैं यहां उल्लेखित करना चाहता हूं कि इस परियोजना के तहत लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनकी पूर्ति शत-प्रतिशत नहीं हो रही है। उदाहरणार्थ ए.डी.बी. कार्यो के तहत शहर की लगभग 70 कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी, किन्तु इन 70 बस्तियों में से अधिकांश बस्तियां मेरे विधान सभा में ही स्थित हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन कच्ची बस्तियों में न तो सड़कों का कार्य पूर्ण हुआ है एवं न ही पानी के निकासी की पूर्ण व्यवस्था हुई है। इसके अतिरिक्त सीवर लाइनों का कार्य भी अपेक्षित है। ए.डी.बी. परियोजना के तहत शहर में उच्च जलाशयों का निर्माण, पेयजल लाइनें एवं सीवर लाइनों का जाल बिछाने का कार्य भी चल रहा है, जिसकी गति भी काफी मंथर है। इसके अलावा शहर की कई बड़ी बस्तियां हैं जहां पर ए.डी.बी. के कार्य अपेक्षित हैं। किन्तु इन बस्तियों को अभी तक इस परियोजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र की रामेश्वर नगर,

(श्री मोहन मेघवाल)

के.के. कालोनी, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, शिक्षक कालोनी, जैसल नगर, सूंथला, हरिओम नगर, सूरज नगर, रामनगर, हरिनगर, ईस्ट पटेल नगर आदि क्षेत्रों में पेयजल हेतु न तो पाइप लाइनें बिछाई गई है एवं न ही इन क्षेत्रों को सीवरेज लाइनों से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त कई बस्तियों में कार्य तो हुआ है किन्तु अधूरा छोड दिया गया है। इसी तरह शहर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने हेतु भी इस परियोजना में प्रावधान किया जा चुका है किन्तु इस ओर आज तक कोई ठोस कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है। मैंने ए.डी.बी. परियोजना को संचालित करने वाले स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क किया एवं इस परियोजना के निदेशक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रताप नगर, सूरसागर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, मधुबन हाउसिंग बोर्ड एवं रोटरी डिस्पेंसरियों को इसमें सम्मिलित करते हुए सेटेलाइट अस्पताल के अनुरूप विकसित करने हेतु निवेदन किया है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रगति आज तक नहीं हुई है। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि उक्त पांचों डिस्पेंसरियों में तीन से चार लाख की आबादी प्रभावित हो रही है।

अन्त में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप स्वयं इस परियोजना की प्रगति को देखें एवं शेष रहे कार्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक निर्देश राज्य सरकार स्तर पर जारी करावें ताकि जोधपुर शहर में इस परियोजना का अपेक्षित लाभ आमजन को मिल सके। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से वंचित क्षेत्रों को सम्मिलित किये जाने के निर्देश जारी करावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीशन्द्र कुमावत।

नावां व कुचामन शहर में पुनर्गठित पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : अध्यक्ष महोदय, नावां शहर व कुमाचन शहर में पीने के पानी की पुनर्गठित योजना बनाने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

नावां शहर उपखण्ड मुख्यालय है। यहां की आबादी करीब 30,000 है तथा सैकड़ों मजदूर नमक उद्योग में यहां कार्य करते हैं जिससे लगभग

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

50,000 की आबादी को पीने के पानी की आवश्यकता रहती है। वर्तमान पेयजल व्यवस्था बहुत ही कम है। जो जल स्त्रोत पूर्व के हैं, उनमें पानी समाप्त हो गया है। इस कारण इतनी बड़ी आबादी के शहर में पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से नावां का डेपुटेशन मेरे साथ मिला था, उन्होंने तीन नये टयूबवैल बनाने के निर्देश जलदाय विभाग को दिये थे परन्तु वे टयूबवैल भी अभी तक नहीं बने हैं। नावां के वार्ड नं., 1 व 2 में पानी की व्यवस्था के लिए श्मशान क्षेत्र के कुएं से पानी व्यवस्था हेतु विधायक कोटे से जो राशि स्वीकृत की उसका कार्य भी अभी तक नहीं हुआ है।

वार्ड नं. 7 में भी ऊंची बस्ती में पर्याप्त रूप से पानी नहीं आ रहा, मारोठ रोड वार्ड नं. 15 की बस्ती में विधायक कोटे से पीने के पानी की व्यवस्था हेतु स्वीकृत की गई राशि का काम भी अभी तक नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गर्मी की मौसम में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। इसलिए ये स्वीकृत एवं निर्देशित कार्य शीघ्र करवाये जायें तथा वहां पर तैनात स्टाफ को भी निर्देशित करवाया जाये कि पानी की व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई न अपनायें।

नावां शहर में मौजूदा व्यवस्था कम समय की है इस कारण लिचाणा, गोगोर व पुठ की ढाणी बैल्ट से यहां पानी लाने की पुनर्गठित पाइप्ड योजना बनाई जानी चाहिए जिससे अगले वर्ष में पानी की कोई दिक्कत पैदा नहीं हो।

कुचामन सिटी की आबादी लगभग 60,000 है। यहां की पाइप्ड योजना जितनी जनसंख्या के लिए उपलब्ध हैं, उससे अधिक आबादी बढ़ रही है व कई-कई बस्तियां हो गई हैं। इस कारण सम्पूर्ण बस्तियों में पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है तथा वर्तमान में पुराने क्षेत्र में जैसे न्यू कालोनी, मुरलीधरजी वकील साहब का रास्ता, कड़वा का बांसड़ा वार्ड नं. 5, पारीक कालोनी वार्ड नं. 6, वार्ड नं. 21 महरों की ढाणी इत्यादि इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। यहां बड़लों का बास वार्ड नं. 6 में नया ओवरहैड टैंक बनाया जाये व जिस क्षेत्रों में पुरानी पाइप लाइन डाली हुई है, इस दो इंची लाइन से सब लोगों को पूरा पानी उपल्ब्ध नहीं होता, वहां अधिक डायामीटर चार इंची, पांच इंची की पाइप लाइन डाली जानी आवश्यक है, अतः वहां की पुनर्गठित पाइप्ड योजना इस तरह की बनाई जाकर पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था करावें।

ग्राम बांसडा का कुआं सूख गया है जिसकी खुदाई करवाकर आडी बली लगाने से उस कुएं में पानी आ सकता है, यहां पर जी.एल.आर. बना हुआ है। पाइप लाइन में भी पर्याप्त पानी नहीं आता है। अतः इस कुएं का कार्य समर योजना में प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये जिससे यहां पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके। जब तक यहां कार्य कराने में समय लगे, तब तक टैंकरों से पानी सप्लाई की व्यवस्था करवाई जाये।

मैं वर्णित तथ्यों की ओर इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं कि इन दोनों शहरों में पीने के पानी की यथाशीघ्र व्यवस्था करवाई जावे।

श्री अध्यक्ष : आप लोग 250 शब्दों की बजाय बहुत बड़ा-बड़ा लिखते हैं, इसको थोड़ा शोर्ट में लिखें तो उचित रहेगा। श्री तगाराम चौधरी।

बाड़मेर के खेतों में बालू रेत के टीबों से उत्पन्न समस्या के निराकरण बाबत

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के किसानों के खेतों में बालू रेत के टीबों से उत्पन्न संकट के निवारण हेतु सदन में विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बहुत से गांवों में बालू के ऐसे बड़े-बड़े टीबे धूल भरी आंधियों के कारण जम जाते हैं, जिससे खेतों में रहने वाले किसानों की ढाणियां तक दब जाने का खतरा उत्पन्न हो रहा है तथा किसान खेती करने से भी महरूम हो रहे हैं। ऐसे में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा एवं साथ ही मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि इस संकट के निवारण के लिए मात्र एक ही उपाय है कि टीबा स्थिरीकरण के तहत वन विभाग द्वारा किसानों के निजी खेतों में वृक्ष लगाये जाने से ही रेगिस्तान को रोका जाना सम्भव होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में विशेष तौर से ग्राम

पंचायत कानोड़ में तो बायतु-गिड़ा सड़क पर स्थित टिब्बों के कारण सड़क को रेत से दब जाने पर उसे बार-बार बदलने पर भी इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो रहा है। यहां तक कि टेलीफोन के खंभे भी बालू के टीबों में दबे चुके हैं। इसी प्रकार क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिड़िया, अकदड़ा, झाख, सिंगोडिया बाटाडू, कोसरिया, राणीगांव, उण्डखा, बालेरा, जसाई, सियाणी, इन्द्रोई, बोला....

श्री अध्यक्ष : यह क्या कर रहे हैं आप लोग?

श्री तगाराम चौधरी : ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों का निवेदन कर रहा हूं, इन ग्राम पंचायतों में..

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई बधाई दे रहे हैं क्या।

श्री तगाराम चौधरी : नांद, बिसाला, बिसाला आगोर, कपूरड़ी, भाडखा, भीमड़ा, भुरटिया, माडपुरा बरबाला, बायतु भीमजी, बायतु पनजी, बायतु भोपजी, कोलू, पनावड़ा, चौखला आदि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विशेष रूप से सर्वे करवाकर सरकार किसानों के निजी खेतों में वन विभाग द्वारा वन लगाने की योजना स्वीकृत करवा दें तो ही विद्यमान समस्या से निजात पाई जा सकेगी और इस अकाल के वर्ष में किसानों को रोजगार भी मुहैया हो पाएगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री अशोक नवलखा।

श्री गोदावत जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सादड़ी को राज्याधीन लेने हेतु निवेदन

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गोदावत जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ को राज्याधीन लेते हुए कार्यरत कार्मिकों को राजकीय सेवा में समायोजित करने एवं बकाया वेतन भुगतान हेतु कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि श्री गोदावत जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ राज्य सरकार द्वारा एक अनुदानित विद्यालय है।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

पिछले काफी समय से विद्यालय की स्थिति एकदम दयनीय हो रही है एवं कार्यरत स्टाफ को भी वेतन-भत्ते, एरियर आदि का भुगतान नहीं हो रहा है। समय-समय पर विभिन्न राजकीय अधिकारियों/शिक्षा विभाग के निरीक्षण अधिकारियों ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों/पत्राचार में बार-बार इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि विद्यालय को राज्याधीन ले लिया जाये एवं कार्यरत स्टाफ को राजकीय सेवा में समायोजित कर दिया जावे। विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाएं जारी रही, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला।

इसी सम्बन्ध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर सिविल रिट पिटीशन नम्बर 120/87 के आदेश दिनांक 29.6.99 में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विद्यालय को राज्याधीन लेने या नहीं लेने के निर्णय का विचार राज्य के माननीय मुख्य मंत्री पर छोड़ा जाता है। साथ ही इसमें माननीय मुख्य मंत्री को अति व्यस्त लोगों की श्रेणी में मानते हुए निर्णय लेने की अवधि के बारे में भी पाबंद नहीं किया गया और शायद इसी आधार का फायदा उठाकर पूर्ववर्ती माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे आज भी गोदावत जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के राज्याधीन लेने, नहीं लेने का प्रकरण पैंडिंग चल रहा है और कार्यरत कार्मिकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

अतः निवेदन है कि इस अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालय के पैंडिंग प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस विद्यालय को राज्याधीन लेते हुए कार्यरत कार्मिकों को राजकीय सेवा में लेते हुए इनके समस्त बकाया वेतनादि का भुगतान कराने की महत्ती अनुकम्पा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

सीकर शहर में आर.पी.एम.टी. का केन्द्र खोले जाने की मांग

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर शहर में आर.पी.एम.टी. का परीक्षा केन्द्र खोले जाने के बारे में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए..

श्री अध्यक्ष : वह हैं नहीं शिक्षा मंत्रीजी, यहां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं लिख रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे हैं?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान के अनेक शहरों में आर.पी.एम.टी. के परीक्षा केन्द्र बने हुए हैं जिनमें अजमेर, जयपुर, झुंझुनूं, उदयपुर आदि शामिल हैं। परन्तु सीकर शहर में आर.पी.एम.टी. का परीक्षा केन्द्र नहीं होने से सीकर शहर एवं समस्त जिले के विद्यार्थियों को उक्त परीक्षा में भाग लेने हेतु अन्य शहरों में जाना पड़ता है जिससे उन पर आर्थिक भार तो बेबजह पड़ता ही है, साथ ही विद्यार्थीगण मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। अभिभावकगण भी लड़कियों को बाहर भेजने में कतराते हैं। सीकर शहर शिक्षा की दृष्टि से काफी अग्रणी है, यहां के बालक-बालिकाएं अनेक क्षेत्रों में अपना नाम कमा चुके हैं एवं आगे बढ़ने को निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। सीकर शहर में अनेक संस्थाएं स्थापित हैं जो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करने में सहयोग देती हैं। सीकर जिले से हजारों की संख्या में विद्यार्थीगण आर.पी.एम.टी. परीक्षा में भाग लेते हैं जिनको सीकर में केन्द्र नहीं होनें की वजह से आस-पास के अन्य परीक्षा केन्द्रों पर जाकर मजबूरी में परीक्षा देनी पड़ती है, कई बार तो अभिभावकगण की मजबूरियों के चलते अनेक बालिकाएं इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने से वंचित भी रह जाती हैं।

अतः मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया सीकर शहर में आर.पी.एम.टी. परीक्षा का केन्द्र शुरू किए जाने के आदेश शीघ्र जारी करवाने का कष्ट करें। मैं राज्य सरकार एवं खास तौर से माननीय शिक्षा मंत्रीजी की अत्यन्त ही आभारी रहूंगी कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं अपने गृह क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने वाला यह कार्य किया। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : डा. ओ.पी. महेन्द्रा। आपने बहुत लम्बा लिख रहा है। दो सौ, ढाई सौ शब्दों की बजाय कई हजार शब्द...

राजकीय महाविद्यालय अजमेर को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का संघटक महाविद्यालय घोषित करने बाबत

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्षजी, आगे ध्यान रखेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का संघटक महाविद्यालय (परिसर) घोषित करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान वहां पर अध्ययन-अध्यापन की सुविधाओं और संकाय सदस्यों के शोध कार्यो से होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की स्थापना के 17 वर्षो के पश्चात भी इसका स्वरूप एक पूर्ण अकादमिक विश्वविद्यालय न होकर केवल मात्र परीक्षा संचालक संस्था बना हुआ है। अजमेर के हृदय स्थल में अवस्थित राजकीय महाविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महाविद्यालयायों में उच्च शिक्षा के प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रहा है। मई, 1836 में स्थापित होकर अपनी 168 वर्ष लम्बी यात्रा में इस महाविद्यालय को यूजीसी एन.ए.ए.सी. टीम द्वारा बी ग्रेड भी प्रदान की गई है जो कई विश्वविद्यालय को भी प्राप्त नहीं हुई है। इससे स्पष्ट है कि अपने वर्तमान स्वरूप में यह महाविद्यालय अपने आप में एक विश्वविद्यालय होने की योगयता एवं क्षमता रखता है। किन्तु इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का स्वरूप देना तो छोड़, विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय का स्तर भी प्रदान नहीं किया गया है। महाविद्यालय के अकादमिक स्तर का परिचय इस बात से भी मिलता है कि महाविद्यालय में 19 विषयों में स्नातकोत्तर व आठ विषयों में एम.फिल. कक्षाओं के साथ-साथ 19 विषयों में शोध कार्यों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाविद्यालय का पुस्तकालय एक लाख पचास हजार से भी अधिक पुस्तकों से सम्पन्न है तथा महाविद्यालय में पचास से भी अधिक कम्प्यूटर विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों में उपयोग में आ रहे हैं। महाविद्यालय में प्रवेश कार्य से लेकर परीक्षा कार्य तक कम्प्यूटर से संचालित होता है। जो कई विश्वविद्यालयों में भी नहीं होता है। महाविद्यालय के व्याख्याताओं को उनकी अकादमिक योग्यता के लिए मेरिट पे जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता रहा है। इस महाविद्यालय के व्याख्याताओं ने राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी में सत्रों

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

की अध्यक्षता करने के साथ-साथ पत्र बाचन जैसी गतिविधियों में निरन्तर भाग लेते हुए शोध कार्य के क्षेत्र में भी महाविद्यालय की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित की है। इतनी उपलब्धियों के उपरान्त भी यह दुख एवं आश्चर्य का विषय है कि अजमेर विश्वविद्यालय की स्थापन के समय भी राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय नहीं बनाया गया, ना ही बाद के वर्षों में इस पर कोई गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया।

राजस्थान प्रदेश में विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया एवं इतिहास पर दृष्टि डाली जाये तो यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के गठन के समय उस शहर के सबसे बड़े महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में अथवा विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में विकसित करने की परम्परा रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के गठन के समय महाराजा कालेज, महारानी कालेज तथा जोधपुर विश्वविद्यालय के गठन के समय जसवंत कालेज, उदयपुर विश्वविद्यालय के गठन के समय एम.बी. कालेज को देखा जा सकता है, इस परम्परा का निर्वहन करते हुएं नवस्थापित कोटा एवं बीकानेर विश्वविद्यालयों में वहां सतत राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय घोषित किये गये हैं। किन्तु अजमेर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय अपनी समस्त सुविधाओं, शैक्षणिक प्रतिमानों से स्वयं विश्वविद्यालय होने की पात्रता रखने वाले राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय घोषित नहीं किया गया। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की स्थापना के समय से ही राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को इसका संघटक बनाने की मांग लगातार विभिन्न संगठनों के माध्यम से होती रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस विषय का महत्व नहीं समझते हुए कभी भी इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया। यदि राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का संघटक महाविद्यालय (परिसर) घोषित किया जाता है तो सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा साथ ही विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण के उन्नयन में सहयोग मिलेगा और महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर सही मायने में एक शैक्षणिक विश्वविद्यालय का रूप ले सकेगा। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

बारां जिले में स्थित समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की सुव्यवस्था

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम, 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव। बारां जिले में स्थित समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छात्रावासों की सुव्यवस्थित व्यवस्था के बारे में सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। वर्तमान में बारां जिले में 24 राजकीय छात्रावासों में कुल स्वीकृत छात्र संख्या 915 है। जिनमें 911 छात्र अध्ययनरत हैं। बांरा जिले में स्वीकृत समाज कल्याण विभाग के 24 छात्रावासों में से वर्तमान में केवल 15 छात्रावासों के राजकीय छात्रावास भवन हैं। जबकि 9 छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं जहां पर छात्र/छात्राओं को पूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उन्हें अपर्याप्त सुविधाओं में रहना पड़ता है। जिससे निश्चित रूप से उनके अध्ययन पर असर पड़ता है, तख्ते, बिस्तर, पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प भी उपलब्ध नहीं है। कैलवाड़ा में पुराना भवन है, जो गिरने की स्थिति में है। जिसमें खतरा उत्पन्न हो सकता है। समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में अधीक्षक का पद भी रिक्त है, उनकी भर्ती वर्षों से नहीं हुई है। एक अधीक्षक को दो-दो तीन-तीन छात्रावासों का चार्ज है। इसी के तहत सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि 24 राजकीय छात्रावासों में से 14 छात्रावास अधीक्षक के पद कई वर्षों से रिक्त चल रहे हैं। जिससे अधीक्षक के अभाव में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की समय पर देखरेख व पढ़ाई हेतु उचित मार्गदर्शन नहीं हो पाता व छात्र अनुशासित नहीं रह पाते।

मेरा अनुरोध है कि सरकार अविलम्ब इन छात्रावासों के लिये राजकीय भवन बनवाये व छात्रवृत्ति को देखते हुए तुरन्त रिक्त पद भरे जावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा।

हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में भूमि उपलब्ध होते हुए भी काश्त के लिए आबंटित न करना

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में आबंटन योग्य राजस्व भूमि जिसकी किस्म जमीन बरडा एवं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पठार अंकित है उसे काबिल काश्त होते हुए भी आबंटन नहीं करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली जिला बूंदी में अभी इस वर्ष में करीब 1600 व्यक्तियों को साढ़े चार हजार बीघा जमीन आबंटित की है। मैं इस आबंटन अभियान में जब प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा वहां पर अनेक किसान जो नियमित रूप से राजकीय कृषि भूमि पर वर्षो से काबिज हैं और लगातार कृषि कार्य कर फसल पैदा कर रहे हैं। वह भूमि कृषि योग्य भूमि मौके पर स्थित है। उस भूमि को आबंटन करने हेतु आबंटन कमेटी के सामने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सैकड़ों किसानों ने अनुरोध किया। लेकिन परगना अधिकारी हिण्डौली ने उस भूमि का आबंटन यह कहते हुए नहीं किया कि भू-आबंटन नियमों में बरडा एवं पठार किस्म की भूमि को आबंटित नहीं किया जा सकता है। किसानों ने मौके पर प्रदर्शन किये और विरोध जताया तथा कहा कि इस भूमि पर फसल होना पटवारी ने अंकित किया है और भूमि काबिल काश्त है तो ये आबंटन नहीं किया जाना, किसानों के साथ अन्याय है।

वास्तव में करीब हजारों बीघा भूमि हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार की है जिस पर काश्त हो रही है और किस्म बरडा होने के कारण भूमि आबंटन नहीं हो पा रहा है जिससे किसानों में असंतोष भड़क रहा है और कितने ही। किसानों को धारा 91 लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत सजा भुगतना पड़ रहा है।

मैं इस प्रकार हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की उक्त काबिल काश्त भूमि जिले बरडा किस्म बताया गया है उसकी किस्म परिर्वतन करने हेतु राजस्व मंत्री से एवं जिला कलक्टर से अनुरोध किया लेकिन अभी तक इस किस्म परिवर्तन का कोई आदेश प्रसारित नहीं किया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह जिला कलक्टर बूंदी अथवा अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी को आदेश दें कि वह समयबद्ध कार्यक्रम तय करके इस प्रकार की काबिल काश्त भूमि जिसकी किस्म जमीन बरडा अंकित है। उसे हटा कर इस भूमि को आबंटन योग्य होने लायक किस्म में परिवर्तन करें। अतः जिला कलक्टर को इस प्रकार की किस्म परिवर्तन करने के लिए तीन माह में किस्म परिवर्तन करने का निर्देश दें और इस भूमि को आबंटन करवाने का आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हेमराज मीणा, याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

वीची (शाहबाद) एवं बादीपुरा (किशनगंज) पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने बाबत एवं शाहबाद तहसील के सेमली फाटक का जीर्णोद्धार

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिला बारां पंचायत समिति शाहबाद के पंचायत मुख्यालय बीची एवं पंचायत समिति किशनगंज के पंचायत मुख्यालय बादीपुरा को सड़क से जोड़ने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिला बारां की शाहबाद तहसील के सेमली फाटक तालाब का जीर्णोद्धार करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर श्री कन्हैया लालजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

हिंगोनिया गौशाला की दुर्दशा

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो हिंगोनिया गांव में गौशाला है वो पिछले चार साल से चल रही है उस गौशाला में आवारा गायों को पकड़ कर डाला जाता है उन गायों की जो दुर्दशा वहां हो रही है, पूर्व में भी मैंने कहा था लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। मैंने लिख कर के भी दिया पर पिछले चार साल से उस गौशाला को एक कत्लखाने के समान बना रखा है। वहां जो भी व्यक्ति जाता है उसे देख कर यह लगता है। आस-पास के लोग एक बार एकत्र होकर आये कि क्यों नहीं इन सारी गायों को खोल कर या तो बाहर छोड़ दिया जाए जो कम से कम खेतों में या कुछ भी चर कर, चरागाहों वगैरह में और अपनी जीवनलीला बचा सके। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि वो गायें जो वहां पर हैं उनको चारे

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

के रूप में सूखा तूड़ा डाला जाता है और वो तूड़ा डाला जाता है उसमें आधी मिट्टी होती है और वो मिट्टी जो डाली जाती है, उसको भूखी गायें खा करके जब पानी पीती हैं तो वो मौत के घाट उतर जाती हैं। जब डाक्टर को पूछा जाता है, डाक्टर तो खैर रहने का सवाल ही नहीं है वहां पर जबकि डाक्टर लगा रखा है नगर निगम ने लेकिन आज तक कोई डाक्टर वहां पर रहता नहीं है। वहां पर कोई महीने में दो महीने में 15-20 दिनों में कोई देख आये तो वो दूसरी बात है नहीं तो वहां कोई डाक्टरों की नियुक्ति नहीं है। जबकि आज की तारीख में लगभग 2200 गायें वहां पर हैं। आज उस गौशाला की जो दुर्दशा है उसमें वो गायें जो मरणासन्न होती हैं उनको एक कमरे में डाला जाता है तो तड़फती रहती हैं। कल भी भूतपूर्व गवर्नर अंशुमानसिंहजी स्वयं ने जाकर देखा वहां कमरों में तो पाया कि वहां गायें 4-4, 5-5 डाल रखी हैं वो गायें अधमरी होती हैं, उठ नहीं सकती हैं। पानी के लिए जरूर खेली बना रखी है कमरे में लेकिन वो उठ करके पानी तो पी नहीं सकती है कोई उनको पानी पिलाने वाला नहीं, उनको चारा खिलाना वाला नहीं है है, और इस प्रकार से सात कमरों में कल बंद कर रखी थी। 3-3, 4-4 गायें और मैं कह रहा हूं कि वो गायें तो आज खतम हो गयी होंगी और इस प्रकार से रोजाना वो गायें औसतन 30

(12.37 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गायें वहां पर खतम हो रही हैं और जिससे एक तरह से वो गौशाला कत्लखाने का रूप ले रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कि उस गौशाला की सुध ले उस गौशाला की देखभाल करें। गौशाला के अन्दर मात्र 15 कर्मचारी वहां पर लगा रखे हैं। वो कर्मचारी जिनको 60 रुपये मिलते हैं, लोकल गांव के हैं वो जब मर्जी आये घर चले जाते हैं और जब मर्जी आये आते हैं क्योंकि कोई सुपरविजन करने वाला नहीं है। मैनेजर लगा तो रखा है लेकिन वहां रहता नहीं है। कल वह मात्र 6 महीने के लिये, वह भी सुपरविजन करने के लिये गौसंवर्द्धन समिति को सुपुर्द की गई है नगर निगम द्वारा। गौसंवर्द्धन समिति ने ले तो ली लेकिन हालात् देखकर वह लोग खुद यह

कह रह हैं कि हम तो एक महीना देखेंगे इसको और देखकर अगर यहां से बजट की व्यवस्था नहीं की गई, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर न कोई हरा चारा डाला जाता है। एक मिनी टाटा ट्रक की पिकअप आती है और हर रविवार को एक बार डाला जाता है। कल जब रविवार को वह डालने आया तो वहां की सारी गायें एकदम चिल्ला उठी जिसको पूर्व राज्यपाल ने भी वहां पर आंखों से देखा। मात्र एक ट्रक आता है जिसको गायों ने एक-एक मुंह भी नहीं मारा होगा और वह सारा का सारा ट्रक खतम हो गया। जैसे सुनामी पीडितों को ऊपर से खाने के पैकेट डाले जाते हैं उसी प्रकार से उन गायों की दुर्दशा हो रही है। रविवार की रविवार को एक ट्रक उनको डालते हैं और उसमें भी जो छोटे-छोटे जानवर होते हैं वह वैसे ही बड़ी गायों के बीच में आकर तडप तडप कर खतम हो जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारा जाये, बजट की व्यवस्था की जाये। वहां पर जो पानी की खेली बना रखी है वह खेली भी उतनी ऊंची हैं कि जो छोटे जानवर है उनका वहां तक मुंह नहीं पहुंच सकता और उनको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। वहां पर जो लेबर लगी हुई है, कल उनको यह पता था कि यहां पर भूतपूर्व राज्यपाल महोदय आयेंगे और लोग भी आयेंगे, उप महापौर भी गये थे उसके बावजूद भी 15 मजदूर वहां पर मिले। वहां पर न मैनेजर था, न पशु चिकित्सक था जबकि उप महापौरजी ने कहा कि हमने यहां पर डाक्टर भी लगा रखा है। मैनेजर भी लगा रखा है लेकिन कोई व्यक्ति वहां नहीं रह रहा है। वहां पर सांडों को एक तरफ भर रखा है गायों को एक तरफ भर रखा है। जिसकी वजह से उन सांडों की भी दुर्दशा हो रही है और गायों की भी दुर्दशा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर 3 हजार चारागाह की भूमि पड़ी हुई है। यदि उसके तारबंदी करके उन गायों को वहां से निकाला जायेगा तो वह गायें बच सकती हैं। जो सूखा तूड़ा उनको डाला जाता है उसको जब तक छानकर नहीं डालेंगे तब तक गायें ऐसे ही मरती रहेंगी। पिकअप के द्वारा जो चारा डाला जाता है उस एक ही पिकअप को दो कांटों पर तुलवाया जाता है और दो जगह तुलवा कर एक पिकअप की दो पिकअप बना कर डाला जाता है और दो पिकअप की रसीद यहां नगर निगम में भेजी जाती है और उसका पैसा उठाया जा रहा है। यह हो सकता है कि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से हो। इस प्रकार का घोर अन्याय उस गौशाला में हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

करना चाहूंगा कि उन गायों की देखभाल करें। समय रहते अगर देखभाल नहीं की और जिस प्रकार गौसवंर्द्धन समिति को दी है मुझे लगता है गौसंवर्द्धन समिति के पास कोई बजट तो है नहीं। वही कर्मचारी रहेंगे, वही व्यवस्था रहेगी और वही सूखा चारा वहां पर पड़ेगा। वो अलग से कहीं से चारा लाकर डालने वाले तो नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर समय रहते उन गायों की व्यवस्था नहीं की गई तो आसपास के गांव के लोग इस बात पर उतारू हैं कि यहां से रोजाना जो ट्रक भर-भर कर कत्लखाने में जाते हैं हम इस बाड़े को तोडकर इन गायों को बाहर निकालेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तगाराम चौधरी

बाड़मेर अकालराहत शिविर में गायों की संख्या 50 हजार और बढ़ाये जाने बाबत

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्ची के माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों बाड़मेर में 4 अप्रैल को मुख्य मंत्री महोदया और राहत मंत्रीजी भी साथ में थे वहां पधारे थे और वहां के अकाल राहत कार्यों को देखा और अधिकारियों को निर्देश दिये साथ ही साथ मेरे निवेदन पर श्रमिकों की संख्या भी बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा दी गई है। उससे वहां की जनता में एक लहर सी पैदा हुई है कि सरकार बहुत ही अच्छी सुध ले रही है अकाल के बारे में। उस दिन भी मैंने मुख्य मंत्री महोदया से और अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन किया था कि गायों के शिविरों में अभी जिन गायों की स्वीकृति हुई है वह भी ठीक चल रहा है और देखने लायक है। अभी जो गायों की संख्या थी 50 हजार उसकी तो जिला कलक्टर महोदय ने स्वीकृतियां दे दी और शिविर भी अच्छे ढंग से चल रहे हैं परन्तु 50 हजार से काम चल नहीं पा रहा है। इसलिए उस दिन भी मैंने निवेदन किया था और आज भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के शिविरों में चराये जाने वाली गायों के बारे में अभी आप तत्काल स्वीकृति बढ़ाने की कृपा करें और मैं तो निवेदन करूंगा कि आप 40-50 हजार गायों की और स्वीकृति दिलवा दें तो

बाड़मेर जिले की गायों को चराने में सुविधा रहेगी और गायें बच सकेंगी। जो 50 हजार की स्वीकृति दी है उससे भी गायों के बचने में बहुत बड़ी राहत मिली है। किसानों की ओर से इसके लिये मैं राजस्थान सरकार को, मुख्य मंत्री महोदया और राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इस अकाल के प्रबन्धन में राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो रही है, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जालम सिंह रावलोत।

पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता का शक्तिपीठ केन्द्र को बचाने की मांग

श्री जालम सिंह रावलोत (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान में बचूचिस्तान प्रान्त है। उसमें एक स्थान है जो हिन्दुओं का ही नहीं मुसलमानों के लिये भी आस्था का बडा केन्द्र है। हिंगलाज माता का शक्ति पीठ मंदिर। बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में व्याप्त आतंकवादी संगठन इस पवित्र स्थान को समाप्त करने के लिये लगातार अटैक कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की जो आपसी लड़ाई हुई उससे भी इस मंदिर को बड़ा नुकसान पहुंचा। वहां हिन्दुओं की आबादी नगण्य है। लेकिन जो पाकिस्तान में हिन्दू आबादी रहती है, वे और भारत में जो हिन्दुओं का बहुत बड़ा समाज है जो इस मंदिर के प्रति आस्था रखता है, वो इस मंदिर में समय-समय पर जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो उस प्रान्त का स्थानीय मुस्लिम समाज है वह भी इस मंदिर के प्रति सदियों से पूरी आस्था रखता है और इस मंदिर को पाकिस्तान का मुस्लिम समाज नानीजी के मंदिर के नाम से जानता है। इस मंदिर पर लगातार अटैक हो रहे हैं लेकिन हमारी केन्द्र सरकार इस मामले में बिलकुल चुप है। संसद में यह मामला उठ चुका है। माननीय आडवाणीजी, माननीय जसवंत सिंहजी ने गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे उठाया है। इन सबके बावजूद केन्द्र इस मामले में तुष्टिकरण की नीति के कारण, इसमें तुष्टिकरण है नहीं, दोनों प्रमुख समुदायों का आस्था का केन्द्र है। विशेषकर हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, जालौर इन जिलों में

(श्री जालम सिंह रावलोत)

बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, विशेषकर मेघवाल समाज, भील समाज, राजपूत, खत्री, चारण इन सबका आस्था का बड़ा केन्द्र है। यहां लोगों में बड़ी चिंता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस दिशा में ध्यान दे।

ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पत्नी सतीमाता जो राजा दक्ष की पुत्री थी लेकिन राजा दक्ष ने जो वहां यज्ञ करवाया था उस यज्ञ में शिवजी को कई कारणों से कि यह जटाधारी है, पहाड़ों में रहता है, भगवान शिवजी को और शिवजी की पत्नी जो राजा दक्ष की पुत्री थी सतीमाता को नहीं बुलाया। बुलाने के बावजूद सतीमाता ने जिद की कि पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं मैं जाऊंगी, वह गई। लेकिन वहां पर उनका अपमान हुआ तो उन्होंने वहीं आत्मदाह किया और जब भगवान शिव को यह पता लगा कि इस तरह से देवी का आत्मदाह हुआ तो भगवान शिव ने वहां दक्ष का सिर काटकर, सती को ऊपर तीन लोक ले गए। उसी समय भगवान विष्णु, सती की देह थी उस पर सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र के माध्यम से धड़ से 52 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा हिंगलाज स्थान पर गिरा। वहां भुजा के रूप में गिरा। बाकी सभी जितने भी, जो 52 टुकड़े थे वह सब जगह शक्ति स्थल, 52 सतियों के नाम से जाने गये। उसके बाद से लगातार इस हिंगलाज माता के शक्तिस्थल की सदियों से पूजा होती रही है। आस्था का बड़ा केन्द्र है। पांच कुण्ड बने हुए हैं। वहां गुफा है।

मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार को कहना चाहता हूं कि वह केन्द्र सरकार पर दवाब डाले। प्रतिपक्ष के नेता से भी मेरा निवेदन है कि वह अपनी पार्टी के लोगों से कहे। यहां कोई तुष्टिकरण का विषय भी नहीं है क्योंकि वह स्थान हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों के लिए आस्था का बहुत बड़ा केन्द्र है। इस तरह यदि अटैक होते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी, हमारे समाज की, हमारे देश की स्थिति विकृत होती जाएगी।

इससे पहले कांग्रेस के राज में ढाका में इसी तरह का जो शक्ति स्थल था वहां आंतककारी संगठनों ने बुलडोजर फेरकर उसको हटा दिया था। अभी भी केन्द्र सरकार चुप है, पहले भी चुप थी। मेरा पुनः निवेदन है कि राज्य सरकार और प्रतिपक्ष के नेता, दिल्ली की सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्रीजी

(श्री जालम सिंह रावलोत)

और अन्य कांग्रेस के नेताओं से कहकर इस शक्तिस्थल को सुरक्षित किया जाए। आवश्यक सुविधा मुहैया की जाए अन्यथा आस्था कुछ अलग रूप में विस्फोट कर सकती है। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के लाखों नागरिकों के आस्था का केन्द्र है इसलिए इस पर हमें कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बहुत बड़ा आस्था का केन्द्र है आज जो पाकिस्तान की सीमा में है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में, सभी प्रकार के लोगों की श्रद्धा उस स्थान के प्रति है। मैं राज्य सरकार की तरफ से और मेरे गृह विभाग की तरफ से केन्द्र सरकार को हमारे यहां की जो भावना है वह उन तक पहुंचाकर, इसकी सुरक्षा की और इसके सम्मान की वह व्यवस्था करें इसके लिए आग्रह करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने सरकार की तरफ से यह कहा कि हिंगलाज माता जो करोड़ों की श्रद्धा का केन्द्र है उसके लिए सरकार की तरफ से पत्र लिखेंगे। प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे अनुरोध है कि केन्द्र में आपकी सरकार है और अब आपका राजनीतिक कद भी बहुत ऊंचा हो गया, इसलिए आपको चाहिए कि आप भी अपना प्रभाव इस्तेमाल करें और जो चिन्ता माननीय सदस्य ने की है हिंगलाज माता, मैं समझता हूं कि आप भी उपासक होंगे, आप तो खुद प्रख्यात पण्डित भी हैं इसलिए आपको भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके केन्द्र सरकार पर दवाब बनाना चाहिए कि वह सुरक्षित रहे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहीं यह बात नहीं बताई कि अभी वर्तमान में वहां उस स्थान पर, पिछले वर्षो में कभी कोई हुआ होगा, अभी हमारी जानकारी के अनुसार उस स्थान पर कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और यदि कुछ हुआ है तो इस मामले में हम गृह मंत्रीजी से बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत : यह संसद में माननीय जसवन्त सिंहजी ने अभी उठाया, सात दिन पहले सभी पत्र पत्रिकाओं में गम्भीरता से छपा है। बड़ा दुख हो रहा है प्रतिपक्ष के नेता, इतने विद्वान, इतने पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं, सभी अखबारों में प्रमुखता से था। यह पंजाब केसरी का है। राजस्थान पत्रिका का, पूरे मीडिया में छपा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता भी बराबर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जसवंत सिंहजी जब मंत्री थे तब सो रहे थे क्या पांच साल।

श्री जालम सिंह रावलोत : तब घटना नहीं हुई थी, आपका राज आता है तभी घटना (व्यवधान) यह हिन्दुओं का ही नहीं, यह हिन्दुओं और मुसलमानों का, दोनों के आस्था का केन्द्र है।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) : हमारे हिन्दुओं की देवी है...(व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य किसी बात पर गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत : हमेशा टांग फंसाने की कोशिश करते हैं।

श्री जालम सिंह रावलोत : उपाध्यक्ष महोदय, हर समय यह इस तरह की बात करते हैं। कभी तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखो माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : इनको तो चाहिए था कि कम से कम यह कहते कि केन्द्र सरकार को हमारी तरफ से हम यह सिफारिश करेंगे। बड़े दुख की बात है कि अगर यह प्रकार का वाक्य कह रहे हैं कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष ने (व्यवधान) श्री रामप्रताप कासनिया, आप पर्ची पर बोलिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : मैं पहले कल्लाजी को बधाई देना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर बोलिए कासनियाजी। (व्यवधान)

हनुमानगढ़ और गंगानगर में नहरें पक्की करने में विश्व बैंक के मापदण्डों की पालना न होना

श्री रामप्रताप कासनिया : पहले आपने जोइन कर रखी है वह तो देखो अपने गिरेबान में झांककर। (व्यवधान) सही बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में राज्य सरकार ने विश्व बैंक से लोन लेकर, नहरें पक्की करने का कार्य हाथ में लिया 1 मार्च 2003 के अन्दर मुख्य अभियन्ता उत्तरी ने निविदाएं आमंत्रित की और उन निविदाओं के अन्दर विश्व बैंक की जो शर्तें थी, विभाग की जो शर्तें थी उसका पालन नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्य बाबत मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (उत्तरी) हनुमानगढ़ द्वारा मार्च, 2003 में कांग्रेस के शासन में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। निविदाएं विश्व बैंक में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आमंत्रित की गई थीं परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा निविदाएं ग्रहण करने के पश्चात निविदाओं के साथ संलग्न दस्तावेज जैसे अमानत राशि का ड्राफ्ट, अनुभव प्रमाण पत्र, फर्म का अस्तित्व आदि की गहनता से जांच नहीं की एवं संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाया गया। ऐसी फर्मों को कार्य आदेश जारी कर दिए जो विश्व बैंक एवं सिंचाई विभाग के मापदण्डों की योग्यता नहीं रखते। इन सभी निविदाओं में भारी रिश्वत लेकर नियमों की अनदेखी कर निम्न स्तर की फर्मों को कार्य करने के आदेश जारी कर दिये गए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने विश्व बैंक से नहरों के निर्माण हेतु कर्जा लिया था उसकी बंदरबाट हो रही है। यह बंदरबाट इंजीनियर कर रहे हैं जिसका उदाहरण उपरोक्त निविदाओं में अधिकांश निविदाएं ऊंची दरों पर, फर्म मैसर्स

(श्री रामप्रताप कासनिया)

गुरमीत सिंह एंड कम्पनी, चण्डीगढ़ को दिया गया है। उपरोक्त फर्म अकेली ही को लगभग 60 करोड़ रुपये के कार्य अलग-अलग दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य का नाम, नम्बर एक, एल.एन.पी. सिस्टम गंग कैनाल 16 करोड़। नम्बर दो, आर.बी. सिस्टम गंग कैनाल 11 करोड़ । नवम्बर तीन, पी.एस. सिस्टम गंग कैनाल 12 करोड़। नम्बर चार, पैकेज बी-8 भादरा पांच करोड़ । नम्बर पांच यह अभी हुआ है (व्यवधान) इस सरकार में । पैकेज बी के चार लीलावाड़ी वितरिका 12 करोड़ रुपये का है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे नीचा रेट, एक फर्म है राजेन्द्र सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, जिसकी फर्म है, उसका लोएस्ट रेट था। पहले कार्य लेने हेतु मैसर्स गुरमीत सिंह एंड कम्पनी चण्डीगढ़ से और फिर राजेन्द्र सिंह ने, यह कोई फर्म है, दूसरी है जिसमें नाम है (व्यवधान) अमरनाथ, अमरनाथ नाम की फर्म है इसने लोएस्ट रेट दी है और मैसर्स गुरमीत सिंह एण्ड कम्पनी चण्डीगढ़ है। इसका सैकण्ड टैण्डर था तो नीचे लोएस्ट रेट वाला, अमरनाथ को नहीं देकर के 54 लाख रुपये ऊपर जो रेट थी उस फर्म को यह टैण्डर दिए गए जबकि अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत हनुमानगढ़ ने मुख्य अभियन्ता को अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि लोएस्ट वाली फर्म है काम करने में उपयुक्त है और यह काम कर सकती है और सरकार को 54 लाख रुपये का फायदा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि दो बार अधीक्षण अभियंता ने पत्र लिख दिए और 54 लाख रुपये की राज्य सरकार को हानि बताई। उसके बावजूद भी मुख्य अभियंता ने 54 लाख रुपये का चूना सरकार को लगाकर वह टेण्डर स्वीकृत कर दिये हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहूंगा, सिंचाई मंत्रीजी से यह चाहूंगा मैंने पर्ची के माध्यम से जो उल्लेख विधान सभा में किया है, इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला है, बिना कोई जांच किये, बिना कोई तसल्ली किये इसमें फर्जी चैक लगे हुए हैं, फर्जी ड्राफ्ट अपने हाथ से इस ठेकेदार ने बैंक की मुहर बनाकर चैक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इसमें बहुत गडबड़ घोटाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इसकी जांच करवायें और इस प्रकरण में पूर्व में भी शिकायतें हुई हैं राज्य सरकार को, शायद यह मामला कहीं जांच में भी चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड। श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य विधान सभा 2 याचिकाएं उपस्थापित करेंगे, अनुपस्थित। अनुपस्थित।

सूचना

सरकार के खिलाफ विधान सभा के बाहर प्रदर्शन

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का कौने-कौने से नौजवान राजधानी में आया है और इस विधान सभा पर राजस्थान की जन विरोधी और घोर विफल सरकार के खिलाफ राजस्थान के हजारों नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का गलत इस्तेमाल करने की एक परम्परा इन्होंने डाल दी है। यह पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन के नाम पर ये कुछ भी खड़े होकर प्रारम्भ कर दें।..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आज राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। जिस जगह माता-बहनें निकल जाती हैं वहां बलात्कार होता है। 5 साल की लड़की से बलात्कार होता है, 7 साल की लड़की से बलात्कार होता है और गृह मंत्रीजी आश्वासन दे देते हैं।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन, जब कोई घटना ऐसी घटित हो गयी, ऐसी बात हो गयी प्रदेश में जो सदन में कहना आवश्यक है..(व्यवधान) यह क्या पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा तो मंत्री महोदय की डाली हुई है। (व्यवधान) गत विधान सभा में यह परम्परा मंत्री महोदय ने डाली है। गत विधान सभा में यह परम्परा मंत्री महोदय ने डाली है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां का पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन है यह। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पूरा राजस्थान साम्प्रदायिता के दावानल से सुलग रहा है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन का बहाना लेकर ये भाषणबाजी पर उतर आते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और जिन बातों के आधार पर यह सरकार सत्ता में आयी थी कि हर साल एक लाख युवकों को रोजगार देंगे...(व्यवधान) आज राजस्थान का नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। (व्यवधान) हजारों की तादाद में राजस्थान की विधान सभा पर लोग प्रदर्शन के लिये एकत्रित हुए हैं....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान) आन ए पाइंट आफ आर्डर..(व्यवधान) आप बैठाइये, पाइण्ट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : क्योंकि प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यह कोई पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप सभापति रहे हुए हैं, जीरो आवर में कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता है। आप रोज उल्लेख करते रहे हैं। यहां कोई नौजवान आये हुए हैं, उनकी क्या बात है, आप सुन लो 2 मिनट के लिये, क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विपक्ष के नेता महोदय, यह कोई बात हुई, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन के नाम पर आप सदन का दुरुपयोग करें। कोई ऐसी घटना हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जीरो आवर नौ बजे तक चलाया है, रात को नौ बजे तक चलाया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप इनकी बात तो सुनें और उसके आधार पर राजस्थान सरकार आगे कार्यवाही करे। यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : कुछ भी नहीं है। पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन कुछ भी नहीं था। सिवाय भाषण देने के सिवाय कुछ भी नहीं था। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक मिनट, सुनिये, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन है मेरा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुर्जर साहब, माननीय सदस्य ने मान लिया है कि सिर्फ सूचना दी है इन्होंने।..(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर सुन लें, फिर आप व्यवस्था दे देना। आप व्यवस्था दे देना, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर सुन लें। (व्यवधान) आपकी इजाजत हो तो..(व्यवधान) आपकी इजाजत से बोल रहा हूं.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जीरो-आवर में कोई पाइण्ट आफ आर्डर होता ही नहीं है। (व्यवधान) मेरा तो पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन है, डियर फ्रेंड । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कौनसा पाइण्ट आफ आर्डर आ रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से मुद्दा उठाया है। (व्यवधान) जीरो अवर में कौनसा पाइण्ट आफ आर्डर आया। (व्यवधान) जीरो आवर में पाइण्ट आफ आर्डर होता ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन उठा रहे थे, अपना पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन दिया है, उसके लिये वह जो भूमिका बना रहे थे उनको रोक दिया गया, ठीक है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : पाण्इट आफ आर्डर, एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए। (व्यवधान) आप विराजिये, एक मिनट, एक मिनट, आप व्यवस्था दे देना। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनें तो सही, फिर व्यवस्था दे देना आप।

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन में क्या व्यवस्था देनी है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अब जीरो अवर में कौनसा पाइण्ट आफ उठेगा। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप व्यवस्था दे देना। सुनें तो सही, मैं क्या कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर का विषय अभी है ही नहीं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : क्या कहना चाहता हूं, आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कोई है ही नहीं, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप आसन को दबाइये मत, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं दबा नहीं रहा हूं, मैं दबा नहीं रहा हूं। मैं विदाउट परमिशन बोल नहीं रहा हूं, मैं दबा नहीं रहा हूं,। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जीरो आवर में कौनसा पाइण्ट आफ आर्डर होता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा होगी, जीरो आवर में कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता है। (व्यवधान) अगर आप इस तरह से सदन का दुरुपयोग करेंगे, आपको नहीं करने दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : यह आप भी गलत परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : नहीं तो जीरो आवर में पाइण्ट आफ आर्डर होता ही नहीं है। (व्यवधान) जीरो आवर में पाइण्ट आफ आर्डर होता ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान) आप क्यों... मेरे को मालूम है क्या होता है और क्या नहीं होता है... (व्यवधान) मेरी एक मिनट बात सुन लें आप। (व्यवधान) आप इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप इजाजत दें, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order?

डा. एन.एस. गुर्जर : यस, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है, मुझे एक मिनट अगर इजाजत दें कोई मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान) मैं व्यवस्था से सम्बन्धित एक मामला उठा रहा हूं। आप उस पर अपनी व्यवस्था दे दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर तो, कभी भी जब हाउस आर्डर में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका भी पाइण्ट आफ आर्डर क्या है, किसलिये उठा रहे हैं, इसके लिये व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनिये, एक मिनट तो सुनिये, मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो अभी इस बात की क्या आवश्यकता है कि पाइण्ट आफ आर्डर उठाया जाए। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : क्या आवश्यकता है, मैं बता रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं। (व्यवधान) आप एक मिनट, मुझे अलाउ करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कौन से रूल के मुताबिक पाइण्ट आफ आर्डर उठाया जा रहा है। (व्यवधान) आप जरा माननीय सदस्य से यह पूछ लीजिए, कौन से रूल के अन्तर्गत वे पाइण्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बता रहा हूं, सब रूल के अकार्डिंग, रूल मैं बता दूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जब भी सदन में दी जाती है, सूचना, वह जैसे भीलवाड़ा में एक घटना हो गयी अचानक और वहां के जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मामला उठाया। साढ़े 4-5 बजे, मैं आसन पर था, उस समय। उस समय मामला उठाया। गम्भीर घटना थी, उन्होंने सदन को सूचना दी। गवर्नमेंट ने उसका काग्नीजेंस लिया और तुरन्त उसकी व्यवस्था की, समझ में आता है। हमारे यहां विधान सभा के सामने रोज प्रदर्शन होते हैं। आप भी जानते हैं। आपकी सरकार थी, तब भी होते थे। अभी भी होते हैं, होते आये हैं, होते रहेंगे। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, 10-10 प्रदर्शन एक दिन में हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन वह होता है जो तुरन्त कोई ऐसी चीज, कोई घटना हो जाए जिसकी गवर्नमेंट को काग्नीजेंस लेना आवश्यक हो या उसकी इन्फार्मेशन सदन में कोई ऐसा मैटर, राजस्थान में घटना हो जाए, वह तो समझ में आता है लेकिन बार-बार बाहर सदन में यह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके माध्यम से कई बार हम सदन में पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन उठाकर के उसके नाम पर जनरल डिबेट शुरू कर दें, बलात्कार हो रहा है, अराजकता हो रही है, फलां हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है और जनरल डिबेट उस पर शुरू करवा दें। यह परम्परा चाहे इनकी सरकार रहे, चाहे हमारी सरकार रहे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे ऐसा नहीं कह रहे हैं...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं।

किसी के लिये भी यह उचित नहीं है इसलिये यह परम्परा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह की परम्परा सदन में नहीं पड़े, इसका ध्यान रखना आसन का कर्तव्य है। इसलिये, उपाध्यक्ष

(डा. एन. एस. गुर्जर)

महोदय, चाहे हमारी तरफ के सदस्य हों, चाहे उधर के सदस्य हों, कोई भी सदन में इस तरह की परम्परा डालने की कोशिश करे, उसको आप रोकिये, यह मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) इसलिये जो अव्यवहारिक प्रश्न होते हैं और उस पर हम फिर उसको आपको रोकने लिये, अगर कोई बात उठाते हैं तो कहते हैं कि बोलेंगे, क्या बात हो गयी। पर्ची सिस्टम पर कोई खड़ा होकर कुछ भी बोलकर बेल में आ जाएं कि अभी का अभी वक्तव्य दिलवाये। यह नयी परम्पराएं, मैं इस सदन में पहली बार देख रहा हूं कि मैंने बोल दी यह बात इसलिये इसी पर हम अड़ेंगे और यह बात हमारी रहनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसमें ऊंच-नीच का, किसी प्रेस्टीज पाइण्ट का सवाल नहीं है। कभी आप इधर बैठेंगे, हम उधर बैठेंगे, कभी हम इधर बैठेंगे, आप उधर बैठेंगे। सदन में उच्च परम्पराओं को कायम रखने के लिये, आप इस सिचुएशन को कण्ट्रोल कीजिए, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। मैं आपके माध्यम से, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, पहले तो पाइण्ट आफ आर्डर जीरो आवर में कभी उठता ही नहीं है, यह नयी परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : पाइण्ट आफ आर्डर कई बार उठा है। मैं आपको उदाहरण दूं, जीरो अवर में पाइण्ट आफ आर्डर कितनी बार उठा है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : देखिये, आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपके बाद में बोला हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : देखिये, सारी, आई.एम. वेरी सारी, आई. एम. वेरी सारी, मैंने टोका है आपको। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई बात नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर : लेकिन आपने सदन में यह उद्धृत किया है कि कभी होता ही नहीं है।

श्री सी.डी. देवल : प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके अध्यक्ष की व्यवस्थाएं दी हुई हैं कि जीरो आवर में कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है लेकिन सदन है, चाहे हाउस आफ कामन्स हो, चाहे हमारी पसंद हो, चाहे हमारी विधान सभा हो, ये नियम के अलावा परम्पराओं से भी चलते हैं। आप, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत वरिष्ठ इस सदन के सदस्य और उपाध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा कि महिला मोर्चे के माध्यम से जब हम सत्तापक्ष में थे और यहां पर प्रदर्शन आया था तो आप जो लोग बैठे थे उन्होंने उनके पूरे ज्ञापन को यहां पढ़कर सुनाया था। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, नौजवान लोग पूरे राजस्थान से यहां आये हैं और उन्होंने बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और इनके बारे में कुछ पाइण्ट उठाये हैं तो इसका उल्लेख किया जाता रहा है। आपने भी अभी शिक्षा विभाग की मांग हुई थी उस वक्त आपके रूटा के लोग आये थे उनकी मांगों को आपने यहां पर रखा है। तो यह सब चीजें हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। यह बात आप इधर हो तो आप अपने हिसाब से चलेंगे, जब हम इधर हों तो आप हमारे को जनता की बात भी नहीं करने देंगे तो यह उचित नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जीरो आवर में ज्ञापन और प्रदर्शन करने वाले आते हैं, उनके ज्ञापन आप लीजिए, उनसे बात कीजिए और यहां दो-दो, तीन-तीन घंटे तक बैठे रहे और उनसे मंत्री लोग ज्ञापन नहीं लें तब जाकर उनकी बात को यहां उल्लेख करना समस्थानिक होता है। इसलिए उनके बारे में कोई भी उल्लेख होता रहा है, वह होते रहना चाहिए। पहले भी हुआ है, यहां पर जीरो आवर 9.00-9.00 बजे तक चला है। हम लोग तो बहुत जरूरी बात जो जनहित की बात है उसको यहां पर रखने की बात करते हैं इसलिए इन परम्परओं को तोड़ने से आपको नुकसान होगा क्योंकि आपको भी कभी इधर आकर बैठना पड़ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, करीब-करीब अपने विवेक से सब ठीक कर रहे हैं। श्री कालूलाल गुर्जर। माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य आपको गाइड कर रहे थे तो यह नई परम्परा चालू हो जाएगी आसन को गाइड करने की।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नई परम्परा नहीं है। सिर्फ इसलिए जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पाइंट आफ इन्फार्मेशन उठते हैं पर सिर्फ एतराज इस बात का था कि उसके आधार पर जनरल डिबेट उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। श्री कालूलाल गुर्जर, ग्रामीण विकास मंत्री।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : He was mentioning. कि इस तरह से..(व्यवधान) श्री कालूलाल गुर्जर, ग्रामीण विकास मंत्री अनुदान की मांग संख्या-28, श्री कनकमल कटारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अनुदान की मांग संख्या–30 एवं श्री प्रताप सिंह सिंघवी नगरीय विकास राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या –29 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

मांग संख्या-28 एवं मांग संख्या-30 का अमाउंट एक ही होने के कारण

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर (व्यवधान) आप सुनिये पहले, आप बीच में पार्लियामैंट्री मिनिस्टर साहब, बीच में खड़े मत होइये।

श्री उपाध्यक्ष : कहने दीजिए। कहने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा में जो यह आय-व्ययक अनुमान, 2005-06 बजट मद 4000 एवं 4047 से 5475 प्रस्तुत किया गया है, खण्ड 3(अ) 2005 के मांग संख्या-28 और 30 के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है, यह गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को व्यवस्था देने के लिए पुकार लिया आपने और उसके बाद में भी यह बोलने की अनुमति किसने दी है इनको? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह आपके बस की बात नहीं है आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : आप इनको बैठाइये।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य, आप अपनी कुर्सी से बोलने की कृपा करिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : (गंगानगर) उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये।

श्री जुबेर खान : अपनी कुर्सी से बोलने की कृपा क़रिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : मैं कोई ना पक्ष की कुर्सी रोककर नहीं बैठा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान.. (व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : आपने अलाउ नहीं किया है, मंत्रियों के नाम पुकार लिये, कृपया, माननीय सदस्य को बैठने के लिए कहें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रियों के नाम पुकार लिये, कृपया मंत्रियों को बोलने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : खण्ड 3(अ) 2005 के पृष्ठ-128 की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें जो यह अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों में पूंजीगत परिव्यय है, जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिए, 2005-06, 2003-04 का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है और मांग संख्या-30 के लिए, 28 के लिए..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई बजट की बहस हो रही है क्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपनी मांग रखते हुए कह दें यह बात, यह क्या पाइंट आफ आर्डर हुआ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने गलत बजट प्रस्तुत किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंट आफ आर्डर का मतलब है कि कोई बात हाउस के नियमों और प्रक्रियाओं और परम्पराओं, उसमें संचालन में कोई गलती हो रही है तो पाइंट आफ आर्डर, नहीं तो क्या पाइंट आफ आर्डर?

श्री संयम लोढ़ा : आपने इतनी गम्भीर गलती की है बजट प्रस्तुति में।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बिलकुल सही कह रहे हैं। पार्लियामैंट्री मिनिस्टर साहब, सुनिये तो सही इसको। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय संसदीय कार्य मंत्री. आप पहले पाइंट आफ आर्डर पूरा सुनिये, आप पहले पाइंट आफ आर्डर सुनिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते हैं, नियमानुसार। नियमानुसार पाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठ सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : मांग पर जब इनको अवसर मिले बोलने का तब रख देना, यह कोई तरीका थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : इनको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ : यह विषय जब उठा लें। आप इनको अनुमति दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ : यह कैसे कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। कहने दीजिए। एक सैकण्ड में खतम कर देंगे। कहने दीजिए। इनको अपना, माननीय सदस्य को कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : मांग के समय अपनी बात रख लें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : यदि आप इनको बोलने की अनुमति दे रहे हैं तो फिर तो हम भी बोलेंगे । (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : यह आंकड़े लाकर प्रस्तुत करेंगे तो..(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : पाइंट आफ आर्डर तो फिर हम भी लाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संयमजी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग संख्या-30 के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है और जो अमाउंट शो किया गया है, 30 के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल : आप अपनी मांग के समय रखो न, आप अपनी मांग के समय रखो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : वह का वह विवरण, बात सुनिये आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट गलत प्रस्तुत किया गया है, मैं यह कहना चाहता हूं आपसे, वह सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गलत किया गया है तो मेरी व्यवस्था सुन लीजिए आप।

श्री जोगाराम पटेल : जब आप बजट पर बोल रहे थे तब आप नींद ले रहे थे क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला : सुन तो लीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : जब बजट रखा गया था तब नींद ले रहे थे क्या आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, अगर आप बजट के बारे में कहना चाहते हैं तो आपके नाम बोलने वालों की सूची में है, उस वक्त बोल लेना। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप बजट पेश ही नहीं करवा सकते, यह गलत बजट है।

श्री उपाध्यक्ष : बजट के बारे में बोलना चाहते हैं तब बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड (गंगानगर) : आप किसी पीड़ित अधिकारी से राय लेकर आये हो।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में मिल लेना।

श्री संयम लोढ़ा : आप एक बहुत भारी भूल कर रहे हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-28 और 30 पर..(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य किसी पीड़ित अधिकारी से नियमों को पूछ कर आये हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर पहले पूरा सुनिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी पीड़ित अधिकारी से पूछकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कहिये।

श्री संयम लोढ़ा : सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से व्यवधान पैदा कर रहे हैं, आप रोकिये उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कहिये तो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : मैं कहता हूं इनको रोकिये।

श्री संयम लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपसे..(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : यह माननीय सदस्य नहीं उठा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बगैर मतलब इनको दिये जा रहे हो और वे नाजायज फायदा उठाये जा रहे हैं।

श्री जुबेर खान : आप यह तो बताइये कि क्यों नहीं उठा सकते हैं? आप कारण बताइये कि यूं नहीं उठा सकते।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : शून्य काल में पहले तो अभी आपके नेता ने ही कहा था कि शून्यकाल में नहीं उठाया जा सकता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : शून्यकाल खतम हो गया। शून्यकाल नहीं है अब, शून्य काल खतम हो गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : अब आप यह कहना चाहते हो कि बजट ही गलत है तो..(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला : शून्यकाल समाप्त हो गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : बजट पेश हुआ था तब सो रहे थे क्या?

श्री सी.डी. देवल : शून्य काल समाप्त हो गया। कुछ नियम-कायदे तो पढ़ो। उससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। यह कानून की किताब भी पढ़ो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि बजट ही गलत पेश हुआ है तो क्या नींद ले रहे थे उस वक्त जब बजट पेश हुआ था? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : वसुन्धराजी सुन नहीं रही हैं और आपका कोई भला करने वाला नहीं है यह, आप बैठो।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, आप पृष्ठ संख्या-128 और पृष्ठ संख्या-133 का अवलोकन करें। पृष्ठ संख्या-128 पर मांग संख्या–30 का विवरण है और पृष्ठ संख्या-133 पर मांग संख्या-28 का विवरण है और दोनों पर वही अमाउंट दिया गया है। एक ही अमाउंट, यह आप देखिये निकाल कर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है। बैठिये, मैं बताता हूं, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : जब तक माननीय मंत्री अपना स्पष्टीकरण नहीं दें इस पर सुधार नहीं करें, इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बात सुनिये। माननीय सदस्यगण,

(श्री उपाध्यक्ष)

इस पर मेरी व्यवस्था यह है कि इस पर वाद-विवाद होगा और आपको उसमें बोलने का मौका दिया जाएगा। सूची के अन्दर, बोलने वालों में आपका नाम है। उस समय आप इस बारे में एतराज उठा देंगे और जो भी व्यवस्था, जवाब होगा, वह माननीय मंत्री कह देंगे। कह देंगे बात। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने बजट ही गलत प्रस्तुत किया है, देखिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : कह देंगे वे बाद में।

श्री संयम लोढ़ा : आप देखिये तो सही, आप पहले देखिये तो सही।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : आप सो रहे थे क्या तब?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न निर्णीत नहीं किया जा सकता है। आप रिकार्ड निकलवाकर देखिये।

श्री जोगाराम पटेल : आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को चुनौती देने का आपको अधिकार नहीं है। अध्यक्षीय व्यवस्था हो गयी है। अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती देने का अधिकार आपको नहीं है।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : आप मंत्री थोड़े ही हैं। आप थोड़े ही हैं मंत्री।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है इसकी वजह से अब वाद-विवाद नहीं हो सकता।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : अवलोकन कर लेंगे न।

श्री मदन राठौड़ : सोच-समझकर, कानूनानुसार, प्रक्रियानुसार व्यवस्था दी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : आपने इनको धाराएं बता दी हैं उनका अवलोकन बाद में कर लीजिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

अनुदान की मांग

मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्य

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या- 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 1, 79, 64, 86, 000/- (अक्षरे एक अरब उनयासी करोड़ चौसठ लाख छियासी हजार रूपये) की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-30

जनजाति क्षेत्रीय विकास

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमल कटारा।

श्री कनकमल कटारा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 7,41,73,85,000/- (अक्षरे सात अरब इकतालीस करोड़ तिहत्तर लाख पचासी हजार रूपये) की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 29

नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-29 नगर

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,86,50,12,000/- (अक्षरे दस अरब छियासी करोड़ पचास लाख बारह हजार रूपये) की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या-28, 29 व 30 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्षजी ने सुबह यह तय कर दिया था कि वाद-विवाद की बहस प्रतिपक्षगण की ओर से होगी। वहां सरकारी मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्रीजी भी मौजूद थे। हमने उनसे निवेदन किया था और सबने यह बात स्वीकारी थी कि वाद-विवाद का शुभारंम्भ इधर से कराया जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ : मेरा नाम पुकार लिया, बाद में बोल लेना।

श्री जुबेर खान : तो एक बात जो तय हो गयी अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में, उनके कक्ष में, उसको तोड़ा जाना, यह परम्परा, यह बात ठीक नहीं रहेगी। आप इधर से बुलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको शुरू करने दीजिये। डा. सी.पी. जोशी। नहीं, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : वह मेरे मित्र हैं, बाद में बोल लेंगे। वह शहर के आदमी हैं, मैं गांव का आदमी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रारम्भ करने से पूर्व, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी.ए.सी. को

बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि गांव के विकास, आदिवासी के विकास और शहर के विकास, तीनों विभागों की डिमाण्ड पर आज इन्होंने एक साथ अवसर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज समय आ गया है कि हम समालोचना करें जो योजना हमने लागू की। ट्राइबल सब प्लान के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्तर्गत शिड्यूल्ड एरिया में लगभग 30.93 लाख आदिवासी रहते हैं। माडा योजना के अन्तर्गत 22.49 लाख आदिवासी आते हैं, माडा कलस्टर के अन्दर 0.45 लाख आदिवासी आते हैं। स्केटर्ड पापुलेशन, बिखरी हुई जनसंख्या 17.31 लाख आदिवासी आते हैं और सहरिया में 4.8 लाख आदिवासी आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं और जो प्रोविजन हमने किया है, अब, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि 2003-04, 2004-05 में अनुसूचित क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या है 30.93 लाख, उसमें हमने प्रोविजन किया उपाध्यक्ष महोदय, 2003-04 में 28.02 करोड़ रूपये और 2004-05 में किया 21.14 करोड़ रूपये और जो माडा में, जिसमें पापुलेशन है 12.49 लाख, उसमें हमने 2004-05 में कुल 35 लाख का प्रोविजन किया और माडा कलस्टर में 40 लाख का प्रोविजन किया। बिखरी जनजाति के अन्दर हमने 3 करोड़ 50 लाख का प्रोविजन किया। अब आप बताइये इस देश में विषमताएं बनी रहीं, हमारे प्रदेश में विषमताएं बनी रहीं, विषमताओं को दूर करने के लिये इस कांस्टीटयूशन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोविजन किया गया और उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रोविजन किया गया उसमें 275 जो आर्टिकल है, जिसके अन्तर्गत हमें पैसा मिलता है, उसकी ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसके प्रोविजन क्या हैं-

275. Grants from the Union to certain States:- (1) Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine to be in need pf assistance, and different sums may be fixed for different States:

Provided that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants in aid of the revenues of a State such capital and recurring sums as

(डा. सी. पी. जोशी)

may be necessary to enable that State to meet the costs of such schemes of development as may be undertaken by the State with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the Seheduled Tribes in that State....''This is one part.''.. or raising the level of administration of the Seheduled Areas therein to that of the administration of the rest of the areas of that State.''

यह जो 275 कांस्टीटयूशन का प्रोविजन है, इसके दो पार्ट हैं। या तो हम शिड्युल्ड ट्राइब के इलाके में रहने वाले जो आदमी हैं, इनके भले के लिये खर्च करें या शिड्युल एरिया के लिये खर्च करें, दोनों आप्शन हमारे पास हैं। 1995 से लगाकर जब से हम यह स्कीम लागू कर रहे हैं, उस समय तक यह केवल 30.93 लाख पापुलेशन है उसकी नीडस को पूरा करने के लिये प्रोविजन कर रहे हैं। देखिये, माडा के अन्तर्गत 12.49 माडा कलस्टर के अन्दर .45 और बिखरी जाति, सबसे ज्यादा बिखरी जाति नियर अबाउट 50 प्रतिशत, शिड्युल एरिया की जो पापुलेशन है 30 लाख, उसका 50 प्रतिशत लगभग 17.31 लाख पापुलेशन, उपाध्यक्ष महोदय, वह रहती है बिखरी हुई जनसंख्या के अन्दर और बिखरी हुई जनसंख्या के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन-कौन से जिले आते हैं उसमें कुल जिले आते हैं 27 जिले- गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद सहित चित्तौडगढ़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़, इन 27 जिलों में रहने वाले आदिवासी, जिनकी जनसंख्या 17.31 लाख है, उनके डवलपमेंट के लिये हम प्रोविजन कर रहे हैं केवल मात्र 3 करोड़ 50 लाख और बाकी के लिऐ हम प्रोविजन कर रहे हैं 21 करोड़ 14 लाख, मतलब अगले 50 साल में विषमता को दूर करने का हमने जो काम किया, अगले 50 साल बाद भी दो तरह के आदिवासी हो जायेंगे। एक आदिवासी वह जो शिड्युल एरिया में रहता है, एक आदिवासी वह जो शिड्युल एरिया में नहीं रहता है। यह मैंने 27 जिले बतायें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह वह 27 जिले हैं जो कवर नहीं होते हैं। माडा कलस्टर में, यह केवल मात्र बिखरी जाति के अन्दर हैं। मैं खुद जिस विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो मुझे वोट मिलते हैं, आज जो कुछ भी मेरी राजनैतिक हैसियत है, उसमें सबसे बड़ा हाथ उन आदिवासी भाइयों का है। आज महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से वह महाराणा प्रताप की फौज में लड़ने वाले आदमी कुम्भलगढ़ में है,

खमनौर पंचायत समिति में हैं, गोगुन्दा पंचायत समिति में हैं, वल्लभनगर में हैं, मावली में है, लेकिन प्री-डोमीनेंटली गोगुन्दा, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा में हैं। उन आदिवासियों की व्यवस्था के लिये हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। 3 करोड़ 50 लाख में से हम अभी तक दिसम्बर तक खर्चा किया है हमने 36.76 लाख रूपये, मतलब यह जो 17 लाख जनसंख्या है, उस जनसंख्या के वेलफेयर के बारे में हमने जो सोचा है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिये हमने अभी तक खर्चा किया है। 76.76 लाख। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ होती है और वह तकलीफ इसलिये होती है कि कांस्टीट्यूशन में जो 275 है वह शिड्युल्ड ट्राइब के लिये कहता है, नोट फोर शिड्युल्ड एरिया। शिडयुल्ड ट्राइब के बारे में कहता है। क्या स्टेट गवर्नमेंट का धर्म नहीं बनता कि क्या समय नहीं आ गया है, अब हम पैसे को बांटे उसमें पापुलेशन को आधार बनायें। यदि पापुलेशन को आधार बनायें, उपाध्यक्ष महोदय, तो 30.93 पापुलेशन के लिये जितनी व्यवस्था कर रहे हैं कम से कम आधे की उसकी व्यवस्था हम उस बिखरी हुई जनसंख्या के लिये भी करें। 50 साल से मैंने बिखरी हुई जनसंख्या के लिये नहीं कहा, कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया, बी.जे.पी. सरकार ने भी नहीं किया पर अब समय आ गया है कि हमें इसके सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिये। मैंने उस समय भी कहा हमने महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया। महाराष्ट्र पैटर्न में हमने बताया उस दिन भी, उसे आज फिर रिपीट करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि 1998-99 में स्टेट गवर्नमेंट ने 9.09 जनजाति 909 करोड़ रूपये में जनजाति का इन आठ विभागों में शेयर बनता है 69.98, वह होता है 7.69, हमने 1999 से लगाकर इसमें 2002-03 के हमारे पास आंकड़े हैं। 2002-03 के एक्चुअल्स अवेलेबल हैं। 2002-03 के 1,259.94, यह जो 8 डिपार्टमेंट हैं, उनकी राशि बनती है उस राशि के अन्दर इसका हक बनता है 31.79 । 2.52 हमने एक्सपेंडिचर किया। हमने अभी तक कोई हाई एक्सपेंडिचर किया उपाध्यक्ष महोदय, 4.80 एण्ड ईयर 2001-02, और अभी तक 2004-05 का हमने प्रोविजन किया है जो बनता है 2,291. करोड़ में 70.05 करोड. This is only 3.06 percent.

अब मुझे बताओ 3.06 प्रतिशत में यह ट्राइबल शिड्यूल्ड एरिया का भी इन्कुलड है, बिखरी जाति का भी इनक्लूड है। अब हम राजस्थान की पूरी पापुलेशन में सामाजिक विषमताओं को खतम करना चाहते हैं। मैं कहना

(डा. सी. पी. जोशी)

चाहता हैं, समय आ गया है, आपको बताना चाहता हूं राजस्थान को यूनिफार्म पैटर्न पर डवलपमेंट करने की हमारी जो कल्पना है, वह राजस्थान में आने वाले समय में विषमताएं बढ़ायेंगे। लोगों में पृथक राज की मांग को आगे बढ़ाने की कल्पना करेंगे। आज हम हिसाब-किताब उठाकर देख लें उपाध्यक्ष महोदय। हमने जो अलोकेशन किया, उस अलोकेशन का हिसाब-किताब उठाकर देख लें। हमारे साथ बिजली में क्या न्याय हुआ? बिजली में उठाकर देख लें। इस ट्राइबल सब-प्लान का पैसा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह भी बताना चाहता हूं आपको इनमें किन-किन हैड में कितना खर्चा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आखिर में हम कर क्या रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी यह पैसा बताया गया उसमें 2003-04 में हमने प्रोविजन किया था, संशोधित प्रोविजन 59.58 करोड़ रूपये। अब हमने प्रोविजन किया है 2004-05 में 85.23 करोड़ रूपये। 85.23 करोड़ रूपये में दिसम्बर तक केवल मात्र खर्चा हुआ है 40.49 करोड़ रूपये। अब जनवरी, फरवरी, मार्च में कौनसा जादू है किस जादू के अन्दर 40 करोड़ रूपये खर्च कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी मैं आंकड़ों में डिटेल में नहीं जाना चाहता पर मंत्रीजी मैं एक-एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं जिसमें डिटेल में ही जाकर बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मात्र संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जो पैसा मिला है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति बस्ती विद्युतीकरण के लिए 2001 से लगा कर 2003-04 तक 2 करोड़ 35 लाख रुपये उपलब्ध थे, मंत्री महोदय, उसमें से दिसम्बर, 2004 तक केवल मात्र खर्चा हुआ 36.63 लाख। एवेलेबल था 2 करोड़ 35 लाख, मतलब हमारे आदिवासी सब के घर में बिजली है, हरेक के घर पर लट्टू लगा हुआ है इसलिए हमने 2 करोड़ 35 लाख में से केवल मात्र खर्चा किया है 36.63 लाख रूपये।

उपाध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय योजना है, आदिवासी तो खूब पानी पीता है, कनकमलजी जानते हैं, कटारियाजी भी जानते हैं आदिवासी औरत दिन भर काम करती है, शाम को दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर से पानी लेकर आती है। हमारे पास प्रोविजन था 275 कंसोलिडेटेड फंड, भारत सरकार

का पैसा आया उसकी बात कर रहा हूं मैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें पैसा था दो करोड़ 61 लाख रुपये और खर्चा किया 108.76 करोड़ रूपये।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, स्कूल के अतिरिक्त कमरों का निर्माण, हम तो बहुत काम कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत काम कर लिया, क्रांतिकारी काम कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें उपलब्ध फंड था 3 करोड़ 45 लाख प्वाइंट 73 और खर्चा हुआ है 2 करोड 54 लाख। यही नहीं, सिंचाई परियोजना है, आदिवासियों की तो माली हालत सुधरी हुई है, गंगानगर से भी अच्छा खुशहाल किसान आदिवासी है, वहां पर हमारे पास पैसा उपलब्ध था एक करोड़ 72 लाख उसकी जगह हमने खर्चा किया एक करोड़ 46 लाख।

उपाध्यक्ष महोदय, आवासीय विद्यालय है, बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं उसमें हमको भारत सरकार ने पैसा दिया 2 करोड़ 23 लाख और हमने खर्च किया एक करोड़ 18 लाख। उपाध्यक्ष महोदय, एनीकट और जलोत्थान, गांव का गरीब आदमी, आदिवासी इलाका है, छोटी जोत बनी हुई है, उसके पास लैंड होल्डिंग कम है, उसको लिफ्ट इर्रिगेशन से इरिगेशन हो सकता है, उसमें हमारे पास उपलब्ध पैसा था एक करोड़ 35 लाख और हमने खर्चा किया केवल मात्र 56 लाख, 56.80 उपाध्यक्ष महोदय, एनीकट निर्माण है, सिंचाई राज्य मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं, सिंचाई मंत्रीजी, एनीकट बना तो कुएं का सेजा ही नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो तकलीफ होगी और आदिवासी इलाके में साउथ राजस्थान में पानी की तकलीफ कितनी ज्यादा है, वह कनकमलजी कटारा जानते हैं, वहां पैसा उपलब्ध था 3 करोड़ 24 लाख और आपने खर्चा किया 2 करोड़ 91 लाख रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, 31.50 लाख रुपये उपलब्ध आपने खर्चा किया 5.59 लाख रूपये। अधूरे एनीकट निर्माण के लिए उपलब्ध था 64.50 लाख रूपये, आपने खर्चा किया 18.87 लाख रुपये। उप स्वास्थ्य केन्द्र, वहां स्वास्थ्य अच्छा है आदिवासियों का, स्वस्थ हैं, हैल्दी हैं, इतने स्वस्थ आदिवासी राजस्थान के और किसी प्रदेश में नहीं मिलेंगे जो हमारे यहां हैं। न्यूट्रिएटस का प्रोग्राम बनाया हमने, भुखमरी से दूर करने का काम किया,

(डा. सी. पी. जोशी)

हमारी प्राथमिकता है भारत सरकार का पैसा उपलब्ध था 14 लाख रूपये और हमने खर्चा किया 2.98 लाख रूपये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता, यह 22 करोड़ 68 लाख रूपये उपलब्ध थे। भारत सरकार के 2003-04 तक आपके पास और उस 22.68 करोड़ रूपये में आपने खर्चा किया केवल मात्र 13.59 करोड़। यह तो मैं एक हैड बता रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक सिंगल पैनी नहीं है। The entire money has been transferred from the Government of India. 2003-04 तक भारत सरकार के पास...(व्यवधान) आप सुनिये, बैठिये प्लीज। मैंने कहा आप बिराजें पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह 2003-04 है, इसमें कौन था? 2003-04 में सरकार कौनसी थी, जरा बताओ आप।

डा. सी.पी. जोशी : आप बिराजें, मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अपनी बात इनसे पूछ रहे हो?

डा. सी.पी. जोशी : आप बिराजो, प्लीज। आप के हाथ जोड़ कर, बिराजों न आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप 2004-05 की बात करो।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इनको या तो बाहर निकालो या फिर मैं बोलूं। चीफ व्हिप हैं When I am on floor.खड़े होकर बोल रहे हैं, चीफ व्हिप हैं। (व्यवधान) यह बैठे-बैठे क्या हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो इसलिए पूछा है कि बहुत विद्वान हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मेरी बुद्धि आपको नहीं भेज सकता मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह हो ही नहीं सकता, सारे कारनामे आपके हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अच्छा ठीक है, धन्यवाद, बिराजें आप, आगे भी चुप रहना आप। अभी शुरू किया है, आप चुप रहना आगे भी, जो आपकी आदत है, रहोगे ही नहीं आप।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 275 (1) का मैंने इसलिए उधृत किया कि यह 2003-04 के एक्चुअल उपलब्ध हैं, वह महावीरजी को मालूम नहीं एक्चुअल क्या होते हैं, इनको तो भाषण देना है, इनको तो खाली खड़े होकर डिस्टर्ब करना है इसीलिए इनको चीफ व्हिप बनाया गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे तो कुछ पता नहीं है, आपको ही सारा पता है।

डा. सी.पी. जोशी : तो बिराजो फिर। अब तो बिराजो आप, हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक्चुअल क्या है, संशोधित बजट क्या है मुझे कुछ पता नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : बिराजो, नहीं पता है तो अच्छा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने इतना पाप किया, मैं बताऊं आपको?

डा. सी.पी. जोशी : बताओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने कोई खर्चा ही नहीं किया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एक मंत्री भाषण नहीं दे सकेगा, सुन लेना। (व्यवधान) एक मंत्री भाषण नहीं दे सकेगा, आपके भाषण को ही मान लेंगे, ध्यान रखना आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो बात कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, 341 करोड़ का प्रोविजन था और इन्होंने 250 करोड़ खर्च किया...(व्यवधान)...

डा. सी.पी. जोशी : एक मंत्री भाषण नहीं दे सकेगा, महावीरजी जैन

(डा. सी. पी. जोशी)

के भाषण को मान लिया जायेगा। यह भी ध्यान रखना। हाउस चलाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बोलो न ।

डा. सी.पी. जोशी : मैं दोबारा कह रहा हूं, हाउस चलाना आपकी जिम्मेदारी है, दिमाग से निकाल दो, हाउस नहीं चलेगा...(व्यवधान) आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं, नहीं चलेगा जो तो मैं जानता हूं क्या चलेगा। कोई नहीं चलेगा, जो तो मैं जानता हूं क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चीफ व्हिप...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि आप अपना केवल यह आंकड़ों के जरिये, यह कहो कि हमारी गलती हो गयी...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि यह मुख्य सचेतकजी की कुर्सी पर...(व्यवधान)...

श्री जीतमल खाट : आदिवासियों के हित में कोई बात कर रहा है, तकलीफ है क्या? यह आदिवासियों के शोषक हैं...(व्यवधान)... आदिवासी के हितार्थ कोई बात करना गुनाह है क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आप क्या पढ रहे हो? आपको कोई मिर्ची लग रही है? हद हो गयी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके 300 करोड़ के मुकाबले में जो 300 करोड़ का प्रोविजन था..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : इनको रोको, साहब, क्या कर रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई को भी सदन में पेश करने से तकलीफ हो रही है। आदिवासियों के नाम से करोड़ों...(व्यवधान)...

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इस बीमारी को रोकिये। एक तरह से सदन में बीमारी फैल गयी है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : व्यवधान करना, क्या मतलब है?..(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : जितना भी कर्मचारी वर्ग ने, सब ने अपना पेट भरा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बता रहा हूं आपको। आपको तो पता है खुद को ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.पी. साहब, आपने कागज देख लिया तो बोलना चालू करें न। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको रोकिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : लेकिन आदिवासियों के साथ में बहुत ज्यादती की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।...(व्यवधान..

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो जोशीजी, महावीरजी का यों ही आपसी मामला है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं आन ए पाइंट आफ आर्डर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में माननीय सदस्य जो बोलते हैं उनके लिए और सदन के लिए कुछ नियम आपने बनाये हैं उसमें कोई भी माननीय सदस्य, जो आपकी इजाजत से बोल रहा है उनको टोकना एक साधारण माननीय सदस्य

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

के लिए भी बहुत गलत माना जाता है। विधान सभा के एक सत्ताधारी पार्टी के सरकारी मुख्य सचेतक बार-बार व्यवधान डालें, यह उचित नहीं है। आप इनको प्रताड़ित करें, इनको रोकें और यह नियमों का पालन करें। आइन्दा किसी को, जो फूलों में बोल रहा है उसके फूलों को तोड़ने की कोशिश नहीं करें। आप इनको प्रताड़ित करें नहीं तो वास्तव में यह डिबेट नहीं चलेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कोई व्यवधान नहीं डाला, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस नीयत से नहीं कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह इस नीयत से नहीं कर रहे हैं, यह तो यों ही जोशीजी....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, कोई भी नीयत हो। आप इस सदन को यह बताएं, कोई भी आदमी...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इनकी आदत बन गयी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आदत बन गयी है?

श्री बृजकिशोर शर्मा : क्यों बोलते हो आप बीच-बीच में खड़े होकर? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी और मंत्री बोलेंगे और हम व्यवधान करेंगे तो क्या उचित रहेगा? अच्छी डिबेट होगी? मेरे पाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मुख्य सचेतक जोशीजी को यों ही जानबूझकर के आपस में ही कर रहे हैं, ऐसी इनकी नीयत..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करेक्ट कर रहे थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप मेहरबानी करके इनको बचाएं नहीं, आप इनको कहें आइन्दा यह व्यवधान नहीं डालें! आयंदा कोई भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं डालें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में इनकी नीयत...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : करेक्ट किया है। मैं मानता हूं जोशीजी बहुत विद्वान हैं और इसलिए उनसे विद्वता की दृष्टि से केवल जानकारी कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : हां बस...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जब वो अपना स्पीच खतम कर दें उसके बाद में यह कोई जानाकरी ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनकी नीयत में यह बात नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा न तो कोई इरादा इनको डिस्टर्ब करने का है, क्योंकि वह काफी विद्वान हैं और सारे आंकड़े उनके पास हैं। इसलिए केवल जानकारी के लिए पूछा था। यदि मेरे कारण से आपको कष्ट हुआ हो तो मैं...

श्री महीपाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जैन साहब को तो महात्माजी ने वरदान दिया है अगर आप 20 मिनट में जहां भी बैठे हैं और खड़े नहीं होंगे तो मंत्री बनने का नम्बर नहीं आयेगा तो यह उनका अभ्यास चल रहा है। इनकी गलती नहीं है, वह वरदान याद आ जाता है इनको।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं यह आपके साथ कोई बात नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे मित्र हैं। आप भी आंकड़े उठा कर देख लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे आंकडे पेश करता हूं, शायद महावीरजी को दूसरे आंकड़े अच्छे पसंद आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वार्षिक, प्रशासनिक प्रतिवेदन 2004-05, एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम, पेज नम्बर 76 ।

(डा. सी. पी. जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, 2004-05 में कुल 443.65 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया जिसमें राज योजना 383.13 करोड़, विशेष केन्द्रीय सहायता से 24.14 करोड़, केन्द्रीय परिवर्तित योजना से 39.38 करोड़ का प्रावधान किया गया। 2003-04 में, दिसम्बर 2000 तक 119.97 करोड़ रूपये व्यय किये गये। विभिन्न मदों में आबंटन व्यय की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो बहुत विकास करना है आदिवासियों का, आदिवासियों का विकास करने में हैड-कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं। उपाध्यक्ष महोदय, आबंटन था 35.34 करोड़ रुपये का और खर्चा किया 8.59 करोड़ का। ग्रामीण विकास, आदिवासी का ग्रामीण विकास, आदिवासी तो हमारा इतना डवलप है कि कोई जरूरत हीं नहीं है वहां काम करने की, वहां प्रोविजन था 101.01 करोड़ रुपये का और उसमें खर्चा किया 15.40 करोड़ रुपये यह आंकड़े मेरे नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं पेज 76 बता रहा हूं। इसमें खर्चा किया केवल मात्र 15.40 करोड़ रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई, पानी उपलब्ध साउथ राजस्थान में ही चाहे बांसवाड़ा का माही हो, चाहे जाखम हो चाहे सोम कमला हो चाहे हम दूसरी योजना बनाएं पानी उपलब्ध साउथ राजस्थान में ही है और पानी के बिना खेती नहीं हो सकती, पानी के बिना माली हालत नहीं सुधर सकती। सिंचाई के बारे में 105.09 करोड़ का आबंटन था, उसके अगेंस्ट में खर्च किये केवल मात्र 25.71 करोड़ रूपये सिंचाई के हैड में।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं विद्युत है, आदिवासी के बिजली है, वह तो बड़ा डवलप आदमी है, वह सारे ए.सी. और सब यूज करता है इसलिए विद्युत की जरूरत नहीं है।

वहां पर उपाध्यक्ष महोदय, प्रोवीजन 32.27 करोड़ रूपए उपलब्ध थे उसमें से खर्च किया मात्र 19.11 करोड़ रूपए। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग और खनिज पर 16.20 करोड़ रूपए उपलब्ध थे उसमें खर्चा किया केवल मात्र 2 करोड़ 32 लाख रूपये। परिवहन एवं संचार पर 4.44 लाख रूपये उपलब्ध थे, खर्चा किया दो करोड़ अड़तीस लाख रूपये। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर तो प्लान बनाकर इस राजस्थान की बहबूदी की जी.डी.पी. बढ़ाने का काम

कर रहे हैं। आदिवासी की जी.डी.पी. तभी बढ़ेगी उसमें उपलब्ध था 145.75 करोड़ और सरकार ने खर्चा किया केवल मात्र 44.90 करोड़ रुपए। कनकमल जी मैं फिर कह रहा हूं 145.75 करोड़ रुपए उपलब्ध थे उसमें से खर्चा किया है केवल मात्र 44.90 करोड़ रूपए। उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक सेवा में 1.28 करोड़ रुपये उपलब्ध थे उसके अगेंस्ट में इन्होंने किये केवल मात्र ग्यारह लाख रूपये।

इस तरह से 443.65 करोड़ रूपये उपलब्ध थे उसमें से एक्सपैंडिचर है 119 करोड़ रुपए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन से महीने तक का है यह भी बता दो।

डा. सी.पी. जोशी : दिसम्बर है (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : सात प्रतिशत से ज्यादा है।

डा. सी.पी. जोशी : आप बिराजिए यह सात प्रतिशत है 443 का 119, यह सात प्रतिशत है (व्यवधान) यह गणित कहां से पास की है हेमराजजी यह कोई ऐसी डिग्री है तो मुझे तो बताओ। मैं भी पढ़कर आऊं, बेकार ही अपना टाइम खराब कर रहा हूं, मैं। उपाध्यक्ष महोदय, पैसा उपलब्ध था 443.65 करोड़ रूपए और खर्चा किया 119.97 करोड़ रुपीज। यह उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं के आंकड़े दे रहा हूं। पहले के मैंने आंकड़े दिये, वह आंकड़े भी दिए मैंने 275-1 के अन्तर्गत और उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके कान्स्टीटयूशन में 275 को कोट किया है, 275 मे बताया गया है कि शिड्यूल्ड ट्राइब में अब चार तरह की पापुलेशन है। उसमें सबसे ज्यादा सफरर 17.31 लाख की बिखरी जनसंख्या है, उसका है। मुझे पता है, मैं भी चौथी बार एम.एल.ए. हूं। कितने मंत्री, कितने आदमी उस बिखरी जनसंख्या की नीड्स को कैटर करने के लिए गए हैं। वहां गरीब आदमी रहता है, झोंपड़ी में रहता है। आज ट्राइबल इलाके में दो तरह की योजनाएं चल रही हैं। इंडिविजुअल बेनीफिशरीज की स्कीम और दूसरी चल रही है एरिया डवलपमेंट की स्कीम्स। वह लोग एरिया डवलपमेंट से भी वंचित हैं, वह लोग इंडिविजुअल बेनीफिशरीज से भी वंचित हैं तो पचास साल हम कोई नई स्कीम बनाएंगे कि शिड्यूल्ड एरिया के अन्तर्गत एक सब शिड्यूल्ड एरिया भी बनाया जाएगा। उसके अन्दर प्रोवीजन करेंगे तब पचास

(डा. सी. पी. जोशी)

साल बाद जाकर वह आदिवासी जो महाराणा प्रताप के साथ फौज में लड़ा, जिस महाराणा प्रताप के नाम पर राजेन्द्र सिंहजी राठौड, मुख्यमंत्री झंडा लेकर राजस्थान के ऊपर अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करना चाहते हैं।

उसकी लड़ाई में लड़ने वाला गरीब आदमी जो कुम्भलगढ़ में रह रहा है, गोगुन्दा में रह रहा है, खमनौर में रह रहा है, जिसने महारणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा लगाया है, उसके सम्बन्ध में डेढ साल में सरकार ने चर्चा नहीं की है। कांग्रेस ने नहीं की, कांग्रेस को सजा मिल गयी पर डेढ़ साल में हमारा जो कमिटमैंट आदिवासी के प्रति है, हम तो महाराणा प्रताप की लिगेसी के हकदार हैं, महाराणा प्रताप की लिगेसी क्यों, मानसिंहजी की मूर्ति लगाकर हमने काम किया है। राजा महाराजाओं को बुलाकर गौरवान्वित हमने किया है। हम गौरवान्वित क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मन में उस गरीब आदमी के प्रति, जो गरीब आदमी महाराणा प्रताप की फौज में लड़ा हुआ है, उसका बेलफेयर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी बहबूदी के लिए हमारे मन में कल्पना नहीं है। यह इसलिए कहना चाहता हूं भारत सरकार का पैसा उपलब्ध था जिसमें आपको एक पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना था, उस पैसे का आप उपयोग नहीं कर रहे।

जो पैसा एकीकृत योजना में आपने बताया अलग-अलग हैड में, उस योजना के हैड की यह स्थिति बनी हुई है तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार क्या करना चाहती है। डेढ़ साल में क्या मैसेज देना चाहती है जनता में। गवर्नमेंट परफार्मेंस से नहीं चलती है What is the perception of the people about this Government? राजाशाही की सरकार है, शाही संस्कार हैं। शाही संस्कार में जो चीजें होनी चाहिए वह राजस्थान में सब चीजें होनी चाहिए। चाहे मकान में हो, चाहे समाज में हो। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि राज बदल गया है, राज का नेता बदल गया है, मुख्य मंत्री बदल गये हैं उसके संस्कार बदल गये हैं। इसलिए लोगों को दुनिया के अन्दर मैसेज जाना चाहिए यह सरकार कमिटेड हैं गरीब आदमी के प्रति, सहरिया के लिए तो हमने बहुत काम किया है। सहरिया के समबन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, 2003-04-05 के आंकड़े हैं। जितना प्रोवीजन था उतना प्रोवीजन भी खर्च नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे बड़ी तकलीफ है मंत्रीजी जब जवाब दें तब बताएं, सहरिया के लिए मुझे बोलना जरूरी है, सहरिया के वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रहे हैं। सहरिया विकास कार्यक्रम यह भी पेज-22 है ध्यान रहे। मैं जो बोल रहा हूं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। हेमराज जी पेज निकाल लें 22 नम्बर, फिर गलती नहीं हो जाए। आप देख लें। सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2003-04 में विशेष केन्द्रीय सहायता मद के अन्तर्गत 2,16,35 हजार की प्रशासनिक वितीय स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी। जिसके विरूद्ध विशेष केन्द्रीय सहायता 119.27 लाख रूपये का व्यय किया गया, दो करोड़ सोलह लाख रूपए उपलब्ध थे। चार बार एम.पी. रहे हैं, गरीबों ने जिताया है तब मुख्य मंत्री बने हैं और आज सहरियाओं के बारे में बहुत चिंता है। चाहे सहरियाओं के लिए वेलफेयर का काम कर रहे हैं, 2003 और 2004 में दो करोड़ सोलह लाख के अगेन्स्ट में, उपाध्यक्ष महोदय, एक करोड़ उन्नीस लाख रूपया खर्च हुआ है। वह मेरा आंकड़ा नहीं है। मैं तो आंकड़े बताना चाहता हूं। मैंने कहा ना मैं राजनीतिक आदमी हूं, मैं राजनीतिक फिलासोफी बताना चाहता हूं। जिस कदम देश से जनता के साथ विश्वासघात करके वोट लिया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह अगले डेढ़ साल में लोगों को ऱ लूम पड़ना चाहिये कि यह सरकार जिसका कमिटमेंट गांव के प्रति है।

श्री राजेन्द्र राठौड : जोशीजी, आपको कोई टोकता है तो आपकी रेल डीरेल हो जाती है।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, मेरी नहीं होती है। हां, बोलो आप, आराम से बोलो- आप बोलना स्टार्ट करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा था कि आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो, बड़े अच्छे आंकड़े दे रहे हो।

श्री हेमराज मीणा : 2 करोड़, 16 लाख, 35 हजार रूपये में से 1 करोड़, 19 लाख 47 हजार रूपए खर्च किया है। यह दिसम्बर तक का खर्चा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दिसम्बर, 2003 में तो आप ही विराजे रहे थे। आपने कुछ खर्चा किया नहीं। हमने आकर सुध ली है। यह आप 2003-04 के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आंकड़े दे रहे हो। दिसम्बर तक तो आप ही बिराज रहे थे। हमने आकर काम चालू किया आपने कुछ किया ही नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : यह आपका प्रतिवेदन था (व्यवधान), बिराजें आप देख लें।

श्री मदन राठौड़ : 2003-04 में 18 करोड़ 86 लाख में से केवल छह हजार खर्च किये डी.पी.पी. सिस्टम में। यह आप जवाब दो। केवल छह हजार...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बीच में नहीं (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : 29 लाख में 1.63 लाख ही खर्च किये....

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में मत बोलो।

डा. सी.पी. जोशी : संसदीय मंत्रीजी, यह वार्षिक प्रतिवेदन आपकी सरकार ने दिया है। आप पढ़ो इसको। पढ़ने की आपको फुरसत कहां है। शाम को टाइम मिले जब फुर्सत हो ना, शाम को टाइम मिलता नहीं है पढ़े कैसे अपन। इसको पढिए इसमें 2003-04 में लिख रखा है। मैं नहीं कह सकता, मैं तो वही तथ्य दूंगा जो आंकड़े मेरे पास हैं। यह आपका प्रतिवेदन है इसमें सारे आंकड़े 2003-05 के हैं मैं क्या करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिवेदन हमारा है परन्तु आपकी सरकार दिसम्बर 2003 तक थी (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : लैटर दे देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी सरकार के किये गये कुकर्मों को आप इस तरह उजागर कर रहे हो।

डा. सी.पी. जोशी : मान्यवर, लैटर दें आप, किसने आपको रोका है। यह प्रतिवेदन आपका है कि मेरा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिवेदन हमारा है।

डा. सी.पी. जोशी : इसमें आंकड़े आपके हैं कि मेरे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो तीन महीने ही थे। दिसम्बर 2003 के बाद तीन महीने ही थे। पूरा वित्तीय वर्ष आपके पास था। पूरा वित्तीय वर्ष आपने खराब किया. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह कब पेश किया है, आप कागज लिए बैठे हो आपके समझ नहीं आया। उपाध्यक्ष, 2004-05 के आंकड़ों में सरकार..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 2003-04 के...

डा. सी.पी. जोशी : आप सुन लें। या तो चमचागिरी कर लें मुख्य मंत्री की या टाइम निकाल लें पढ़ने का या यह आंकड़े देख लिया करो। यह प्रतिवेदन आपका है देखना आपका काम है मेरा काम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अशोकजी के कितने बड़े चमचे हो सब जानते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आप संसदीय मंत्री हो, आपकी ड्यूटी बनती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या हुआ मुख्य मंत्री की चमचागिरी, मुख्य मंत्री की चमचागिरी. (व्यवधान) आप भी बातें करते हो बिना मतलब की।

डा. सी.पी. जोशी : विराजो। मैं तो चमचागिरी करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : हम तो हैं अशोकजी के। आप भी करो।

डा. सी.पी. जोशी : आप भी कहो है, आप भैरोंसिंहजी के हो कि वसुन्धराजी के हो, बोल दो खड़े होकर मैं बैठ जाता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आप मुझे पूछेंगे, किसका हूं मैं (व्यवधान) आप किसके चमचे हो (व्यवधान) बात करते हैं बिना मतलब की।

डा. सी.पी. जोशी : अशोक गहलोत का, मैं तो अशोक गहलोत का, आप बोलो किसके हो, बोलिए, बोल सकते हैं क्या, भैरोंसिंहजी के पास जाकर नमस्कार करेंगे, वहां नमस्कार करेंगे, सुरेन्द्र सिंहजी को नमस्कार करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा है करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैरोंसिंहजी हमारे आदर्श हैं क्यों नहीं करेंगे नमस्कार।

डा. सी.पी. जोशी : आपके नेता सुरेन्द्र सिंहजी बैठे हैं मालूम हैं (व्यवधान) नेता यह हैं आपके नेता सुरेन्द्र सिंहजी हैं मालूम है कि नहीं कालेज में। इन्होंने आगे लाया है इनको धक्का देकर आगे बढ़ गये हो। यह भी मालूम है कि नहीं आपको सब चीजें मालूम हैं। बैठे हैं सुरेन्द्र सिंह जी. यह भी इतिहास मालूम है कि नहीं। सारा इतिहास मालूम है। इसलिए जितना ही बोलो जितना इतिहास..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका इतिहास भी मालूम है।

श्री संयम लोढ़ा : राठौड़ साहब, भैरोंसिंहजी यदि आपके आदर्श होते तो आप सती समर्थकों के जुलुस में नहीं होते। भैरोंसिंहजी नहीं थे उस जुलूस में और आप थे वहां पर।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : सती के बारे में अगर बहस करनी है तो आओ।

डा. सी.पी. जोशी : राजेन्द्रजी करेंगे, हम क्यों करें, आपके जरिए करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : सादर आमंत्रित हो। करनी है बहस, हो तैयार (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि राजेन्द्रजी मेरे मित्र हैं यह सरकार की डयूटी बनती है 2004-05 के आंकड़े देते। हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम 2004-05 के आंकड़े देकर बात करते।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : महारानी पदमनी का जौहर आप अपने इतिहास में बड़े गौरव से और गर्व से कहते हो कि उसने जौहर किया था लेकिन अब आपको शर्म आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहस करो।

डा. सी.पी. जोशी : किससे, आज कर ली, जिन्दगी भर बहस कर ली, मुझे क्यों भिड़ा रहे हो आप कर लो पहले इनसे। बड़ी मुश्किल से लाइन पर लाया पटरी पर। वही रहने दो जहां हैं वहीं। वहां गंगानगर में जाकर घड़साना में फेस करके फिर मुझे बताना। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज जमं नहीं।

डा. सी. पी. जोशी : कोई बात नहीं, आप जम गये क्या? बहुत अच्छे। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान और खास तौर से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, अब 2003-04 पर आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। इन आंकड़ों को बताने के पीछे मंशा यह नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। इन आंकड़ों के पीछे मंशा यह है कि आदिवासी की बहबूदी के सम्बन्ध में हमें कोई कल्पना करनी है नियम और कानून के अन्तर्गत जो पैसा हमें उपलब्ध है उसमें कुछ न कुछ हमें परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन करने के लिये जो कुछ भी हम आदिवासी इलाके में कर रहे हैं वह आदिवासी कल्चर, सोशल, उनका जो तरीका है काम करने का, उससे बिलकुल विपरीत है। आदिवासी कभी भी होल्डिंग में विश्वास नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कभी गबरी की बात सुनी होगी। जब गबरी खेलने जाते हैं तो उसके पास जितनी प्रोपर्टी होती है वह लेकर जाते हैं। उनके। घर पर कोई चीज नहीं मिलती। जब शादी होती है तब वह सब कलेक्टिव आदमी कण्ट्रीब्यूट करके शादी में मदद करते हैं। जब कोई आदमी मर जाता है तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जिसकी हैसियत होती है वह लेकर काम करता है। आज कौनसा समाज ऐसा है? कौनसा समाज ऐसा है जो आदिवासी के इस ट्रेडिशन को जिस ट्रेडिशन के आधार पर सामुदायिक जो जिम्मेदारी है उसकी हैसियत नहीं होते हुए भी उसकी जिम्मेदारी का वह निर्वहन करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मौताणा, किसी भी कल्चर में, किसी में भी यह व्यवस्था नहीं होगी कि किसी बच्ची की शादी कर दें, उसको मौत हो जाए तो जहां शादी हुई है, उसके परिवार नहीं, उसकी पूरी जो सब कास्ट है उसका उसको प्रोटक्शन देने का धर्म बनता है और नहीं दे तो मौताणा करके चढ़ावा करके पैसा लेते हैं। यह उनकी व्यवस्था है। 50 साल में आज भी

(डा. सी. पी. जोशी)

कनकमलजी कटारा साहब बैठे हैं और साथी बैठे हुए हैं आज भी किसी बच्ची की हत्या हो जाए, यदि बच्ची सस्पीशियस में मर भी जाए तो जिस परिवार में शादी हुई है उस परिवार के लोगों को वह सारा खर्चा देना पड़ता है। कोई नियम और कोई कानून है? लेकिन यह नियम और कानून प्रथा के आधार पर चला हुआ है। शिडयूल्ड एरिया का जो 96 एक्ट है, एक्सटर्नल डैट है। उसमें इन चीजों को अपहेल्ड किया है, प्रोटक्ट करने की व्यवस्था की है। क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम उनको जिन चीजों के सम्बन्ध में उनके जो कस्टम्स हैं, उनकी जो प्रेक्टिसेज हैं जिनके आधार पर वह अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से चला रहे हैं उनको पेट्रनाइज करने के लिये हम अपनी व्यवस्था करें। बनिस्पत कि हम उनको कहें बिजनस करो। आप उठाकर देखिये कि उन्होंने बिजनस किया। लैम्पस का किया, पैक्स में किया। आपने राजसंघ बना रखा है। आपने जयसमंद की मछली का ठेका उठाकर दिया। सारा का सारा पैसा नोन ट्राइबल आदमी उठाकर ले गये। ट्राइबल आदमी की कोई हैसियत नहीं बनी अभी तक। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, मैं डिटेल भी लेकर आया हूं यह, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। यह जनजाति क्षेत्रीय विकास के आंकड़े हैं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे जहां पर फिजीकल असेटस के सम्बन्ध में काम करना है। कहीं मेटेरियल कम्पोनेंट का काम है, कहीं पाइप खरीदने हैं, हण्ड्रेड परसेंट पैसा काम में आया लेकिन वहां गरीब आदमी के वेलफेयर का काम करना है, इनडिवीजुअल के वेलफेयर का काम करना है, इस हैड में, कनकमलजी कटारा, उठाकर देख लें आप स्कालरशिप से लगाकर बच्चों को पढ़ाने के सम्बन्ध में, रिटेंशन करने के सम्बन्ध में पैसे का उपयोग नहीं हुआ, सबमें लैप्स हुआ लेकिन धर्म क्या बनता है? यदि हमें आदिवासी की हैसियत सुधारनी है तो सबसे पहले काम होना चाहिये इनमें एजूकेशन बढ़ाए। एजुकेशन बढ़ाने के लिये 87,000 की साइकिलें दे रहे हैं। 2004-05 में घोषणा की है हमने। 2004-05 में साईकिलें नहीं दे सके, अब दे रहे हैं। साइकिल देकर वहां पर आदिवासियों की बच्चियों में शिक्षा का सुधार हो जायेगा? राजेन्द्रजी राठौड़, ट्राइबल इलाके में गये हैं? फले में गये हैं किसी में? किसी फले में साइकिल से पंचायत में पढ़ने के लिये बच्ची कहां से आयेगी? सड़कें राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने इतनी अच्छी बना रखी हैं जहवारलाल नेहरू मार्ग की जो सड़क है, वैसी सड़क

आदिवासी इलाके में हो तो आदिवासी बच्ची साइकिल से पढ़ने के लिये आ जायेगी। इससे उनकी शिक्षा का उत्थान हो जायेगा। बच्चियों का रिटेंशन करने के लिये आपको साइड बैक दूसरी देनी पड़ेगी।

You have to give some different incentives. The incentives which are prevailing in them in their social customs, which you are not doing it, you have to cater their needs.

आप क्यों नहीं पढ़ने का अधिकार देते, पढ़ने का तरीका आपके शहर का जो बच्चा है, वही तरीका उस आदिवासी बच्चे को हो, वह सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे साथी बैठे हैं, करेक्ट करेंगे 80 परसेंट आदिवासी बच्चियों की शादी प्यूबरिटी के पहले हो जाती है। 15 साल के पहले-पहले हो जाती है। आप मुझे बताएं वहां बच्ची को रिटेन करने के लिये हम जो यह तरीका कर रहे हैं इस तरीके के आधार पर वहां यह व्यवस्था बन जायेगी? 1991 के सेंसस क्या कहते हैं

How much girls child education we are having? I think it is less than 10 percent.

अब लैस दैन 10 परसेंट को हम नेशनल एवरेज जो 60 परसेंट है उसके बराबर लाना चाहते हैं। 60 परसेंट के बराबर लाने के लिये हम साइकिल दे देंगे इसलिये वह हमारा एवरेज बढ़ जायेगा, रेडिकल चेंज करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, रेडिकल चेंज करने के लिये मैं कहना चाहता हूं कि इनका कमिटमेंट कितना है? फिर नाराज होंगे राजेन्द्रजी राठौड़। गुरू गोलवल्कर की जन सहभागिता का हमने प्रोविजन किया है 2 करोड़ रूपये का। उस 2 करोड़ रूपये में से कितना खर्चा हुआ? इसमें तो हमारा कमिटमेंट होना चाहिये था। यह तो हमारी फिलासफी का पार्ट है। अब हमने 28 करोड़ दिया है, धन्यवाद। पर आपने 2 करोड़ रूपये का टोकन प्रोविजन किया उसमें से कितना खर्च हुआ? इसका फिगर देखा आपने? You have not spent even a crore. You have not spent a crore. गुरू गोलवल्कर का कमिटमेंट है, दीनदयाल की लाइब्रेरी दो-दो हजार रूपये में बन रही है, What gimmick you are giving. हम करें तो राजीव गांधी के लिये कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पालिटिकल पावर रिटेन हो जायेगी। कांट्राडिक्शन खतम हो जायेगा।

(डा. सी. पी. जोशी)

सरकार ठीक ढंग से चल रही है यह मैसेज देकर हम क्या कहना चाहते हैं? इसलिये मैं चाहता हूं माननीय मंत्रीजी, आप सबसे पहले यह जो 275 मैंने कोड किया है, वह आपको रोकता नहीं है कि शिडयूल्ड ट्राइब जो आज बिखरी जाति में रहती है 27 जिलों के अन्दर। चाहे वह कुम्भलगढ़ में रहे, चाहे गोगुन्दा में रहे, चाहे मावली में रहे, चाहे वल्लभनगर में रहे, उन लोगों के लिये आपने जो बजट में प्रोविजन किया है वह 3.51 करोड़ की जगह, आपने यदि 22 करोड़ समथिंग का प्रोविजन किया है शिडयूल्ड एरिया के अन्तर्गत तो प्रपोशनेटली इतनी की इतनी व्यवस्था उसमें भी आपको करनी चाहिये। नहीं तो वह भेद इतना बढ़ जायेगा कि एक आदिवासी जैसे आज मीणा और भील में अन्तर है, उदयपुर सम्भाग के अन्दर भील और भील में भी अन्तर हो जायेगा। तो वहां पर जितनी जो व्यवस्था हम करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगी। मुझे पूरा विश्वास है आपका कमिटमेंट, आपकी व्यवस्था, आप खुद उस इलाके और उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं महात्मा गांधी, माणिक्यलाल वर्मा, मोहन लाल सुखाडिया, हरिदेव जोशी, यह जो लोग थे वह ट्राइबल नहीं थे। पर उनके मन में कल्पना थी इस बात की कि जिस इलाके को वह रिप्रजेण्ट करते हैं उसके आस-पास क्या स्थिति बनी हुई थी? इसलिये आजादी के समय में माणिक्यलाल वर्मा, हरिदेव जोशी ने गांव-गांव में आदिम जाति संघ बनाया। आज नाथूलालजी हमारे संघ के सदस्य बैठे हुए है। छह बार एम.एल.ए. हैं। यह प्रोडक्ट हैं उस आदिम जाति सेवा संघ के जिसे माणिक्यलाल वर्मा ने स्टार्ट किया आजादी के पहले। उन इलाकों में एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिये इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी और आज पचास साल बाद हम व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकते हैं तो मेरा निवेदन है सबसे पहले प्राथमिकता हमें बदलनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें उनकी एजुकेशन के सम्बन्ध में चिन्ता करने के लिये उनकी जो प्रैक्टिसेज हैं, उनके तरीके हैं उनके साथ जोड़कर हम यह काम करें तो ठीक होगा।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे इलाके में ट्राइबल रहते हैं। वहां पर जो परिवार है। उनके बकरी है। जब दो बच्चे हो जाते हैं तो बड़ा बच्चा जो होता है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उसे बकरी चराने के लिये भेज देते हैं। मैंने पूछा बकरी चराने क्यों भेजते हैं? तो समझ में आया कि बकरी उनकी

असेट्स है। एक बकरी के दो बच्चे होते हैं। पांच हजार रूपये साल में उनको मिल जाते हैं, उस पांच हजार रूपये के लिये वह परिवार अपनी एक बच्ची को दिन भर बकरी चराने के लिये भेजते हैं। बकरी चराने को लिये भेजते हैं तो बच्चा स्कूल में आ ही नहीं सकता। अब उस इकोनामी को तोड़ेंगे क्योंकि उसके पांच हजार रूपये जब तक बकरी पालन न हो, बकरी का बच्चा नहीं हो तब तक परिवार में पांच हजार रूपये नहीं आ सकते। हम उसको कहें कि बच्चे जायेंगे, पढ़ने के लिये जाना पड़ेगा और बकरी चराना छोड़ दे तो यह सम्भव नहीं है। इसको सम्भव होने के लिये, इस पांच हजार की व्यवस्था के लिये हम क्या व्यवस्था करें इसका हमने आज तक नहीं सोचा।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं चाहता हूं कि यह जो छोटी-छोटी बाते हैं इनको आधार मानकर यदि हमने गांव के आदिवासी के विकास की कल्पना करने का प्रयत्न किया तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा। आज हम फार्चुनेट हैं। रतनजोत, बायो डीजल और नयी-नयी बातें हम कर रहे हैं और वहां इलाके में रतनजोत इतनी होती है, इतना बायो डीजल होता है और हर परिवार का आदमी फोरेस्ट के अपने पेड़ को रिटेन करने की बात जानता है लेकिन कौनसा पेड़ करे यह फोरेस्ट वाले ही बता सकते हैं। जैसा कल बताया गया कि ऐसा बबूल लगा दिया कि बाघ सूंघकर मर जाता है। अब हमारे तो फोरेस्ट वाले इतने एक्सपर्ट हैं, हमारा काम ही ऐसा बताते हैं कि जो हमारी नेचुरल बायोडायवर्सिटी है वह खतम हो। आदिवासी आदमी भी अपनी झोपड़ी बनाकर रहता है। वह रतनजोत लगाता है, बाड रतनजोत की पौध लगाता है। रतनजोत के लिये हम उसको मोटिवेट नहीं करते कि आप इतना रतनजोत लगाओगे तो खरीदने के लिये हम यह करेंगे। माइनर प्रोड्यूस को खरीदने का काम भी ब्रोकर कर रहे हैं, दलाल कर रहे हैं, गरीब आदमी नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ते संग्रहण के लिये कुछ व्यवस्थाएं की जिससे आदिवासी की हैसियत सुधरी है। उस दिन हमारे साथी खांट साहब ने कहा था जो सोसायटी बनी हुई है फोरेस्ट की सह आधार बनाकर माइनर प्रोड्यूस खरीदने का यह काम उनके माध्यम से हम नहीं करेंगे, हम तो ठेका देंगे। माइनर प्रोड्यूस का ठेका देंगे, वह गरीब आदमी से खरीदेगा और खरीदने के बाद वह बेचेगा। वह पैसा उसके पास, गरीब आदमी के पास नहीं जायेगा। मेहरबानी करके मंत्री महोदय, फैसला करिये कि जो फोरेस्ट का माइनर प्रोड्यूस पैदा हो रहा है उस

(डा. सी. पी. जोशी)

माइनर प्रोडयूस का कोई ठेका नहीं होगा। टोटल इनका जो राइट है परचेज करने का और बेचने का अधिकार आदिवासी का होगा और आदिवासी उससे प्राफिट कमायेगा। उस प्राफिट को कमाने के लिये इंटरवेंशन अलाउ करे तब तो आदिवासी का भला होगा लेकिन आदिवासी के इंटरवेंशन आधार पर दूसरों को डिप्राइव करके ठेका देकर यह व्यवस्था करें तो आदिवासी का भला नहीं होगा।

आदिवासी की जो ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम है। मौताणा के सम्बन्ध में मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं उसमें इतनी गरीबी बढ़ रही है मौताणा के कारण कि वहां पर पुलिस उन लोगों के केवल आत्महत्या के केस दर्ज करती है, हत्या के दर्ज करती है और उस मौताणा को सैटल करने के लिये उन लोगों के परिवार को सदस्यों को पैसा देना पड़ता है और साथ में पुलिस वालों को भी पैसा देना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से 20-25 साल में कोई आदिवासी अपनी हैसियत बनाता है। उसके परिवार में किसी बच्ची की मौत हो जाए, सस्पीशियस सरकमस्टांसेज में मौत हो जाए, मौताणा नहीं देता है तो मौताणा देने के लिये आक्रमण होते हैं। आक्रमण में सरकार कुछ नहीं कर पाती है। अल्टीमेटली मौताणा देना पड़ता है और पुलिस वाले बीच में इंटरवीन करके फैसला कराते हैं, इसमें पैसा खाते हैं जिससे उस आदमी की माली हालत बिगड़ती जाती है। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि उसकी जो थोड़ी बहुत सी कमाई बनी है, उसको हम कैसे रोकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी नीति के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है राजेन्द्रजी नाराज हो जायेंगे। आबकारी नीति के सम्बन्ध में तो यही बात कहनी है कि वहां पर महुवा होता है। वह शराब बनाना जानता है और वह शराब पीता है। शराब रोक नहीं सकते। उनके कस्टम और उनकी सब चीजों के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हम वहां पर इन लोगों को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम नहीं करेंगे जिससे वह छोटे-छोटे रूप में शराब बनाकर के खुद भी पीवें और सरकार को भी बेचें। उनकी माली हालत सुधरेगी। लेकिन हम उनसे कहें कि शराब तुम नहीं पीओगे, तुम शराब पीओगे तो देशी शराब की दुकानों पर पीओगे। 50 दुकानें होंगी, 70 दुकानें होंगी। इन दुकानों से खरीदने पड़ेगी। इससे उसकी हालत सुधरेगी, आपकी शराब के ठेकेदार को उससे कोई मतलब

नहीं है कि उनके कस्टम क्या हैं। उनके ट्रेडिशन के सम्बन्ध में कोई मतलब नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : माननीय सदस्य, आप अवैध शराब को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं और वह भी आदिवासी एरिये में।

डा. सी.पी. जोशी : ठीक है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : आप बामनियां गये हैं क्या कभी।

डा. सी.पी. जोशी : मैं तो गंगानगर नहीं गया, बाकी सब जगह गया हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : नहीं बामनिया, जहां मामा बालेश्वर दयालजी रहते थे।

डा. सी.पी. जोशी : आपने तो खाली सुना होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : सुना नहीं है, 6 महीने साथ रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : हां तो इनसे पूछें कि गया कि नहीं गया हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : यह जीतमलजी से पूछें।

डा. सी.पी. जोशी : इनसे पूछें कि गया हूं कि नहीं गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : पूछ लो।

डा. सी.पी. जोशी : मैं गया कि नहीं गया पूछें इनको।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : आप पूछें। आपके पड़ोस में बैठे हैं। गये हैं कि नहीं गये हैं...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : गये होंगे, पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : आप जो यह कह रह हैं कि हरिदेव जोशी के पीड़ा थी वह थी और तो वह कोमा किसने लगाया था।

डा. सी.पी. जोशी : मैंने लगवाया था, बैठे आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : हां, तो बस फिर।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी हुई है कि गंगानगर के हमारे साथी बैक ग्राउंड सोशलिस्ट है, मुझे खुशी है कि वह सोशलिस्ट लड़ते-लड़ते इतने थक गये हैं कि उनको बी.जे.पी. में जाना पड़ा। यह अपने विचार हैं, आदमी संगत में थक जाता है, करता है, पर इनके विचार अच्छे थे, जिंदा कौमा पांच साल इंतजार नहीं करती है। मामा बालेश्वर दयाल के साथ काम किया है। ऐसा संस्कारित आदमी बी.जे.पी. में जाये तो मुझे खुशी होगी। आज मुख्य मंत्रीजी ने संस्कारित किया। कोट पहनना, टाई लगाना सब सिखा दिया बी.जे.पी. वालों को। इनको टाई लगाना आता था, कपड़े पहनना आता था, शाम को फेस्टिवल देखना आता था, सिनेमा देखना आता था। यह सब सिखाया कि नहीं सिखाया। अच्छा है आप भी इनको सिखायें। सुरेन्द्रजी, हमें खुशी होगी कि गरीब आदमी का कैसे भला हो, मामा बालेश्वर क्या करते थे वह इन सबको सिखायें। वह काम भी कर पायें तो निश्चित रूप से यह अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता पर मैं कहना चाहता हूं कि समय आ गया कि हमने इन सब बातों के सम्बन्ध में नये सिरे से आदिवासी लोगों में काम करने वाले जब हम यह कर पायेंगे तो हम निश्चित रूप से भला कर पायेंगे। दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वार्षिक प्रतिवेदन जो ग्राम विकास का है इसके सम्बन्ध में मैं कोई ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात कहूंगा कि यह एक स्कीम है एस.जी.आर.वाई. इस स्कीम का पार्ट है, समान ग्राम रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समितियों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का 22.5 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति व जनजाति के चयनित बी.पी.एल. व्यक्तियों के सम्पूर्ण कार्यों के उपयोग में जाना प्राथमिकता है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ग्राम पंचायत में उपलब्ध होने वाले संसाधनों के 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है। यह प्रोविजन है। पिछले चार

(डा. सी. पी. जोशी)

सालों से हमारी सरकार हो या यह सरकार हो, अकाल राहत के नाम पर इन सब कामों को करके यह जो सारा उद्देश्य है इसको पूरा नहीं कर रहे हैं। पंचायत राज के 73वें अमेण्डमेण्ट के बाद इनडिपेंडेंट बाडी है। पंचायत राज को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है लेकिन मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी करेक्ट करें मेरे को, एक साल में हम एक साल पीछे चल रहे हैं। हम केवल मैचिंग ग्रांट को लेने के लिए फरवरी, मार्च में पैसा रिलीज करते हैं उसके बाद ट्रेजरी को फोन कर देते हैं कि पैसे को उठाये नहीं और हम मैचिंग ग्रांट के नाम पर यह जितनी भी योजनाएं हैं, सेन्ट्रल स्पोंसर्ड योजनाएं हैं यह 75-25 का जो हमारा पैसा है उसमें 25 परसेंट जो हमारा मैचिंग ग्रांट है उसमें एक साल का अन्तर है।

श्री कालूलाल गुर्जर : पहले का है।

डा. सी.पी. जोशी : कालूलालजी रिलीज हुआ है अमाउंट। अब कालूलालजी, सुन लें मेरी बात। चुनाव नवम्बर में हुए, दिसम्बर में हुए, जनवरी में हुए, पैसा कैसे खर्च हो गया। पंचायत राज के इलेक्शन हो रहे थे। आप मुझे क्या बता रहे हैं कि पैसा कैसे खर्च हुआ है, रिलीज करके पैसा लेना चाहते हैं, ले लीजिये रिलीज करके, पंचायत राज के चुनाव तो अब खतम हुए हैं। आपके खुद के आंकड़ों में लिखा है कि 138 दिन तक कोड आफ कंडक्ट लग गया है काम नहीं कर सकें। 165 दिन नहीं कर सके। ऐसी कौनसी जादू की छड़ी है जिसमें काम कर दिया।

श्री कालूलाल गुर्जर : हमने तो यह कहा है कि इतनी बाधाओं के बावजूद भी हमने समय पर पैसा खर्च कर दिया यह कहा है।

डा. सी.पी. जोशी : कालूलालजी, माननीय मंत्रीजी, खर्च कर दिया। कोई मापदंड है आपने रिलीज कर दिया वह नहीं आपकी यू.सी. है। आप मुझे बतायें यू.सी. आ गयी हैं?

श्री कालूलाल गुर्जर : आ गयी हैं।

डा. सी.पी. जोशी : कब तक आयेंगी। यू.सी. का बैकलाग कितना है। मुझे मत कहना, वाहवाही उतनी लेना जितनी सम्भव है।

श्री मदन राठौड़ : गोलवलकर का जन भागीदारी विकास योजना के अन्तर्गत 200 लाख का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 260.08 कर दिया है। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि 260.08 लाख मार्च, 2005 तक सभी जिलों को उपलब्ध करवा दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मदन राठौड़ : आप चैलेंज कर रहे हैं ना कि आप करेक्ट कर दें तो यह आप देख लें..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपका है, मैं यह पढ़ रहा हूं सुन लें आप, आप सुनिये मैं बता रहा हूं। आपका ध्यान रहेगा। आधे विद्वान मत बनें। सुनिये आप। यह पेज नम्बर 68 है। मैं पढ़ता हूं वर्ष 2004-05, माह दिसम्बर, 2004 तक योजनान्तर्गत 107.23 लाख रूपये जिलों को हस्तांतरित किये गये। योजनान्तर्गत कुल 57.91 लाख रुपये व्यय किये गये। मैं यह गुरु गोलवलकर का पढ़ रहा हूं...(व्यवधान) यह प्रोविजन है, बैठो आप। आधे विद्वान हो, यह प्रोविजन है।

श्री मदन राठौड़ : यह भी पढ़ लें...(व्यवधान) यह तो उपलब्ध करवा दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी महसूस होने लगा है कि पढ़ना पड़ेगा पुस्तक में।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं है उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है डिलीवरी की, इसमें सबसे ज्यादा आपका जोर पंचायत राज में है जो एम्पावरमेंट का जो काम है, मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि चाहे हमने किया या नहीं कर पाये। पंचायत राज में जो सबसे इफेक्टिव फंक्शनरी है वह ग्राम सेवक। ग्राम सेवक, आपका बी.डी.ओ., आपका अकाउंटेंट, अफसर, सरपंच, जितना पैसा हम दे रहे हैं। हम डेमोक्रेसी में यह बात कह रहे हैं फिर भी

(डा. सी. पी. जोशी)

कहना चाहता हूं कि कोई सिस्टम नहीं है आपको ठेकेदार बनने के लिए, पर पंचायत राज में आपका चुना हुआ सरपंच को सरपंच बनते ही ठेकेदार बन जाता है। यह पेटी कांट्रेक्ट है जो पंचायत राज में सरपंच को बना दिया। कोई एम.एल.ए. काम नहीं करता, मंत्री काम नहीं करता पर चुना हुआ सरपंच ही काम करता है ठेकेदारी का। यह नया प्रोजिवन है, इस प्रोविजन को हटाने की जरूरत है। यदि हमने इस प्रोविजन को नहीं हटाया तो जितने फंड का हम एलोकेशन कर रहे हैं उसका मैं ज्यादा तो नहीं कहता, पर मेरी अपनी सोच कहती है कि 40 प्रतिशत पैसा जाया हो रहा है, बिटविन ग्राम सेवक, सरपंच, अकाउंट आफिसर और बी.डी.ओ.।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि इंदिरा आवास योजना में जहां गरीब आदमी का मकान बनना है, जहां पहले कोटा कम मिलता था वहां 25 हजार में मकान मिल रहा है। यह सारे आंकड़े बता रहे हैं कि आपके दिसम्बर तक के टार्गेट 60 प्रतिशत नहीं है और आप बता रहे हैं 40 प्रतिशत हम कर लेंगे। यह मार्च में कंपलीट करेंगे आप। जांच करा लीजिए। आपके 60 प्रतिशत इंदिरा आवास के जो मकान बने हुए हैं। चाहे अपग्रेडेशन में बने हुए हैं, चाहे किसी में बने हुए हैं। आल फिक्टिशियस हैं। बिल बुक में एंट्री है और एंड में कोई भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने यह फैसला किया था कि हम सोशल आडिट करायेंगे। आपने सोशल आडिट करायी, किस कानून से रोक दिया। एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था राइट टू इन्फार्मेशन वाला मैडम ने, हमने फैसला किया था कि जिस पंचायत में पांच साल तक सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है उसका सोशल आडिट करायेंगे। आप सोशल आडिट क्यों नहीं करवाते हैं। आपको क्या तकलीफ है। बी.जे.पी. हो कांग्रेस हो कोई भी हो, फैसला होगा। लेकिन सोशल आडिट नहीं करना चाहते हैं। ग्राम सभा को एम्पावर नहीं करना चाहते हैं। डेढ़ साल हो गया। आज के दिन में मैं ग्राम विकास में एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि पंचायत राज का नीचे लेवल का अधिकारी है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी है ग्राम सेवक, उपाध्यक्ष महोदय, आप जाकर के देख लें, आप भी एम.एल.ए हैं, 60 प्रतिशत ग्राम सेवक साइकिल से मोटर साइकिल पर आ गये। मोटर साइकिल से कार पर आ

(डा. सी. पी. जोशी)

गये। कच्चे मकान से पक्के मकान में आ गयें। वह गरीब आदमी वहीं बैठा हुआ है। उसको रोकने की आवश्यकता है। कैसे रोकें यहीं पर यदि हमने इंटरवेंशन नहीं किया तो ग्रामीण विकस की जितनी योजनाएं हैं उसको हम ठीक नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बतायें बांसवाड़ा, डूंगरपुर में समयोजना चल रही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर 150 जिलों के अन्दर कनक्लूड है। बांसवाडा जिले के अन्दर अकाल राहत के काम चल रहे हैं क्या मंत्री महोदय बतायेंगे मुझे कि सम योजना का पैसा भारत सरकार से मिल रहा है। 150 जिलों को कवर किया गया है जिसमें राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाडा जिले इनक्लूड हैं। उदयपुर जिला इनक्लूड है, यह पैसा भारत सरकार से मिल रहा है। मैं आंकड़े देकर के बताना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी बतायें कि जितना गेहूं आपको एलोकेशन हुआ है, उतना गेहूं आपने लिफ्ट नहीं किया है। 150 जिलों के अन्दर बांसवाड़ा, डूंगरपुर भी आया है, अकाल है, पानी की तकलीफ है और तकलीफ हैं वह पैसा आपको दूसरे हैड से मिल जाता है आप स्टेट फंड से दूसरी व्यवस्था करते। लेकिन सम का पैसा 25 करोड़ रूपये के हिसाब से 45 करोड़ आपके पास था डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, 150 जिलों के अन्दर वह पैसा उपलब्ध है। अकाल राहत का पैसा उपलब्ध है। उसके बाद हम आदिवासी इलाकों में अकाल राहत के काम नहीं कर सके। ग्रामीण विकास में जितनी फिजिकल असेटस हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर- आप कागजों में कर सकें वह सबसे घटिया कहीं है तो वह ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत है। चाहे सड़क हो-चाहे स्कूल भवन आप जाकर के देख लें, अगर सबसे घटिया काम हो रहा है तो वहां हो रहा है और सबसे ज्यादा पैसा वहां एलोकेशन हो रहा है। उसको भी चैक करने की आवश्यकता है। जिससे हम फिजिकल असेट्स का जब हम क्लेमं करें तो राजस्थान के हित में हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं क्योंकि दो ही मांग पर बोला हूं, तीसरी मांग नहीं बोलूंगा तो मेरे मित्र नाराज हो जायेंगे। सिंघवीजी, मेरे मित्र हैं और मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा तो मैं मेरा धर्म नहीं निभाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कानून की दृष्टि से माननीय

(डा. सी. पी. जोशी)

मंत्रीजी एक बात देख लें, इसमें जो आर्टिकल है हां, सलाह कर लें, आपको पूरा सुनना पड़ेगा राजेन्द्रजी, आप सतर्क हो जायें। 243 डब्ल्यू के डिवोल्यूशन का पावर पंचायत राज को करना था वही का वही नगर पालिकाओं को करना है, 73-74 अमेंडमेंट इसलिए हुए, 243 का दूसरा पार्ट पढ़ रहा हूं।

"The performance of function and implementation of the sche ies as may be entrusted to them including those in relation to the m tters e rus ed 12th Schedule."

"... performance of functions and implementation of the sc emes a be entrusted to them including those in relation to the matter listed the 12th Schedule...."

उपाध्यक्ष महोदय, बारहवीं शिडयूल के अन्तर्गत जो चीजें हैं वह सब चीजें 243जी के अन्तर्गत आपका जो हैडिंग है, अन्तर्गत, पावर, अथोरिटी एण्ड रेस्पोसिबिलिटी आफ म्यूनिसिपैलिटीज, इसमें कोई वर्डस नहीं है, जे. डी. ए. नाम का कोई वर्डस नहीं है, कानून की दृष्टि से इतना गंदा और .लत काम हो रहा है, कांस्टीट्यूशन का वॉयलेशन हो रहा है, देयर इज नो वर्ड लाइफ जे. डी. ए. म्यूनिसिपैलिटीज के सारे फंक्शन जो शिडयूल 12 में दिए हैं वह स रे इसके अन्तर्गत ट्रांसफर हो गए। जयपुर का जो इलेक्टेड महापौर है, कानून की दृष्टि से शिडयूल 12 में लिख रखा है,

"... urban planning including town planning, regulatic of l se and construction of buildings, planning for economic and social develo ne ; roads and bridges...."

ये जितने भी काम हैं, वे जयपुर शहर के इलेक्टेड महापौर, जयपुर की जनता ने वोट देकर जिसको जिताया है, कानून उसका अधिकार है, जे. डी. ए. का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : आपने क्या किया है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : हमने चोरी की, मेरा काम चोरी करना है. बिराज आप। (व्यवधान) हमने नहीं दिए न, आप भी मत दो। उपाध्यक्ष महोदय, कानून की दृष्टि से सैक्शन 4 में जे. डी. ए. का जो फोर्मेशन हो रहा है उसमें नोन आफिशियों मैम्बर आज तक नहीं बनाया है और आप जे. डी. ए. से काम

(डा. सी.पी. जोशी)

ले रहे हैं। जे डी ए खुद इस कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट को जो 243 डब्ल्यू क्लीयर कट इण्डीकेट करता है, जे. डी. ए. का स्टैण्ड ही नहीं है। वह जितने लैण्ड यूज बदलने का काम कर रहा है वह सब गैरकानूनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञान कम हो सकता है लेकिन जो कानून बना हुआ है, वह मैंने नहीं बनाया है, यह कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन मैंने नहीं बनाया है, मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में डवलपमेंट का जो काम जे. डी. ए. कर रहा है, उससे राजस्थान का नगरीय विकास नहीं होगा, 184 म्यूनिसिपिलिटीज और भी हैं। अतिक्रमण हटाने से नगर का विकास नहीं होगा। आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फण्ड बनाने का काम किया, उसमें पैसा रेज कीजिए, म्यूनिसिपैलीटीज को पैसा दीजिए, वे सैल्फ गवर्नेंस की बाडी बने तब जाकर अमेण्डमेंट का परपज सर्व होगा।

जे. डी. ए. के बारे में हम कह रहे हैं जबरा, पता नहीं जबरा कौन है? हमारे कमिश्नर साहब नए-नए नेटमस ला रहे हैं, उनका ज्ञान लोगों को मिलता रहे लेकिन यह जो कांस्टीट्यूशन के खिलाफ काम हो रहा है, यह ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है कि वह फाइल पर लिखे कि मंत्रीजी, यह काम कानून सम्मत नहीं है, गैर कानूनी है, जिससे यह फैसला हो सके कि यह काम पालिटिकल गवर्नमेंट ने किया, बाकी सब गैरकानूनी काम है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, आप हमारे मित्र हैं, आपके मन में काम करने का उत्साह है, जे. डी. ए. का मतलब सारे राजस्थान का विकास नहीं है, जयपुर का विकास सारे राजस्थान का विकास नहीं है। आप ए. डी. बी. के लोन से जे. डी. ए. के काम भी करें लेकिन 184 म्यूनिसिपैलिटीज और भी हैं, उनमें भी फिजीकल असेट बने, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, उनमें भी सफाई हो, उसके सम्बन्ध में प्लान करके आप काम करें। यदि आप यह काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विभाग जो काम कर रहा है उससे राजस्थान की बहबूदी बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ बातें कही है, उसमें मेरी मंशा यही थी कि हम और हमारी सरकार का धर्म बनता है कि हम इन सब चीजों का रिव्यू करें और हम जो कुछ भी व्यवस्था फाइनेंस की कर रहे हैं उसका जुडिशियल उपयोग हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके, अन्यथा आज इस मांग पर चर्चा करना सार्थक नहीं होगा, यह मेरा निवेदन करना है।

श्री उपाध्य्‍ क्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज म ं . संख्या 28, मांग संख्या 29 और मांग संख्या 30 पर विचार हो रहा है। क्‍योंकि मैं जयपुर शहर से जीतकर आया हूं इसलिए मैं मांग संख्या 28 और 30 पर अपने विचार प्रकट नहीं करके केवल मांग संख्या 29, नगर आयोजना ‍ र प्रादेशिक विकास पर ही अपने विचार प्रकट करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारी मुख्य मं ि और नगरीय विकास मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नई सरकार बनने के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर के विकास पर उन्होंने एक नई सोच के साथ नई दिशा दी है जिसके परिणामस्वरूप आज जयपुर शहर का चहुंमु विकास नजर आने लगा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि नई सरकार के 14 महीने के शासनकाल में से 180 दिन आचार संहिता चलने के बावजूद जितना समय हमें मिला उसमें जयपुर शहर का जितना विकास हुआ उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने 5 साल में नए जयपुर बनाने का जो स्वप्न संजोया है, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर को विश्व मानचित्र पर सबसे सुन्दर शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हैरिटेज स्वरूप को बरकरार रखकर हाई टेक सिटी के रूप में विकसित करने का जो लक्ष्य रखा है निश्चित रूप से उसका जितना स्वागत और प्रशंसा की जाए उतनी कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिंग रोड, हाथी गांव परियोजना, फिल्म सिटी, फ्लाई ओवर, लम्बे योजना, मिशन इन्द्रधनु ., नागरिक सेवा केन्द्र, मिशन बसेरा, मिशन गृह मुस्कान, मिशन अनुपम जयपुर, टाउनशिप ‍ ति, नालेज कारीडोर, आई टी सिटी का विकास, जयपुर सीजन का विस्त र, बहुमंजिला भवनों का विस्तार, जल महल परियोजना, रामनिवास बा . में मल्टी लेवल भूमिगत पार्किंग का निर्माण सिविल लाइन की मुख्य सड़कों का सौन्दर्यकरण, सीवरेज योजना, पेयजल योजना, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं को नगर निगम को हस्तांतरित करने का काम, आधुनिक

(श्री कालीचरण सराफ)

जयपुर के निर्माता सवाई मानसिंहजी की प्रतिमा का अनावरण, ये इस प्रकार के काम हैं जिनसे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और नई सरकार ने एक मिशन लेकर, एक विजन लेकर जयपुर शहर का विकास करने की सोची है। जयपुर शहर के हैरिटेज स्वरूप को बरकरार रखते हुए हाई टेक सिटी के रूप में किस प्रकार विकसित किया जाए इसके बारे में विचार करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिशन इन्द्रधनुष में 20 शिविर अभी तक लगा लिए गए हैं और इसमें 600 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त एवं सचिव, सारे जोनल आफिसर शाम को साढ़े चार से साढ़े पांच बजे तक अपने-अपने कक्षों से बाहर निकल कर नागरिक सेवा केन्द्रों के रूप में आम जनता से मिलते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 4-5 महीने में जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त के नेतृत्व में लगभग 10 हजार लम्बित मामले जो बहुत दिनों से लम्बित थे, उनका निपटारा हो गया है।

इसी तरह से मिशन गृह मुस्कान में कृषि भूमि पर जो गृह निर्माण सहाकरी समितियां बनी हुई थी, उनका विकास नहीं हो रहा था, पिछली सरकार ने उनके बारे में कोई निर्णय नहीं किया लेकिन हमारी सरकार ने आते ही जितनी भी इस प्रकार की समितियां थी, 22.10.1999 की कट आफ डेट निर्धारित कर दी कि 634 योजनाएं जो नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित थी, चाहे योजना 22.10.1999 के पहले दी गई थी या बाद में, जो कृषि भूमि पर बनी हुई हैं योजनाएं उनको नियमित करने का निर्णय किया।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बीच में नहीं टोकना चाहता लेकिन मैं पाइण्ट आफ आर्डर के माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि एक बार जब मैं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहा था तो माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया कि आप फलां लेबोरेटरी के अंदर काम करते हैं, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं माननीय सदस्य के लड़के को जे.डी.ए. के अन्दर जो पैट्रोल पम्प का आबंटन हुआ है उसके लिए ये जे.डी.ए. के बारे में बोलने के लिए अधिकृत हैं या नहीं हैं, यह व्यवस्था चाहता हूं। इन्होंने यह आब्जेक्शन लगाया था कि आप इसके बारे में

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

नहीं बोल सकते, इसके बारे में नहीं बोल सकते, आपके व्यक्तिगत लाभ इसके अन्दर निहित हैं। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि ये बोलने में (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आप बिराजें, मैं बताता हूं, वो भी बता देता हूं। मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा तो निवेदन यह है, मैं तो यही जानकारी चाहता हूं यह बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो केवल अध्यक्षीय व्यवस्था चाहते हैं, और कोई बहस का मुद्दा नहीं है. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस बारे में यहां विचार होता है, राजस्थान में कहीं न कहीं हमारा मकान, हमारे लड़के का मकान, अपने बापदादों का मकान है। अपने यहां माननीय सदस्य बोलने के लिए अधिकृत हैं या नहीं है (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : व्यवस्था तो अध्यक्ष देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जे.डी.ए. का काम है।

श्री हरिमोहन शर्मा : व्यवस्था आपको नहीं देनी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हम तो आसन से व्यवस्था चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस व्यवस्था के ऊपर मैं भी तो कुछ बोल सकता हूं। मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं, मैं तो यह पूछ रहा हूं..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कालीचरण जी

सूचना

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइंट आफ इंफार्मेशन। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान यूथ कांग्रेस के सैंकड़ों लड़कों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और

(श्री संयम लोढ़ा

प्रतिपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे राजस्थान के हजारों नवयुवकों पर जो लाठियां इस सरकार ने बरसायी हैं उस पर सरकार का स्टेटमेंट दिलाया जाए। प्रतिपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और लहूलुहान होकर हमारे नौजवान साथी वहां अस्पताल में बैठे हुए हैं। मालवीय नगर थाने पर बैठे हुए हैं, यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्षजी, गुण्डागर्दी करेंगे तो ऐसं ही होगा, और क्या होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गिरफ्तारी दी है या गिरफ्तार किया गया है?

श्री हीरालाल (निवाई) : यह गुण्डागर्दी का नतीजा है। (व्यवधान) सदन में सारी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। बाहर क्या हो रहा है उस पर यहां नहीं हो रहा है। इस सदन में अव्यवस्था फैलाने का तरीका है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ये उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया। (व्यवधान) उस वक्त संघ तो सोया हुआ था। (व्यवधान) जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : सारे सदन का समय खराब करना चाहते हो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ये देशभक्त उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया। यह तो आप हैं (व्यवधान) इस भारत में आपने आग जला रखी है। भाइचारा, सांप्रदायिक व्यवस्था तितर-बितर करने वाले हो आप उस पार्टी के लोग हो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : देश में (व्यवधान) उन कम्युनिस्टों के साथ आप सरकार बना रहे हैं। आप उस पार्टी के लोग हैं, कम्युनिस्टों ने सुभाषचन्द्र बोस को साम्राज्यवादी कुत्ता कहा और आप कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सरकार बना रहे हो। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपकी पार्टी के नेता तो दला[illegible] का काम करते हैं, आप ज्यादा कहलाना चाहते हो? आपका नेता तो दलाली कर रहा [illegible]। (व्यवधान)

[illegible] हीरालाल (निवाई) : आपने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सरकार बना रखी है उन कम्युनिस्टों ने गांधी को साम्राज्यवादी कहा, सुभा[illegible] चन्द्र [illegible]स को साम्राज्यवादी कुत्ता कहा और वे इनके साथ मिलकर केन्द्र में सरकार [illegible] रहे हैं। (व्यवधान)

[illegible] उपाध्य[illegible] : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य (व्यवधान) [illegible] सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बि[illegible] जिए आप।

श्री रणवीर सिंह गुढा : प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर पुलिस द्वारा [illegible]ठियां बरसायी गई हैं और हजारों नौजवानों के ऊपर पुलिस ने जो कहर बरपा[illegible] है उसके खिलाफ सरकार के वक्तव्य की मांग करते हैं। अगर सरकार ने वक्तव्य नहीं दिया तो सदन नहीं चलने दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए आप। आप एक बार बैठिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रणवीर सिंह गुढा : यह एक गम्भीर वि[illegible]य है जिसके ऊपर स[illegible] पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो टीका-टिप्पणी की जा रही है, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर जो पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई है उसके संदर्भ में माननीय गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी और सरकार इस बारे में बिलकुल सावचेत हैं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने सूचना दी है उस पर सरकार स्वतः ही अपने आप दे रही है, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आपने सूचना दे दी, सरकार अपने आप कर्तव्य निभा रही है, बीच में आ[illegible]को इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है? एकदम से कोई पहाड़ तो टूट नहीं रहा है। सरकार आपसे ज्यादा सचेत है। आप ध्यानपूर्वक जवाब सुनिए। सुनिए आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में हरेक पार्टी को और व्यक्ति को विरोध जताने का अधिकार है और अब तक हमेशा चाहे हम हैं या आप हैं, चाहे कोई भी पार्टी है अगर वो सरकार की किसी नीति से सहमत नहीं है तो अपना विरोध जाहिर करने का उनका अधिकार है, वे करते हैं। यह भी प्रदर्शन हो रहा था, किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन जो बेरिकेट लगी हुई थी उस बेरिकेटड्स को तोड़कर उन्होंने आगे आने का प्रयास किया, बराबर रोकने का प्रयास किया कि उनको रोकें। (व्यवधान) उसके बाद भी, यहीं तक सीमित नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने स्वयं ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उसके बाद भी धैर्य रखा। जितनी पत्थरबाजी हुई उसको भी उन्होंने रोका। उसके बाद जब कुछ लोग और आगे घेरे में आ गये तो 10-15 लोगों को घेरे में लेकर अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद शायद हमारे प्रतिपक्ष के नेता को सूचना पहुंची होगी, वे भी पहुंच गए और उन्होंने भी उस घेरे में अपनी गिरफ्तारी दी। मैं सोचता हूं कि अगर वो अपने आप प्रस्तुत करेंगे तो हमारे लिए तो और कोई रास्ता नहीं है, पुलिस ने संयम रखा, क्योंकि अभी तो जितनी सूचना है वो टेलीफोनिक सूचना मुझे भी है, क्योंकि अभी मेरी बात हुई है, यदि आप चाहेंगे तो जो भी घटनाक्रम हुआ मैं आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार न किसी पार्टी को है, न किसी नेता को है। कानून अगर तोड़ेंगे तो कानून के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री संयम लोढ़ा : कानून तोड़ने का अधिकार सिर्फ आर.एस.एस. को है, बजरंग दल को है (व्यवधान) उनके मकान जला दें, उनको तो अधिकार है।

श्री जुबेर खान : आप यह बता दें कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं? आपके पुलिस के लाठीचार्ज से कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : आर.एस.एस. के लोग चाहे बलात्कार कर दें, चाहे हत्या कर दें, चाहे कुछ भी कर दें, वो तो आपके चहेते हैं, उनको तो छूट है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून तोड़ने का अधिकार आडवाणीजी को है। (व्यवधान) बाबरी मस्जिद को तोड़ा। कानून तोड़ने का अधिकार कटारियाजी को है। कानून तोड़ने का अधिकार इनको है। (व्यवधान) ये कानून से बड़े हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र चल रहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी मांग के लिए आंदोलन कर सकता है, शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था और जबर्दस्ती पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया यह बिलकुल गलत है और माननीय प्रतिपक्ष के नेता गिरफ्तार हों और सदन चले यह परम्परा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आजाद नहीं हो आप गुलाम हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। माननीय जोशीजी। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य की तरफ से यह सूचना हाउस के अन्दर दी गई और इमीजिएटली जो भी व्यवस्था थी और उसके मुताबिक जो सूचना माननीय गृह मंत्रीजी को मिली वो आपको दे दी गई है। इसके बावजूद भी अगर कोई भी घटनाक्रम होगा, आप अगर उसको यह रूप देना चाहते हैं कि उसके अन्दर लाठीचार्ज हो गया, यह हो गया, जो परिस्थितियां होंगी उनके मुताबिक व्यवस्था जो भी होगी उससे आपको समय-समय पर सूचित कर दिया जाएगा। एकदम से उत्तेजित होकर अभी का अभी कोई निर्णय होने वाला नहीं है कि आंदोलनकारी शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं या जान-बूझकर कोई व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका निर्णय हाउस अभी नहीं दे सकेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई विधायक हो, सत्र चल रहा है, बिना सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की परमिशन के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह उनके विशेषाधिकार का मामला भी बनता है। कानून तोड़ने का अधिकार आपको है, आडवाणीजी को है, आर.एस.एस. को है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे सदन के अन्दर व्यवस्था हो सकती है क्या? (व्यवधान) इस सम्बन्ध में सदन को कोई अधिकार नहीं है कोई व्यवस्था देने का या कोई निर्णय करने का। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई गिरफ्तारी देने जा रहा है, आप आन्दोलन कर रहे हो, आन्दोलन भी कर रहे हो, गिरफ्तारी भी दे रहे हो और हुल्लड़ भी कर रहे हो, यह क्या है?

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जो आप कह रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, नहीं कर लिया वो स्थिति अभी कोई स्पष्ट नहीं है उनको गिरफ्तार किया या नहीं। वे वहां मौके पर पहुंचे थे, जिन 15 लोगों को गिरफ्तार किया था उस जगह वे थे, मेरी बात हो रही थी तभी आपने यह विषय उठा दिया, इसलिए मैं टेलीफोन वहीं छोड़कर आ गया। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई हो तो मैं सदन में आकर निश्चित रूप से बताऊंगा कि गिरफ्तारी हुई है। अभी तक, क्योंकि एकदम टेलीफोनिक बात हुई..। आपका विषय जैसा आया तो आधी अधूरी बात हुई, वे मौके पर वहां जरूर पहुंचे थे, जिन 15 लोगों को उन्होंने घेरे में लेकर गिरफ्तार करने की कार्यवाही की है उसकी मुझे जानकारी है। अब वह वास्तव में गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने कहा है कि वह गिरफ्तारी देने जाएं तो हम क्या करें, गिरफ्तार करना ही पड़े। आप ही ने कहा है। आप ही ने कहा है, अभी कि वह गिरफ्तारी देना चाहें तो हम क्या करें, गिरफ्तारी दे दी उन्होंने, आप ही ने तो कहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी तक भी मैंने जो कुछ भी आपको टेलिफोनिक बात थी, मेरे पास कोई आन रिकार्ड कागज पर कोई भी चीज नहीं है, मैंने आपको आते ही कहा था, जैसे ही आपकी बात हुई मैं टेलीफोन छोड़कर सदन में आ गया, मेरी आधी बात यहां के एस.पी. दक्षिण से हो रही थी, यह बातचीत चल ही रही थी कि आपने इस विषय को उठाया तो मैं वहां से तुरंत यहां आ गया कि अगर कुछ भी घटना हुई है तो आप चाहेंगे तो मैं पूरा विवरण हाउस में रखने को तैयार हूं। ऐसी कौन-सी चीज है जिसको हमने छिपाया है? अगर कोई घटना हो गई तो उस घटना को यहां रखें, अगर पुलिस ने बल प्रयोग किया होगा तो वह भी रखेंगे, इसमें कोई हर्जे की बात नहीं है लेकिन इस समय क्योंकि तुरंत टेलिफोनिक बात के आधार पर मैं आपको कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुख्ता और ठीक तरह से उसको रख सकूंगा, यह तो सम्भव नहीं है अगर आप मुझे 10 मिनट का समय दें तो मैं सारी सूचना लाकर आपके सामने रखने को तैयार हूं, मुझे क्या एतराज है।

मोहम्मद माहिर आजाद : 10 मिनट के लिए हाउस को एडजोर्न किया जाए।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता को..(व्यवधान) बस में बैठाकर किसी अज्ञात जगह ले जाया गया है, यह हमारी पुख्ता जानकारी है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके बस में बैठाकर उनको अज्ञात जगह ले जाया गया है और गृह मंत्रीजी को सूचना ही नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता कि प्रतिपक्ष के नेता को गिरफ्तार करके ले जाया जाए और यह सदन चले, यह कभी नहीं होगा

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई नेता को विशेषाधिकार है क्या?

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता, आप इस पाइंट आफ आर्डर को सुन लें फिर आप बाद में, प्रतिपक्ष के नेता का यह दायित्व होता है, उपाध्यक्ष महोदय, आप और माननीय गृह मंत्रीजी इस बात से सहमत होंगे, प्रतिपक्ष के नेता का यह कर्तव्य होता है कि जब उनकी पार्टी के या दूसरे भी आदमी जब प्रोटेस्ट करने के लिए आएं तो वह सदन से अपनी बात कहने के लिए जाते ही हैं, उनका रोल है, सुबह सदन में विपक्ष के नेता आए थे, वह अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए गये हैं, वह सदन की कार्यवाही का पार्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन की कार्यवाही का पार्ट है तो प्रतिपक्ष के नेता सदन में नहीं आएं और प्रतिपक्ष के नेता को रोक दिया जाए, यह हमारे विशेषाधिकार का उल्लंघन है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से चाहता हूं आप भी लीडर आफ अपोजीशन रहे हैं, आप भी बाहर

(डा. सी. पी. जोशी)

जाते रहे हैं, आपने भी एड्रेस किया है लोगों को एड्रेस करने का आपका उत्तरदायित्व है प्रतिपक्ष के नेता का, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, वह एड्रेस करने के लिए गये और यदि उनको प्रिवेंट कर दिया गया है तो यह प्रतिपक्ष के नेता को अपनी असेम्बली में काम से आने के काम को रोकने का काम किया गया है। (व्यवधान) जिससे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह हमारा व्यवस्था का प्रश्न है, जब तक प्रतिपक्ष के नेता अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सदन में नहीं आए तक तक हाउस को एडजोर्न किया जाए। गृह मंत्रीजी पता कर लें कि उनको अरेस्ट किया गया है या उनको रोका गया है या सदन में आने से वंचित किया गया है। जब तक फैसला नहीं होग तब तक हम गलत परम्परा डालेंगे। आप कह रहे हो, अभी तो कहा है, अरेस्ट के लिए पता नहीं, आप पता कर लें अरेस्ट हुए कि नहीं हुए, नहीं अरेस्ट हुए तो सदन में आने से रोका तो गया कि नहीं गया, इसको एक चैक कर लें, सदन से नहीं रोका, कानून तोड़ा है तो कार्यवाही करें, हमें कोई तकलीफ नहीं लेकिन रोकने का अधिकार पुलिस को नहीं हैं इसलिए हमें आप यह अवगत कराएं, हमारे नेता ने यदि कानून तोड़ा है कार्यवाही करिए और आपका जो शिड्यूल है उसमें इन्फार्म करिए, स्पीकर को अरेस्ट करने का न तो आप इन्फार्म करें, एक शिड्यूल बना हुआ हैं कि अरेस्ट की सूचना करेंगे, आपको सूचना मिली, उपाध्यक्ष महोदय? आपको सूचना ही नहीं मिली, अरेस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। उनको कार्य करने से रोका गया तो सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने का अधिकार सरकार को नहीं है। इसलिए प्रतिपक्ष के नेता जब तक सदन में नहीं आएं तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती, सरकार को आपको एश्योर करना पड़ेगा, प्रतिपक्ष के नेता को अपना कर्तव्य करने में सरकार ने नहीं रोका इसको देख लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान भी है लेकिन हमारा इरादा यह नहीं कि वह जाएं और आन्दोलनकारियों के साथ रहें और प्रिवेंटिव एक्शन में उनको रोका जाए तो सदन नहीं रुकेगा, सदन की कोई गलती नहीं है, सदन चलेगा (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : रुकेगा, सदन नहीं चलेगा, आप चला के दिखा दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप चला के दिखा दें सदन को। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आप पता कर लें। (व्यवधान) 10 मिनट हाउस को एडजोर्न कर दिया जाए, पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप एडजोर्न कर लें, नहीं चलेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसे कैसे चल जाएगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट सुनिए (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिए। जोशीजी ने यह बात कही कि सदन नहीं चलना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि सदन चलेगा और गृह मंत्रीजी ने कहा है कि 10-15 मिनट में जो भी पुख्ता इत्तिला होगी, आपको देंगे। इस बीच में आप इतना उत्तेजित होकर के इसी कारण से सदन नहीं चलेगा, यह व्यवस्था ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा फंडामेंटल राइट है। (व्यवधान) हमारा अधिकार है उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह नहीं हो सकता कि प्रतिपक्ष के नेता गिरफ्तार हों और सदन चलाएं। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन कूप में एकत्रित)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, गृह मंत्री फिर दे रहे हैं सूचना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो सचिवालय को सूचना देना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइए, गृह मंत्रीजी सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री सूचना दे रहे हैं, आप बैठिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 1500-2000 कांग्रेस कार्यकर्ता किसी बात के प्रदर्शन को लेकर आए थे उन्होंने बेरीकेटड्स तोड़कर काफी आगे बढ़ गये, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने उनको हल्का सा बल प्रयास करके पीछे भी धकेला, जो आगे आ गये उनको घेरा डालकर प्रतिपक्ष के नेता बी.डी. कल्लाजी भी वहां पहुंच गये, उनको मानाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने स्वयं को अपने आपको कहा कि नहीं, मेरे कार्यकर्ता गिरफ्तार करके आप ले जा रहे हो तो मुझे भी इनके साथ ले जाइए, उनको भी धारा 129 के तहत ले जाकर के, बस से, आगे ले जाकर उनको उस धारा 129 के तहत उसी गाड़ी में बैठाकर यहां से आगे ले गये जहां ले जाकर उनको छोड़ दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप चक्कर में आ रहे हो, सी.पी. साहब ने अपना भाषण दे दिया किसी दूसरे का भाषण होने ही नहीं देना चाहते हैं ये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सूचना ही तो है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आप कहोगे तो उनको विधान सभा में लाकर छोड़ देंगे और क्या है? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : विधान सभा में लाकर छोड़ दिया, हां विधान सभा के गेट पर छोड़ दिया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उन्होंने अपने आपको आफर किया, उनके साथ ही गाड़ी में बैठाकर पुलिस लाइन ले गए, आप कहोगे तो उनको विधान सभा में वापस लाकर ससम्मान यहां छोड़ देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : विधान सभा को सूचना दे दी। (व्यवधान) प्रोफार्मा है, अभी तत्काल तो यह घटना हुई है, घटना होने के वक्त परमिशन की जरूरत है क्या? प्रि-परमिशन नहीं, यदि हाउस के अन्दर गिरफ्तार करेंगे, यदि पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी, यह गिरफ्तारी देने गये हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : रिकार्ड में लीजिए, खड़े-खड़े बोलते हैं, वह रिकार्ड में नहीं ले सकते आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 129 में कोई गिरफ्तारी होती नहीं है, केवल उनको ले जाकर छोड़ा जाता है, बस इतना ही है। 129 में कौन सी गिरफ्तारी होती है? आप भी गिरफ्तार हुए 129 में, हम भी गिरफ्तार हुए उनको ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं. (व्यवधान) यह कोई गिरफ्तारी है ही नहीं, 129 में कहां गिरफ्तारी है? 129 में कोई गिरफ्तारी होती भी नहीं है, केवल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ देते हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : लट्ठ और खाएंगे, अभी लट्ठ पड़ेगा उनके। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : खाली उनको डिस्टर्ब किया है एक जगह से दूसरी जगह।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जूत पड़ेंगे उनके जूत। (व्यवधान) लट्ठ पड़ेंगे लट्ठ (व्यवधान) अगर कानून तोड़ेंगे तो लट्ठ पड़ेंगे। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा वैल से बोलना जारी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गिरफ्तारी ही नहीं की। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मारे भी फूटेंगे। (व्यवधान) दादागिरी करोगे क्या? (व्यवधान) देखूंगा दौसा में

श्री महावीर प्रसाद जैन : जरा इसको पढ़ो कि यह किस पर लागू होता है। जरा इसको पढ़ो तो सही कि किस पर लागू होता है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माहिर साहब, दौसा होकर निकलना, आपको जाने नहीं दूंगा। दौसा होकर के निकलना आप। नगर तो दौसा होकर ही जाओगे न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय जोशीजी, हाउस को अगर ढंग से चलाना है तो आप अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान) बात तो सुनिये आप। आपके हर प्रश्न का जवाब कायदे के अनुसार दिया जाएगा। (व्यवधान) नियमों के मुताबिक वह होगा। माननीय सदस्य। गृह मंत्री जी ने कहा कि उनको रोक कर के दूसरी जगह छोड़ दिया। (व्यवधान)

(सदन वेल में व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : प्रतिपक्ष के नेता बी.डी. कल्लाजी आपके नाम का प्रस्ताव नहीं करने वाले। सी.पी. जोशी, आपके नाम का प्रस्ताव नहीं करने वाले प्रतिपक्ष के नेता के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डेफिनेटली। बिल्कुल सही बात। माननीय सदस्य, आप सुनें तो सही। रूल 164 के अन्दर है..(व्यवधान) "When a member is arrested on a criminal charge..."

श्री नन्दलाल बंशीवाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय के कितने लट्ठ पड़े यह भी बतायेंगे आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वैसे उनको पुलिस ने मुक्त कर दिया और वहां से भी यहां ससम्मान छोड़ने के लिए ला रहे हैं। बात खतम हो गई। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को अकेला क्यों छोड़ा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्तजार कर लो। जानकारी दे दी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब गृह मंत्रीजी ने सदन में यह कह दिया कि प्रतिपक्ष के नेता की सी. आर. पी. सी. को धारा 129 के तहत रिहा कर दिया गया है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :....यदि किसी अपराध में पकड़ जाए.. (व्यवधान) यह नियम उसमें है यह जो नियम है वो कोई अपराध में पकड़ जाए उसके लिए है

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय गृह मंत्रीजी, यह बताने का कष्ट करें कि प्रतिपक्ष के नेता के कितने लट्ठ पड़े?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई ऑफर करे, अब उनको बिठाकर के यहां ले आये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे मार रहे हैं बिठाया जाए, मुझको गाड़ी में बिठाओ। वो ले आये, अभी आ रहे हैं। अभी आ.के सामने ही आ रहे हैं न उनके लगी है. यह केवल नाटक करने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

(सदन वेल में व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो आप इनको कहिये कि अपनी जगह पर जाकर के बोलें. अपने स्थान पर जाकर बोलें उपाध्यक्ष महोदय, जब गृह मंत्रीजी ने सदन में साफ कह दिया कि प्रतिपक्ष के नेता को सीआर पी सी की धारा 129 के तहत रिहा कर दिया गया है, ससम्मान रिहा कर दिया है तो सदन की कार्यवाही रोकने का कोई औचित्य नहीं है सभी माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं और भी माननीय सदस्य हैं, यह सदन किसी की बपौती नहीं है, सदन किसी की सम्पति नहीं है (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गृह मंत्रीजी, सदन को यह भी बतायें कि इन्होंने जो कानून तोड़ा है वो प्रतिपक्ष के नेता के कितने लट्ठ पड़े? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : 164, यह 164 की बात कर रहे हैं, 164 मैं पढ़कर के सुनाता हूं जब कोई सदस्य कोई...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सी.पी. जोशीजी, बी.डी. कल्लाजी आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनायेंगे। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी : इस तरह के नाटक करने से कोई काम नहीं होने वाला है। यह नाटक करना बन्द करो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कारावास का दण्ड दिया जाए । 164 है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन :... न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाए। आप कहें तो मैं पढ़ूं और आप पढ़ें तो आप। आपकी इजाजत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पढ़ें। मैंने परमीशन दी है। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, सुनिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, वर्तमान में जो मुद्दा अपने सामने है वह यह है कि प्रतिपक्ष के नेता और एनी मैम्बर आफ द हाउस, जब कभी गिरफ्तार होते हैं उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। रूल 164 इसमें रिलेवेंट है और रूल 164 के अन्दर यह है-

"When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Third Schedule."

माननीय सदस्य। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये (व्यवधान) बात सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में पहले व्यवस्था दी हुई है उसको सुन लीजिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी हुई है वह एक मिनट सुन लीजिये आप यह व्यवस्था देने से पहले। 1970 में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी हुई है, आप वह सुन लीजिये। 7.4.1970 विधान सभा के सदस्य के बन्दीकरण, निरोध, कारावास या दण्डादेश..

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद में रूल 165 है। पहले मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान :... ट रिहाई आदि की सूचना सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रक्रिया नियमों में निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं दिया जाना प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार हनन की सीमा में आता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह मुकुट बिहारी गोयल, माननीय सदस्य द्वारा 7.4.1970 को मुद्दा उठाया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो आप कह रहे हैं, वह व्यवस्था ठीक है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आप इधर भी देखिये, उधर ही उधर देखे जा रहे हैं। आप इधर भी देखिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये एक बार। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं कितनी देर से कोशिश कर रहा हूं, आप उनकी ही उनकी बात सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सतीश चन्द्र अग्रवाल को विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के लिए सदन में अनुमति मांगने की इजाजत देता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चाहते क्या हैं? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप हमको भी तो सुनें पाइंट आफ आर्डर पर। उधर ही उधर सुनते जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक बात सुनिये। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : उपाध्यक्षजी, महिलाओं का आज गणगौर का दिन है, हमें पूजा करनी है। आप इनको बोलिये कि हमें बोलने दें. आज के दिन भी ये लड़ाई कर रहे हैं। इतना बड़ा धार्मिक पर्व है हमारे गणगौर का। इस दिन भी आप चुप नहीं बैठते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

एक माननीय सदस्य : उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : राजकुमारीजी, यह रामदेवजी के भजन नहीं गायें। यह खाटूश्यामजी के भजन गा रही हैं क्या? (व्यवधान) श्यामजी के भजन गायें। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : धारा 129 सीआर पी सी में अरेस्ट नहीं होते। यह अरेस्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(सदन वेल में व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत :...उसके लिए अरेस्ट शब्द नहीं है इसलिए 164 लागू नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हो? (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत :... किसी भी प्रकार सी सीआर पी सी की धारा 129 में अरेस्ट नहीं होते हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर :... यह केवल उनकी सुरक्षा के लिए वहां से उनको निकाला गया है। (व्यवधान) सुरक्षा की वजह से उनको वहां से हटाया गया है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : 129 में कोई अरेस्ट नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रतिपक्ष की नेता की सुरक्षा के लिए पुलिस ने उनको, जहां पत्थरबाजी हो रही थी, वहां से हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाकर विधान सभा में छोड़ा जा रहा है। अरेस्ट है ही नहीं सीआर.पी.सी. में देयर इज नो अरेस्ट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हमको सुनिये। आप उनको, उनको ही सुन रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : चपलोत साहब को मंत्री बनाओ।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आप सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : ये सुनना ही नहीं चाहते।

डा. एन.एस. गुर्जर : वह आप सुनिये। आप अवसर दीजिये हमको। वे सुनना नहीं चाहते हैं तो हम भी नहीं सुनेंगे उनको। वे नहीं सुनेंगे तो हम भी नहीं सुनेंगे उनकी बात। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री श्रवण कुमार : चपलोत साहब को मंत्री बनाओ। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : सीआर.पी.सी. 129 में अरेस्ट होता ही नहीं है। 129 में कोई अरेस्ट नहीं होता है। सिर्फ लिस्ट बनाई जाती है कि...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 129 में अरेस्ट कहां होता है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : वह इसमें रूल होता ही नहीं है 129 में इसलिए... (व्यवधान) यह लागू होता ही नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रक्रिया के नियम 164 व 165 में आपराधिक कृत्य में यदि किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो सूचना देना आवश्यक

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा

(एन.एस. गुर्जर)

व्यवस्था का प्रश्न सुनिये। इजाजत दीजिये मुझे बोलने की । मुझे इजाजत दीजिये बोलने की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय गुर्जर साहब, बोलिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां यस सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 164,165 और सीआरपी.सी. की धारा 129, इन सबकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक यह 164 और 165 है, ये दोनों रूल इस बात के लिए हैं कि यदि किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है या उसको किसी क्रिमिनल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है... (व्यवधान) पहले आप सुन लीजिये, आप मेरी बात सुनिये। आप बोलते हैं तो मैं टोकाटोकी नहीं करता हूं (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 164 और 165 में किसी क्रिमनल एक्ट में या और किसी चीज में अरेस्ट किया जाता है, उसके लिए 164-165 लागू है तब जाकर के सूचना दी जाती है। प्रोफोर्मा है जो, थर्ड शिड्यूल में लेकिन सीआर.पी.सी. की धारा 129, इसमें अरेस्ट है ही नहीं, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता वहां गये थे, वहां पत्थरबाजी हो रही थी, उस पत्थरबाजी से उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने उनको वहां से हटा करके, सुरक्षित स्थान पर ले जाकर, उनको विधान सभा में छोड़ा जा रहा है इसलिए उनको अरेस्ट किया ही नहीं है इसलिए विधान सभा के स्पीकर को न तो सूचना देने की जरूरत है, न कोई यहां अव्यवस्था फैलाने की जरूरत है, न सदन में व्यवधान डालने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता की जान की सुरक्षा करने के लिए, उनको कोई चोट नहीं लग जाये, इस बात की सुरक्षा करने के लिए यह तो सरकार की जिम्मेदारी है कि 129 में उनको सुरक्षित स्थान पर उठाकर अन्यत्र ले जाकर के उनकी सुरक्षा की जाये इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई अरेस्ट नहीं है इसलिए ये तो केवल आज ग्रामीण विकास, नगरीय विकास में जो डिस्कसन चल रहा था. उसमें गड़बड़-घोटाला किया पिछली सरकार के समय में. उनकी पोल नहीं खुल जाये इसलिए डिस्टर्ब करना चाहते थे हाउस को और इसमें चर्चा नहीं कराने देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई आवश्यक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए यह संसदीय कार्य प्रक्रिया में, कौल एण्ड शकधर है, उसमें लिखा हुआ है...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : ये लोग अपनी बात कहकर बार-बार वैल में आ जाते हैं। हमारी बात, पाइंट आफ आर्डर को सुनते नहीं है और वैल में आकर के हल्ला करना शुरू कर देते हैं। अगर इनको बहस करनी है तो कानून-कायदे से बहस करें यहां बैठकर। 125 सीआर.पी.सी. में बता दें, देयर इज नो अरेस्ट. देयर इज नो अरेस्ट।

श्री श्रवण कुमार : आप सरकार में हो, भाषण मत दो, भाषण मत दो।

श्री महावीर प्रसाद : कौल एण्ड शकधर की पुस्तक और प्रक्रिया के नियम 252 में... आप पढ़िये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उनकी सुरक्षा का इन्तजाम किया गया है। वह अरेस्ट नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : नाथूसिंहजी. आपको कोई सुन नहीं रहा है। आप ज्यादा तकलीफ मत उठाओ। आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : महावीरजी, आप कृपया बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसमें यह है कि सूचना देने के बाद उसकी गिरफ्तारी या बाद में उसकी रिहाई या बरी किये जाने की सूचना अध्यक्ष द्वारा सभा को देना जरूरी नहीं है। (व्यवधान) उसकी गिरफ्तारी या बाद में उसकी रिहाई या बाद में बरी किये जाने की सूचना अध्यक्ष द्वारा सभा को देना जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : सवाल यह नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपको नम्र निवेदन करना चाहता हूं, सवाल यह नहीं है कि विपक्ष के नेता को गिरफ्तार किया गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष और सभा को, एक ही बात है। यह आप पढ़ लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत : धारा 129 सीआर.पी.सी. में कोई गिरफ्तार नहीं होता है और 164 और 165 जो प्रोसीजर की किताब है, उसमें यह लिखा है कि कोई भी डिटेंशन होगा और रिलीज होगा तो स्पीकर को सूचना देना आवश्यक है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री शांतिलाल चपलोत : जब यहां किसी प्रकार का अरेस्ट हुआ ही नहीं है, यहां किसी प्रकार का अरेस्ट है ही नहीं, यहां पर 129 में उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको गाड़ी में ले जाया जाता है और यह किसी प्रकार का अरेस्ट नहीं माना जाता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल तर्क के लिए तर्क करें तब मैं आपको रोकना नहीं चाहता और जब उनको डिटेंशन हुआ ही नहीं, 129 के तहत उनकी जो इल्लीगल असेम्बलिंग थी, उसको डिस्टर्ब करके उन्हें पुलिस लाइन छोड़ दिया। अब वहां वह प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं और अब आप यहां आकर के करना चाहते हैं तो करो। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी : वह वहां प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं और आप यहां हल्ला मचा रहे हो। कुछ तो शर्म करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई बात नहीं करना, यदि खाली समय गुजारना हो तो आपकी इच्छा है। बाकी न तो कोई अरेस्ट है। अरेस्ट हो तो कोई सूचना देंगे, किस बात की सूचना देंगे? (व्यवधान) हद हो गई।

श्री मदन दिलावर : चमचागीरी करके प्रतिपक्ष के नेता बनना चाहते हो। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उनकी सुरक्षा के लिए भीड़ में से निकालकर लेकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : प्रतिपक्ष के नेता तो रामनारायणजी चौधरी बनें।

डा. एन.एस. गुर्जर :.... यूथ कांग्रेस के लोग पत्थर फेंक रहे थे। सुरक्षा करने के लिए उनकी भीड़ में से निकालकर लेकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : उनके कारनामों के ऊपर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस के सभी प्रतिपक्ष के सदस्य वैल में जाकर के, कहीं इनकी पोल नहीं खुल जाये, इसके लिए ये वैल में गये हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : कल्लाजी की सुरक्षा के लिए उन्हें भीड़ में से निकालकर लाये हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : और ये पुराने कारनामों को खोलने देना नहीं चाहते और इस तरह से खाली हंगामा करके सदन का समय खराब कर रहे हैं। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रह गया है। खाली हंगामा करना इनका मकसद रह गया है। उन जनता के विरोधियों, उन पब्लिक के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। इस तरह से वैल में आना, यह संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है और माननीय गृह मंत्रीजी ने जो 129 सीआर.पी.सी. के लिए कहा। 129 सीआर.पी.सी. इस प्रकार से है-

(1) Any Executive Magistrate or officer in charge of police station or, in the absence of such officer incharge, any police officer, not below the rank of a sub-inspector, may command any unlawful assembly, or any assembly of five or more persons likely to cause a disturbacne of the public peace, to disperse; and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly.

(2) If, upon being so commanded, any such assembly does not disperse, or if, without being so commanded, it conducts itself in such a manner as to show a determination not to disperse, any Executive Magisır 'e or police officer referred to in sub-section (1), may proceed to disperse such assembly by force, and may require the assistance of any male person, not being an offi-

(श्री शांतिलाल चपलोत)

cer or member of the armed forces and acting as such, for the purpose of dispersing such assembly, and, if necessary, arresting and confining the person who form part of it, in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law."

मैं यह कह रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बात आ गई है कि केवल डिस्बर्स किया जाता है, 129 में डिस्पर्स किया जाता है, तब भी वे नहीं माने, उसके बाद अरेस्ट की बात हो रही है। यहां किसी प्रकार से 129 में अरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए यह इस प्रकार यहां पर आप केवल सदन में अनलाफुल असेम्बलिंग कर रहे हैं। यह कोई असेम्बली नहीं है। (व्यवधान) किसी प्रकार का अरेस्ट नहीं है। केवल फोर्स यूज करेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं पुलिस लाइन ही तो कह रहा हूं, मैं पुलिस लाइन ही तो कह रहा हूं। कोई सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। चपलोत साहब। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने पुलिस लाइन ही कहा है। मैंने पुलिस लाइन ही कहा था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह सीआर.पी.सी. है। सीआर.पी.सी. है। इसको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। (व्यवधान) मर्जी आये तब यहां आ जाते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन। (व्यवधान)

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : किताब पढ़-पढ़ कर सुनाने से इनके दिमाग में कोई असर है, यह तो मेरी तरह अनपढ़ हो गये आज। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत : 129 का पार्ट वन पढ़िये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जुबेर खानजी, माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है कि आप आकर के यह हाउस के अन्दर कर्मचारियों को बतावें, यह है, वह है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) बात सुनें। (व्यवधान) आये होंगे. बात सुनें पहले। मेरी बात सुन लें। अगर आप हाउस चलाना चाहते हैं, आपको इसके बारे में कोई सूचना लेनी है तब तो आप अपने स्थान ग्रहण करके शांतिपूर्वक तरीके से बात सुनिये और अगर जान-बूझकर ही हाउस नहीं चलाना चाहते हैं तो वह अलग है। मेरा आपसे...(व्यवधान) देखो, मेरा आपसे निवेदन है... (व्यवधान) आप सुनिये तो सही। (व्यवधान) मेरी पूरी बात सुनिये, मेरी बात। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं दी है। स्लिप मेरे पास प्रारम्भ से लेकर के यही स्लिप है जो मेरे डी.जी. ने मुझे भेजी उसमें उन्होंने बहुत साफ लिखा कि यहां से उनको जो इल्लीगल असेम्बल था, इसको बिखेरने के लिए उन लोगों को ले गये, वह भी उनके साथ गाड़ी में गये, पुलिस लाइन जाकर के उन लोगों को वहां मुक्त कर दिया। वह वहां पुलिस लाइन में ही अपनी प्रेस-कान्फ्रेंस करने के लिए रुक गये हैं, बाकी वे मुक्त हैं, कौन से, उनको पकड़ा, जो मुक्त हैं। हां, है क्या। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या चाहते है आप इसके अन्दर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कोई अभी तो नहीं है। आधा घंटे पहले आई हुई स्लिप में पुलिस लाइन उनको ले गये, यह मैंने उनको कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, आपको इस तरह जवाब...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यहां से रिकार्ड नहीं होगा, उपाध्यक्ष महोदय। यहां से रिकार्ड नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनको कोई अरेस्ट नहीं है। 129 में कोई अरेस्ट होता नहीं, केवल इल्लीगल असेम्बल जो हुई है, इल्लीगल असेम्बल को उन्होंने समाप्त किया, कोई अरेस्ट नहीं है 129 में, केवल उनकी इल्लीगल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

असेम्बलिंग जो हुई है उसको बिखेरने के लिए उनको ले जाकर के छोड़ दिया। बस यह है, कुछ भी नहीं है। और उसमें भी वह गाड़ी में स्वयं चढ़े हैं। कुछ है ही नहीं। (व्यवधान) वह वहां प्रेस कान्फ्रेंस कर रहे हैं। है क्या? (व्यवधान) कहां भेजा, इल्लीगल असेम्बल...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : धारा 129 सीआर.पी.सी. का पार्ट फर्स्ट पढ़ करके सुनाया है। केवल डिस्पर्स करने के लिए जो अनलाफुल असेम्बली हो जाती है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हरिमोहनजी, अपने भी आन्दोलन किये होंगे, हमने भी किये होंगे, 129 में कहां ले जाकर छोड़ते हैं...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : अनलाफुल असेम्बली को डिस्पर्स करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और 129 में उनको बल प्रयोग करके हटाया जाता है। इसका अर्थ इसमे कतई नहीं है कि यह अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद ही हमारा जो रूल 163 और 165 है प्रक्रिया का, वह तब ही उसमें..

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह रोज-रोज वेल में आकर के, बिना किसी मतलब के वेल में आ जाते हैं, यहां से शोर मचाते हैं, यहां से बोलते हैं, कोई कानून, हाउस का डेकोरम तो रखें आप। कोई बात कहनी है तो अपनी सीट पर जाकर कहिये ताकि उसका जवाब भी दें उधर से। उपाध्यक्ष महोदय, न तो उनको भाषण देते हुए गिरफ्तार किया गया है, न तो जब वह भाषण दे रहे थे तब गिरफ्तार किया गया है, न उनको..

श्री शांतिलाल चपलोत : गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं उठता है.. (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : जब पत्थरबाजी हो रही थी और उस समय वह चले गये, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक सी.आर.पी.सी. 129 जिसमें कोई अरेस्ट नहीं होता कानूनन, तो उनको सुरक्षा के लिए पुलिस ने उठाया और दूसरी जगह शिफ्ट किया और वह ले जाकर छोड़ दिया ससम्मान, यह अरेस्ट है ही नहीं। यह उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है यह काम और यह

(डा. एन. एस. ुर्जर)

जब... (व्यवधान) तो यह उनकी सुरक्षा करना, यह नहीं चाहते कि उनकी सुरक्षा की जाय। क्या यह नहीं चाहते कि कल्लाजी की सुरक्षा की जाय। र्‍.पी. जोशी को परेशानी क्यों हो रही है कि कल्लाजी की सुरक्षा क्यों की गई? सी.पी. जोशी को परेशानी क्यों हो रही है कि कल्लाजी की सुरक्षा क्यों की गई? (व्यवधान) यह इनको क्यों परेशानी हो रही है। यह नहीं चाहते कि कल्लाजी की सुरक्षा की जाय। (व्यवधान) वह यह चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री शांति लाल चपलोत : कल्लाजी हमारे सम्मानीय विपक्ष के नेता हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा हो। (व्यवधान) उनको गाड़ी में बैठा करके ले जाना कोई अरेस्ट नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह प्रतिपक्ष के नेता बनना चाहते हैं। यह नहीं चाहते कि कल्लाजी की सुरक्षा की जाय।

श्री शांति लाल चपलोत : सरकार की ड्यूटी है कि उनकी रक्षा करे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बंसी लाल खटीक : इसका कारण सीधा है कि सी.पी. जोशी साहब को प्रतिपक्ष का नेता बनना है इसलिए सी.पी. साहब कल्ला साहब की रक्षा नहीं करने देना चाह रहे हैं यह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) देखें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री शंकर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कालीचरणजी सर्राफ। कालीचरणजी सर्राफ।

श्री सांवर लाल : XXX (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनफोर्मेशन आ जायेगी, आ जायेगी। (व्यवधान) भाषण देने दें इनको। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी से आप अलग कर लें बात। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। (व्यवधान) नहीं, पर हाउस चल रहा है, चलने दीजिये हाउस को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण..(व्यवधान) माननीय कालीचरणजी सर्राफ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं...

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आये तब...(व्यवधान) जब गृह मंत्रीजी ने कह दिया तो इधर हो गई न इनफोर्मेशन। (व्यवधान) हाउस में...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई लिमिट है क्या, इमीजियेटली सूचना आ जानी चाहिए, कोई लिमिट तो है नहीं इसके अन्दर, कोई टाइम लिमिट हो या ऐसा कोई...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था गलत हो जाती है..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पर माननीय जोशीजी, अगर आप....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाओ, दस मिनट कोई सदस्य बोलेगा तो इतने सूचना आ जायेगी, क्या बात है ऐसी। (व्यवधान) हां, तो कोई सूचना जो आवश्यक होगी वह आ जायेगी आपके पास। (व्यवधान) तो बैठिये आप। तो आप बैठिये अपने स्थान पर।

डा. एन.एस. गुर्जर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ने जो कहा है, गृह मंत्रीजी ने जो बात कही है उसको, पहले आप सुनें। (व्यवधान) या तो आप बात सुनिये इनकी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने यह कहा है कि 129 में इल्लीगल असेम्बल जो हुई है उनको डिस्पर्स करने का अधिकार है और उसके तहत, 129 के तहत उनको ले जाकर डिस्पर्स किया और यह ले गये पुलिस लाइन में और उसमें यह पुलिस लाइन के अन्दर जाकर उनको वहां मुक्त कर दिया। बस यहां से असेम्बलिंग जो इनकी थी इसको इल्लीगल असेम्बल मानते हुए कहां ले जाकर उनको मुक्त कर दिया। यही है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने आपको उस समय कहा कि टेलीफोनिक मेरी जो बात हुई थी पर अभी आप समय दें तो मैं आपको जानकारी...(व्यवधान) और उसके बाद जो स्लिप मेरे पास आई उसमें उन्होंने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिखा है। 129 में इल्लीगल असेम्बल थी, उसको तोड़ने की दृष्टि से वहां से ले जाया गया। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रोसीडिंग देख लेंगे। आप थोड़ा अगर अपने स्थान पर बैठे रहते तो इतनी देर में सूचना आ जाती और इतने अगर कोई चर्चा हो रही थी तो इतने में क्या हो रहा था। आप अगर आधा घंटे...(व्यवधान)... देख लेंगे हम। देखं लेंगे। अभी देख लेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी लास्ट सूचना तो यह है कि उनको 129 में भी नहीं लिया वो तो उनका..(व्यवधान)... ऐसा है कि वो तो उस गाड़ी में 129 में जिनको डिस्पर्स करने ले जा रहे थे उसमें वो भी साथ चले गये उनको कहीं भी 129 में नहीं लिया। 129 में भी नहीं लिया। ..(व्यवधान)..

श्री ओम बिरला : XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अच्छा तो यह होता...

माननीय सदस्य। (व्यवधान)..

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने आपको कहा था कि इनको 129 में जो असेम्बली हुई उनको ले जा रहे थे, उन्होंने भी स्वयं को अपने-आप वो गाड़ी में चढ़ गये। 129 की जो लिस्ट आयी है उस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। वो 129 में भी नहीं हैं लेकिन जो बाकी 129 में जिनको ले जाकर डिस्पर्स किया पुलिस लाइन में उनके साथ वो भी गाड़ी में बैठ गये।... (व्यवधान) नहीं-नहीं कोई गिरफ्तार नहीं है वां स्वयं चढ़ कर गाड़ी में बैठे। न कोई गिरफ्तार है, कुछ नहीं है केवल ये तो अखबारी न्यूज बनाना हो तो... (व्यवधान) उसमें भी वो नहीं है..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही चलने के लिए और सदन में इस मुद्दे पर सदन को कोई निर्णय लेना चाहिए। (व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो...(व्यवधान) हाउस के अन्दर ही निर्णय हो इसमें क्या दिक्कत आ रही है ? ऐसी कौन सी बात है, किससे मंत्रणा करनी है? बताइये आप। कोई स्थिति ऐसी नहीं है।...(व्यवधान), माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय गृह मंत्रीजी ने अपनी स्थिति बड़ी स्पष्ट कर दी कि सी.आर.पी.सी. 129 के तहत उनको अनलाफुल असेम्बली के तहत और डिस्पर्स में भी उनको नहीं लिया गया तो काहे के लिए समय जाया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ?..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी अपना स्थान ग्रहण करके कहें तो अच्छा रहेगा। हम सुनेंगे बराबर। बराबर सुनेंगे आपकी बात। एक-एक बोलेंगे। आप शांतिपूर्वक अपने स्थान पर जाएं (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : XXX

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यवस्था से दुखी होकर बहिर्गमन करता हूं।

(माननीय सदस्य, श्री रामप्रताप कासनिया द्वारा सदन से बहिर्गमन)

डा. एन.एस. गुर्जर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब तक आप अपने...

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

डा. एन.एस. गुर्जर : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ कर सुनिये। कंट्राडिक्शन स्पष्ट सुनें तो सही बैठ कर।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्रीजी ने बार-बार इस सदन में खड़े होकर वक्तव्य से सारी बात साफ की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि आज जिन तीन विभागों की महत्वपूर्ण मांग है उन पर सदन में चर्चा हो.. (व्यवधान)... विपक्ष के लोग नहीं चाहते कि सदन में सारगर्भित बहस हो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही आगे बढ़ायें जो बोलना चाहें बोलेंगे और नहीं बोलना चाहें नहीं बोलेंगे। आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही आगे तो बढ़ायें आप। कई बार प्रार्थना कर दी। चार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार-बार माननीय गृह मंत्रीजी ने खड़े होकर सारी स्थिति स्पष्ट की है। (व्यवधान) विपक्ष के नेता वहां प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं तकलीफ इस बात की है उपाध्यक्ष महोदय, कि जब हम...(व्यवधान)... उनकी चिन्ता कर रहे हैं...(व्यवधान)... प्रतिपक्ष के नेता प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

डा. एन.एस. गुर्जर : XXX

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये हैं। चूंकि यह मेरे विभाग से सम्बन्धित है इसलिए मैं चाहूंगा.. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य के ऊपर सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये हैं चूंकि यह मामले मेरे विभाग से सम्बन्धित है इसलिए मैं चाहूंगा कि की पूरी बात सदन के सामने आये।

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री रामचन्द्र सराधना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री रामचन्द्र सराधना : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री आशीष सर्राफ पुत्र श्री कालीचरण सर्राफ को उनके द्वारा पैट्रोल पम्प हेतु भूमि आबंटन के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 7 जून, 2002 में लिये गये निर्णय के अनुसार पैट्रोल पम्प की भूमि को आवासीय आरक्षित दर की 3 गुणा राशि वसूल करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है तथा श्री सर्राफ द्वारा आबंटन पत्र की अनुपालना में आबंटन राशि मय ब्याज व पैनल्टी सहित कुल राशि 61 हजार 89 हजार 150 रुपये प्राधिकरण में 25 अगस्त, 2004 को जमा करवाये जा चुके हैं। जविप्रा की योजना की अवाप्तशुदा भूमि के खातेदारान द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर में एक वाद दायर किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय ने "अपने निर्णय दिनांक 27.1.2005 द्वारा ग्राम चकधुला के खसरा नं. 4/104 क्षेत्रफल 0.90 हैक्टेयर जो राजस्व अभिलेख में खातेदारों के नाम अंकित है तथा राज्य सरकार और सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवाप्त नहीं हुआ है, पर से प्रार्थीगण (खातेदारान) को बेदखल नहीं करें और न ही उक्त भूखण्ड को किसी प्रकार से आबंटित करें।"

जयपुर विकास प्राधिकरण की पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 4.6.2002 में अनुमोदित कामर्शियल योजना मालीय नगर अवाप्तशुदा भूमि खसरा नं. 4 रकबा 3 हैक्टेयर ग्राम चकधुला में बनी हुई है। पैट्रोल पम्प हेतु आरक्षित भूखण्ड इसी योजना का भूखण्ड है और नियमानुसार एल.पी.सी. की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार सन 2002 में श्री आशीष सर्राफ पुत्र श्री कालीचरण सर्राफ को आबंटित हुआ था।

माननीय न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित खसरा नं. 4/104 ग्राम चकधुला की भूमि को तत्कालीन खातेदारान/वारिसान द्वारा निजी हित के लिये

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दिया गया था, जिस पर वर्तमान में उपरोक्त समिति की योजना "अशोक कालोनी" बसी हुई है।

इस प्रकार ग्राम चकधुला के खसरा नं. 4 रकबा 3 हैक्टेयर जिसमें जविप्रा की कामर्शियल योजना बनी हुई है, कि अवाप्तशुदा भूमि किसी प्रकार से विवादित नहीं है और श्री आशीष सर्राफ पुत्र श्री कालीचरण सर्राफ को पैट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड का आबंटन नियमानुसार किया गया है। आबंटी द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करवा दिये जाने पर नियमानुसार जविप्रा द्वारा लीज डीड आबंटी के पक्ष में दिनांक 22.12.2004 को जारी की जा चुकी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान) संयमजी, आप बैठिए नहीं तो आपको भी नहीं बोलने दिया जायेगा। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपको भी नहीं बोलने दिया जायेगा, आप बैठिए। आपका नम्बर आये तब बोल लीजिएगा, आप बैठ जाइए। (व्यवधान) आप बैठ जाइए।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री कालीचरण सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 28.29 और 30 पर चर्चा हो रही है। 5 साल में कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस के नेताओं ने क्या घोटाले किये यहां पर उजागर होने वाला है। (व्यवधान) आज कांग्रेस के माननीय सदस्य बहस नहीं होने देना चाहते। (व्यवधान) किसी से छिपा हुआ नहीं है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : XXX

डा. भंवरलाल राजुपरोहित : XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से फिर विनती करता हूं हम बहस करना चाहते हैं। तीन-तीन महत्वपूर्ण विभागों की आज मांग रखी है, सरकार उत्तर देना चाहती है, सारी शंकाएं मिटाना चाहती है, राजस्थान की जनता को बताना चाहती है कि सरकार की मंशा क्या है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृपया इनको कहें कि अपने-अपने स्थान पर जाये वरना आप नाम पुकारिए फिर हमारे सामने कोई चारा नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : XXX

श्री कालीचरण सर्राफ : जो कारगुजारियां की हैं, जो घोटाले किए हैं जो सी.डी. प्रकरण है। (व्यवधान) कांग्रेस के किन-किन प्रमुख नेता, गुलाब सिंह शक्तावत, छोगाराम बाकोलिया (व्यवधान) इन्वाल्व है उनके बारे में यहां चर्चा होने वाली है, उस चर्चा को यह होने देना नहीं चाहते इसलिए यह इस प्रकार से हंगामा करके यह बहस रोकना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी जगह जाकर...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के अनुसार चलेंगे तो सब हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री हीरालाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कालीचरणजी, समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर(गंगानगर) : XXX

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य. (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : रामकिशोर मीणा, श्री रघुवीर सिंह मीणा (व्यवधान) आप बोलना नहीं चाहते, आपकी गलती है। आप बोलना नहीं चाहते विवाद के अन्दर (व्यवधान) श्री एन.एस. गुर्जर, श्री मोहन लाल गुप्ता, श्री अशोक कुमार नवलखा, श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसकी परमीशन (व्यवधान) बोलिए, श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री रघुवीर सिंह मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28, मांग संख्या 30 और मांग संख्या 29 (व्यवधान) ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्रीय विकास, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री रघुवीर सिंह मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) सारगर्भित सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और सरकार द्वारा...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री नन्दलाल बंशीलाल : XXX

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नाम पुकारा है। (व्यवधान) मांग संख्या-30 पर बोलता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : XXX

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री रघुवीर सिंह मीणा : राजस्थान को...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : XXX

श्री रघुवीर सिंह राजपुरोहित : जनजाति क्षेत्र है (व्यवधान)

पांच जिलों में 23 पंचायत समितियां है... (व्यवधान) डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही के एक पंचायत समिति को मिलाकर (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : XXX

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आडा योजना, तीसरा माडा कलस्टर, चौथा पिछड़ी जनजाति क्षेत्र, पांचवा सहरिया...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री महीपाल सिंह यादव : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : XXX

श्री महिपाल सिंह यादव : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : यह लोग व्यवधान डाल रहे हैं जो जनजाति के हित में...(व्यवधान) इनकी मंशा यह है कि सरकार जो काम कर रही है वह काम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री दाताराम गुर्जर : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री मदन राठौड़ : XXX

श्री रघुवीर सिंह मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से एक-एक काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं सदन चले। परन्तु प्रतिपक्ष अगर इसी पर आमदा है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप कार्यवाही को आगे बढ़ायें। (व्यवधान) कार्यवाही को आगे बढ़ाइये आप। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : XXX

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री रघुवीर सिंह मीणा : 45 लाख 14 हजार लोगों में से 30 लाख 93 हजार जनजाति हैं। (व्यवधान) इस तरह से इन आदिवासियों की आमदनी.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अगर सदन को माननीय सदस्य नहीं चलाना चाहते हैं तो, आपके आदमी खड़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या-28

ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,79,64,86,000/- (एक अरब उन्यासी करोड़ चौंसठ लाख छियासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी. (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारे..)

मांग संख्या-30

जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,41,73,85,000/- (सात अरब इक्तालीस करोड़, तिहत्तर लाख, पिच्चासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-29

नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,86,50,12,000/- (दस अरब छियासी करोड़ पचास लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2005 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.44 बजे मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2005 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

तारांकित प्रश्न संख्या-258

(स्थगित)

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का विस्तार

259. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में "जनजातीय उपयोजना क्षेत्र" के विस्तार के लिए कोई योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है? यदि हां, तो राज्य में विस्तारित "जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों" में अन्य कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

यह सही है कि राज्य में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विस्तार हेतु वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्रों यथा उदयपुर जिले की बड़गांव, मावली, गोगुन्दा एवं भीण्डर पंचायत समिति, राजसमंद जिले की कुम्भलगढ़ पंचायत समिति, सिरोही जिले की पिण्डवाड़ा पंचायत समिति, पाली जिले की बाली पंचायत समिति और चित्तौडगढ़ जिले की बड़ी सादड़ी एवं छोटी-सादड़ी पंचायत समितियों का आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाकर विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किये जाकर उक्त प्रस्ताव दिनांक 29.4.04 को भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाया गया है।

उत्तर-दक्षिण कोरीडोर (श्रीनगर-कन्याकुमारी) के राज्य क्षेत्र में निर्माण हेतु अनुमति

260. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर को ग्वालियर से जोड़ने वाली उत्तर दक्षिण कोरीडोर (श्रीनगर-कन्याकुमारी) के लिए नेशनल अथोरिटी आफ इण्डिया ने राज्य सरकार से अनुमति व स्वीकृति चाही थी? यदि हां, तो कब तथा इस बाबत कब-कब राज्य सरकार को स्मरण पत्र प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य हेतु सरकार द्वारा अब तक निर्माण कार्य की अनुमति एवं स्वीकृति न देने/विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया ने इस बाबत रियायत कर चम्बल नदी के ऊपर चार लेन का ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा था? यदि हां, तो कब?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य के बाबत नेशनल हाइवे अथोरिटी आफ इण्डिया ने वर्तमान धौलपुर, हाईवे के चौराहे पर राज्य सरकार को धौलपुर के पूर्व महाराजा श्री उदयभान सिंह की मूर्ति स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा था? यदि हां, तो कब? क्या सरकार उक्त मूर्ति की स्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्र सरकार की सम्पत्ति है। धौलपुर को ग्वालियर से जोडने वाली उत्तर दक्षिण कोरीडर (श्रीनगर-कन्याकुमारी) के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के धौलपुर से मध्य प्रदेश सीमा तक पड़ने वाले हिस्से किमी. 51/00 से 59/120 तक को केन्द्र सरकार ने उनके राजपत्र दिनांक 26.4.2002 द्वारा नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया को सौंप दी है एवं इसके उपरान्त इस राजमार्ग के उन्नयन की कार्यवाही नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा की जानी है। जिसके लिये राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार

(3) उपरोक्तानुसार

(4) इस राजमार्ग पर चम्बल नदी के ऊपर वर्तमान में दो लेन का सबमर्सिबल पुल है जिसके स्थान पर चार लेन का हाई लेवल पुल बनाया जाना नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा उत्तर दक्षिण कोरीडोर योजना में सम्मिलित है। अतः इस बारे में रियायत का प्रश्न नहीं है।

(5) धौलपुर हाईवे के चौराहे पर पूर्व महाराजा श्री उदय भान सिंह की मूर्ति स्थापना हेतु प्रस्ताव नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया ने प्रस्तुत नहीं किया था। अपितु नगरपालिका धौलपुर द्वारा इस बारे में प्रस्ताव पारित किया गया था। नगरपालिका धौलपुर का वह प्रस्ताव कलक्टर, धौलपुर द्वारा नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया को स्वीकृत हेतु भेजा गया था जिसके जवाब में नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया ने उनके पत्र दिनांक 15.12.2004 द्वारा तीन शर्तों पर अनुमति प्रदान की है। मूर्ति लगाने की कार्यवाही उक्त शर्तों के निराकरण के पश्चात की जावेगी।

संविदा आधार पर आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती में व्याप्त अनियमितताएं

261. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2001 में संविदा के आधार पर मानदेय पर आयुर्वेद चिकित्सकों को भर्ती करने के लिए वरीयता सूची बनाई गई? यदि हां, तो क्या उक्त सूची में गड़बड़ी की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? जांच में दोषी पाये गये उक्त अधिकारी वर्तमान में कहां-कहां पदस्थापित हैं?

(श्री बाबूलाल नागर)

(3) गत चार वर्षों में कुल कितने आयुर्वेद चिकित्सक संविदा पर भर्ती किये गये?

(4) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सकों में अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को भी नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो किस-किस को व कितनों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 2001 में संविदा के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सकों के भर्ती करने के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों की जनवरी/फरवरी, 2002 में वरीयता सूची बनायी गयी। इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एक परिवाद दर्ज किया गया है। जांच रिपोर्ट अभी इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जांच रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से अभी तक इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) गत चार वर्षों में कुल 425 आयुर्वेद चिकित्सक को संविदा के आधार पर नियुक्तियां दी गयी हैं।

(4) जी हां। अनुसूचित जाति के 40 व अनुसूचित जनजाति के 23 आशार्थियों का आयुर्वेद चिकित्सक पद पर नियुक्ति दी गयी है, जिसकी सूची परिशिष्ट-क सदन की मेज पर रख दी गयी है।

परिशिष्ट 'क'

व : 2002 व 2004 में संविदा के आधार पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नियुक्त आशार्थियों की सूची-

क्र.सं.	नाम आशार्थी मय पिता	नियुक्ति आदेश दिनांक
1	2	3
	अनुसूचित जाति	
1.	सागरमल बलाई/कालूराम बलाई	14.02.02
2.	अन्जू नागर/मक्खन लाल नागर	14.02.02
3.	मुख्तार सिंह/गोपीराम	14.02.02
4.	हंसराज शुक्ला/शम्भुदयाल शुक्ला	14.02.02
5.	मगन नाथ/धूड नाथ	14.02.02
6.	विष्णु चन्द जोशी/रामसहाय जोशी	14.02.02
7.	रामदेव/हरजी राम	14.02.02
8.	शिव सिंह/ शिव चरण	14.02.02
9.	दरभ सिंह/भजन लाल	14.02.02
10.	जुगराज बैरवा/कान्हाराम बैरवा	14.02.02
11.	कमलेश वर्मा/शिवसिंह	14.02.02
12.	महाराज सिंह/समन्दर सिंह	14.02.02
13.	इन्दुबाला/जगदीश प्रसाद	14.02.02
14.	शकुन्तला गहनोलिया/देव कुमार	06.03.02
15.	श्रवण कुमार गर्ग/किस्तूर चन्द	09.02.04

1	2	3
16.	संगीता सिंह/रामप्रसाद राम	09.02.04
17.	बनवारी लाल बैरवा/किशोरी लाल	09.02.04
18.	रामनिवास जाटव/भोगीराम	09.02.04
19.	विरेन्द्र सिंह यादव/ मंगतू राम	09.02.04
20.	प्रेमप्रकाश चौहान/सेडूराम	09.02.04
21.	ओमप्रकाश वर्मा/ छीतर मल वर्मा	09.02.04
22.	द्वारका लाल वर्मा/ छीतर लाल वर्मा	09.02.04
23.	गोपाल सिंह जाटव/ दलगंजी राम	09.02.04
24.	महेन्द्र कुमार जाजोरिया/ हनुमान सहाय	09.02.04
25.	रमेश चन्द खटीक/ख्याली लाल	09.02.04
26.	रमेश चन्द महावर/मूलचन्द वर्मा	09.02.04
27.	भरता राम खटीक/ जमन सहाय	09.02.04
28.	सुरेश चन्द जाटव/ मोहन लाल	09.02.04
29.	ब्रजलाल खटीक/सुवालाल	09.02.04
30.	रविप्रकाश पीतलीवाल/के.एम. पीपलीवाल	09.02.04
31.	नरेश चन्द/रामस्वरूप	09.02.04
32.	महेन्द्र आर्य/भंवरलाल आर्य	09.02.04
33.	धर्म प्रकाश शुक्ला/नन्दराम	09.02.04
34.	महेश चन्द/रामकिशन	09.02.04
35.	अशोक कुमार बैरवा/लक्ष्मण बैरवा	09.02.04
36.	राधेश्याम रैगर/कुलडाराम रैगर	09.02.04
37.	किशोरी लाल बैरवा/औकार मल	09.02.04

38.	बाबूलाल बैरवा/प्रभ[illegible]लाल बैरवा	09.02.04
39.	राजकुमार महरिया/नाथूराम महरिया	31.07.04
40.	समीरा अहीर/जीताराम	11.[illegible]1.04
	अनुसूचित जनजाति	
1.	रामरूप मीना/हरबन मीना	14.02.02
2.	रमेश चन्द मीना/किशनलाल मीना	14.02.02
3.	हनुमान मीना/रामचन्द्र मीना	14.02.02
4.	पप्पूलाल मीना/रामकिशोर मीना	14.02.02
5.	तेजाराम मीना/किशनलाल मीना	14.02.02
6.	मनीराम मीना/धारलाल मीना	14.02.02
7.	मिथलेश मीना/ मूलचन्द मीना	14.02.02
8.	शारदा मीना/रामखिलाडी मीना	14.02.02
9.	पुष्पलता वर्मा/नाथूलाल वर्मा	14.02.02
10.	पृथ्वीराज मीना/रामधन मीना	06.03.02
11.	हेमन्तराज मीणा/रामगोपाल	09.02.0[illegible]
12.	लालचन्द मीणा/लेखराज मीणा	09.02.[illegible]
13.	अरविन्द कुमार मीणा/देवहंस लाल	09.02.[illegible]
14.	ब्रजलाल मीणा/प्यारे लाल मीणा	09.02.[illegible]
15.	हरिचरण मीणा/रामकिशोर मीणा	09.02.[illegible]
16.	शिवराम मीणा/मिथ्याराम मीणा	09.02.04
17.	कमलेश कुमार मीणा/धूड मल	09.02.04

1	2	3
18.	रामस्वरूप मीणा/श्री लाल मीणा	09.02.04
19.	कुलदीप कुमार मीणा/जमना लाल	09.02.04
20.	गोपाल लाल मीणा/रामनाथ मीणा	09.02.04
21.	दुर्गासिंह/मोर्यासिंह	09.02.04
22.	श्याम सिंह/रामहेत मीणा	09.02.04
23.	जगराम मीणा/किशनलाल मीणा	09.02.04

जोधपुर जिले के शराब ठेकेदारों से बकाया वसूली

262. श्री जोगाराम पटेल (लूनी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर में आबकारी विभाग से सम्बन्धित किन-किन शराब ठेकेदारों की कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है? सरकार द्वारा इन ठेकेदारों से राशि की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन ठेकेदारों की बकाया राशि वसूली के सम्बन्ध में इनकी सम्पत्तियों अथवा इसके जमानतियों की सम्पत्तियों को कुर्क कर नीलाम करके बकाया राशि वसूल करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में आबकारी विभाग से सम्बन्धित मदिरा ठेकेदारों के 5 प्रकरणों में वर्तमान में राशि रुपये 664.08 लाख बकाया है। बकाया एवं वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां, ठेकेदारों की बकाया राशि वसूली के सम्बन्ध में इनकी

(आबकारी मंत्री)

सम्पत्तियों अथवा इनके जमानतियों की सम्पत्तियों को कुर्क कर नीलाम करके बकाया राशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही द्वारा बाकीदारों एवं उनके जमानतियों की ज्ञात सम्पत्तियों से अब तक राशि रूपये 26.56 लाख वसूल की गई है।

परिशिष्ट 'अ'

जोधपुर जिला में मदिरा ठेकेदारों के विरुद्ध बकाया राशि एवं उसकी वसूली का विवरण

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदर का नाम	वसूली का विवरण
1.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान जोधपुर-भोपालगढ़	1986-87	800000	परमजीत सिंह पुत्र भगवत सिंह, पृथ्वी सिंह पुत्र भगवत सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र चिमन सिंह, मनोहर सिंह पुत्र चिमन सिंह	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 9.5.1996 को विभाग के विरुद्ध निर्णय पारित किया, जिसके विरुद्ध विभाग ने डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 350/96 दायर की है। इस कारण से वर्तमान में राशि वसूली योग्य नहीं है।
2.	मदिरा समूह जोधपुर	1998-99	10750000	पुखराज सिसोदिया, मुरलीधर एण्ड पार्टी	अनुज्ञाधरियों ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 897/98 तथा 145/99 दायर कर वसूली पर स्थगन प्राप्त कर रखा है।
3.	मदिरा समूह ओसियां	2000-01	17579000	पवीण सिंह, गैरालाल, विशालसिंह, भंवरसिंह	बाकीदार श्री प्रवीण सिंह कापडा हाउस जोधपुर स्थित मकान में उनके 1/4 हिस्से की नीलामी दिनांक 9.2.2004 को राशि रुपये 7.05 लाख में की गई। बाकीदार श्री विशालसिंह की कृषि भूमि की नीलामी दिनांक 26.3.04 को राशि रुपये 75,000/- में की गई। बाकीदार श्री गैरालाल के नया बास पीपली गली जोधपुर स्थित

क्र. सं.	दुकान/समूह का नाम	बकाया वर्ष	बकाया राशि	बाकीदार का नाम	वसूली का विवरण
					आवासीय मकान में उनके 1/6 हिस्से की नीलामी दिनांक 25.8.04 को राशि रुपये 41,000/- में की गई बाकीदार श्री भंवर सिंह की सम्पत्ति की जानकारी नहीं होने से इनसे कोई राशि वसूल नहीं हो सकी है।
4.	मदिरा समूह शेरगढ़	2000-01	20547000	ललित मेवाड़ा पुत्र महेन्द कुमार रिडमलसिंह पुत्र श्री बाघसिंह	बाकीदार ललित मेवाडा की धुन्धाडा ग्राम में स्थित कृषि भूमि दिनांक 4.10.01 को राशि रुपये 57,500/- में नीलाम की गई। बाकीदार का बोम्बे मोटर्स, जोधपुर स्थित आवासीय मकान को दिनांक 15.7.03 को राशि रुपये 6.71 लाख में नीलाम किया गया बाकीदार रीडमल की कुर्कशुदा कृषि भूमि एवं मकान को दिनांक 18.11.04 को राशि रुपये 2.04 लाख में नीलाम किया गया। जमानती नारागण सिंह एवं रतन सिंह की ग्राम देचू में स्थित सामलाती कृषि भूमि को दिनांक 26.2.04 को 3.02 लाख में नीलाम किया गया।
5.	मदिरा समूह फलौदी ग्रा.व लूणी ग्रा.	2000-01	16732000	दिलीप शर्मा पुत्र सुरेन्द्र नाथ	बाकीदार श्री दिलीप शर्मा से राशि रुपये 6.00 लाख की वसूली की गई।
	योग		66408000		

आवासन मण्डल कोटा में अनुपयोगी लोहे के दरवाजे/खिड़कियां

263. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल कोटा में बड़ी मात्रा में लोहे के दरवाजे एवं खिड़कियां अनुपयोगी हैं? यदि हां, तो इनका खरीद मूल्य क्या है एवं इनके अनुपयोगी रहने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार अब उपरोक्त अनुपयोगी लोहे के दरवाजे/खिड़कियों का निस्तारण किस प्रकार व कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) मण्डल को किस प्रकार हुए नुकसान हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तनुसार उपलब्ध लोहे के दरवाजे/खिड़कियों का उपयोग भविष्य में उक्त स्थानों पर बनाये जाने वाले मकानों में शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

(3) उपरोक्तनुसार उपलब्ध सामान से मण्डल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

भीम की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

264. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरीसिंह रावत)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के कस्बों एवं ढाणियों की सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कस्बों एवं ढाणियों के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को अवैध कब्जे के आधार पर पट्टे जारी किये गये? यदि हां, तो उनसे कितनी राशि वसूल की गई?

उत्तर

(1) जी हां। आबादी भूमि पर पंचायत अधिनियम की धारा 165 के अन्तर्गत विधिवत प्रक्रिया द्वारा नोटिस दिये जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। राजकीय बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत विधिवत प्रक्रिया के अनुसार हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत भीम के ग्राम भीम में दो व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जाकर 450/- रुपये की वसूली की गई तथा पंचायत समिति देवगढ़ की ग्राम पंचायत विजयपुरा में 49 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जाकर 89,291/- रुपये वसूल किये गये। इस प्रकार कुल 51 पट्टे जारी किये जाकर 89,741/- रुपये वसूल किये गये।

बिलानाम भूमि पर कोई पट्टे जारी नहीं किये गये।

कार्यालय बाल विकास परियोजना करौली द्वारा क्रय सामग्री

265. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली में गत 6 माह से बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) का पद रिक्त है? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त पद का कार्य विकास अधिकारी करौली को दिया हुआ है?

(श्री सुरेश मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि जनवरी, 2005 में उक्त कार्यालय में बच्चों को दी जाने वाली किट्स की खरीद की गई है? यदि हां, तो किस-किस वस्तु की व किस-किस फर्म से तथा कितनी राशि की?

(3) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार विभाग में सामान खरीदने से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन/निविदा का आमंत्रित किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी द्वारा किस-किस दैनिक पत्र में इसे सार्वजनिक किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा क्रय कि गई किट्स का सामान गुणवत्ता के अनुरूप न होने के साथ ही बाजार दर से तीन गुणा अधिक कीमत पर व मिलीभगत से क्रय किया गया है?

(5) क्या सरकार उक्त की गुणवत्ता की जांच करवाने व दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बाल विकास परियोजना अधिकारी करौली में कार्यरत श्री बाबूलाल मीणा की प्रतिनियुक्ति समाप्ति के फलस्वरूप दिनांक 6.9.2004 से पद रिक्त हुआ है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, करौली के रिक्त पद का कार्य जिला कलक्टर के निर्देशानुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली को दिया हुआ है।

(2) जी, हां। माह जनवरी, 05 में किशोरी शक्ति योजना के तहत बुनाई किट्स में ऊन व दो सलाई के 600 नग मैसर्स अम्बे सेल्स कारपोरेशन बयाना (भरतपुर) से खरीदे गये। इस पर रुपये 23,100 का व्यय हुआ है।

(3) जी नहीं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार 50 हजार रुपये तक की सामग्री सीमित निविदाओं के माध्यम से क्रय की जा सकती है। इस हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, करौली के कार्यालय के पत्रांक 652

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

656 दिनांक 22.12.04 द्वारा स्थानीय कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड, कोष कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निविदा सूचना को चस्पा किया गया।

(4) इस सम्बन्ध में जांच के आदेश जारी किये गये हैं।

(5) जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

अन्ता-सांगोद मार्ग स्थित परवन नदी पर पुलिया निर्माण

266. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा व बारां जिले के बीच परवन नदी पर अन्ता, सांगोद मार्ग पर रियासत काल में बनी पुलिया जो लगभग 100 व॰ पुरानी है, वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि हां, तो कितने समय तक इस मार्ग पर यातायात बन्द रहा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त टूटी पुलिया की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा अतिवृष्टि मद में प्राप्त राशि से 10 लाख रूपये की राशि व्यय करना प्रस्तावित है, लेकिन सरकार द्वारा मरम्मत का कार्य इसलिये आरम्भ नहीं करवाया गया कि मरम्मत करवाने के बाद भी पुलिया पुनः टूट सकती है व व्यय की गई राशि व्यर्थ जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि इसके स्थाई समाधान हेतु इस स्थान पर 335 मीटर लम्बाई की नई सबमर्सिबल पुलिया बनाने का सुझाव को दिया गया है?

(4) क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष इस पुलिया पर वर्षा ऋतु में आवागमन प्रभावित होता है तथा हर वर्ष इसकी मरम्मत पर राशि खर्च करके अस्थाई व्यवस्था की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके स्थाई समाधान

(श्री भरत सिंह)

के लिए नई सबमर्सिबल पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2004-05 की वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। वर्षा ऋतु में इस पुलिया पर पानी ओवर टाप करने के कारण एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लगभग दो महीने यातायात प्रभावित रहा।

(2) जी हां। अन्ता, सांगोद सड़क किमी. 4 पर परवन नदी की पुलिया के मरम्मत कार्य के लिये बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत मद में वर्ष 2004-05 में रुपये 8.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। लेकिन यह सही नहीं है कि मरम्मत करवाने के बाद भी पुलिया पुनः टूट सकती है, इसलिये मरम्मत कार्य शुरू नहीं करवाया गया है। संवेदक को कार्य आदेश दे दिया गया है तथा कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है।

(3) जी हां। स्थाई समाधान हेतु अन्ता-सांगोद सड़क पर परवन नदी पर सबमर्सिबल पुल निर्माण की अनुमानित लागत 757 लाख रुपये है, जिसकी स्वीकृति राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(4) जी हां। अस्थाई समाधान के रूप में नई सबमर्सिबल पुलिया बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। स्थाई समाधान के लिये उत्तर के खण्ड तीन में वर्णित कर दिया गया है।

भीनमाल राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पद

267. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के राजकीय चिकित्सालय भीनमाल में

(डा. समरजीत सिंह)

कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत हैं? सूची मय पद/संव.: सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद किस-किस संवर्ग के रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) कनिष्ठ विशे.ज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, रेडियो.फर एवं वरिष्ठ लेब टैक्नीशियन के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने हैं। जिनको विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को स्थानान्तरण पर से प्रतिबन्ध हटने के बाद भरने के प्रयास किये जायेंगे। वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी के रिक्त पद को वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरने के प्रयास किये जावेंगे।

परिशि.ष्ट "अ"

भीनमाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग)	1	1
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
चिकित्सा अधिकारी	2	1
दन्त चिकित्सक	1	-
नर्स श्रेणी प्रथम	3	-
नर्स श्रेणी द्वितीय	11	-
प्रसाविका	3	-
रेडियोग्राफर	1	1
वरिष्ठ लेब टैक्नीशियन	1	1
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	-
कनिष्ठ लिपिक	1	-
वाहन चालक	1	-
वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	14	1

राज्य के संरक्षित स्मारकों में नियम विरुद्ध निर्माण

268. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1998 से 2001 के मध्य राज्य के संरक्षित स्मारकों यथा आमेर महल, जयपुर, अकबर का किला अजमेर, सुनहरी कोठी, टोंक तथा फतह प्रकाश महल, चितौडगढ़ के संरक्षण एवं विकास कार्य करवाये गये हैं? यदि हां. तो इन पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आमेर महल के दीवाने आम परिसर में

(श्री जुबेर खान)

शाही रसोई भण्डार गृहों को माडर्न टायलेट के रूपये में परिवर्तित किया गया है जिसे बाद में शिला माता ट्रस्ट की शिकायत पर बन्द किया गया? यदि हां, तो इस व्यय की जिम्मेदारी किस की है और इस सम्बन्ध में अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अकबर का किला अजमेर की छत पर संरक्षण नियम के विरुद्ध चिप्स की टाईल लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन दोषी है? सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आमेर महल जयपुर अकबर का किला अजमेर, सुनहरी कोठी टोंक, फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ के संरक्षण एवं विकास कार्यो पर वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

1. आमेर महल जयपुर	रूपये 100.35 लाख
2. अकबर का किला अजमेर	रूपये 22.56 लाख
3. सुनहरी कोठी टोंक	रूपये 5.74 लाख
4. फतेह प्रकाश महल चित्तौडगढ़	रूपये 7.55 लाख

(2) आमेर महल के दीवाने आम परिसर स्थित भण्डारगृहों में मोडर्न टायलेट्स का निर्माण वर्ष 1999 में आमेर महल के वृहद् परिसर को प्रतिदिन हजारों की तादाद में स्मारक का अवलोकन/अध्ययन हेतु आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए करवाया गया था। वर्ष 2003 में शिला माता ट्रस्ट आमेर के इस अनुरोध पर कि टायलेट्स के कारण मंदिर में सीलन व बदबू आती हैं, इसे बन्द किया जाये, जांच के उपरान्त इन टायलेट्स को बन्द कर दिया गया।

उक्त मोडर्न टायलेट्स का निर्माण तत्कालीन तकनीकी अधिकारियों के सुझावानुसार स्मारक पर आने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं को देखते हुए

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

करवाया गया था। सीलन व बदबू सम्बन्धी आपत्ति लगभग तीन साल बाद प्राप्त हुई। अतः इन परिस्थितियों का टायलेट्स के निर्माण के समय अनुमान किया जाना सम्भव नहीं था।

(3) जी हां। अकबर का किला अजमेर के मध्य भाग स्थित कक्ष की छत पर संरक्षण कार्य के अन्तर्गत चिप्स की टाईल्स लगाई गई थी।

अकबर का किला अजमेर में राजकीय संग्रहालय भी स्थित है। संग्रहालय विकास/संरक्षण कार्य के अन्तर्गत पानी के रिसाव को रोके जाने व मध्य भाग स्थित कक्ष की सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्य कराया गया था।

इस मामले की जांच करवाकर उचित कार्यवाही की जावेगी।

जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा विकास कार्य

269. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा कितने वार्ड कब-कब नगर निगम जोधपुर को हस्तांतरित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) नगर सुधार न्यास द्वारा नगर निगम-जोधपुर को हस्तांतरित वार्डों में नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा कितनी कच्ची बस्तियों के पट्टे दिये गये एवं कितने पट्टे अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वार्डों में नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा कितनी राशि के विकास कार्य कराये गये और क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास से कच्ची बस्ती विकास कार्य आय के 4 प्रतिशत की राशि तक ही सम्पादित कराये जाते हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा किन-किन मदों में कितनी-कितनी आय प्राप्त की गई और उस आय का प्रत्येक वर्षों में कितना प्रतिशत कच्ची बस्तियों में विकास कार्यों पर व्यय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(5) नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा श्मशान क्षेत्रों के कितने पट्टे कितने क्षेत्रफल के गत 5 वर्षों में किस-किस नाम से जारी किये गये तथा वह जमीन नगर सुधार न्यास के खाते में किन नियमों के तहत दर्ज की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा गत पांच वर्षों में कितनी जमीन किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी व किन-किन नियमों के तहत किस-किस दर पर आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा 20 वार्ड, वार्ड संख्या 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53 नगर निगम व न्यास के मध्य दिनांक 17.7.2000 को किये गये समझौते के अन्तर्गत हस्तान्तरित किये गये। इसके अतिरिक्त सिटीवाल के अन्दर स्थित न्यास योजनाएं यथा घंटाघर नई योजना व सिवांची गेट चांदपोल श्री नगर निगम को हस्तांतरित की गई थी। निगम को हस्तांन्रित 37 वार्डों को सम्मिलित करने के पश्चात जोधपुर नगर निगम के 60 वार्ड में से शेष रहे 23 वार्डो में समस्त गैर योजना क्षेत्र भी नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया। समझौता दिनांक 17.7.2000 की सत्यापित प्रति परिशिष्ट-1 पर है

(2) नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा 52 कच्ची बस्तियों में 2989 पट्टे (अधिकार पत्र) दिये गये परिशिष्ट-2 पर।

(3) उक्त वार्डों में समय-समय पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रीय निवासियों की मांग पर कुल 993.72 लाख रुपये की राशि के विकास कार्य करवाये गये। उक्त वार्डो में करवाये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा नगर सुधार न्यासों में आय की 4 प्रतिशत राशि ही कच्ची बस्ती क्षेत्र में विकास कार्य हेतु व्यय करने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा गत 5 वर्षों

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

में मदवार प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट संख्या-3 पर संलग्न है। गत 5 वर्षों में प्राप्त आय एवं विभिन्न कच्ची बस्तियों पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्र. सं.	वर्ष	न्यास को विभिन्न मदों से प्राप्त आय लाखों में	न्यास द्वारा कच्ची बस्तियों में व्यय की गई राशि लाखों में	कुल आय का व्यय का प्रतिशत
1	1999-2002	102.11	70.69	6.87
2	2000-2001	177.00	83.80	4.71
3	2001-2002	179.89	56.30	3.13
4	2002-2003	284.35	67.53	2.37
5	2003-2004	412.91	304.24	7.37

(5) नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा आबंटित श्मशानों की सूची संलग्न है जो परिशिष्ट-4 पर है। उक्त भूमि नगर विकास न्यास की योजनाओं में एवं जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा स्थानान्तरित भूमि में स्थित है।

(6) नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा गत पांच वर्षों में संस्थानों को आबंटित भूमि की सूची संलग्न है जो परिशिष्ट-5 पर है। भूमि का आबंटन The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules 1974 के तहत किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

भम्भोरी ग्राम पंचायत समिति झोटवाड़ा (जयपुर) में अनुसूचित जाति की भूमि पर अवैध कब्जा

270. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की झोटवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम भम्भोरी में अनुसूचित जाति के परिवार की खसरा नं. 208 से 211

(श्री रमेश खींची)

एवं 213 कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने का मामला सरकार के ध्यान में आया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा नियम 183 बी के तहत कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा जिला कलक्टर को नियम 183 बी के तहत कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की कृषि भूमि पर कब्जा हटवाने का जिला कलक्टर द्वारा किसी प्रकार का प्रयास किया गया? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त कब्जा की गई कृषि भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा दुकानों का निर्माण कराया गया है। यदि हां, तो जिला कलक्टर को शिकायत प्राप्त होने पर भी दुकानों का निर्माण रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की कृ. भूमि पर कब्जा करने के बाद अवैध रूप से निर्माण की गई दुकानों को बेच दिया गया? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर ने दिनांक 13 जुलाई, 1998 एवं 25 अगस्त, 1998, 31 मई, 1999 एवं 26 दिसम्बर, 2000 को भी तहसीलदार को अनुसूचित जाति के इस परिवार की कृषि भूमि पर से कब्जा हटाने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां तो क्या आदेशों की पालना की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मामला सामने आने पर तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रकरण

(राजस्व मंत्री)

दर्ज कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 83-बी के तहत अतिक्रमियों को बेदखल किये जाने एवं शास्ती 2268/- रुपये कायम करने का आदेश दिनांक 12.12.2001 को पारित किया गया।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा कलक्टर जयपुर को श्री श्रवण कुमार के प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था, जिस पर जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा तहसीलदार जयपुर को जांच कर नियमानुसार धारा 183-बी के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

(4) जी हां। तहसीलदार जयपुर द्वारा नायब तहसीलदार कालवाड़ को निर्णय अनुसार प्रार्थीगण को कब्जा सम्भालने हेतु लिखा गया। इसी दौरान मूर्ति मंदिर श्री खोजाजी विराजमान ग्राम भम्भोरी जर्ये पुजारी श्री हनुमान सहाय बनाम मुरली पुत्र नाथ्या वगै. में राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत दावे में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 31.12.01 को विवादित भूमि पर दोनों पक्षों को मौके व रेकार्ड की स्थिति यथावत रखने हेतु पाबन्द किया गया। उक्त वाद वर्तमान में न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर के यहां विचाराधीन है एवं अग्रिम तिथि 11.4.05 नियत है।

तहसीलदार जयपुर द्वारा धारा 183-बी के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 12.12.01 के विरुद्ध भी एक अपील संख्या 3/2002 दि. 25.1.02 मूर्ति मंदिर श्री खोजाजी विराजमान ग्राम भम्भोरी जर्ये पुजारी श्री हनुमान सहाय व अन्य बनाम मुरली वगै. न्यायालय, जिला कलक्टर जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है। जिसमें आगामी तिथि 17.5.05 नियत है। उक्त प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण तहसीलदार के निर्णय दिनांक 12.12.01 की पालना में मौके से बेदखली की कार्यवाही नहीं हो सकी है।

(5) जी हां। उक्त विवादित कृषि भूमि के ख. नं. 210 में चार दुकानें निर्माण की गई है। इसके सम्बन्ध में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर न्यायालय उप तहसीलदार कालावाड द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध में राजस्थान

(राजस्व मंत्री)

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 सहपठित धारा 90 ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपने निर्णय दि. 16.7.2004 द्वारा निर्माण कार्य को कब्जेराज लेने व अतिक्रमियों को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये व गिरदावर हल्का को लिखा गया है। परन्तु न्यायालय का स्थगन होने से कार्यवाही नहीं हो सकी।

(6) जी हां। विवादित आराजियात पर मौके पर चार दुकानें निर्मित है, जिनमें से दो दुकानें अतिक्रमियों के कब्जे में तथा एक दुकान जीवण पुत्र जगन्नाथ के कब्जे में व एक दुकान प्रभू पुत्र नाथू बागड़ा के कब्जे में है। इनके विरुद्ध खण्ड-5 के अनुसार कार्यवाही की गई।

(7) जी हां। खण्ड-4 के अनुसार कार्यवाही की गई।

कोटपूतली की क्षतिग्रस्त सड़कें

271. श्री सुभाष चन्द शर्मा (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पिछले 5 वर्षों में सड़कों का निर्माण व पुनर्निर्माण किस-किस विभाग द्वारा किस-किस योजना में किन-किन ठेकेदारों से कितनी-कितनी राशि व्यय कर करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने ठेकेदारों को बार-बार इस क्षेत्र में सड़क निर्माण व पुनर्निर्माण के ठेके दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों के योजनावार निर्माण के क्या-क्या मानदण्ड हैं तथा इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ सड़कें समय से पूर्व ही टूट चुकी हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं तथा जिन अधिकारियों तथा ठेकेदारों द्वारा तय मानदण्डों व तय गुणवत्ता के अनुसार सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में पिछले पांच वर्षों में सड़कों का

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निर्माण व पुनर्निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा योजनावार मय ठेकेदार व व्यय राशि विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण व पुनर्निर्माण विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मैसर्स बी.पी. मोदी जयपुर को दो बार एवं मैसर्स मुरारी लाल अग्रवाल जयपुर को तीन बार (सूची परिशिष्ट "स") तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मैसर्स लटाला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर को तीन बार (सूची परिशिष्ट "द") इस क्षेत्र में सड़क निर्माण व पुनर्निर्माण के कार्यों में निविदा प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम दर होने के कारण आबंटित हुआ है।

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई सड़क के निर्माण के चयन का मापदण्ड गांव की जनसंख्या है। सन 2001 की जनगणना अनुसार 500 आबादी तक वाले गांवों को सन 2007 तक डामर सड़क से जोड़ने का मापदण्ड है तथा उन्नयन व नवीनीकरण योजना में पूर्व निर्मित डामर सड़क पर क्षेत्रीय विधायक की अभिशंसा व विधायक द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार पेवर पद्धति द्वारा डामरीकरण के मापदण्ड है तथा इन सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी निश्चित अवधि तक संवेदक की है।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन हेतु कार्य-योजना

272. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में यूनानी हकीमों व उप हकीमों के पद काफी समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में 50 नये यूनानी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चिकित्सक भर्ती करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक नियुक्त नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार यूनानी हकीमों को नियुक्ति देने तथा यूनानी हकीमों में एक वरिष्ठतम को अतिरिक्त निदेशक बनाकर पृथक यूनानी विभाग स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में विभागान्तर्गत संचालित यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 25 पद एवं नर्स/कम्पाउण्डर के 25 पद वर्तमान में रिक्त हैं, इनका विवरण परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दिया गया है। विभागान्तर्गत उप-हकीम का कोई पद सृजित नहीं है।

चिकित्सकों के जो 25 पद रिक्त हैं, उनमें से एक पद व: 1996 से, दो पद 1999 से, 1 पद 2000 से, 4 पद 2001 से, 6 पद 2003 से तथा 11 पद वर्ष 2004 से रिक्त है।

(2) 50 नये यूनानी चिकित्सकों की भर्ती किये जाने सम्बन्धी कोई घोषणा नहीं की गयी थी वरन वर्ष 1999-2000 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने 50 नवीन यूनानी औषधालय खोलने की घोषणा की थी, किन्तु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने से न तो नवीन औषधालय खोले जा सके न ही नवीन नियुक्तियां की गयी।

(3) यूनानी चिकित्सकों के 25 रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

पृथक यूनानी विभाग स्थापित करने या वरिष्ठतम यूनानी चिकित्सक को अतिरिक्त निदेशक बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट "क"

विभागान्तर्गत संचालित यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों में चिकित्सकों व नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.सं.	स्थान औषधालय	जिला	अवधि जब से पद रिक्त है
1	2	3	4
यूनानी चिकित्सक			
1.	फतेहनगर	उदयपुर	अगस्त 2002
2.	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	मार्च 2000
3.	डूंगरिया	बांसवाड़ा	अगस्त 2001
4.	गलियाकोट	डूंगरपुर	अगस्त 2001
5.	मलारना डूंगर	सवाई माधोपुर	जुलाई 2004
6.	जैपला	बारां	फरवरी 2001
7.	जौतरूल्लाह	भरतपुर	फरवरी 2001
8.	खलीफो की बावडी	बाड़मेर	मार्च 2003
9.	मजाजपुर	भरतपुर	मार्च 2003
10.	कुलोठकला	झुन्झुनूं	दिसम्बर 1999
11.	मखोली	सवाई माधोपुर	जुलाई 2003
12.	कुईन्दा	जोधपुर	जुलाई 2003
13.	"अ" श्रेणी टोंक	टोंक	दिसम्बर 2003
14.	कैथून	कोटा	मार्च 2004
15.	मरवा	जयपुर	जुलाई 2004

1	2	3	4
16.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	जनवरी 2003
17.	बेगू	चित्तौड़गढ़	नवम्बर 2004
18.	पुंजपूर	डूंगरपुर	नवम्बर 2004
19.	वल्लभनगर	उदयपुर	नवम्बर 2004
20.	खीवसर	नागौर	नवम्बर 2004
21.	बकरामंडी	जोधपुर	नवम्बर 2004
22.	महुवा	दौसा	नवम्बर 2004
23.	पीपलू	टोंक	नवम्बर 2004
24.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	नवम्बर 2004
25.	सांभर	जयपुर	नवम्बर 2004
नर्स/कम्पाउण्डर			
1.	"अ" श्रेणी यूनानी अजमेर	अजमेर	17.07.1997
2.	"अ" श्रेणी यूनानी अजमेर	अजमेर	30.11.2003
3.	मकराना	नागौर	13.03.2003
4.	बासनी	नागौर	14.06.2002
5.	नागौर	नागौर	18.07.2003
6.	खीवसर	नागोर	01.11.2004
7.	"अ" श्रेणी टोंक	टोंक	04.01.1997
8.	"अ" श्रेणी टोंक	टोंक	02.01.1998
9.	पीपलू	टोंक	01.11.2004
10.	जगदीश चौक	उदयपुर	07.01.1996
11.	जगदीश चौक	उदयपुर	04.01.1999

1	2	3	4
12.	बल्लभनगर	उदयपुर	01.11.2004
13.	बेगू	चित्तौडगढ़	01.11.2004
14.	पुंजपुर	डूंगरपुर	01.11.2004
15.	डूंगरिया	बांसवाड़ा	30.09.2004
16.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	01.11.2004
17.	कुईन्दा	जोधपुर	02.01.2001
18.	झंवर	जोधपुर	08.01.1999
19.	ननेऊ	जोधपुर	27.06.2004
20.	बाप	जोधपुर	01.11.2004
21.	बकरामंडी	जोधपुर	01.11.2004
22.	खलीफो की बावड़ी	बाड़मेर	31.05.2003
23.	बुरहान का तला	बाड़मेर	27.06.2004
24.	सांभर	जयपुर "ब"	01.11.2004
25.	महुवा	दौसा	01.11.2004

लेखाकार के पदों पर आरक्षित वर्ग के कर्मियों की पदोन्नति

273. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार लेखाकार पद पर अनुसूचित जाति/जन जाति का रिक्त आरक्षण कोटा भरने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या लेखाकार पद पर वर्ष 2003-04 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सम्पादित कर ली गई? यदि हां, तो कितने रिक्त पदों के लिए? रिक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त बैठक में अनुसूचित जाति/जन जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) लेखाकार पद पर वर्ष 2003-04 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सम्पादित कर ली गई है। उक्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 220 पदों के लिए की गई थी उक्त 220 रिक्तियों में से अजा की 106 एवं अजजा की 101 रिक्तियां थीं।

कुल रिक्तियों की 7 गुणा विस्तारित सीमा (अधिकतम) में इन वर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त रिक्तियों को नहीं भरा जा सका एवं रिक्तियां आगामी वर्ष के लिये सुरक्षित रख ली गई।

जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मियों द्वारा जारी फर्जी पट्टा प्रकरण

274. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की विभिन्न कालोनियों में फर्जी पट्टे जारी करने के आरोप में जयपुर विकास प्राधिकरण के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो पिछले तीन व र्षों में किन-किन कर्मचारियों को कब-कब तथा किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भविष्य में इस तरह के प्रकरणों को रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। पिछले तीन वर्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण में गिरफ्तार कर्मचारियों एवं उनके विरुद्ध आरोपों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण 'अ' पर संलग्न है।

(3) प्राधिकरण को फर्जी पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में जब भी सूचना प्राप्त होती है, तब इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तथा जरूरत पड़ने पर पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई जाती है। अगर ऐसे मामलों में प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की मिलीभगत पाई जाती है तो उनके विरूद्ध भी नियमानुसार जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है जिससे इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगने में मदद मिलती है। सरकार इन प्रकरणों में सख्ती से निपटाने का विचार रखती है।

परिशिष्ट 'अ'

पिछले तीन वर्षों में फर्जी पट्टे जारी करने एवं रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी एवं पद	गिरफ्तारी की तिथि	आरोप का विवरण	की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति
1.	श्री मोहन लाल बड़ाया, कनिष्ठ लेखाकार	7.5.2003	रिश्वत लेने के आरोप में	आज्ञा क्रमांक: प-1(23)जविप्रा संस्था/83 दि. 26.5.2003 को निलम्बित किया गया। अपराध सं. 123/03 में क्रमांक एफ-3(21)जविप्रा/जांच /विविध/ 2004 दि. 1.11.2004 को अभियोजन स्वीकृति हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पत्र जारी किया गया।
2.	श्री धीरसिंह रैगर, कनिष्ठ लेखाकार (प्रतिनियुक्ति पर थे)	22.5.2003	रिश्वत लेने के आरोप में	कार्यालय निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर ने कार्यालय आदेश कमांक : एफ- 4(ई) नि.प. (स्पे.23/92) अलेसे- III 1713 दिनांक 28.5.2003 के द्वारा निलम्बित किया गया। प्राधिकरण कार्यालय की आज्ञा क्रमांक: प-2 (30) जविप्रा/ संस्था/02 दिनांक 30.5.2003 के द्वारा प्राधिकरण कार्यालय से कार्यमुक्त कर इनके पैतृक विभाग कार्यालय निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को भिजवाया गया। इस सम्बन्ध में निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को पत्र भेजकर उक्त मामले में की गई कार्यवाही/प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही जा रही है।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी एवं पद	गिरफ्तारी की तिथि	आरोप का विवरण	की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति
3.	श्री जितेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ सहायक	17.7.2003	रिश्वत लेने के आरोप में	आज्ञा क्रमांक: प-4 (54)जयिप्रा/ संस्था/ 2000 दिनांक 2.8.2003 को निलम्बित किया गया। अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु ज्ञापन, आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र क्रमांक: एफ-3 (35) जयिप्रा/ जांच/ विभाग/ 04 दिनांक 14.3.2005 को जारी किया गया।
4.	श्री रमेश चन्द चौधरी, मुन्शी	1.3.2004	रिश्वत लेने के आरोप में	आज्ञा क्रमांक: प-4(24)जयिप्रा/ संस्था/ 93 दिनांक 12.3.2004 को निलम्बित किया गया। सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तैयार कर जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।
5.	श्री निजामुद्दीन, निरीक्षक	21.12.2004	फर्जी पट्टे के आरोप में	अपराध संख्या 141/04 में क्रमांक प-7 (3)जयिप्रा/जांच/04 दिनांक 22.12.2004 के द्वारा निलम्बित कर समसंख्यक क्रमांक व दिनांक के द्वारा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
6.	श्री संतोष गुप्ता, कनिष्ठ सहायक	23.12.2004	फर्जी पट्टे के अरोप में	अपराध संख्या 141/04 में क्रमांक: प-3 ए(73) जयिप्रा/संस्था/85 दि. 2.2.2005 के द्वारा निलम्बित किया गया तथा आज्ञा क्रमांक समसंख्यक दि. 16.3.2005 को न्यायिक जांच को प्रभावित किये बिना बहाल किया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र के किसानों को आवंटित असिंचित भूमि

275. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में जो भूमि आवंटित की गई है वह कमाण्ड भूमि के रूप में की गई है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मौके पर कई किसानों को अनकरड भूमि मिली? यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं? जिनको कमाण्ड की जगह अनकमाण्ड भूमि मिली है?

(2) क्या सरकार ऐसे किसानों को अनकमाण्ड की जगह कमाण्ड भूमि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में बसने वाली नई बस्तियों और राजस्व गांवों के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पोकरण तहसील के गांव छायण, टोटा, अजासर, दिधु को उपनिवेशन तहसील बाप के उप निवेशन तहसील नाचना में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। इ.गा.न.प. क्षेत्र में कमाण्ड एवं अनकमाण्ड दोनों ही प्रकार की भूमि का आबंटन किया जाता है। कालान्तर में कतिपय मामलों में सी.ए.डी. के द्वारा खालों का निर्माण करने से कुछ भूमि कमाण्ड से अनकमाण्ड हो गई है। जैसलमेर जिले में ऐसे प्रकरणों की संख्या 446 है जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(2) जी हां। ऐसे किसानों, जिनको आबंटित कमाण्ड भूमि की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अनकमाण्ड हो जाती है के बढ़ने में अन्य स्थान पर कमाण्ड भूमि देने के लिए पूर्व में आयुक्त उपनिवेशन की अध्यक्षता में समिति

(राजस्व मंत्री)

बनाई गई थी। जैसलमेर जिले के लिए प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु दिनांक 22.12.2001 एवं दिनांक 24.1.2002 के आदेशों (परिशिष्ट ख) (1) व ख (2) से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा 562 प्रकरणों में निर्णय लिया ज चुका है।

(3) जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में बसने वाली नई बस्तियों और राजस्व गांवों के विकास के लिए पेयजल योजनाए, सड़कों का निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने एवं शिक्षा विकास हेतु कार्यवाही की जा रही है। इनकी सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(4) इस सम्बन्ध में कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी है)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सेवानिवृत्त राजकर्मियों के कल्याणार्थ समिति का गठन

423. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पेन्शनर समाज ने पेन्शन नियमों विशे .कर पारिवारिक पेन्शन नियम को अधिक युक्ति संगत एवं सरल बनाने के लिये प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो अब कब तक पेन्शन नियमों क और सरलीकरण किया जावेगा?

(2) क्य सरकार केन्द्र सरकार की तरह पेन्शनरों के कल्याणार्थ व लाभार्थ (एस.सी.ओ.वी.ए.) जैसी समिति गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु पेन्शन अदालत बनाई गई थी? यदि हां, तो पेन्शन अदालत की पिछले पांच वर्षों मे कितनी बैठकें हुईं?

(4) क्या सरकार का पेन्शनरों के कल्याणार्थ कोई मंत्री स्तरीय समिति या इसी प्रकार की कोई उच्च स्तरीय समिति गठित करने का विचार है? क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में भी कोई समिति गठित की गई थी? यदि हां, तो क्या इस समिति द्वारा सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पेन्शनर समाज द्वारा प्रेषित प्रस्तावों का परीक्षण कर पारिवारिक पेन्शनर्स को हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक 136 175 एच, दिनांक 29.3.2005 जारी किया गया है।

(वित्त मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के निपटारे के लिए राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 7 (7) एफडी/आरएण्डए-1/84 दिनांक 24.11.1994 द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता में पेन्शन अदालत का गठन किया गया था। उसके पश्चात् वित्त विभाग के आदेश क्रं. प 7 (7) वित्त/आरएण्ड-1 (94) दिनांक 16.1.2002 द्वारा पेन्शन अदालत का पुनर्गठन कर सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। पुनर्गठित पेन्शन अदालत की दिनांक 18.12.2002 एवं 19.5.2003 की बैठकें आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त गत पांच वर्षों में पेन्शन अदालत हेतु प्राप्त 94 अभ्यावेदनों का पत्राचार के माध्यम से भी निस्तारण किया गया है।

(4) जी नहीं। क्योंकि जुलाई-अगस्त, 2004 में एक राज्यव्यापी पेंशन निस्तारण अभियान चलाकर लंबित पेन्शन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। तथा वर्तमान में शेष पेन्शन प्रकरणों की न्यून संख्या है, जिनके सम्बन्ध में पेन्शन विभाग समुचित कार्यवाई सम्पन्न करवा रहा है। पूर्व में प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) के आदेश क्रं. प6 (2)प्र.सु./अनु/3/94 दिनांक 10.01.1994 द्वारा लंबित पेन्शन प्रकरणों की समीक्षा हेतु तत्कालीन मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा समय-समय पर बैठकें आयोजित कर विभिन्न विभागों के सर्वोच्च अधिकारियों को आमंत्रित कर विलम्ब के कारणों की समीक्षा की गई। कमेटी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार विभागों के स्तर पर पेन्शन प्रकरणों हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये। जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। पेंशन प्रकर्णो के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किये गये। इस प्रकार उक्त समिति द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर समय-समय पर आयोजित मीटिंग्स के आधार पर पेन्शन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये। जिसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित कार्यवाई की गई।

गोल्ड कार्डधारी व्यवसायियों को प्रदत्त सुविधाएं

424. श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004-05 के बजट प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गई थी कि 16 प्रतिशत से अधिक कर जमा कराने वाले व्यवसायी को गोल्ड कार्ड दिया जायेगा? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक कितने व्यवसायियों को गोल्ड कार्ड दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गोल्ड कार्डधारी व्यवसायी को सरकार सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक 504 व्यवसायियों को गोल्ड कार्ड दिये गये हैं सूची सदन की मेज पर रख दी है

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गोल्ड कार्डधारियों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं नियमित रूप से कर जमा कराने वाले ऐसे व्यवसायी, जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया मांग नहीं है तथा जो गत वर्ष से कम से कम 16 प्रतिशत अधिक कर जमा करा रहे हैं एवं जिनके विरूद्ध कर चोरी का कोई प्रकरण लंबित नहीं है ऐसे व्यवहारियों को सभी विभागीय कार्य यथा घोषणा पत्र जारी करने, रिटर्न प्रस्तुत करने आदि में प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे व्यवहारियों का सर्वे या रेड कर चोरी की जानकारी होने पर भी आयुक्त की लिखित अनुमति के पश्चात् ही कार्यवाही की जा सकेगी।

गोल्ड कार्ड स्कीम स्वप्रेरणा से समय पर कर जमा कराने के लिए व्यवहारियों को प्रोत्साहित करने एवं विभाग की प्रक्रियाओं की पालना में उन्हें कठिनाइयों से राहत प्रदान किये जाने के लिए जारी की गई है.

List of Gold Card Holders

S.No.	Name of Dealer	Address	TIN
1	2	3	4
1	M/S Banshi Ram Kartar Chand	Pili Kothi, Ajmer	8250001094
2	M/S Jai Shri Tea & Industry Ltd.	Ashok Marg,Ajmer	8480004702
3	M/S G.R. Cotton Co.	Mahaveer Bazar, Beawar	8970101772
4	M/S Pawan Kumar & Co.	Sunaro Ki Chaupad, Beawar	8500102079
5	M/S Shri Balaji Minerals	Guru Kripa Market, Tehsil Road, Beawar	8700010856
6	M/S Gulraj Punam Chand	Jaipur Road, Madanganj, Kishangarh	8500050184
7	M/S Sudharsan Trading Co.	Jaipur Road, Madanganj, Kishangarh	8910050783
8	M/S Ajmer Diesel & Tractors	C/O M.R. Sons, Station Road, Ajmer	8430000219
9	M/S Ajmer Auto Agency	Srinagar Road, Ajmer	8440004530
10	M/S Harshit Machine Pvt. Ltd.	Industrial Area Parbatpura, Ajmer	8220004554
11	M/S Gindal Traders	Derathoo. Nasirabad	8210003541
12	M/S Shri B.M. Industries	Saradhana, District-Ajmer	8810004666
13	M/S Toshkan Jesko (India) Pvt. Ltd.	Gangwana, District-Ajmer	8380003690
14	M/S Kasta Pipes	Khandelwal Transport Ke Pass, Byepass, Parbatpura, Ajmer	8460005586
15	M/S Mool Chand Jai Ram Das	Madar Gali, Ajmer	8290000781
16	M/S Om Prakash Navneet Kumar	Naya Bazar. Ajmer	8620004528
17	M/S Nirman Electronics	P.R. Marg, Ajmer	8060001441
18	M/S Relain Motors Pvt Ltd.	Beawar Road, Ajmer	8160002550
19	M/S Shri Madhav Engineering Works	Rawan Ki Bagichi. Ajmer	8650001165
20	M/S Shri Ram Industries	Parbatpura, Ajmer	8900000203
21	M/S Shri Beverages	Parbatpura, Ajmer	8110002723

1	2	3	4
22	M/S Tirupati Bali Industries	Parbatpura, Ajmer	8850000182
23	M/S Vishal Traders	P.R. Marg, Ajmer	8760004548
24	M/S Arjun Optical Industries	Madar Gate, Ajmer	8910000925
25	M/S Iron Brothers	Madar Gate, Ajmer	8190000448
26	M/S Kapil Hosiery	Madar Gate, Ajmer	8670004743
27	M/S Mahendra Industries Works	153, Ashaganj, Ajmer	8330000953
28	M/S Kalyan Textiles	Katala Bazar, Madanganj Kishangarh	8690050904
29	M/S Rajmal Gyan Chand	Balaji Ke Mandir Ke Aage, Jaipur Road, Kishangarh	8210052914
30	M/S Shri Gopal Tikkam Chand	Balaji Ke Mandir Ke Aage Jaipur Road, Kihangarh	8140050188
31	M/S Rajendra Kumar Govindram	Vyapari Mohalla, Madanganj Kishangarh	8890052734
32	M/S Khemani Dyes & Chemical	Main Choraya, Madanganj Kishangarh	8710050117
33	M/S Subhash Textiles Agency	Ajmer Road, Madanganj Kishangarh	8510052458
34	M/S Abhishek Trading Co.	Lal Market, Mewadi Bazar Beawar	8180102643
35	M/S N. Surendra Co.	Pali Bazar, Beawar	8610100030
36	M/S Kedarmal Kartik Kumar	Khan Colony, Beawar	8040100489
37	M/S Compu Con	RIICO Indistrial Area, Beawar	8020104858
38	M/S Khushal Chand Heera Lal	Agarsen Bazar, Beawar	8980101136
39	M/S Gokul Chand Bhagwati Prasad	Pansari Bazar, Beawar	8740100589
40	M/S Jagdish Prasad Panna Lal	Phatehpuria Bazar. Beawar	8390100539
41	M/S Dhakha Monolex Pvt. Ltd.	Ajmer Road, Beawar	8750101699
42	M/S Premraj Sampat Raj Chhaltani	Woolen Market, Beawar	8380102048
43	M/S Bhansali Indusries	Ajmer Road, Beawar	8670100385

1	2	3	4
44	M/S Maharshi Minerals Industries	10, Iron Street, Beawar	8210100347
45	M/S Vimal Electrical Industries	Bhaphana Gali, Naya Bass, Beawar	8140101210
46	M/S Ganesh Das Manak Chand Gulechha	Mewadi Bazar, Beawar	8310101165
47	M/S Genesh Das Manak Chand Gulechha & Co.	Mewadi Bazar, Beawar	8390100733
48	M/S Shankheshwar Trading Co.	Mewadi Bazar, Beawar	8460101422
49	Sohan Lal Gulab Chand Moondra	Peepliya Bazar, Beawar	8500100624
50	M/S Tarachand Jitendra Kumar	Sthanak Gali, Vijaynagar	8830150640
51	M/S Mahesh Industries	E-64-65, Indistrial Area, Vijaynagar	8830150058
52	M/S Sneh Industries	F-87, Industrial-Area, Vijaynagar	8490150633
53	M/S Motilal Hemraj	Pali Bazar, Beawar	8840100657
54	M/S Gupta Pulverizers	RIICO, Ajmer Road, Beawar	8760101257
55	M/S Suraj Bhan Durga Prasad	Agarsen Bazar, Beawar	8230100627
56	M/S Prakash Trading Co.	Sthanak Gali. Vijaynagar	8609150135
57	M/S Baldev Das Puranmal	Panch Batti Chouraha, Beawar	8860103045
58	M/S Kailash Hosiery	Shah Market, Pali Bazar, Beawar	8760100772
59	M/S Malpani Brothers	Mewadi Bazar, Beawar	8460100646
60	M/S Punam Chand Noratmal	Sheetla Mata Gali, Beawar	8220100196
61	M/S Navneet Minerals	12, Navneet Bazar, Beawar	8880103325
62	M/S Shri Ganesh Cement	Mahaveer Bazar, Beawar	8760101936
63	M/S Malpani Wools	Mahaveer Bazar, Beawar	8100100262
64	M/S Vimal Traders	Nehru Gate Ke Bahar, Beawar	8860100232
65	M/S Savar Mines & Minerals	Savar Chouraha, Savar	8810150554

1	2	3	4
66	M/S Chandmal Jain	Sardar Bazar, Kekari	8850150241
67	M/S Sumeet Motors	Ajmer Road, Nagaur	8340201592
68	M/S Gulab Chand Prakash Chand	B-29, Krashi Upaj Mandi, Mertacity	8610200813
69	M/S Dev Karan Shri Chand	A-14, Krashi Upaj Mandi, Mertacity	8150201064
70	M/S Beda Traders	Krashi Mandi, Mertacity	8210250794
71	M/S Rajesh Agarwal & Co.	B-34, Krashi Upaj Mandi, Mertacity	8310201075
72	M/S Ramdas Ramanand & Co.	A-8, Krashi Upaj Mandi, Mertacity	8610200522
73	M/S Saajagraj Sardarmal	C-9, Krashi Upaj Mandi, Mertacity	8610220374
74	M/S Gotan Lime Stone Khanii Udyog	Railway Station Ke Pass, Gotan	8300200062
75	M/S Ladnoo Tractors	Nagaur Road, Ladanoo	8120202683
76	M/S Agarwal Engineering Industrial	Industrial Area, Nagaur	8410201117
77	M/S Ratan Lal Rajesh Kumar	B-19, Dhan Mandi, Niwai	8630450092
78	M/s Rajendra Prasad Om Prakash	B-13, Nai Dhan Mandi, Niwai	8550450330
79	M/S Spin Pipe Manufacturing Works	B-38-40, Road No. 2, Industrial Area, Niwai	8880450003
80	M/S Brij Mohan Padam Kumar	Shop No. 12, Devali, District-Tonk	8280500094
81	M/S Amar Chand & Co.	Shop No. 104, Adarsh Nagar, Jain Mandir Ke Pass, Malpura	8590500166
82	M/S Abhishek Traders	Sabji Mandi, Devali	84[illegible]500416
83	Amarnath Gupta	Kedal Ganj, Alwar	85[illegible]550833
84	G G Sales Corp	Burja Teh. Alwar	8610552147
85	Mahesh & Bros.	Kedal Gang, Alwar	8350550156
86	Hajari Lal Sedhmal	A-18, New Mandi, Alwar	8640550336
87	M G Motors	Tijara Road, Alwar	8110553101
88	Raghunath Pd Shiv Dayal	A-5, New Mandi, Alwar	8860550700

1	2	3	4
89	Radhey Shyam Suresh Cn.	F-6, New Mandi, Alwar	8670550174
90	Sanjay Trading Co.	29, Naru Marg, Alwar	8900550096
91	Orient Abresives	SP-148, Ind. Area Bhiwadi	8300850641
92	Chimman Lal Kanhaya Lal	New Grain Mandi, Kherli	8720553396
93	Dinesh Ch Pawan Kr.	Old Grain Mandi, Kherli	8320551870
94	Sri Krishan Trading Co.	10-New Grain Mandi Kherli	8180550492
95	Suresh Ch. Ravi Dutt	3-New Grain Mandi, Kherli	8400551729
96	Haryana Iron Traders	Ramganj, Alwar	8690553267
97	Har Govind Gauri Lal	B-10, New Mandi, Alwar	8520550111
98	Laxmi Oil Mill	Sabji Mandi, Alwar	8100551021
99	Notional Gears,	Daudpur, Alwar	8540552331
100	Ramlal Mohan Lal	F &V 24, New Mandi, Alwar	8820552856
101	Chodhary Trading Co.	Barodameo Teh. Laxmangarh	8890553545
102	C S Mines Pvt. Ltd.	32, Alka puri, Alwar	8740602273
103	Lokpriya Distributors	Marethia Bass, Alwar	8380602471
104	Mediwest	Civil Line Alwar	8020600826
105	National Minerals	A-147(A), MIA Alwar	8550600389
106	Ram Charan & Sons	A-5, New Mandi Alwar	8150600512
107	Yadav & Co. B-I	New Mandi Khairtal	8540601510
108	Udisa Trading Co.	B-29, New Mandi Khairtal	8210602031
109	Babu Lal Vijay Kr.	A-16 New Mandi Khairtal	8870600116
110	Budda Ram Suresh Kr.	A-12 New Mandi Khairtal	8870600019
111	Bihari Lal Om Prakash, Khairtal	C-37 New Mandi	8830600526
112	Ganga Ram Bhagwat Pd	B-36 New Mandi Khairtal	8830600623
113	Goverdhan Pd Suresh Kr.	B-6 New Mandi Khairtal	8720601411
114	Hiral Lal Mat Ram	A-7 New Mandi Khairtal	8630600151
115	Hari Krishan & Co.	B-30 New Mandi Khairtal	8270600349
116	Jawala Sahai Badlu Ram	B-40 New Mandi Khairtal	8890601172
117	Jai Narayan & Sons	C-17 New Mandi Khairtal	8080601763
118	Kapoor Ch. Mahaveer Pd,	B-4 New Mandi Khairtal	8960600697

1	2	3	4
119	Lala Ram & Bros.	C-15 New Mandi Khairtal	8170600210
120	Lila Sahai Ind.	Harsoli Road Khairtal	8310603431
121	Mukesh kr Devendra Kr.	B-18 New Mandi Khairtal	8280601459
122	Naresh Kr Dinesh Kr	A-22 New Mandi Khairtal	8530600691
123	Puran Mal Ratan Lal	B-11 New Mandi Khairtal	8410600275
124	Ram Avtar Agarwal	C-129 New Mandi Khairtal	8610600938
125	Ram Vilas Ram Avtar	A-5 New Mandi Khairta	8260601470
126	Ram Charan Mussaddi Lal	A-1 New Mandi Khairtal	8040602076
127	Ramesh Ch Kuldeep Kr.	C-14 New Mandi Khairta	8760601292
128	Rani Ram Suresh Ch.	C-35 New Mandi Khairta	8140600566
129	Sri Ram Ram Chander	C-44 New Mandi Khairta	857060008[illegible]
130	Ram Avtar Madan Lal	C-28 New Mandi Khairtal	8360600445
131	Shiv Plywood & Hardware	Old Station Road Alwar	8260600403
132	Sai Ram Trading Co.	54, Tej Mandi Alwar	8460600487
133	Pramod Electronic	Veer Chock Alwar	842060024[illegible]
134	Singhal Bros.	Opp. Gopal Talkies Alwar	8360600251
135	Ajanta Chemicals Pvt. Ltd.	120 A, MIA Alwar	8720602187
136	Gaind Mal Gyan Ch.	C-10. New Mandi Alwar	89[illegible]0602961
137	R K Distributors	21. Kailash Colony Alwar	8160551958
138	Suresh Ch. Kishan Ch.	A-6, New Mandi, Alwar	883055037[illegible]
139	Sri Adinath Marbles Pvt. Ltd.	A-276, MIA Alwar	8190602527
140	Parle Biscuits Ltd.	SP 2-3-4. Ind. Area Neemrana	[illegible]140700796
141	Sicpa Inks India Ltd	B-1245-46, Ind. Area Bhiwadi	88[illegible]0521195
142	Arya Agro Agencies	Numaish Road Bharatpur	83[illegible]752541
143	Suraj Mal Niranjan Lal	K.A. Deeg (Bpr)	8550901003
144	Ajay Trading Co.	Kumher Bharatpur	8770751103
145	Varsha Trading Co.	New Mandi Bharatpur	8940752125
146	Babu Lal Ram Kishore	Shiv Ganj Mandi Bayana	8350650609
147	Garg Oil Ind.	A-17, Ind. Area Bharatpur	8590750135
148	Laxmi Narayan & Bros.	New Mandi Bharatpur	8250750128

1	2	3	4
149	Mangal Traders	New Mandi Bharatpur	8370750159
150	Mahesh Ch. & Bros	New Mandi Bharatpur	8770750153
151	Mahesh Ch. Manish Kr	Bayana (Bharatpur)	8930650620
152	Om Prakash Ramesh Ch.	New Mandi Bharatpur	8650750005
153	Phool Ch Dinesh Kr.	New Mandi Bharatpur	8870750272
154	Puran Traders	New Mandi Bharatpur	8350750170
155	Ramesh Ch Ashok Kr.	Shiv Ganj Mandi Bayana	8440750460
156	Ratan Lal Omkar Mal	Shiv Ganj Mandi Bayana	8080750658
157	Rajasthan Udyog	New Mandi Bharatpur	8230750333
158	Singhal Bros.	New Mandi Bharatpur	8640800111
159	Arya Agencies	Circular Road Bharatpur	8030800107
160	Sri Puran Ind. & Oil Mills	F-65, Brij Ind. Area Bharatpur	8530750265
161	N M Agrawal Cycle Store	Main Market dpr	8020950123
162	Dwarka Pd Bhagwan Dass	Badi (Dholpur)	8030950748
163	M/S Samyak Yarn Agency	Bhilwara	8371005463
164	M/S Bhanwar Lal Moondra	Bhilwara	8731002355
165	M/S Shriji Iron & Brass Factory	Bhilwara	812100314
166	M/S Keshuram Ramchandra	Nimbahera	8211150837
167	M/S Gautam Lal Sagar Mal	Choti Sadri	8251151320
168	M/S Akhil Hosiery	Pratapgarh	8491150024
169	M/S Sisodia Automobiles Pvt. Ltd.	Chittorgarh	8161103112
170	M/S Khayalilal Bhanwarlal	Chittorgarh	8541100575
171	M/S Labhchand Ashok Kumar	Chittorgarh	8281100330
172	M/S Shri Surendra Auto Centre	Chittorgarh	8101100623
173	M/S Shri Udaipur Automo-biles	Nathwara	8781250890
174	M/S Suraj Store	Nathwara	8641255138
175	M/S Rajasthan General Store	Nathwara	8771250265

1	2	3	4
176	M/S Shri Mohta Ayurvedic Resayanshala	Station Road, Bikaner	8471351213
177	M/S Bhanwarlal Sirohia	Main Bazar, Sardarshahar	8471450929
178	M/S Kaluram Ramdev	Uttarada Bazar, Ratangarh	8611550374
179	M/S Vijay Enterprises	J-237-B, Kharbuja Mandi, M.D. Road, Jaipur	8061601068
180	M/S W & Metal Wires Ltd.	143, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur	8861650583
181	M/S Shri Ram Pharma	856-A, Aankron Ka Rasta, Jaipur	8581752393
182	M/S Kanji Sweets	Station Road, Jaipur	8821750030
183	M/S O.B. & Company	Nai Anaj Mandi, Jaipur	8511751219
184	M/S Pioneer Plastics Ind.	Station Road, Jaipur	8692101581
185	M/S Parag Industries	E-13, Bani Park, Jaipur	8471753375
186	M/S Shri Parmeshwari Treaders	29, Vanasthali Marg, Jaipur	8691753545
187	M/S A.M. Enterprises	D-24, Pink City Apartment, Jaipur	8461755369
188	M/S Heerex Corporation	B-6, Station Road, Jaipur	8891751592
189	M/S Jaipur Home Appliances	D-26, Bani Park Jaipur	8741756282
190	M/S Leon Overseas Pvt Ltd	U.G. 20, Shekhawati Complex, Station Road, Jaipur	8561756963
191	M/S Automotive Products	H-63, Bani Park Jaipur	8351753732
192	M/S Rajasthan Homeo Agency	Station Road. Jaipur	8601752867
193	M/S Wings Pharmaceuticals Pvt Ltd.	14. Mahatma Gandhi Nagar Ajmer Road. Jaipur	8231757290
194	M/S Tikkiwal Traders	433, Tikkiwalon Ka Rasta, Jaipur	8951761850
195	M/S Pokharmal Bhajan Lal	Sikar	8951850402
196	M/S Nand Kishore Jugalkishore	Sikar	8921851631
197	M/S Ramdev Durgadutt & Company	Sikar	8321850312
198	M/S Jogaram Banwarilal	Sikar	8441851410

1	2	3	4
199	M/S Satyanarayan Sushilkumar	Sikar	8911850715
200	M/S Shekhawati Glass Company	Sikar	8131853084
201	M/S Tagala Stone Company	Laxmangarh	8701850200
202	M/S Banwarilal Sharma &Co.	Ringus	8151900118
203	M/S Ganesh Industries	Ringus	8571900469
204	M/S Diwas Trading Company	Shri Madhopur	8461900966
205	M/S Munshi Cycle Store	Ramganj Bazar, Jaipur	8252200860
206	Pratibha Enterprises	Behind MGD Market, Jaipur	8392201268
207	Royal Food Products Pvt Ltd	23, Govind Nagar East, Jaipur	8632205404
208	Saras Agencies	Opp. Ramprakash Cinema Chandi Ki Taksal, Jaipur	8552204187
209	M/S Vidhyut Teletonics Ltd.	28, Nai Manzil, Haldiyon Ka Rasta, Jaipur	8752202816
210	M/S G L Abrasive Traders	Ganga Mata Ki Gali, Gopalji Ka Rasta, Jaipur	8471700607
211	M/S Khajana Shoes	49, Nehru Bazar, Jaipur	8291700318
212	M/S Govindram Rochiram	169, Chaura Rasta, Jaipur	8391702688
213	M/S Ostra Genca Pharma Ltd	177, Shri Gopal Nagar, Gopalpura Byepass, Jaipur	8362200072
214	M/S Bigson Digson India Ltd.	B-1, Bais Godown Industiral Area, Jaipur	8422104494
215	M/S Bharat Agencies	A-9, Jayanti Market Jaipur	8972102203
216	F D C Ltd	F-18 D, Kartarpura Bais Godown, Jaipur	8942103917
217	M/S Stoneage Industry Diamond Pruducts	R9, Yudhistar Marg. Ashok Nagar, jaipur	8232100767
218	M/S Sigma Bio-Medical Service	C-25, Samir Chamber, Laxmi Mandir Ke Pass, Jaipur	8060100715
219	M/S The Ram Bagh Palace Hotel Pvt. Ltd.	Bhawani Singh Road. Jaipur	8892102441
220	M/S Phoolchand Suganchand	Sawai Madhopur	8162351017
221	M/S Mohan Trading Company	Sawai Madhopur	8822351041
222	M/S Moolchand Dwarkaprasad	Sawai Madhopur	8142351028
223	M/S Shambhudayal Rameshchand	Sawai Madhopur	897235100[illegible]
224	M/S Satishchand Shivdayal	Sawi Madhopur	8592351023

1	2	3	4
225	M/S Radhyashyam Nareshchand	Sawi Madhopur	8612351012
226	M/S Anil Trading Company	Hindaun City	8782050461
227	M/S India Motors	Hindaun City	8392050045
228	M/S Ghanshyamdas Bikamchand	Hindaun City	8262050068
229	M/S Prakashchand Sanjeevkumar	Hindaun City	8262050144
230	M/S Prakashchand Govindnarayan	Hindaun City	8192050155
231	M/S Parasram Sanjeevkumar	Hindaun City	8282050154
232	M/S Govindprasad Dwarkaprasad	Hindaun City	8982050642
233	M/S Agrawal Bros	Gangapur City	8392000381
234	M/S Kalyan Bux Bali Prasad	Gangapur City	8702000065
235	M/S Kanhyailal Damodarprasad	Gangapur City	8202000243
236	M/S Gangasahaya Rameshwar Prasad	Gangapur City	8612000454
237	M/S Tikamchand Ratanlal	Gangapur City	8472000046
238	M/S Dipak Trading Company	Gangapur City	8872000505
239	M/S Nandkishore Ramjilal	Gangapur City	8872000990
240	M/S Radheyshyam Shyamlal	Gangapur City	8732000679
241	M/S Ratanlal Mithalal	Gangapur City	8202000437
242	M/S Lalit Bros.	Gangapur City	8792000064
243	M/S Hanuman Traders	Gangapur City	8462000003
244	M/S Sureshchandra Santosh kumar	Gangapur City	8822000096
245	M/S Shriram Traders	Gangapur City	8672000033
246	M/S Khandelwal Purana Bardana Trading Company	Gangapur City	8872000311
247	M/S Radheyshyam Mukesh kumar	Gangapur City	8162000265
248	Punjab Home Décor	Hindaun City	8982051127
249	M/S Ceat Tyers	Pardise 307-IIIrd Floor, C61-A, Sarojini Marg C-Scheme Jaipur	8042101114

1	2	3	4
250	M/S Totan Phena Lubricants	Gayatri Plaza, Ist Floor, E-28, Transport Nagar, jaipur	8151602910
251	M/S Mahendra & Mahendra (Jeep)	408-IV Floor Ganpati Plaza, M I Road, Jaipur	8492101400
252	M/S Tata Motors	205, Shyam Anukampa, O-11, Ashok Marg C-Scheme, Jaipur	8261651301
253	M/S Advent Automobiles Pvt. Ltd.	Gopal Bari, Jaipur	8692105655
254	M/S Bihani Enterprises	B-1, Jayanti Market, M I Road, Jaipur	8362105691
255	M/S Bits & Bytes Computer Pvt. Ltd.	C-9, Ist Floor, Jayanti Market. Jaipur	8272105401
256	M/S Dyecem Shri Ram Rafrig-eration Pvt Ltd.	78, Suraj Nagar West. Civil Lines, Jaipur	
257	M/S Glenmarc Pharma Ltd.	C-3, Lal Kothi Scheme, Raghu Vihar, Tonk Road, Jaipur	8072105317
258	M/S Inalsa Appliances	D-23, 24, Kalwad Scheme. Gopalbari Jaipur	8272105110
259	M/S Jugat Pharma	15-B. Praveen Marg, C-Scheme, Jaipur	8252105121
260	M/S L P G Infrastuctures India Ltd.	Jaipur	8812106656
261	M/S Mankinds Pharma	C26 Ist Floor, Bais Godown Jaipur	8112105198
262	M/S Marble Paper	A-1. Puri House. Gopinath Marg, Jaipur	8112102808
263	M/S Pharma Traders	S-4, Jyoti Nagar, Jaipur	8672100331
264	M/S Shreyan India Pvt Ltd.	Ganpati Plaza, Jaipur	8382103643
265	M/S Shreya lifescience Pvt Ltd.	9 Kartarpura, Bais Godown, Jaipur	8132106060
266	Tek Pacific	B-14 A, Bhawani Singh Lane, C-Scheme, Jaipur	1421/05294
267	M/S Chetan Prakash Anil Kumar	Bhamashah Mandi, Kota	8612950860
268	M/S Industrial & Technical Enterprises	Jhalawar Road, Kota	8462951767
269	M/S Kishan Lal Mohan Lal	Bhamashah Mandi, Kota	8852950243
270	M/S Prabhu Dayal Pramod Kumar	Bhamashah Mandi, Kota	8242951306

1	2	3	4
271	M/S Jai Ganesh Industries	Bhamashah Mandi, Kota	8902950167
272	M/S Builaer & Company	IPIA, Kota	8222950528
273	M/S Shri Jain & Company	Baran	8352750019
274	M/S Rameshwar Prasad Hemraj	Baran	8302752132
275	M/S Shiv Agrico Ltd.	Kal Mandi, Baran	8332751252
276	M/S SukhLal Manna Lal & Sons	Anta	8090750938
277	M/S Kisan Tractor Parts	Kota	8692950040
278	Gautam Trading Company	Krishi Mandi, Pali	8253250109
279	M/S Chaurbhuj Jaithmal	9, Udaipuria Bazar, Pali	8913252074
280	M/S Chandra Enterprises	114, Adarsh Nagar. Pali	8653250471
281	M/S Nand Kishore &Company	Khopra Katla, Pali	8203250573
282	M/S Mateshwari Trading Co.	Kutchery Road, Pali	8363250873
283	M/S Jain Associates	Mandia Road, Pali	8633255471
284	M/S Mohan Lal Bhati	Surajpol, Pali	8163250304
285	M/S Jhumaral Shyamsundar	Main Bazar, Sojat Road, Pali	8043251049
286	M/S Viswakarma Chemical	Patus, Jaitaran	8183250293
287	M/S Jeewatraj Vijayraj Bohra & Co.	Main Bazar. Jaitaran	8303253816
288	M/S Kishoremal Subhash Chand Bohra	Main Bazar, Jaitaran	8213253817
289	M/S Vardhman Yarn Traders	New Cloth Market, Pali	8033253431
290	M/S Al Masoom International	17, Churighar Bazar, Pali	8773251278
291	M/S J K Industries	67 A, Phase III, Industrial Area, Sojat City	8193253149
292	M/S Moorlesh Minerals Raipur	20. Goyal Bhawan Rest House Road. Sojat City	8733250524
293	M/S Shiva Traders	Gaon Aabkaki Dhani Post Chopra, Tehsil Sojat City	8273253978
294	M/S Santosh Coal Suppliers	Gaon Aabkaki Dhani Post Chopra, Tehsil Sojat City	8853254823
295	M/S Chamanraj Mehta	Sadar Bazar, Jaitaran	8733251666
296	M/S Agarwal Automobiles	Nagar Parishad Ke Pass, Pali	8063250068
297	M/S Jyoti Steel Furniture	Main Mandia Road. Pali	8713250050

1	2	3	4
298	M/S Neo Cables Industry	Village Jawaria Ghoomti Jodhpur Road, Pali	8523253598
299	M/S Shree Ram Mewara Traders	Main Mandia Road, Pali	8973253011
300	M/S Prahlad Chand Mangila	Rohat	8363253492
301	M/S Om Trading Co.	Udaipuria Bazar, Pali	8403253858
302	M/S Keshoram Rayons	Fatehpuria Bazar, Pali	8733250621
303	M/S Chetna Hotel	Pani Darwaza, Pali	8843254295
304	M/S New Bartan Bhandar	Baisi Bazar, Pali	8983250144
305	M/S [illegible] airav Offsets	Udaipuria Bazar, Pali	8073253312
306	M/S Ramnarayan Sohanlal	Baisi Bazar, Pali	8073252051
307	M/S Nee [illegible] amal Tea Depot	Marwar Junction	8523250106
308	M/S Chunnilal Na [illegible] ulal	Agarsen Marg, Shivganj	8533300070
309	M/S Nandram Gopal	Sadar Bazar, Abu Road	8883300348
310	M/S Sirohi Auto Spares	Shanti Nagar, Sirohi	8323300171
311	M/S National General Store	Halwai Bazar Shivganj	8413301237
312	M/S Moon Distributors	Cinema Gali, Shivganj	8183301024
313	M/S Sankalchand Devaji	Halwai Bazar, Shivganj	8693300113
314	M/S Morbia Chemical	Gandhi Nagar, Abu Road	8603100488
315	M/S Jai Jeen Bhawani	Heena Colony, Abu Road	8413100059
316	M/S Omprakash Sureshkumar	143, Krishi Mandi, Sumerpur	8833350185
317	M/S Jugraj B [illegible] anwarlal	Krishi Mandi, Sumerpur	8103350829
318	M/S G S Trading Company	Krishi Mandi, Sumerpur	8233350127
319	M/S Babulal Narendra Kumar	Krishi Mandi, Sumerpur	8213351787
320	M/S Balaji Broakers	Krishi Mandi, Sumerpur	8823351597
321	M/S Babulal Ummedral Bhati	Krishi Mandi, Sumerpur	8583351147
322	M/S Mahjhara Mangila	Krishi Mandi, Sumerpur	8493350178
323	M/S Vijesh Trading Company	Krishi Mandi, Sumerpur	8893351975
324	Sagarmal Chandmal	Krishi Mandi, Sumerpur	8563350382
325	M/S Pukhraj Agarwal & Sons	Krishi Mandi, Sumerpur	8113352327
326	M/S Surendra Kumar & Co.	Krishi Mandi, Sumerpur	8513350361

1	2	3	4
327	M/S Mahaveer Traders	Krishi Mandi, Sumerpur	8333351889
328	M/S Shah Laxmichand Kantilal	Krishi Mandi, Sumerpur	8563351643
329	M/S S. P. Glass Centre	Main Bazar, Falna	8793350110
330	M/S Bhairav Hardware Stores	Main Bazar, Falna	8783350455
331	M/S Dhanlaxmi Steel Industry	Industrial Area, Falna	8203350774
332	M/S Gulabchand Anantram	Main Bazar, Sumerpur	8453350297
333	M/S Ganeshsingh Gulabji	Krishi Mandi, Sumerpur	8923350184
334	M/S Nandlal Dayaram	Main Bazar, Sumerpur	8753351496
335	M/S Badrilal Chaturbhuj	Main Bazar, Sumerpur	8383350869
336	M/S Skylark & Co.	Industrial Area, Rani	8693350359
337	M/S Sanghvi Stone Co.	Industrial Area, Rani	8053350323
338	M/S Sona Enterprises	Industrial Area, Rani	8623350737
339	S.R. & Company	Jodhpur	8262553401
340	Ajay Trading Company	Jodhpur	8332600165
341	Mutha Dhanraj Sureshkumar	Jodhpur	8112600189
342	Mahesh Chemical Industry	Jodhpur	8162601277
343	Deep Traders	Jodhpur	8442601220
344	Motilal Madanraj Jain	Jodhpur	8432600110
345	Bhuraram Babulal	Jodhpur	8712601799
346	Raj Gopal Shyamsundar Agarwal	Jodhpur	8362603107
347	Sabu Fabrics	Jodhpur	8192604122
348	R.K. Traders	Jodhpur	8702600883
349	Chamunda Traders	Jodhpur	8902706115
350	Western Bearing House	Jodhpur	8382601932
351	Manish Metals	Jodhpur	8182602527
352	Nav Durga Suppliers	Jodhpur	844260345[illegible]
353	P N Agarwal & Company	Jodhpur	8252700119
354	Mukesh Timber	Jodhpur	8392700721
355	Marudhar Jewellers	Jodhpur	8382700290
356	Bajrang Tea Company	Jodhpur	8842550075

1	2	3	4
357	Vimal Singh Vinod Kumar	Jodhpur	8032550417
358	Ganganagar Tea Corpo	Jodhpur	8532550488
359	Anupam Traders	Jodhpur	8562550811
360	Govind Agencies	Jodhpur	8592551134
361	R.B. Mitha & Company	Jodhpur	8942552833
362	Moolchand & Company	Jodhpur	8062551280
363	Vinayak Agency	Jodhpur	8262550103
364	Modi Mundi Pharma Ltd.	Jodhpur	8912552025
365	F.C.I.	Jodhpur	8512556610
366	Shrikant Minerals Pvt. Ltd.	Jodhpur	8932552305
367	Ramadyal Kanhayialal	Jodhpur	8982550871
368	Ramdas Ramvilas	Jodhpur	8022551108
369	Raj Traders	Jodhpur	8182551117
370	Abhay Kumar & Company	Jodhpur	8542550337
371	Rajasthan Trade Agent	Jodhpur	8212550179
372	O.N.G.C.	Jodhpur	8402551283
373	Shri Krishna Udhyog	Jodhpur	8422650410
374	Mac Shot Blastic Equipment	Jodhpur	8942650512
375	Surface Phiniling Equipment Company	Jodhpur	8452650636
376	Pharma Distributors	Jodhpur	8742651013
377	Tajhari Mahal Palace Hotel	Jodhpur	8392652900
378	Laxmi Udhyog Industry	Jodhpur	8542700978
379	Sonaram Rajaram Choudhary	Jodhpur	8202650046
380	Ambaram Sonaram Choudhary	Jodhpur	8482650086
381	Mohnot Stainless Steel Ind Pvt. Ltd.	Jodhpur	8322650562
382	Pack Master	Jodhpur	8032651643
383	Jai Distributors	Jodhpur	8882652679
384	M/S Kamra Brothers	Sri Vijaynagar	8783700042
385	M/S Trilok Singh Santosh Singh	Sri Vijaynagar	8083700040

1	2	3	4
386	M/S Agarwal Trading Co.	Raisingh Nagar	8773600575
387	M/S Murari Lal Mukesh Kumar	Raisingh Nagar	8173600808
388	M/S Manoj Trading Co.	Raisingh Nagar	8033600264
389	M/S Nand Lal Ashok Kumar	Raisingh Nagar	8743600349
390	M/S Duni Chand Balkishan	Padampur	8683601352
391	M/S Roshan Lal Vijay Kumar	Padampur	8503600772
392	M/S Gordhan Das Suresh Kumar	Gajsinghpur	8133601507
393	M/S Kashi Ram Surajbhan	Gajsinghpur	8633600749
394	M/S Chandumal Manoj Kumar	SriKaranpur	8883600175
395	M/S Jasuja Trading Co.	Sriganganagar	8713405250
396	M/S B.C.C.I. Ltd.	Sriganganagar	8543401803
397	M/S National Fertilizers Ltd.	Sriganganagar	8783403999
398	M/S Chhogmal Chiranji Lal	Hanumangarh Town	8853500330
399	M/S Dharshan Kumar Satish Kumar	Hanumangarh Town	8293501608
400	M/S Bagirath Mal Surendra Kumar	Hanumangarh Town	8293503742
401	M/S Chunnilal Jiwan Ram	Peelibanga	8303504852
402	M/S Ayodhya Prasad Ramswaroop	Sriganganagar	8443505260
403	M/S. R.K. & Co.	Sriganganagar	8843403190
404	M/S Goyal Brothers	Sriganganagar	8353401568
405	M/S Amolak Singh Gulab Singh	Sriganganagar	877340250[illegible]
406	M/S Ashok Kumar Subhash Chand	Sriganganagar	8323400469
407	M/S Anand Trading Co.	Sriganganagar	8033401065
408	M/S Om Prakash Vimal Kumar	Sriganganagar	8643408681
409	M/S Om Prakash Rakesh Kumar	Sriganganagar	8503405511
410	M/S Isagro (Asia) Chemicals Pvt. Ltd.	Sriganganagar	8493405856
411	M/S Co-operative Supply & Commission Shop	Sriganganagar	8733402717
412	M/S Kailash Chand Ram Prakash	Sriganganagar	8163400557
413	M/S Kishori Lal Satya Narain	Sriganganagar	8653460045
414	M/S Kishan Das Jethanand	Sriganganagar	8563402083
415	M/S Coro Mandal Agroco Pvt Ltd.	Sriganganagar	8853403464

1	2	3	4
416	M/S Golden Pharma	Sriganganagar	8833402953
417	M/S Gopal Brothers	Sriganganagar	8663403289
418	M/S Girdhari Lal Bhagwan Das	Sriganganagar	8703464140
419	M/S Gopi Ram Mukesh Kumar	Sriganganagar	8683404539
420	M/S Gheru Ram Chandu Lal	Sriganganagar	8783400882
421	M/S Gangajal Manoj Kumar	Sriganganagar	8473401017
422	M/S Chaudhary Mani Ram Rameshwar Lal	Sriganganagar	8163402788
423	M/S Chaudhary Ranjeet Singh Mahendra Singh	Sriganganagar	8763401779
424	M/S Chandra Mohan Heera Lal	Sriganganagar	8783401574
425	M/S Jai Karan Das Parmanand	Sriganganagar	8433404919
426	M/S Dhala Ram Sohan Lal	Sriganganagar	8193403308
427	M/S Dhaka Brothers	Sriganganagar	8583401781
428	M/S Tulchha Ram Khanaya Lal	Sriganganagar	8163400169
429	M/S Nand Lal Naresh Kumar	Sriganganagar	8303400965
430	M/S Neelkhand Traders	Sriganganagar	8903401896
431	M/S Pujari Lal Raj Kumar	Sriganganagar	8653401885
432	M/S Barad Trading Co.	Sriganganagar	8273400351
433	M/S Bhagwan Das Satish Kumar	Sriganganagar	8543400648
434	M/S Mahendra Kumar Pawan Kumar	Sriganganagar	8083402423
435	M/S Musadi Lal Ram Niwas	Sriganganagar	8913402424
436	M/S Modi Ram Bhagwan Das	Sriganganagar	8083400504
437	M/S Raj Bakash Satish Kumar	Sriganganagar	8903404903
438	M/S Rameshwar Das Shyam Lal	Sriganganagar	8623400498
439	M/S Rakkharam Naresh Chand	Sriganganagar	8803400302
440	M/S Laxmi Chand Manik Chand	Sriganganagar	8543401525
441	M/S Laxmi Narain Vishava Lal	Sriganganagar	8063404880
442	M/S Lal Singh Amar Singh	Sriganganagar	8843400959

	1	3	4
443	M/S Shri Krishan Vijay Kumar	Sriganganagar	8433405404
444	M/S Sahi Ram Dharmveer	Sriganganagar	8313401784
445	M/S Subhash Chandra Surendra Kumar	Sriganganagar	8923403340
446	M/S Hydrabad Chemicals Supply Co.	Sriganganagar	8063405559
447	M/S Jagdamba Machinery Store	Sriganganagar	8193400977
448	M/S Janaki Rubber Products Industries Ltd.	Sriganganagar	8823404753
449	M/S Ishwar Rai Suresh Kumar	Sadalpur	8083400407
450	M/S Kushi Ram Pawan Kumar	Sadalpur	8933400861
451	M/S Chiranji Lal Surendra Kumar	Sadulpur	8563400240
452	M/S Janak Trading Co.	Sadulpur	8643400778
453	M/S Chhanan Singh Govind Singh	Sadulpur	8643400972
454	M/S Tarachand Ishwar Raj	Sadulpur	8173400406
455	M/S Radhey Shyam Ram Kishan	Sadulpur	8343400264
456	M/S Sanjeev Kumar Vinay Kumar	Sadulpur	8193402432
457	M/S Arora Trading Co.	Kesarisinghpur	8063401194
458	M/S Kashi Ram Jugal Kishore	Kesarisinghpur	8563401695
459	M/S Gurunanak Trading Co.	Kesarisinghpur	8413403960
460	M/S Avatar Singh Atama Singh	Kesarisinghpur	8773403374
461	M/S Barad Sons	Sri Ganganagar	8373401105
462	I.B.P. Co. Ltd.	Udaipur	8933902448
463	Choksi Heraeus Ltd.	Udaipur	8533901019
464	H.& R. Johanson Ltd.	Udaipur	8643902656
465	Ravindra Heraeus Ltd.	Udaipur	8623901018
466	Manama Motors	Udaipur	8793951704
467	Roya Motors	Udaipur	8163904472
468	Amzol India Pvt. Ltd.	Udaipur	8539100798
469	Ashish Trading Co.	Udaipur	8363955481
470	Udaipur Surgical Pvt. Ltd.	Udaipur	8643904499

1	2	3	4
471	Pargati Infotech Pvt. Ltd.	Udaipur	8023903385
472	Nanuram Bhikharam	Udaipur	8783904461
473	Cottage Indistries Exposition Ltd.	Udaipur	8963901995
474	Apurwa Agencies	Udaipur	8213903329
475	Honesty Iron & Steel Co.	Udaipur	8273902432
476	Padam Hotel & Motel	Udaipur	8763900941
477	Jagat Niwas Palace Hotels	Udaipur	8183904267
478	Fountain Resorts Pvt. Ltd.	Udaipur	8383902508
479	Ambala Bhanwarlal Sarupriya	Udaipur	8733902170
480	Kantilal Rajesh Kumar	Udaipur	8139100697
481	Bawarchi Fast Food	Udaipur	8733900424
482	S.G.S. Electronics	Udaipur	8353904416
483	Allied Electronics	Udaipur	8753903614
484	Udaipur Traders & Engineers	Udaipur	8293900763
485	Jain & Co.	Udaipur	8443902087
486	Bombay Motor Stores	Udaipur	8893900336
487	Mogra Automobiles	Udaipur	8943902394
488	Shilpa Make Trade Ltd.	Udaipur	8203900570
489	Jindal Bags	Udaipur	8223950126
490	Paratap Calendar Corporation	Udaipur	8543951502
491	Arora Foot Wear	Udaipur	8963950786
492	Ajaney Enterprises	Udaipur	8913950765
493	S.B. International	Udaipur	8683954044
494	Kaminy Insulation Center	Udaipur	8463951255
495	Guru Nanak Cycle Co.	Udaipur	8283950385
496	Deesha Plastic	Udaipur	8833955077
497	Paliwal Printers	Udaipur	8663950757
498	Vinod Picture House	Udaipur	8083951173
499	Tayab Motors	Banswara	8843751129

1	2	3	4
500	Rajmandir Furniture Works	Dungarpur	8943801223
501	Alankar Iron Works	Banswara	8173752128
502	Rajasthan Hardware Store	Loharia. Banswara	8893751635
503	Classic Electronics	Banswara	8433750239
504	Panchal Basant Lal Nathu Lal	Banswara	8413750056

राजकीय विश्राम स्थलों में ठहराव हेतु नियम

425. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी अतिथि गृह, विश्राम भवन, डाक बंगले आदि में आवास सुविधा "प्रथम आया प्रथम पाया" के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है, आर्डर आफ प्रिसीडेंस के आधार पर नहीं? यदि हां, तो आर्डर आफ प्रिसीडेंस में ऊपर की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को आवास-व्यवस्था के लिये क्या कार्यवाही की जाती है? इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में आवास सुविधा प्राप्त करने से सम्बन्धित शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो 5 व ी की शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विगत 10 वर्षों की अवधि में सरकार द्वारा आर्डर आफ प्रिसीडेंस में कोई संशोधन या बदलाव किया गया है? यदि हां, तो कब तथा किस सम्बन्ध में? बदलाव के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकारी अतिथि गृह चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आवासीय सुविधा "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के आधार पर निर्धारित वाणिज्यिक दर के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी डाक बंगलों में रिक्तता के अनुसार अधिकृत व्यक्तियों को "प्रथम आया प्रथम पाया" के आधार पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आर्डर आफ प्रिसीडेंसी के आधार पर नहीं, लेकिन सामान्यतया प्रत्येक डाक बंगले में एक कमरा महत्वपूर्ण अतिथि हेतु सदैव

[सामान्य प्रशासन मंत्री

आरक्षित रखा जाता है। विश्राम भवनों में राजकीय सर्किट हाउस नियमावली के "जनरल मैनेजमेंट सम्बन्धी नियम" के नियम 61 के अनुसार सामान्यतया "प्रथम आया प्रथम पाया" के आधार पर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन मा.सांसद/मा. विधायक एवं अधिकारी साथ-साथ आवें तो प्राथमिकता सांसद/विधायक को दी जाती है। प्रत्येक विश्राम भवन में जहां दस कमरों से अधिक कमरे हैं, वहां दो कमरे, तथा जहां दस कमरों से कम कमरे हैं तो एक कमरा महत्वपूर्ण अतिथियों हेतु आरक्षित रखे जाते हैं। सम्बन्धित नियम की फोटो प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) अभिलेखानुसार गत पांच वर्षों में ऐसी कोई शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं।

(3) जी नहीं। लेकिन एक अधिसूचना क्रमांक एफ 6(21) साप्र/1/03 दिनांक 24.4.03 को जारी कर राज्य के निर्वाचन आयुक्त के पद को पूर्व में प्रचलित आर्डर आफ प्रिसीडेंस के क्रम सं. 25 एवं 26 के मध्य स्थापित किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

राजकीय सर्किट हाउस नियमावली

52. वे अधिकारी कर्मचारी (सिर्फ राजस्थान सरकार के) जो वेतन श्रृंखला के अनुसार सर्किट हाउस में ठहरने के लिए अधिकृत नहीं है और अपने राजकीय कार्य से यात्रा पर आते हैं तो उन्हें सर्किट हाउस की एनेक्सी (यदि कोई एनेक्सी हो तो) में ठहरा दिया जावे तथा आवास हेतु उनसे कमरे किराये के 10/- रूपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान प्राप्त किया जावे। भोजन एवं जलपान की दरें राजस्थान सरकार के अधिकृत अधिकारियों के समान ही ली जावे

53. राजस्थान सरकार के वे अधिकारी जो सर्किट हाउस में ठहरने के लिए अधिकृत हैं, परन्तु स्थानाभाव के कारण उन्हें सर्किट हाउस में स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है, उस अवस्था में यदि अधिकृत अधिकारी एनेक्सी (यदि कोई एनेक्सी हो तो) में ठहरते हैं तो उनसे

भी कमरे किराये के 10/- रूपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशि वसुल की जावेगी। कोई एनेक्सी नहीं हो तो ऐसे अधिकारी अन्य अधिकृत राजकीय विश्राम गृहों (PWD D : B: nglow, Irrigation Rest House, KUMS Rest House etc.) में ठहरते हैं तो ऐसे अधिकारियों को भोजन व्यवस्था राज्य के अधिकृत अधिकारियों के लिये प्रभावी रियायती दर पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

54. माउण्ट आबू स्थित "होली डे होम" सर्किट हाउस माउण्ट आबू की ऐनेक्सी ही है।

55. प्रत्येक सर्किट हाउस में जहां 10 कमरे से अधिक की संख्या है दो कक्ष महत्वपूर्ण अतिथियों के लिए सदैव आरक्षित रखे जावें इससे कम संख्या वाले सर्किट हाउस में एक कमरा अनि र्य रूप से आरक्षित रखा जावे।

56. जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें कि मंत्री एवं वी.आई.पी. के लिए रखा गया सुरक्षित कमरा किसी भी अधिकारी/जनप्रतिनिधि/प्राइवेट व्यक्ति द्वारा मैनेजर पर अनावश्यक दबाव डालकर आबंटित नहीं कराया जावे और न मैनेजर ही किसी को आबंटित करे।

57. जिला कलक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन के किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा मैनेजर्स पर अतिथियों से राशि वसूलने सम्बन्धी दरों आदि के बारे में किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जावे, अन्यथा इस प्रकार की राशि दबाव डालने वाले : धिकारी से वसूली जावेगी।

58. मैनेजर्स को चाहिये कि वे इस प्रकार दबाव डालने की सूचना अविलम्ब विभाग को दें तथा अतिथि को उपलब्ध कराई : ई सुविधाओं का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करें।

59. आगुन्तक बिना पूर्व आरक्षण के सर्किट हाउस में आकर कमरे की मांग करते है अगर कमरा खाली नहीं होता है तो मैनेजर को विषम

स्थिति का सामना करना ही पड़ता है, साथ ही आगुन्तकों को भी कठिनाई होती है। कमरा उपलब्ध न होने के कारण कभी-कभी मैनेजर को आगुन्तकों की उत्तेजना का सामना भी करना पड़ता है। इस कठिन स्थिति से बचने के लिए जब कभी भी सर्किट हाउस में अतिथि के ठहरने का कार्यक्रम हो तो अपने आगमन की पूर्व सूचना पत्र/दूरभाष/टेलिग्राम/फैक्स आदि से मैनेजर को अवश्य दे दें ताकि मैनेजर कमरे का या तो आरक्षण कर सकें या तत्समय ही असमर्थता प्रकट कर सकें। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन हो तो इसकी पूर्व सूचना अवश्य दे दी जाये।

60. यद्यपि अधिकांश आगुन्तक अधिकारियों को सर्किट हाउस के कर्मचारी पहचानते हैं किंतु विशेष परिस्थितियों में जब दौरे का कार्यक्रम पूर्व में प्राप्त न हुआ हो तथा फोन पर ही सूचना दी जाती है, ऐसे में स्वागत कक्ष पर मांगे जाने पर अतिथियों को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यदि अधिकारी परिचय पत्र/उच्चाधिकारी द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र साथ नहीं लाये हैं तो उन्हें चाहिये कि वे शीघ्रतिशीघ्र/कमरा छोड़ने से पहले अपने स्थानीय अधिकारी/कार्यालय से जहां वे राजकार्य से आये हैं, से पत्र लाकर देवें जिससे उनकी पहचान एवं राजकीय कार्य से आने का तथ्य ज्ञात हो सके। ऐसा करने पर ही दरों में नियमानुसार रियायत अनुज्ञेय की जावे अन्यथा ग्रुप-डी की दरें चार्ज की जावे।

61. जब कभी भी सांसद/विधायक एवं अधिकारी साथ-साथ आयें तो प्राथमिकता सांसद/विधायक को ही दी जानी चाहिए यद्यपि सामान्य रूप से यह व्यवस्था 'प्रथम आने वाले को पहले' के आधार पर होगी।

62. सर्किट हाउस जयपुर में उपरोक्त बिन्दु संख्या 55 के अनुसार आरक्षित दो कमरों के अतिरिक्त, चार कमर महत्वपूर्ण व्यक्तियों व राजकीय अतिथियों के लिए एव चार कमरे सांसद तथा

जनप्रतिनिधियों के लिए स्थायी रूप से आरक्षित रखे जावें। राजकीय अतिथियों के लिए कमरा नं. 202, 209, 210 भी आरक्षित रखे जावें।

63. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष सर्किट हाउस में बैठक/कैम्प आयोजन नहीं करें, जब ऐसा नितान्त आवश्यक हो जाये तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त की जावे।

64. एक/दो लंच या डीनर का आदेश होने की स्थिति में व्यवहारिक रूप से सम्भव न हो तो अतिथि से असमर्थता व्यक्त कर दी जायें।

65. कर्मचारियों की सीमित उपलब्धता के कारण निम्न व्यवस्थायें निर्धारित की जाती हैं :-

(i) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चाय-नाश्ता, भोजन के अलावा अन्य किसी प्रकार की खाद्य सामग्री की मांग रियायती दरों पर स्वीकार नहीं की जावेगी, लेकिन बाजार की प्रचलित दरों एवं उस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का भुगतान अग्रिम प्राप्त कर मैनेजर द्वारा स्व:विवेक से निर्णय लिया जा सकेगा।

(ii) चाय, काफी के अलावा कमरों में अन्य सर्विस नहीं की जावेगी।

(iii) बिना पूर्व आदेश के नाश्ता, खाना तैयार नहीं किये जावें।

66. जो व्यक्ति रियायती/साधारण दर पर ठहरने के पात्र हैं उनकी जगह उनके मित्र इत्यादि अन्य व्यक्ति कमरे में ठहरते हैं तो उनसे कमरे का किराया तथा चाय, नाश्ता व भोजन आदि के चार्जेज प्राइवेट व्यक्तियों से लागू दरों से वसूल किए जायेंगे। यदि अधिकृत व्यक्ति कमरा तो अपने नाम पर आरक्षित कराता है लेकिन उसके परिवार के

सदस्य अकेले ही ठहरते हैं तो उनसे भी प्राइवेट व्यक्तियों के लिए लागू दरों से ही राशि वसूल की जाएगी।

67. ठहरने हेतु पात्र अधिकारियों को उनके परिवार (As defined in RSR) के लिए ही रियायती दरों पर चाय, नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराया जावे। यदि परिवार के सदस्यों की बजाय अन्य व्यक्तियों हेतु व्यवस्था चाही जाये तो उनके लिए ग्रुप-डी के लिए लागू दरों से चार्ज किया जावेगा। रियायती दरों पर भोजन की दरें जनप्रतिनिधियों के साथ आने वाले गनमैन तथा ड्राइवर को शामिल करते हुए यदि परिवार के सदस्यों की संख्या पांच तक

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : एफ.6(21)साप्र/1/2003 जयपुर दिनांक 24 अप्रैल, 2003

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6 (77)साप्र/1/78 दिनांक 31.10.1985 के क्रम में राजस्थान राज्य में राज्य के निर्वाचन आयुक्त के पद का समावेश उक्त टेबिल आफ प्रेसीडेन्स के क्रं. सं. 25 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के एक कम नीचे एवं अध्यक्ष, राजस्व मण्डल अजमेर के ऊपर पदनाम सम्मिलित किया जाता है।

शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

एवं चीफ आफ प्रोटोकाल, राजस्थान

धौलपुर जिले के विधायकों पूल वाहन की सुविध

426. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पूल में वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में विधायकों को टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, त क्यों?

(2) क्या सरकार जिला धौलपुर के विधायकों के लिये नये पूल वाहन क्रय करने हेतु वांछित राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, त कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जिन विधायकों के विधान सभा क्षेत्र दो जिल में हैं वे दोनों जिलों से पूल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? यदि नहीं, त क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्तमान में जिला पूल, धौलपुर में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्ट्रेन्थ के अनुसार 9 वाहन उपलब्ध हैं तथा राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को विधायकों के लिए जिला पूल में वाहन उपलब्ध न होने पर वाहन किराये पर लेने के लिए अधिकृत किया गया है.

(3) जी हां। लेकिन किसी भी स्थिति में विधायकों को अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए कुल 10 दिवस के लिए ही वाहन उपलब्ध हो सकेगा।

फुलेरा की नगरपालिकाओं में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

427. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न नगरपालिकाओं में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक कौन-कौन से कार्य कहां-कहां एवं कितनी-कितनी राशि के कब स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये गये और कौन-कौन से कार्य अपूर्ण रहे? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और इन कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(2) उक्त अवधि में उक्त नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हुई व प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका जोबनेर के अध्यक्ष को निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो कब और किस आरोप में? क्या इनके विरूद्ध कोई जांच की गई? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ? क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि किशनगढ़-रेनवाल के नगरपालिका के वर्तमान सभापति के विरुद्ध उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की नगर पालिका जोबनेर, सांभर, फुलेरा

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

एवं किशनगढ़-रैनवाल में 1 जनवरी, 2004 से अब तक स्वीकृत एवं पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यो की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त नगरपालिकाओं में से नगर पालिका जोबनेर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार सिंधी द्वारा 10,000/- रूपये की रिश्वत लेने सम्बन्धी प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में न्यायिक जांच करवायी जा रही है तथा किशनगढ़ रैनवाल के वर्तमान अध्यक्ष के विरूद्ध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने सम्बन्धी शिकायत की जांच जिला-कलक्टर से कराये जाने पर शिकायत निराधार पायी गई। शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। नगर पालिका जोबनेर के ततकालीन अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार सिंधी को रिश्वत लेने के आरोप में दिनांक 17.7.2003 को निलंबित किया गया है। प्रकरण में न्यायिक जांच राज्य सरकार के विधि विभाग में पदस्थापित न्यायिक अधिकारियों से करवाई जाती है।

(4) किशनगढ़-रैनवाल के वर्तमान अध्यक्ष के विरूद्ध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर, निर्माण करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है, की जांच जिला कलक्टर से कराये जाने पर शिकायत निराधार पाई गयी।

(सूची/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी।)

शिवराम कालोनी, जगतपुरा (जयपुर) का सुविधा क्षेत्र

428. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिवराम कालोनी, जगतपुरा जयपुर में स्कीम नं. 9, लक्ष्मीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति ने सुविधा क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 104, 105, 111 से 114 एवं 143 एवं 144 के पट्टे जारी कर दिये हैं? यदि हां, तो किसी-किस को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कालोनी के निवासियों एवं विकास समिति ने जयपुर

(श्री बद्रीलाल जाट)

विकास प्राधिकरण में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्डों के नियम विरूद्ध, जारी किये गये पट्टों को निरस्त कर भूखण्डों की भूमि को सुविधा क्षेत्र घोषित करने हेतु निवेदन किया है? यदि हां, तो कब और उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण को हटाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? सरकार अब उक्त अतिक्रमण को हटाकर सुविधा क्षेत्र कब तक विकसित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार समिति द्वारा छोड़े गये पार्क में सामुदायिक केन्द्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक

(5) क्या सरकार उक्त कालोनी में सड़क एवं नालियों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। विकास समिति द्वारा दिनांक 10.1.2005 को निवेदन किया गया है। उक्त भूखण्डों के अतिक्रमियों को प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किए गए है। जवाब प्राप्त होने पर परीक्षण किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी हां। दिनांक 18.2.2005 का रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमियों के विरूद्ध विधिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कार्य 40 फुट चौड़ी या उससे अधिक चौडी सड़कों पर सुविधा क्षेत्रों की भूमि उपलब्धता एवं उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चूंकि इस योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र 40 फीट चौड़ी

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

सड़क पर नहीं है। अत: सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

(5) उक्त कालोनी में डामर सडक निर्माण हेतु कार्यादेश दिये जा चुके है, तथा सीवरेज/नाली हेतु विस्तृत प्लान बनवाने की कार्यवाही की जा रही है

आवासन मण्डल द्वारा विधायकों/सांसदों को आवास सुविधा

429. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर की मानसरोवर आवासीय योजना में विधायकों/सांसदों द्वारा आवास उपलब्ध कराने हेतु आवासन मण्डल में पंजीकरण कराया गया था? यदि हां, तो इसमें किन-किन सांसदों/विधायकों ने पंजीयन कराया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में मकानों के आबंटन हेतु लाटरी निकाली गई हैं? यदि हां, तो कब व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत सभी पंजीकृतों को मकान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार बारहवीं विधान सभा के निर्वाचित विधायकों को भी आवासन मण्डल का मकान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कहां?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधायकों को आवासन मण्डल के दो मकान एक राजधानी व एक निर्वाचन वाले जिले में देने का नियम बनाया गया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल द्वारा जयपुर शहर हेतु 11वीं विधान सभा एवं उसके पूर्व के वर्तमान/भूतपूर्व विधायकों/सांसदों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

मानसरोवर के लिए विशिष्ठ पंजीकरण योजना 2001 एवं तत्पश्चात सांसदों/विधायकों हेतु विशिष्ठ पंजीकरण योजना 2003 खोली गई थी। इन योजनाओं में पंजीकृत माननीय सांसदों एवं विधायकों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर शहर की मानसरोवर आवासीय योजना में विधायकों/सांसदों को आवास आबंटन हेतु लाटरी नहीं निकाली जा सकी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में जनहित याचिका डीबी सिविल रिट संख्या 5329/01 रामशरण सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में स्थगन के कारण कार्यवाही लंबित है।

(3) जी हां। परन्तु उक्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के डीबी सिविल रिट संख्या 5329/01 रामशरण सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार ही सम्भव हो पायेगी।

(4) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु 12वीं विधानसभा के निर्वाचित माननीय विधायक मण्डल द्वारा समय-समय पर भूमि उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्थानों के लिये शुरू की जाने वाली पंजीकरण योजना में आवेदन कर सकते हैं। जिसमें मण्डल नियमों में विधायकों/सांसदों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 2.5 प्रतिशत कोटे के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर आवास आबंटन का प्रावधान है।

(5) आवासन मण्डल के आदेश क्रमांक 1180 दिनांक 3.11.2001 के अनुसार कोई भी आवेदक राजस्थान के किन्हीं भी दो शहरों में आवासन मण्डल के एक-एक मकान आबंटन हेतु पात्र होगा। उक्त आदेश के तहत माननीय विधायक भी राजस्थान के किन्हीं दो शहरों में अपनी इच्छानुसार मण्डल का एक-एक आवास आबंटन करा सकते हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।

(सूची/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कैलाशनगर-नन्दगांव कालोनी में आवश्यक सुविधा

+30. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में प्राइवेट सोसायटियों द्वारा बसाई गई आवासीय योजनाओं का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किये जाने पर इनमें क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं अनुमोदन की तिथि से कितनी अवधि में प्रदान की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कैलाशनगर-नन्द गांव निवारू रोड, जयपुर आवासीय योजना, जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित हैं? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजनाओं का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किये जाने के बाद भी इनमें मूलभूत सुविधाएं यथा-सीवर लाईन, सड़क, रोड़ लाईट, नाली, पीने के पानी आदि अभी तक भी प्रदान नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उक्त सुविधाएं प्रदान कर दी जायेंगी?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनियों में 60 फीट की रोड निकाली गई है यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनियों में 60 फीट रोड को कम करने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की योजनाओं में जमा विकास शुल्क के आधार पर सड़क व आवश्यकता अनुसार नाली तथा वृक्षारोपण का कार्य करवाया जाता है तथा जिन कालोनियों में सीवर लाईन का कार्य होना है वहां प्रायः नाली निर्माण कार्य नहीं किया जाता है। ये विकास

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कार्य मौके की आवश्यकता अनुसार विभिन्न चरणों में करवाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में कोई समयावधि निश्चित नहीं है।

(2) जी हां। ये दोनों योजनाएं प्राधिकरण से अनुमोदित हैं। कैलाश नगर योजना का अनुमोदन दिनांक 30.11.2002 तथा नन्द गांव योजना का अनुमोदन दिनांक 2.12.2002 को किया गया था।

(3) उक्त आवासीय योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमा नियमन राशि के आधार पर दो लेयर डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया है। राशि उपलब्ध होने पर डब्ल्यू.बी.एम. सड़क पर डामरीकरण तथा नाली का निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा। इन कालोनियों के लिए मुख्य, उप मुख्य सीवर तथा आऊटफाल सीवर लाइन का कार्य क्षेत्र की वृहत योजना बनने के पश्चात तदनुरूप तथा अन्य सुविधाएं बजट की उपलब्धता के बाद ही सम्भव हो सकेगी।

(4) जी हां, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सैक्टर प्लान में उक्त 60 चौड़ी सड़क प्रस्तावित होने के कारण उक्त कालोनी से 60 की सड़क निकाली गई है।

(5) जी नहीं।

जयपुर विकास प्राधिकरण में आवासीय योजनाओं का अभिलेख जमा कराने में दोषी समितियों के विरुद्ध कार्यवाही

431. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कई गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अपनी आवासीय कालोनियों का रिकार्ड नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा नहीं करवाया गया? यदि हां, तो किस-किस सहकारी समिति द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा रिकार्ड जमा नही

(प्रो. बीरुसिंह राठौड़)

करवाया गया सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों से समाचार पत्रों के माध्यम से आम विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 22.10.1999 तक उनके द्वारा आवासीय योजनाओं का रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई थी। यह सही है कि जिन समितियों द्वारा अपना रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा नहीं करवाया गया उन समितियों की जानकारी जयपुर विकास प्राधिकरण में नहीं है। इस सम्बन्ध में ऐसी सहकारी समिति जिनके द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, की सूचना प्राधिकरण द्वारा संकलित कर सहकारिता विभाग को उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(2) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवासीय योजनाओं का रिकार्ड नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा नहीं करवाया है, उनके विरुद्ध सूचना प्राप्त होने पर सहकारिता विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

बीकानेर शहर की अनुसूचित जाति/कच्ची बस्तियों के विकास पर व्यय

432. श्री गोविन्द राम (नोखा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विकास न्यास क्षेत्र, बीकानेर में अनुसूचित जाति की बस्तियों व कच्ची बस्तियों के विकास हेतु वर्ष 2005-06 में कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या सरकार बीकानेर शहर की आबादी के मद्देनजर अन्य भूमि अवाप्त/क्रय करने का विचार रख्ती है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र की कितनी-कितनी भूमि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, बीकानेर के क्षेत्र में अनुसूचित जाति बस्तियों व कच्ची बस्तियों के विकास हेतु वर्ष 2005-06 में रूपये 250.00 लाख व्यय किये जाने प्रस्तावित है।

(2) न्यास द्वारा न्यू टाउनशिप विकसित करने हेतु ग्राम जोहड़बीड में पशु पालन विभाग की 586.33 हैक्टेयर भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

जैन वाटिका आवासीय योजना का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन

433. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर द्वारा जैन वाटिका योजना प्रारम्भ की गयी थी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो उक्त योजना के सदस्यों के नाम की सूची मय योजना के ब्लू प्रिंट की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना हेतु 90 बी की कार्यवाही की जा चुकी है? यदि हां, तो कब?

(3) जैन वाटिका योजना कब बनी एवं योजना को कब अनुमोदित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें!

उत्तर

(1) जी नहीं। रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटड जयपुर की जैन वाटिका के नाम से जयपुर विकास प्राधिकरण में कोई रिकार्ड पेश नहीं हुआ है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) रिकार्ड पेश नहीं होने के कारण धारा 90 बी की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) रिकार्ड पेश नहीं होने के कारण अनुमोदन किया जाना सम्भव नहीं है।

शांतिनगर 'बी' आवासीय योजना जयपुर का नियमितीकरण

434. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दी कृष्णा को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा गोपालपुरा बाईपास गुर्जर की थड़ी के पास शान्तिनगर बी में प्लाटों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना में प्लाट मालिकों के नाम व प्लाट नम्बरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी द्वारा उक्त योजना शांति नगर 'बी' को नियमित कराने हेतु दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण को भिजवाये जा चुके हैं? यदि हां, तो कब एवं अब कब तक कैम्प लगाकर उक्त कालोनी के प्लाटों का नियमितीकरण कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में से कुछ प्लाटों को तो नियमित कर दिये गये हैं और कुछ नहीं? यदि हां, तो क्यों एवं किन-किन प्लाटों का नियमन नहीं किया गया तथा इसके लिये कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? सरकार दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) जी हां। दी कृष्णा को-ओपरेटिव लि. की योजना शांतिनगर बी गोपालपुरा बाईपास गुर्जर की थड़ी के पास शांतिनगर बी में प्लाटों का आबंटन किया गया है. सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सहकारी समिति द्वारा शांति नगर "बी" योजना से

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

सम्बन्धित दस्तावेजात दिनांक 20.8.99 को प्राधिकरण में प्रस्तुत किए गए तथा योजना का अनुमोदन दिनांक 7.11.2002 को किया गया है। बीपीसी की जोनल स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कुल 241 भूखण्डों का नियमन किया गया तथा भूखण्ड संख्या 243 ए से 245 तक की भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड में मा. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण गैर अनुमोदित किया गया। भू.सं. 240, 242, 242ए, 243, 243ए, 243बी, 166, 166बी, 167 से 170, 166सी व 166डी को विकास समिति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के क्रम में पार्क एरिया दर्शाने के कारण लंबित किया गया। भू. सं. 243डी, 243ई, 245बी को पिछवाड़े वाले क्षेत्र की 90बी की कार्यवाही नहीं होने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया।

(3) बीपीसी की जोनल स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कुल 241 भूखण्डों का नियमन किया गया तथा भूखण्ड संख्या 243ए से 245 तक की भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड में मा. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण गैर अनुमोदित किया गया। भू.सं. 240, 242, 242ए, 243, 243ए, 243बी, 166, 166ए, 166बी 167 से 170 166सी व 166डी को विकास समिति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के कम में पार्क एरिया दर्शाने के कारण लंबित किया गया। भू. सं. 243डी, 243ई, 245बी को पिछवाड़े वाले क्षेत्र की 90बी कार्यवाही नहीं होने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया। मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण प्रभावित भूखण्डों के अनुमोदन की कार्यवाही नहीं की गई है। वर्तमान में सुविधा क्षेत्र पर मा. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। अतः पार्क एरिया में दर्शित भूखण्डों के नियमन के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दी कृष्णा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की योजना शान्ति नगर "बी" ब्लाक के सदस्यों की समिति द्वारा प्रस्तुत सूची की टंकित प्रति

क्र. सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री अतुल शर्मा	1, 2
2.	दुर्लभ चन्द पुत्र श्री श्रवण कुमार	3
3.	गणेश कुमार पुत्र श्री सेडूराम	4
4.	अशोक कुमार गोस्वामी पुत्र श्री लेखराज	5
5.	श्रीमती भौंरी देवी पत्नी रामेश्वर	6
6.	रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री नवरंग शर्मा	7
7.	पांचूराम सागर	8
8.	श्रीमती उगन्ती देवी पत्नी श्री रामजीलाल शर्मा	9
9.	नन्दकिशोर शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा	10
10.	श्रीमती कमला पत्नी श्री फतेह सिंह	11
11.	श्रीमती चित्रा भारती पत्नी श्री अरूण भारती	12
12.	महेन्द्र कुमार पुत्र श्री जोधाराम	13
13.	चिरंजीलाल सोनी पुत्र श्री राधेश्याम	14
14.	श्रीमती शकुन्तला शर्मा पत्नी श्री दिनेश पाठक	15
15.	श्रीमती मीना देवी सबल पत्नी श्री एन.आर. सबल	16
16.	श्रीमती कान्ता कारेल पत्नी श्री नरेन्द्र कारेल	18
17.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द	19
18.	राजकुमार सैनी पुत्र श्री दौलत राम	20

1	2	3
19.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री मूलचन्द	21
20.	श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री बद्रीनारायण	22
21.	श्रीमती प्रेमवती देवी पत्नी श्री धारीवाल सिंह	23
22.	श्री हरिपाल सिंह पुत्र श्री श्योबक्स	24
23.	भंवरसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	25
24.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री घासीलाल	26
25.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री दौलत राम	27
26.	श्रीमती प्रेमलता तिवाड़ी पुत्र श्री विश्वेश्वर प्रसाद तिवाड़ी	28
27.	श्रीमती कुसुम टोडरिया पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद	29
28.	श्रीमती शांति देवी गिगानी पत्नी श्री टीकम चन्द	30
29.	श्रीमती सुमन माथुर पत्नी डा. के. के. माथुर	30B
30.	श्रीमती सरमा देवी पत्नी श्री मोहन लाल	30A
31.	श्री मूल चन्द पुत्र श्री रामसहाय शर्मा	31
32.	श्रीमती दौलत देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय	31A, 31B
33.	श्रीमती पतासी पत्नी श्री दिलीप सिंह	31C
34.	विनय कुमार पुत्र श्री रमनलाल	31D
35.	उमा वर्मा पत्नी श्री घनश्याम शर्मा	32
36.	शैतानसिंह पुत्र श्री तेजसिंह व शम्भुसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह	33
37.	अर्जुन लाल	33A
38.	ए. एस. तंवर	33AB
39.	रोशनलाल पुत्र श्री रूप नारायण	34
40.	राजेन्द्र मोहन पुत्र श्री सीताराम	35

1	2	3
41.	जुगलकिशोर पुत्र श्री सुन्दरलाल	35A
42.	नरेन्द्र नाथ पुत्र श्री सीताराम भट्ट	36
43	नाथूलाल शर्मा पुत्र श्री माधोलाल	37
44.	विजय कुमार कालरा पुत्र श्री चौथूराम	38
45.	विष्णु कुमार पुत्र श्री मदनलाल	39
46.	श्रीमती ग्यारसी पत्नी श्री गोपीसिंह	40
47.	प्रकाश पाश्रेय पुत्र श्री जगदीश पाश्रेय	41
48.	दिनेश चन्द मंत्री पुत्र श्री हीरा बल्लभ मंत्री	42
49.	चान्दकिरण शर्मा पत्नी नारायण शर्मा	43
50.	श्रीमती कमलेश बाली पत्नी श्री नरेन्द्र बाली	44
51.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री रामस्वरूप सिंह	45
52.	मदनलाल पुत्र श्री रामजीवन	46
53.	श्रीमती सरोज पत्नी श्री विनोद गुप्ता	47
54.	नानगराम पुत्र श्री चतरूराम	48
55.	किशनलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल	49
56.	भरतसिंह पुत्र श्री शम्भु सिंह	50
57.	श्रीमती सुप्यार कंवर पत्नी श्री जगदीश प्रसाद	51
58.	श्रीमती सुलोचना चतुर्वेदी पत्नी श्री लक्ष्मीकान्त	52
59.	रघुराज सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह	53
60.	अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा	54
61.	मो. कुर्बान पुत्र श्री मो. रफीक	55
62.	श्रीमती भौंरी देवी पत्नी श्री नानगराम	55A

1	2	3
63.	श्रीमती धन्नी देवी पत्नी श्री नेमीचन्द	56
64.	श्रीमती सावत्री गुप्ता श्री एस. पी. गुप्ता	57
65.	कमलेश कुमारी पत्नी श्री सुरेश चन्द	58
66.	सुरेश चन्द पुत्र श्री राबाज़ अग्रवाल	59
67.	गुलाब चन्द पुत्र श्री मोहनलाल	59A
68.	श्रीमती सूरज बाई पत्नी श्री सुरजमल	60
69.	मदनलाल सैनी पुत्र श्री खेम चन्द	61
70.	रामपालसिंह पुत्र श्री गजसिंह	62
71.	श्रीमती शशीबाला जोशी पत्नी श्री त्रिलोकी नाथ	63
72.	ललित कुमार अरोडा पुत्र श्री मदनलाल	64
73.	दोलतराम पुत्र श्री सिद्वराज अरोडा	65
74.	श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी श्री बलदेवराम	66
75.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री दाउदयाल गुप्ता	67
76.	गोविन्द बंसल पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल	68
77.	श्री हीरानन्द अरोड पुत्र श्री सेवाराम	69
78.	श्रीमती तफत जमाल पत्नी डा. सैयद जमाल	70
79.	डा. सखावत अली बैग मार्फत श्री महेन्द्र शाह	71
80.	पंकज सिंह पत्नी श्री नेतसिंह	72
81.	श्रीमती नरूली देवी	73
82.	कु. ज्योति कंवर पुत्र श्री आर. पी. सिंह	74
83.	महेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह	75
84.	मूलचन्द सेनी पुत्र श्री लादूराम	76

1	2	3
85.	वर्मा जी	77
86.	वर्मा जी	78
87.	श्रीमती जय देवी पत्नी गोपीराम	79
88.	श्रीमती शारदा पत्नी श्री आर. के. शेखावत	80
89.	मौ. जावेद खां पुत्र श्री इकबाल अहमद	81
90.	प्रभाती देवी पत्नी श्री पूरणमल	82
91.	सुरेन्द्र कुमार मित्तल पुत्र श्री कृष्णदास	83
92.	रामगोपाल यादव पुत्र श्री छोटूराम	84
93.	पूरणमल पुत्र श्री प्रभुदयाल डिगवान	85
94.	राधाकिशन अग्रवाल पुत्र श्री कालूराम	86
95.	श्रीमती कमला पत्नी श्री तोकाराम	87
96.	गुलाब चन्द पुत्र श्री टीकम चन्द	88
97.	श्रीमती सम्पत्ति देवी पत्नी श्री मोहन लाल	89
98.	श्रीमती ललिता शर्मा पत्नी श्री शिव शंकर	90
99.	रामसहाय पुत्र श्री नारायण	91
100.	आनन्दीलाल पुत्र श्री मनसुखराम	92
101.	सतपाल सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह	93
102.	श्रीमती सोनी देवी पत्नी श्री गोपाल लाल	94
103.	डा. रतनलाल कुमावत पुत्र श्री कानाराम	95
104.	श्रीमती उमा सारस्वत पत्नी श्री एस. एस. सारस्वत	96
105.	ओमजी	97
106.	डा. आदर्श सक्सेना पुत्र श्री गोपाल प्रसाद	98

1	2	3
107.	डा. आदर्श सक्सेना पुत्र श्री गोपाल प्रसाद	98A
108.	निखलेश्वर प्रसाद पुत्र श्री मोहनलाल	99 व 132
109.	राकेश शर्मा पुत्र श्री जे. एन. शर्मा	100
110.	श्रीमती राजरानी पत्नी डा. आदर्श सक्सेना	100A
111.	श्रीमती मन्जू पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार	101
112.	प्रदीपसिंह पुत्र श्री अरूण वीर	102
113.	कुलदीप सिंह पुत्र श्री अरूण वीर	103
114.	चन्द्रकान्त पुत्र श्री रामावतार	104
115.	बजरंग सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह	105
116.	श्रीमती मंजू पत्नी श्री गोपाल लाल जैन	105A
117.	श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री मुरारीलाल	106A
118.	गिरधारी लाल पुत्र श्री केदार प्रसाद	106
119.	रामजीलाल अग्रवाल	107
120.	रामेश्वर कुमावत	108
121.	अर्चना पत्नी श्री पूरणमल	109
122.	श्रीमती सन्तोष पत्नी भागीरथ	110
123.	श्रीमती सुगन कंवर पत्नी श्री सुमेर सिंह	111
124.	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश पांचौली	112
125.	श्रीमती शकुन्तला जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन	113
126.	वर्मा जी	114 से 124 तक
127.	श्रीमती शीला गोयल पत्नी मनमोहन गोयल	125
128.	केदार प्रसाद छीपा पुत्र श्री रामजीलाल छीपा	126

1	2	3
129.	अशोक कुमार पुत्र श्री तिर्थचन्द	127
130.	श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री अशोक शर्मा	128
131.	गोपाल लाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा	129
132.	बंशीलाल शर्मा पुत्र श्री नारायण लाल शर्मा	130
133.	श्रीमती विनिता जोशी पत्नी श्री एस. आर. जोशी	131
134.	निखलेश्वर प्रसाद पुत्र श्री मोहनलाल	132
135.	किशनलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल	133, 134
136.	श्रीमती सन्तोष गोयल पत्नी श्री अशोक गोयल	135
137.	राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री हजारीलाल	136
138.	श्री लोकेश अग्रवाल पुत्र श्री सुनील अग्रवाल	137
139.	श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द नारायण	138
140.	वर्मा जी	139 से 159 तक
141.	अनिल अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल	160
142.	अशोक अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द नारायण	161
143.	श्रीमती सुशीला अग्रवाल पत्नी नरेश अग्रवाल	162
144.	श्रीमती शकुन्तला बंसल पत्नी श्री राकेश बंसल	163
145.	घनश्याम दास अग्रवाल	164
146.	श्रीमती सावित्री अग्रवाल पत्नी श्री घनश्याम	165
147.	श्रीमती राजरानी पत्नी श्री राजेन्द्र गोयल	166
148.	श्रीमती सुशीला कुमावत पत्नी श्री हरिनारायण	167 से 169 तक
149.	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री महेन्द्र गोयल	170
150.	श्रीमती रश्मि पत्नी श्री चन्द्रकान्ता	171

1	2	3
151.	श्रीमती संरज कंवर पत्नी श्री रघुवीरसिंह	172
152.	श्रीमती विभा चौहान पत्नी श्री राजवीर सिंह	173
153.	लल्लू सिंह राजावत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह	174
154	श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी श्री शिवराज सिंह	175
155.	राजीव खण्डेलवाल पुत्र श्री एच. के. खण्डेलवाल	176
156.	सत्यनारायण पुत्र श्री कल्याणमल	177
157.	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार	178
158.	श्रीमती कुसुम शाह पत्नी श्री महेन्द्र शाह	179
159.	श्रीमती कंचन गोधा पत्नी श्री धर्म चन्द	180
160.	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री कालूराम	181
161.	डा. आर. सी. बंसल पुत्र श्री बृजमोहन	182
162.	सीताराम सैनी पुत्र श्री विजय लाल	183
163.	सुरेश कुमार पुत्र श्री भगवान दास अग्रवाल	184
164.	श्याम लाल अग्रवाल पुत्र श्री भगवानदास अग्रवाल	185
165.	सत्य नारायण	186
166.	सत्य नारायण	187
167.	श्रीमती कृष्णा सैनी पत्नी श्री ओमप्रकाश	188
168.	बाबूलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल	189
169.	राधेश्याम सोनी पुत्र श्री हनुमान सहाय	190
170.	गोविन्द बल्लभ मिश्रा पुत्र स्व. श्री मथुरादास मिश्रा	191
171.	द्वारिका प्रसाद शर्मा पुत्र श्री गंगाराम शर्मा	192
172.	नारायण दत्त पुत्र श्री रामदत्त	193

1	2	3
173.	प्रताप सिंह पुत्र श्री किशन सिंह	194
174.	भूरामल पुत्र श्री रामपाल	195
175.	कुक्की	196
176.	श्रीमती पंतन कंवर पत्नी श्री छगन सिंह	197
177.	श्रीमती पुष्पा गेडा पत्नी श्री जसवन्त गेडा	198
178.	प्रताप सिंह पुत्र श्री किशन सिंह	199
179.	उम्मेद सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल	200
180.	श्रीमती प्रभाती पत्नी श्री जगदीश कुमावत	201
181.	प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री जगदीश पाण्डेय	202
182.	श्रीमती पार्वती बिष्ट पत्नी श्री दिलीप सिंह	203
183.	दामोदर प्रसाद कुमावत पुत्र श्री ग्यारसीराम	204
184.	श्री दौलतराम कुमावत पुत्र श्री ग्यारसीराम	205
185.	योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह	206
186.	श्रीमती कमलेश कंवर पत्नी श्री भवानी सिंह	207
187.	गोपाल लाल पुत्र श्री बी. आर. शर्मा	208
188.	ओमजी	209
189.	श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री मनोज अग्रवाल	210
190.	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री कृष्णा अग्रवाल	211
191.	कृष्ण अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल लाल	212
192.	श्रीमती दर्शनी देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद	213
193.	गिरधारी लाल पोद्दार पुत्र श्री चिरंजीलाल	214
194.	श्रीमती गीता पाण्डेय पत्नी श्री तारादत्त पाण्डेय	215

1	2	3
195.	श्रीमती नन्दी देवी पत्नी श्री उम्मेद सिंह	216
196.	शंकर दत पाण्डेय पुत्र श्री घनश्याम पाण्डेय	217
197.	धनसुख वैष्णव पुत्र श्री रामसुख	218
198.	मानसिंह पुत्र श्री खडगसिंह	219
199.	श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री कल्याण मल	220
200.	श्रीमती चन्दकान्ता पत्नी श्री किशनलाल	221
201.	श्रीमती निरमा शर्मा पत्नी श्री शरत शर्मा	222
202.	रामस्वरूप कौशिक	223
203.	सीताराम शर्मा	223A
204.	दर्शन लाल जग्गी पुत्र श्री भगवान दास	224
205.	श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी श्री सुन्दरलाल	225
206.	श्रीमती धर्म पत्नी श्री किशनलाल	226
207.	श्रीमती शीला सागर पत्नी श्री डा. एस. आर. सागर	227
208.	श्री राजेन्द्र मोहन अरोडा पुत्र श्री घनश्याम दास अरोड़ा	228
209.	श्री मनोज अग्रवाल पुत्र श्री भगवानसहाय अग्रवाल	229

धौलाई ग्राम जयपुर की पत्रकार कालोनी में आधारभूत सुविधाएं

435. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के ग्राम धौलाई में जनवरी, 2003 में पत्रकारों को भूखण्डों का आबंटन किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वहां आधारभूत सुविधाएं यथा, बिजली सड़क, पानी व सीवरेज की व्यवस्था कर दी गई है? यदि हां, तो क्या-क्या सुविधाएं की गईं व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि इन सुविधाओं के अभाव में पत्रकारों द्वारा उक्त भूखण्ड पर कब्जे नहीं लिये गये हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षेत्र में समस्त सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करवाकर पत्रकारों को कब्जा देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2003 में पत्रकारों को ग्राम धौलाई में भूखण्डों का आबंटन किया गया था।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रकार कालोनी में उपलब्ध भूमि पर सड़क, बिजली, पानी की आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। सीवरेज की व्यवस्था उक्त क्षेत्र में आउटफाल सीवर की उपलब्धता नहीं होने के कारण नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। पत्रकारों को आबंटित भूखण्डों के कब्जा पत्र व लीज डीड जारी किये जा चुके हैं। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं।

श्रीजी की मोरी, चौकड़ी सरहद, जयपुर स्थित राजकीय सम्पत्तियां

436. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराडा) : क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

क्या यह सही है कि जयपुर में श्रीजी की मोरी, चौकडी सरहद में सम्पदा विभाग की सम्पत्तियां हैं? यदि हां, तो उक्त सम्पत्तियां वर्तमान में किन-किन के कब्जे में हैं? उनके विरूद्ध किन-किन माननीय न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं? कब्जाधारियों का नाम, मय तारीख के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सम्पदा विभाग की निम्न सम्पत्तियां वर्तमान में निम्न व्यक्तियों के कब्जे में निम्न तारीख/अवधि से हैं :

सम्पत्ति का नाम	कब्जेधारी का नाम	तारीख/अवधि
1. पी-91	मो. असद खां पुत्र मु. सलाम	45 वर्ष से लगभग
2. पी-92	सम्पदा विभाग	30.12.1998 से
3. पी-93	1. मैसर्स रत्ना बाईडिंग वर्क्स	30 वर्ष लगभग
	2. मै. विजय लाल कुन्दन लाल कसेरा	25 वर्ष लगभग
	3. मै. कृष्णा बैग कं.	3 वर्ष लगभग
	4. श्री नवल सिंघल	50 वर्ष लगभग
	5. श्री झामनदास गांधी	50 वर्ष लगभग
	6. श्री मोहन लाल गांधी	50 वर्ष लगभग
	7. श्री सेवक राम गांधी	50 वर्ष लगभग
	8. मै. आराधना पुस्तक मन्दिर	4 वर्ष लगभग
	9. मै. जगदीश जनरल स्टोर	4 वर्ष लगभग
	10. मै. ममता जेम्स	20 वर्ष लगभग
	11. श्री रजनीश शर्मा	4 वर्ष लगभग
पी-95-96	मो. सईद खा, सत्तार खां व नन्हें खां	15.9.1961
पी-97	मो. असद खां, स्व. मो. अब्दुल सलाम खां एवं श्रीमती बसीरन पत्नी स्व. श्री फूल मोहम्मद	28.7.1951 50 वर्ष लगभग

(सम्पदा मंत्री)

सम्पत्ति का नाम	कब्जेधारी का नाम	तारीख/अवधि
पी-104	1. मैसर्स कृष्णा बैग कम्पनी 2. कालेज बुक डिपो 3. राज पुस्तक मन्दिर	4 वर्ष लगभग 15 वर्ष लगभग 15 वर्ष लगभग
एवं नोहरा	श्री लोकेश कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री भागीरथमल चौधरी	48 वर्ष लगभग

उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों में निम्न वाद विचाराधीन है।

पी-91, पी-93, पी-104 एवं नोहरा के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है एवं एक प्रकरण सत्र एवं जिला न्यायालय में विचाराधीन है।

पी-95-96 के सम्बन्ध में सम्पदा न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

पी-97 के सम्बन्ध में सम्पदा न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके हैं, परन्तु कब्जेदार द्वारा क्रय हेतु आवेदन किया हुआ है, जो विचाराधीन है।

मुण्डावर तहसील कार्यालय (अलवर) में भूमि पैमाइश व पत्थरगढ़ी हेतु लम्बित आवेदन

437. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि की पैमाइश या पत्थरगढो के प्रार्थना पत्र खातेदार की ओर से उसके सगे पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई अथवा परिवार का कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? यदि नहीं, तो क्यों? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील कार्यालय मुण्डावर जिला अलवर में खातेदार की अस्वस्थता व वृद्धावस्था आदि कारणों से स्वयं उपस्थित नहीं

(श्री रामकिशोर मीणा)

हो सकने पर खातेदार की ओर से उसके सगे पुत्र, पुत्री, भाई आदि द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये गये हैं, यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसील कार्यालय में काश्तकारों के पैमाईश प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर पैमाइश करने व नामान्तरकरण खोलने में जानबूझकर अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त तहसील कार्यालय मुण्डावर (अलवर) का गत एक वर्ष का पैमाइश हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों व नामान्तरण हेतु प्राप्त पंजीयन पत्रों (रजिस्ट्रीयों) का अलग-अलग विवरण मय काश्तकार का नाम, पैमाइश प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि पैमाइश की तिथि, पंजीयन की तिथि, पंजीयन पत्र तहसील कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि व नामान्तरकरण खोलने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अनावश्यक विलम्ब को समाप्त करने हेतु सरकार अब क्या कदम उठाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 34 एवं नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार खातेदार या गैर खातेदार पैमाइश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) तहसील मुण्डावर में खातेदार या गैर खातेदार के सगे सम्बन्धित द्वारा पैमाईश हेतु प्रस्तुत कोई भी प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया है।

(3) जी नहीं।

(4) तहसील मुण्डावर का गत एक वर्ष की पैमाइश हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र व नामान्तरकरण हेतु प्राप्त पंजीयन पत्रों का विवरण काश्तकार वाइज संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(5) जान बूझकर विलम्ब करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के पर्याप्त प्रावधान विद्यमान है।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पालड़ी ग्राम (जयपुर) के भूमि सैटलमैंट में व्याप्त अनियमितता

438. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पालड़ी-तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नम्बर 337, 341, 342, 343, 344, 345 एवं हाल खसरा नम्बर 306, 307, 308, 309 के राजस्व रिकॉर्ड में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2012 से पूर्व सम्वत 2008 में यह जमीन किस काश्तकार के नाम दर्ज है तथा सम्वत 2012 में प्रथम सैटलमैंट जिस रिकार्ड को आधार मानकर किया गया उस रिकार्ड में इस जमीन का काश्तकार कौन था?

(2) क्या उक्त जमीन में सम्वत 2012 एवं वर्ष 1980 के सैटलमैंट के दौरान सैटलमैंट के अधिकारियों द्वारा काश्तकार के नाम के साथ कोई और शब्द जोड़कर गलती की गई है? यदि हां, तो इसका क्या कारण रहा तथा इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है?

(3) क्या सरकार उक्त जमीन पर प्रथम सैटलमैंट के पूर्व जो स्थिति काश्तकार की थी उसके अनुरूप पुनः कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम पालड़ी तहसील विराटनगर जिला जयपुर का संवत 2012 से पूर्व का रेकार्ड उपलबध नहीं होने से यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि संवत 2008 में यह जमीन किस काश्तकार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। संवत 2012 में जिस रेकार्ड को आधार माना गया वह रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से यह बताया जाना भी सम्भव नहीं है कि जमीन पर काश्त कौन कर रहा था।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। खण्ड। की स्थिति के अनुसार सम्भव ही नहीं है।

थोक तेलियान/मालियान, अजमेर का राजस्व रिकार्ड

439. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के राजस्व रिकार्ड में थोक तेलियान व थोक मालियान की जमा बंदी वर्तमान में अप्रमाणित है? यदि हां, तो राजस्व रिकार्ड को प्रमाणित करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) वर्तमान में अजमेर के थोक तेलियान व थोक मालियान का राजस्व रिकार्ड अप्रमाणित होने के कारण कौन से संवत का रिकार्ड वैध माना जायेगा।?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर में दिनांक 15.6.1958 से प्रभावशाली किया गया। इस दौरान व इसके बाद अजमेर लैण्ड रिफार्म रिजम्पशन आफ स्टेट एक्ट 1955, शामलात देह रेगूलेशन एक्ट 1956 व दी अजमेर शामलात कमेटी (डिजोलेशन) एक्ट 1963 क्स्टोडियन एक्ट 1956 के प्रभावशाली होने से उक्त नियमों/अधिनियमों को उक्त जमाबंदी में प्रभावशाली करने में आने वाली वैद्यानिक कठिनाइयों का अध्ययन कर उसके निराकरण करने की कार्यवाही की जाकर उक्त जमाबंदी प्रमाणित करने की कार्यबाही की जा रही है।

(2) अजमेर थोक तेलियान की चौसाला जमाबंदी संवत 2014 से 2017 तहरीर होकर प्रमाणित है, तथा थोक मालियान की अंतिम खेवट 1365 फसली (सम्वत 2014) प्रमाणित अभिलेख है।

बापी ग्राम (दौसा) के खसरा नम्बर-308 पर अतिक्रमण

440. श्री जुबेर खान (रामगढ़) एवं श्री सुभा. चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) . क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जुबेर खान)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दौसा के गांव बापी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 ए, बस स्टैण्ड खसरा नं. 308 पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर थड़ियां, दुकान, पत्थर, बबूल के ढेहरे तथा पत्थर की दीवार खड़ी कर रखी है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त लोगों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही कर अतिक्रमण हटा दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव के खसरा नं. 308 की भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग 11-ए में अवाप्ति के बाद शेष रही खातेदारी भूमि का सरकार द्वारा अब तक सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी नहीं की गई है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नं. 308 के सीमाज्ञान सैटलमैंट विभाग से कराने की कार्यवाही विभाग में अपेक्षित होते हुए अब तक किस अधिकारी की लापरवाही से नहीं किया जाकर सीमाज्ञान नहीं कराया गया है?

(4) क्या यह सही है कि तहसील दौसा के आदेश संख्या 130 दिनांक 17 अक्टूबर, 2000 के द्वारा भी उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराया गया था? यदि हां, तो कब व उक्त सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? पूर्ण दस्तावेज सहित विवरण सदन की मेज पर रखें.

(5) उक्त गांव में चरागाह भूमि, आम रास्ता किस-किस खसरा नम्बर में है तथा अब उसकी क्या स्थिति है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव के चरागाह भूमि खसरा नं. 670/2130 में आबादी बसी हुई है? यदि हां, तो किस-किस का कितनी-कितनी भूमि पर कब-कब से कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त कब्जों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त गांव में ख. नं. 308 की अवाप्ति के बाद शेष रही खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 25.10.2001 को एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर व तहसीलदार दौसा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 15.10.2002 को कराया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। तहसील कार्यालय के आदेश पत्रांक 130 दिनांक 23.10.2000 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि ख.न. 308 का सीमाज्ञान दिनांक 28.10.2000 को करा दिया गया था। सीमाज्ञान कार्यवाही फर्द की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(5) उक्त गांव में चरागाह भूमि व आम रास्ता भूमि के खसरावार वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(6) उक्त गांव के चरागाह ख. नं. 670/2130 रकबा 6.70 हैक्टर के आंशिक भाग पर आबादी बसी हुई है। रिकार्ड खसरा परिवर्तनशील वर्ष 1999-2000 (संवत 2057) के अनुसार कुल 11 व्यक्तियों ने आबादी व बाड़े के रूप में अतिचार कर बसावट की हुई है। विवरण परिशिष्ट "स" संलग्न है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.10.2001 के अनुसार उक्त अतिक्रमण 1.7.1989 से पूर्व का नहीं होने के कारण नियमन किये जाने योग्य नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

माका पचा सीमाज्ञान खसरा नम्बर 308 ग्राम बापी दिनांक 28.10.2000

आज दिनांक 28.10.2000 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब दौसा के भूअी 2001/130 दि. 23.10.2000 की फलना में ग्राम बापी के आ ख. नं. 308/0.24 हैक्टेयर के मार्के पर पहुंचा। मौके पर प्रार्थी घासीलाल

पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उक्त वर्जित ख.नं. का मुताबिक नक्शा सी के जरिये चालान कर सीमाज्ञान कराया गया। एवं मौके पर मौका पर्चा पढ़कर सुनाया जाकर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये। प्राथी घासीलाल पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण ने सीमाज्ञान मौका पर्ची पर हस्ताक्षर करने से मना किया. मौका पर्चा सेवा में पेश है

परिशिष्ट "ब"

ग्राम बापी स्थित चरागाह रास्ता भूमि की खसरा नम्बरवार यथास्थिति विवरण सूची

क्र. सं.	भूमि विवरण चरागाह/ रास्ता	ख. न.	रकबा	अतिक्रमित रकबा		अतिचारी का विवरण	खाली भूमि उपयोग स्थिति	विशेष विवरण
				क्षेत्रफल	अतिचार किस्म			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चारागाह	272/1	0.16	—	—		खाली रास्ता उपयोग में	
		291/1	1.57	—	—		खाली रास्ता उपयोग में	
		292	0.08	0.02	मकानात	एक व्यक्ति का अतिचार	ग्राम सेवक क्वाटर, ग्राम पंचायत भवन शेष खाली	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		293	0.02	- -	—	—	—	
		539	0.10	—	—		मौके पर नाला है	
		670/2130	0.70	0.32	आबादी व बाडे	कुल 11 अतिचारी	शेष भूमि खाली	
		677/2122	0.84	0.28	आबादी व बाडे	कुल 6 अतिचारी	शेष भूमि खाली	
		679	0.72	0.22	आबादी व बाडे	कुल 9 अतिचारी	शेष भूमि खाली	
		688	0.01	—	—	—	देवस्थान उपयोग	
		706/2123	1.29	—	—		खाली रास्ता इत्यादि उपयोग	
		706/2134/2	10.61	—	—	- -	"	
		729	1.60	1.00	आबादी व बाडे	ढाणी बजंरा बसावट	"	
		729/2128	0.01	—		-	पुख्ता चाह	
		730	5.94	0.45	आबादी व बाडे	कुल 9 अतिचारी	शेष भूमि खाली रास्ता इत्यादि उपयोग	
		811	0.14	0.11	काश्त	एक अतिचारी	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		812/2136	0.14	—	—	—	खाली रास्ता इत्यादि उपयोग	
		1130	0.32	—	—	—	,,	
		1144	0.21	—	—	—	,,	
		1174	0.08	—	—	—	,,	
		1193/2139	2.19	—	—	—	,,	
		1197/2144	0.10	—	—	—	,,	
		1201/2182	0.15	—	—	—	,,	
		1214	1.48	—	—	—	,,	
		1216/2117	0.75	—	—	—	,,	
		1236/2158	0.08	—	—	—	,,	
		1237/2154	0.08	—	—	—	,,	
		1249	2.54	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1250	0.31	—	—	—	,,	
		1275/2150	0.16	—	—	—	,,	
		1391/2119	0.04	—	—	—	,,	
		1543	0.05	—	—	—	,,	
		1611	0.10	—		—	,,	
		1612	0.09	—	—	—	,,	
		1897	0.26	—	—	—	,,	
		1913	0.06	—	—	—	,,	
		1914	0.21	—	—	—	,,	
		1917/2	4.00	—	—	—	,,	
		1917/2142	1.06	—	—	—	,,	
		1918	2.12	—	—	—	,,	
		1920	0.32	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1960	7.45	—	—	—	"	
		1961	2.08	—	—	—	"	
		2004	0.05	—	—	—	"	
		2005	0.07	—	—	—	"	
		2007/2131	0.05	—	—	—	"	
		2009/2132	0.45	—	—	—	"	
		2115	20.74	—	—	—	"	
		269/1	0.02	—	—	—	"	
		276	0.03	—	—	—	"	
		277	0.03	—	—	—	"	
		284	0.10	—	—	—	"	
		285	0.10	—	—	—	"	
		294	0.16	—	—	—	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		384/2178	0.17	—	—	—	"	
		627/2146	6.00	—	—	—	"	
		676	0.73	—	—	—	"	
		689/2	2.47	0.32	आबादी बाड़े	कुल 11 अतिचारी	शेष खाली रास्ता इत्यादि	
		701	0.18	—	—	—	खाली	
		731/2236	0.50	—	—	—	"	
		732/2239	0.04	—	—	—	खाली रास्ता इत्यादि	
		733	6.23	—	—	—	खाली	
		Total	88.34	2.72				

तहसीलदार भू.अ. दौसा

ग्राम बापी स्थिति चरागाह रास्ता भूमि की खसरा नम्बरवार यथास्थिति विवरण सूची

क्र. सं.	भूमि विवरण चरागाह/ रास्ता	ख. न.	रकबा	अतिक्रमित रकबा		अतिचारी का विवरण	खाली भूमि उपयोग स्थिति	विशेष विवरण
				क्षेत्रफल	अतिचार किस्म			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गै. मु. रास्ता	123	0.35	—	—	—	रास्ता उपयोग में	
		309/1	0.20	—	—	—	—	
		310/2147	026	—	—	—	—	
		407	0.31	—	—	—	—	
		639	0.33	—	—	—	—	
		649	0.20	—	—	—	—	
		661	0.06	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		668	0.10	0.01	आबादी	एक अलिचारी	शेष खाली रास्ता उपयोग	
		770	0.04	—	—	—	रास्ता उपयोग में	
		786	0.40	—	—	—	"	
		1161	0.10	—	—	—	"	
		1164/2148	0.13	—	—	—	"	
		1184	0.09	—	—	—	"	
		1222	0.21	—	—	—	"	
		1246/2149	0.05	—	—	—	"	
		1284	0.04	—	—	—	"	
		1286	0.16	—	—	—	"	
		1524	0.34	—	—	—	"	
		1542	0.08	—	—	—	"	
		1613	0.52	—	—	—	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1745	0.49	—	—	—	"	
		1849	0.39	—	—	—	"	
		1895	0.33	—	—	—	"	
		2009	0.30	—	—	—	"	
		495/2145/1	0.32	—	—	—	"	
		Total	5.80					

तहसीलदार भू.अ. दौसा

ग्राम बापी स्थिति चरागाह खसरा नम्बर 670/2130 में आबादी बसायट के अतिचारियों का विवरण सूची

क्र. सं.	भूमि विवरण चरागाह/ रास्ता	ख. न.	रकबा	अतिक्रमित रकबा		अतिचारी का विवरण	विशेष विवरण
				क्षेत्रफल	अतिचार किस्म		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चरागाह	670/2130	0.70	0.02	पाटोल घर बाडा	ऊमराव पुत्र सांवता बंजारा	
				0.02	पाटोल घर बाडा	लीला बेवा घनश्याम बंजारा	
				0.03	पुख्ता डण्डा व बाडा	बाबुलाल वैगराह ब्राह्मण	
				0.02	पुख्ता डण्डा व बाडा	रमेश मुरली पि. रामकिशोर ब्राह्मण	
				0.02	पुख्ता डण्डा व बाडा	गिर्राज पुत्र रामकिशोर ब्राह्मण	

1	2	3	4	5	6	7	8
				0.05	पुख्ता मकान बाडा	सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल ब्राह्मण	
				0.05	पुख्ता मकान बाडा	हरिकिशन पुत्र नाथूलाल ब्राह्मण	
				0.05	पत्थर की दीवार से बाडा	मंगल चन्द पुत्र गणेश ब्राह्मण	
				0.02	पत्थर की दीवार से मकानात बाडा	किस्तुर चन्द्र वगै. ब्राह्मण	
				0.02	पत्थर की दीवार से मकानात बाडा	ओम प्रकाश पि. घासीलाल ब्राह्मण	
				0.02	पत्थर की दीवार से बाडा	चिरंजी लाल पुत्र प्रभूदयाल ब्राह्मण	
				0.32			

तहसीलदार भू.अ. दौसा

राणा प्रताप सागर बांध, कोटा की डूब में आये विस्थापितों को खातेदारी अधिकार

441. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में राण प्रताप सागर बांध डूब क्षेत्र के विस्थापितों के गांव मदनपुरा के काश्तकारों को भूमि का कब्जा देने के बाद आबंटन खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये? यदि हां, तो सरकार अब इनको भूमि का आबंटन कर खातेदारी अधिकार कब तक देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

तहसील क्षेत्र रामगंज मण्डी के राजस्व ग्राम मदनपुरा में कोई गैर खातेदार, खातेदारी देने से शेष नहीं है, किन्तु इस ग्राम के केवल 23 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मदनपुरा से भिन्न ग्राम यथा रघुनाथपुरा में 13, सोहनपुरा में 6, रूपपुरा में 1, काल्याखेडी में 1 व अमलावद खेड़ा में 2 को दिनांक 7.7.2002 को भूमि आबंटन की जाकर 21.9.2002 को गैर खातेदारी दी गयी है। जिन्हें अभी आबंटन शर्तों के अनुसार 3 वर्ष पूर्ण नहीं होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं। आबंटन की शर्तो की पालना करने पर नियमानुसार, 3 साल बाद खातेदारी अधिकार दे दिये जायेंगे।

दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट, जयपुर द्वारा अवैध निर्माण

442. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट, जयपुर एक पंजीकृत संस्थान है? यदि हां, तो उक्त ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ट्रस्ट के पदाधिकारी व सदस्य एक ही परिवार से हैं?

(श्री सुरेश मीणा)

यदि हां, तो क्या वह नियमानुसार है और नहीं तो इस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान द्वारा सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के सामने बिना किसी स्वीकृति/नक्शे के दूसरी मंजिल पर दुकानों का अवैध निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानों को किराये पर भी दे दिया गया है व इसमें भारी अनियमितताएं की गई हैं?

(5) क्या सरकार को पूर्व में अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट जयपुर एक पंजीकृत संस्थान है, जिसके पंजीयन क्रमांक 276 दिनांक, 7.4.1976 है। प्रन्यास के वर्तमान में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं सदस्य हैं।

1.	श्री प्रकाश चन्द दीवान	अध्यक्ष
2.	श्री सुधान्शु कासलीवाल	मंत्री
3.	श्री दीपक कुमार दीवान	कोषाध्यक्ष
4.	श्री प्रकाश चन्द जैन	सदस्य
5.	डा. विमल कुमार पाटनी	सदस्य
6.	श्री महेन्द्र कुमार पाटनी	सदस्य
7.	डा. प्रेमचन्द काला	सदस्य
8.	श्री पूनम चन्द शाह	सदस्य

(देवस्थान मंत्री)

9.	श्री विनय कुमार जैन	सदस्य
10.	श्री विनोद कुमार शाह	सदस्य
11.	श्री अशोक कुमार बक्शी	सदस्य

(2) जी नहीं। उक्त ट्रस्ट के पदाधिकारी व सदस्य एक ही परिवार के नहीं है। प्रन्यास के प्रन्यासियों का गठन प्रन्यास अभिलेख/विधान के अनुसार है।

(3) जी नहीं। प्रथम तल पर निर्मित नई दुकानों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1992 की है जबकि निर्माण वर्ष 2004 में किया गया है। इस अवैध निर्माण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाना इस विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण को लिख दिया गया है।

(4) जी हां। ट्रस्ट द्वारा उक्त दुकानों को किराये पर दिया गया है। अनियमितता की शिकायत आने पर इनकी जांच आयुक्त, देवस्थान से करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(5) जी हां। इस सम्बन्ध में दिनांक 8.9.2004 को शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच निरीक्षक से कराने के उपरान्त सहायक आयुक्त, देवस्थान से पुनः जांच करवायी गयी। जांच में पृथम दृष्टया पायी गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 49 के अन्तर्गत प्रन्यास से स्पष्टीकरण मांगा है; प्राप्त स्पष्टीकरण का कानूनी परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्य में एड्स रोग की रोकथाम हेतु कार्य-योजना

443. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रदेश में एच.आई.वी. संक्रमण फैल रहा है और

(श्री नन्दलाल मीणा)

एड्स के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है? यदि नहीं, तो वर्ष 2001 अगस्त तक राज्य में कितने रोगियों की जानकारी थी तथा दिसम्बर, 2004 तक इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? वर्तमान में एड्स रोगी राज्य के किन-किन जिलों में चिन्हित किये गये हैं, और इस रोग की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य में चिन्हित एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 1987 में पुष्कर में एड्स का पहला रोगी चिह्नित किया गया। जो वर्ष 2001 के अन्त तक 357 एड्स के रोगियों को राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा चिह्नित किया गया। दिसम्बर, 2004 तक राज्य में कुल 1221 रोगी राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में चिह्नित किये जा चुके हैं।

राज्य में राजस्थान स्टेट कन्ट्रोल सोसायर्टी में रिपोर्ट किये गये एड्स रोगियों की 2001-2004 तक वर्षवार व जिलेवार एवं 1987-2004 तक की जिलेवार व वर्षवार सूची संलग्न है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

इस रोग की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:-

1- यौन रोगों के उपचार एवं नियंत्रण के लिये राज्य में कुल 36 एस.टी.डी. क्लिनिक कार्यरत हैं। यहां यौन रोगियों की नि:शुल्क जांच व उपचार की व्यवस्था है।

2- राज्य के सरकारी क्षेत्र के 43 तथा निजी क्षेत्र के 24 सहित कुल 67 रक्त बैंकों के माध्यम से रोगियों को एच.आई.वी. हैपेटाइटिस, मलेरिया एवं सिफलिस मुक्त रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है राज्य में वर्ष 1987 से 2004 तक 1422329 नमूनों की जांच की गई जिसमें से 4611 (0.32 प्रतिशत) एच.आई.वी. संक्रमित पाये गये।

3- राज्य में सरकारी क्षेत्र में 2 व गैर सरकारी क्षेत्र में 4 रक्त अवयव प्रथक्कीकरण इकाइयां कार्यरत हैं। वर्ष 1999 से 2004 तक कुल 293392 रक्त इकाइयों से अवयव पृथक किये गये।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री),

4- सभी मेडिकल कालेजों में एवं जिला स्तर पर स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केन्द्रों (वी.सी.टी.सी), की स्थापना की जा चुकी है. जिसमें कोई भी व्यक्ति एच.आई.वी. के बारे में जानकारी प्राप्त कर 10/- रुपये के शुल्क में अपनी एच.आई.वी. की जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा बी.पी.एल. कार्डधारकों के लिये निःशुल्क उपलब्ध है। वर्ष 1999 से 2004 तक कुल 5282 व्यक्तियों की स्वैच्छिक एच.आई.वी. जांच की गई जिनमें से 770 व्यक्ति एच.आई.वी. पाजीटिव पाये गये।

5- परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक चलाये गये छः चरणों में घर-घर जाकर 15 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र दिया गया तथा गांवों व शहरी कच्ची बस्तियों में जागरूकता शिविर लगाकर एड्स एवं यौन रोगों की जानकारी दी गई व यौन रोगों के लक्षणों से पीड़ित पाये गये रोगियों को मुफ्त परामर्श व निःशुल्क उपचार दिया गया। वर्ष 1999 से 2004 तक आयोजित अभियानों में कुल 11383 लाख व्यक्तियों को जानकारी दी गई एवं 491926 यौन रोगियों को उपचारित किया गया।

6- स्कूलों में छात्र-छात्राओं में एच.आई.वी./एड्स की जानकारी हेतु जीवन के लिये शिक्षा नामक पुस्तिका द्वारा राज्य के सभी जिलों के 2146 स्कूलों में एड्स सम्बन्धी शिक्षा दी जा रही है। सन् 2003-04 में 584 स्कूलों में यह शिक्षा दी जा चुकी है।

7- गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित 7 परियोजनाओं के माध्यम से अधिक जोखिम वर्ग को व्यवहार परिवर्तन यौन रोग उपचार तथा परामर्श आदि की सुविधाएं उनके निवास/कार्यस्थल के आस-पास उपलब्ध कराई जा रही हैं.

8- राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों व जिलास्तरीय अस्पतालों में

एच.आई.वी/एड्स रोगियों में अवसरवादी संक्रमणों के निदान हेतु निशुल्क चिकित्सा औषधि वितरित की जाती है।

9- ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जो एच.आई.वी/एड्स रोगियों के उपचार के समय एच.आई.वी. से संक्रमित हो जाते हैं या सम्भावना रखते हैं उनको तुरन्त एन्टीरिट्रोवायरल दवा की उपलब्धता हेतु जिला अस्पताल के आपातकालीन कक्ष पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस (पी.ई.पी) की दवाइयां हर समय रखी जाती हैं।

10- आई.ई.सी. के माध्यम से एड्स रोग व इससे बचने की जानकारी आमजन को फोक मीडिया, टी.वी. आल इण्डिया रेडियो पेम्फलेट्स, पोस्टर्स, कलेण्डर्स, बस पैनल्स होर्डिंग्स मेलों व त्यौहारों में स्टाल लगाकर दी जा रही है।

11- अन्तर्विभागीय सहयोग हेतु राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा 17-1-2005 को तम्बाकू टी.बी. व एच.आई.वी/एड्स विषय पर कार्यशाला आयोजित कर सरकारी विभाग पुलिस सेना शिक्षा जेल, महिला बाल विकास पंचायती राज आदि व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भविष्य में एच.आई.वी./एड्स रोग से निपटने के लिये अन्तर्सहभागी रणनीति तैयार की।

12- एड्स रोगियों के उपचार हेतु शुरूआती तौर पर जयपुर में राजस्थान के प्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है दस शैय्या वाले इस केन्द्र में एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

13- राजस्थान में एच.आई.वी/एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को छुआछूत एवं भेदभाव के प्रकरणों से निपटारे हेतु राज्य पर एन्टी डिस्क्रिमिनेशन सैल का गठन किया गया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

14- राज्य सरकार द्वारा एन्टी रिट्रोवायरल ड्रग्स पर करों में राहत दी हुई है मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रहे लोगों एवं बी.पी.एल. एड्स रोगियों को उपचार हेतु आंशिक अर्थदान दिया जाता है।

15- राजस्थान स्टेट कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा जयपुर में कण्डोम वेंडिंग मशीनें लगायी जा रही हैं। जिसमें 5 रूपये का सिक्का डालने पर एक पैकिट (पांच कण्डोम) निकलता है। इससे आम जनता को अच्छी गुणवत्ता के कण्डोम प्राप्त होते हैं।

परिशिष्ट "अ"

District and Year wise reported AIDS Cases in Rajasthan

S. No.	Name of District	1987-96	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ajmer	10	4	0	0	0	2	10	7	12	51
2.	Alwar	1	0	0	0	4	8	12	8	26	59
3.	Banswara	1	0	0	1	0	1	0	2	0	5
4.	Baran	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3
5.	Bharatpur	0	1	0	0	1	1	5	8	5	21
6.	Bhilwara	1	0	0	0	1	3	9	2	15	31
7.	Bikaner	0	0	0	2	0	5	7	6	11	31
8.	Bundi	1	0	1	0	0	1	2	0	1	6
9.	Chittorgarh	0	0	0	1	2	1	0	2	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Churu	1	1	1	1	2	3	4	8	13	34
11.	Dholpur	0	3	2	0	0	0	2	2	8	17
12.	Dungarpur	3	0	0	1	2	4	1	2	11	24
13.	Jaipur	0	0	2	8	43	21	71	50	54	249
14.	Jalore	1	0	0	0	0	1	0	8	2	12
15.	Jhunjhunu	1	0	0	1	18	3	17	17	12	67
16.	Jodhpur	1	1	0	0	0	3	0	2	0	14
17.	Karauli	0	0	0	1	2	0	6	2	0	11
18.	Kota	2	0	0	0	1	6	10	19	9	47
19.	Nagaur	1	0	0	0	9	7	32	17	24	90
20.	Pali	7	0	0	0	3	3	1	18	3	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Rajasmand	2	0	0	3	2	3	0	5	1	16
22.	Sikar	1	3	3	3	28	8	42	40	28	154
23.	Sirohi	6	1	1	2	1	0	0	2	8	21
24.	S. Modhopur	0	0	0	1	1	2	5	1	1	11
25.	Tonk	0	1	0	0	0	0	7	8	10	26
26.	Udaipur	11	0	0	1	7	7	15	11	8	60
27.	Hanumangarh	0	0	0	0	0	2	1	3	4	10
28.	Ganganagar	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
29.	Dausa	0	0	0	0	0	0	7	5	3	15
30.	Barmer	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31.	Jaisalmer	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32.	Jhalawar	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Other States & Foreigners	3	9	0	3	11	2	22	21	14	85
	NA							2	1		3
	Total	**54**	**24**	**10**	**35**	**136**	**98**	**292**	**289**	**283**	**1221**

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थापित कर्मी

444. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग ट्यूटर के कितने पद रिक्त हैं? इनमें से कितने पद भरे हुए व कितने रिक्त हैं? इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के मानदण्ड को पूरा करने के लिये इनको कितने पदों की आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में नर्सिंग ट्यूटर के कुछ पद स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो कितने एवं किस-किस प्रशिक्षण केन्द्र पर? उक्त रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों की मान्यता इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के द्वारा रद्द कर दी गई है? यदि हां, तो किन-किन की व किन कारणों से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों पर निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले कर्मियों को भी पदस्थापित कर रखा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 15 जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग ट्यूटर के 54 पद स्वीकृत हैं एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग ट्यूटर के 106 पद स्वीकृत हैं। इनमें से जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल 50 पद भरे हुए हैं तथा 4 पद नर्सिंग ट्यूटर के रिक्त हैं तथा महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों में 74 पद भरे हुए हैं तथा 32 पद रिक्त हैं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के मानदण्डों के पूरा करने के लिए जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों पर 216 नर्सिंग ट्यूटरों के पदों की आवश्यकता है तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों पर 110 नर्सिंग ट्यूटरों की आवश्यकता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी हां। यह सही है कि 11 राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों की मान्यता भौतिक संसाधनों व टीचिंग स्टाफ के अभाव में अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, एवं श्रीगंगानगर की वर्ष 2000 में मान्यता समाप्त की गई थी जिनमें से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर एवं बाड़मेर प्रशिक्षण केन्द्रों की मान्यता पुन: इण्डियन नर्सिंग कौंसिल से बहाल कराई जा चुकी है तथा शेष की मान्यता बहाली की कार्यवाही प्रगति पर है।

(4) जी नहीं। केवल भीलवाड़ा महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र पर पी.एच.एन. का पद रिक्त होने के कारण प्रशिक्षणार्थियों को फील्ड का कार्य कराने हेतु अनुभव के आधार पर महिला स्वास्थ्य दर्शिका को कार्य सम्पादन करने हेतु लगाया गया है। अन्य महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों पर योग्यताधारी कर्मियों का ही पदस्थापन है।

राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में उपलब्ध सुविधाएं

445. श्री ओ.पी महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय में अब तक कौन-कौन से उपकरण व मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपलब्ध करवाये गये उपकरणों एवं मशीनों में कौन-कौन से उपकरण खराब पड़े हैं? क्या सरकार इन उपकरणों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में जांच सुविधाओं में विस्तार एवं गम्भीर बीमारियों से सम्बन्धित अति विशिष्ट जांच सुविधायें जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, को उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में उपलब्ध उपकरण एवं मशीनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में उपलब्ध उपकरणों में से इको कार्डियोग्राफी मशीन वर्तमान में खराब है। मरम्मत करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना के अन्तर्गत जिला/उपखण्ड स्तर के चिकित्सा संस्थानों का Need Assessment कराया गया था जिसके अनुसार जिला अस्पताल श्रीगंगानगर के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पाये गये Gap को पूरा करने हेतु परियोजना में प्रावधान रखा गया है। पाई गई कमी के अनुसार उपकरणों की सप्लाई परियोजना के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में उपलब्ध उपकरण/मशीनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम उपकरण/मशीन	क्र. सं.	नाम उपकरण/मशीन
1	2	1	2
1.	एक्स-रे मशीन	5.	ई.सी.जी. मशीन
2.	डेन्टल एक्स-रे मशीन	6.	कार्डियोमोनीटर
3.	अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन	7.	डिफिबिलेटर
4.	इको कार्डियोग्राफी	8.	वेन्टीलेटर

1	2	1	2
9.	बायलस आपरेटस	24.	इन्शट्रूमेन्ट स्टेपलाइजर
10.	पल्स औक्सीमीटर	25.	गायनी इलैक्ट्रिक काटरी
11.	माइस्क्रोप	26.	नैब्यूलाइजर
12.	शोर्ट बेब बायोथेरेपी	27.	ब्लड गैस एनालाइजर
13.	इन्क्यूबेटर	28.	माइक्रोस्कोप बायनाकुलर
14.	आइडियोमीटर	29.	केमीकल्स बैलन्स
15.	फोटोथेरेपी	30.	फोटोइलेक्ट्रेमीटर
16.	ट्रेडमील टेस्टर-2	31.	स्टेप्रो फोटोमीटर
17.	डेन्टल चेयर	32.	आटोएनलाइजर
18.	आपरेशन टेबिल ओडनरी	33.	ग्लकोमीटर
19.	आपरेशन टेबिल हाइड्रोलिक	34.	बाटरबाथ
20.	आटोक्लेब	35.	हाट एयर ओवन
21.	ओ टी लाइट शैडोलैस	36.	इक्यूबेटर
22.	सैक्शन आपरेटस इलैक्ट्रिकल	37.	सेन्ट्रीफग
23.	सैक्शन आपरेटस फुट आपरेटस	38.	काउन्यिटंग चेम्बर

1	2	1	2
39.	डिमोग्लोबीन मीटर	57.	मल्टीचेनल ईसीजी मशीन
40.	माइक्रो पीपेट	58.	मल्टीपेरा मानीटर
41.	स्टाफ वाच	59.	बेबी थेरेपी
42.	रेफ्रिजरेटर	60.	डबल सरफेस ट्राली
43.	एयर कन्डीशनर	61.	सीपीएपी मशीन
44.	वाटर कुलर	62.	स्लो सेक्शन मशीन
45.	जनरेटर	63.	आक्सीजन लिड
46.	डी एण्ड सी सैट	64.	न्यूयोलेटर रिसक्सीटेशन ट्राली
47.	आक्सीजन सिलेण्डर	65.	न्यूयोलेटर इलेक्ट्रीक वेट मशीन
48.	लाइटस सिलेण्डर	66.	सोनोग्राफी कलर डापलर मशीन
49.	रोगीवाहन	67.	रेडियन्ट हीट वायलर
50.	यूरिन रियेजेन्ट स्टपरीडर	68.	पैडिट्रिक वेन्टीलेटर
51.	ब्लड सैल काउन्टर	69.	आक्सीजन एनेलाइजर
52.	केलोरिमीटर	70.	तोसिबा सी टी स्क्रेनर
53.	थर्मामीटर	71.	आक्सीमीटर मोनीटर
54.	ओवन	72.	एलीजा रिडर
55.	डिजिटल ईसीजी मशीन	73.	एन्शथिजिया मशीन
56.	सिरिज इन्फ्यूजर मशीन		

गम्भीर रोग उन्मूलन कार्यक्रम में संलग्न संस्थाएं

446. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा मलेरिया, उन्मूलन, नेत्र शिविर, एड्स उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन आदि विभिन्न रोग उन्मूलन के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं? यदि हां, तो यह संस्थाएं कहां-कहां की हैं? इसमें कितनी बाहरी एवं कितनी स्थानीय संस्थाओं को कार्य दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमलवाड़ा में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमलवाड़ा के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में विभिन्न संस्थाओं द्वारा मलेरिया उन्मूलन, एड्स उन्मूलन आयोडिन अल्पता विकार नियंत्रण, क्षय रोग नियंत्रण एवं नेत्र शिविर आयोजन के संचालन में कार्य किया जाता है। उपर्युक्त कार्य में संलग्न संस्थाओं का विवरण कार्यक्रम वार इस प्रकार है:-

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमलवाड़ा में निम्नलिखित पद रिक्त हैं :-

कार्यक्रम का नाम	कार्यरत कुल संस्थाओं की संख्या	कार्यरत संस्था 3 में से राज्य से बाहर के संस्थाओं की संख्या
(अ) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम		
1. स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम	88	—
2. एड्स जनचेतना अभियान लोक कलाकारों द्वारा	60	—
3. लक्षित परियोजना	7	2
(ब) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	1	—
(स) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण कार्यक्रम	1	—
(द) क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम		
1. गैर सरकारी संस्थायें	107	—
2. निजी चिकित्सालय/चिकित्सक	174	—
(य) नेत्र शिविर आयोजन	619	12

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ, बी एच एस (मेल/फिमेल) सेक्टर सुपरवाइजर,

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पद	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	[illegible]	
2.	चिकित्सा अधिकारी	1	पदस्थापन आदेश जारी (कार्यग्रहण नहीं किया गया)
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	
4.	लैब टैक्नीशियन	1	

1	2	3	4
5.	बी. एच. एस. मेल	1	
6.	बी. एच. एस. फिमेल	1	
7.	मलेरिया निरीक्षक	1	
8.	संगणक	1	
9.	सैक्टर सुपरवाइजर	4	

मलेरिया निरीक्षक के पद पदोन्नति के हैं जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर पद भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। शेष पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें भी शीघ्र भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी हां। राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमलवाड़ा के भवन का रिनोवेशन/एडीशन/अल्ट्रेशन के लिये वर्ष 2006-07 में राशि रूपये 21.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। उक्त के अतिरिक्त यूरोपीयन कमीशन समर्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सैक्टर इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमलवाड़ा में पानी/बिजली/मरम्मत/ओवर हेड टैंक इत्यादि हेतु राशि रूपये 15.00 लाख की अधिकृत सीमा तय की गई है।

श्रीडूंगरगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

447. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? इनमें कितने पद कहां-कहां सृजित हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनवरी, 2004 से जनवरी,

(मंगलाराम गोदारा)

2005 तक कितने प्रसव करवाये गये तथा कितनी महिलाओं की प्रसव दौरान मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों से कितनी महिलाओं को प्रसव के दौरान रैफरल चिकित्सालय, बीकानेर में भेजा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगरगढ़ एवं बीदासर संचालित है उनमें स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनवरी, 2004 से जनवरी, 2005 तक करवाये गये प्रसव एवं प्रसव के दौरान मृत्यु हुई महिलाओं का संख्या, विवरण निम्न प्रकार है :-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	करवाये गये प्रसवों की संख्या	प्रसव के दौरान हुई मृत्युओं की संख्या
डूंगरगढ़	417	—
बीदासर	53	—

(3) जनवरी, 2004 से जनवरी, 2005 तक करवाये गये प्रसवों में से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीदासर से किसी भी महिला को प्रसव के दौरान बीकानेर रैफर नहीं किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगरगढ़ से प्रसव के दौरान 12 महिलाओं को बीकानेर रैफर किया गया।

परिशिष्ट "अ"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगरगढ़ एवं बीदासर में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
डूंगरगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग)	4	—
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	—
	मेल नर्स प्रथम	1	—
	मेल नर्स द्वितीय	5	2
	प्रसाविका	2	1
	वरिष्ठ लिपिक	1	—
	कनिष्ठ लिपिक	1	—
	रेडियोग्राफर	1	—
	सहायक रेडियोग्राफर	1	—
	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	1	—
	लैब टेक्नीशियन	1	—
	वाहन चालक	1	—

1	2	3	4
	वार्ड ब्वाय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी	7	[illegible]
बीदासर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन, सर्जरी)	2	1 (शल्य),
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	[illegible]	—
	चिकित्सा अधिकारी	[illegible]	—
	मेल नर्स प्रथम	1	[illegible]
	मेल नर्स द्वितीय	7	[illegible]
	सहायक रेडियोग्राफर	1	—
	प्रसाविका	[illegible]	—
	वरिष्ठ लिपिक	[illegible]	—
	कनिष्ठ लिपिक	1	—
	लैब टेक्नीशियन	[illegible]	—
	वाहन चालक	[illegible]	—
	वार्ड ब्वाय	1	—

श्री बद्रीनारायण सोढाणी, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, लोसल (सीकर) का अधिग्रहण एवं संचालन

448. श्री अमराराम (धोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद के कस्बा लोसल में श्री बद्रीनारायण सोढाणी चिकित्सा सदन को मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र व पी.पी. केन्द्र की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक सामान्य 2000/1445 दिनांक 24 जुलाई, 2000 द्वारा दी गई थी? यदि हां, तो क्या अब उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सा केन्द्र शहर के मध्य स्थित है तथा भवन एक करोड़ की लागत से बना हुआ है जिसमें 25 बैड, लेबर रूम, जनरेटर, एक्स-रे मशीन, लेबोरेट्री, डाक्टरों के निवास आदि सुविधायें उपलब्ध हैं?

(3) क्या चिकित्सा भवन को दानदाताओं द्वारा दिनांक 8 मई, 2000 को दान विलेख द्वारा पूर्ण सुविधायुक्त कर जनहित में सरकार को श्री बद्रीनारायण सोढाणी चिकित्सा सदन के नाम से सौंपा गया था? यदि हां, तो अब इसे जनहित में मातृ शिशु चिकित्सा केन्द्र अथवा डिस्पेंसरी के रूप में संचालित करने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में स्थानीय जनता/नागरिकों से सरकार को ज्ञापन/आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो तत्संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए यदि नहीं, तो क्यों? प्राप्त ज्ञापन की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 13(17)/चि. स्वा/2/2000 दिनांक 13.7.2000 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं प्रसवोत्तर केन्द्र लोसल को श्री बद्री नारायण सोढाणी, चिकित्सा सदन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

लोसल के नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति जारी की गई थी। प्रसवोत्तर केन्द्र केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत संचालित थे जिनक बजट केन्द्र सरकार द्वारा बन्द कर देने के कारण समाप्त किये गये। प्रसवोत्तर केन्द्र के अन्तर्गत समाप्त हुए पदों को समायोजन करने हेतु मातृ शिशु कल्याण केन्द्र लोसल में स्वीकृति चिकित्सा अधिकारी के पद को समाप्त करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद सृजित किया गया है।

(2) श्री बद्रीनारायण सोढाणी चिकित्सा सदन शहर के मध्य स्थित है। उक्त भवन का मूल्यांकन लगभग 50.00 लाख का है। उक्त भवन में 24 बैड, लेबर रूम, जनरेटर, एक्सरे मशीन, लेबोरेट्री, चिकित्सा आवास गृह आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। दानदाता द्वारा दान विलेख पूर्ण कर भवन विभाग को सौंपा था। वर्तमान में उक्त भवन में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, लोसल का शे . स्टाफ कार्य कर रहा है।

(4) जी हां। जिन पर कार्यवाही किया जाना विचाराधीन है। प्राप्त ज्ञापन की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकाल में रखी गयी)

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन

449. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कितने पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में लगभग एक हजार फील्ड वर्कर्स को प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद पर नियुक्त किया गया

(श्री शान्ति लाल चपलोत)

था? यदि हां, तो उन्हें कहां-कहां पदस्थापित किया गया? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बीमारियों की रोकथाम के लिये दवा छिड़कने, स्लाइड्स एकत्र करने, दवा वितरित करने एवं परिवार नियोजन के लिये जागरूकता पैदा करने हेतु गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित किया जाना था किन्तु उन्हें शहरों में नगर निगम व नगरपालिकाओं में पदस्थापित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि गांवों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अभाव में मौसमी बीमारियों के प्रकोप पर समय रहते एवं तुरन्त काबू पाने में विभाग असहाय रहता है तथा इन्हीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त भत्ते देकर प्रकोपग्रस्त इलाकों में भेजा जाता है?

उत्तर

(1) विभाग में स्वा. कार्यकर्ता (पु.) के 3968 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2528 पद भरे हुए है तथा 1440 पद रिक्त हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 30.11.1994 के द्वारा 2.1.1992 तक नियुक्त एफ.डब्ल्यू./एस.एफ.डब्ल्यू./एस.सी.डब्ल्यू. को तीन माह का स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) का प्रशिक्षण दिलाकर स्वा. कार्य (पु.) का प्रशिक्षण दिलाकर स्वा.कार्य (पु.) पद पर आमेलन करने का निर्णय लिया गया था। इन निर्देशों के अधीन शहरी मलेरिया योजना के लगभग एक हजार कर्मचारियों (एफ.डब्ल्यू./ एस.एफ.डब्ल्यू) को प्रशिक्षण दिलाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) पद पर आमेलित किया गया है। जिनमें से वर्तमान में निम्न वर्णितानुसार कर्मचारियों को सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका के नियंत्रण में लगाया हुआ है शेष कर्मचारियों का पदस्थापन अन्य चिकित्सा संस्थानों में किया हुआ है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र. सं.	जिला	कर्मचारियों की संख्या
1	जयपुर	252
2	जोधपुर	25
3	कोटा	84
4	अजमेर	51
5	भरतपुर	34
	कुल	446

(3) जी हां। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का पदस्थापन गांवों एवं शहरों में किये जाने का प्रावधान है। ये पद के जोब चार्ट के अनुसार एवं सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी के निर्देशन में कार्य सम्पादन करते हैं। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 5 (151) चिस्वा/3/95 दिनांक 21.4.1999 के निर्देशन में चिकित्सा विभाग एवं नगर निगम/परिषद/पालिका में बेहतर समन्वय के उद्देश्य से इन कर्मचारियों की सेवायें उनके नियंत्रणाधीन दी हुई है।

(4) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) का पदस्थापन किया हुआ है। तथा उपलब्धता के आधार पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) भी पदस्थापित है फिर भी बीमारियों के प्रकोप की स्थिति में चिकित्सक, पैरा मेडिकल, नर्सिंग एवं अधीनस्थ संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य सम्पादन हेतु लगाया जाता है जिन्हें नियमानुसार यात्रा भता एवं विश्राम भता दिया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	266	170	96
2.	दौसा	87	57	30
3.	भरतपुर	202	183	19
4.	धौलपुर	63	39	24
5.	सीकर	170	94	76
6.	झुन्झुनूं	119	77	42
7.	अलवर	170	100	70
8.	अजमेर	145	77	68
9.	भीलवाड़ा	153	92	61
10.	नागौर	131	86	45
11.	टोंक	101	69	32
12.	जोधपुर	182	144	38
13.	पाली	148	65	83
14.	सिरोही	75	41	34
15.	जालौर	97	60	37
16.	बाड़मेर	185	84	101
17.	जैसलमेर	37	21	16

1	2	3	4	5
18.	कोटा	75	61	14
19.	बारां	50	32	18
20.	बून्दी	69	44	25
21.	झालावाड़	125	77	48
22.	सवाईमाधोपुर	101	47	54
23.	करौली	102	77	25
24.	बीकानेर	109	66	43
25.	श्रीगंगानगर	124	60	64
26.	हनुमानगढ़	88	50	38
27.	चूरू	133	62	71
28.	उदयपुर	232	166	66
29.	राजसमन्द	74	61	13
30.	चित्तौडगढ़	149	81	68
31.	बांसवाड़ा	138	133	05
32	डूंगरपुर	68	52	16
	कुल योग	3968	2528	1440

जालौर जिले में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चिकित्साकर्मी

450. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीबाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर में कितने चिकित्सक, कम्पाउण्डर व नर्सें हैं जिनका पदस्थापन कहीं और है तथा वे प्रतिनियुक्ति पर कहीं और कार्य कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल देवड़ा)

(2) क्या ऐसे चिकित्सक, कम्पाउण्डर व नर्सों की जगह सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है जिससे उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके?

(3) क्या सरकार इन चिकित्सकों कम्पाउण्डरों व नर्सों को अपने पदस्थापन की जगह पुनः लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जालौर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित ऐसे चिकित्सक, कम्पाउण्डर एवं नर्सें जिनका पदस्थापन कहीं और है तथा उनको प्रशासनिक कारणों से कहीं और कार्य सम्पादन हेतु लगा रखा है, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। विचाराधीन है।

परिशिष्ट "अ"

कार्य सम्पादन हेतु लगाये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	चिकित्सक/नर्सिंग स्टाफ का नाम	मूल पदस्थापन स्थान	कार्य सम्पादन का स्थान
1	2	3	4
1.	डा. गोपीकिशन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाब से अधिशेष	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचोर में निदेशालय के आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थिति देने हेतु लगाया गया।
2.	डा. मोहनलाल मीणा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केरिया	शिकायतों के कारण प्रशासनिक कारणों से

1	2	3	4
2.	डा. मोहनलाल मीणा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केरिया	श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के मौखिक आदेश से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचोर में उपस्थिति एवं कार्य सम्पादन हेतु आदेशित किया है।
3.	श्री चम्पालाल मेल नर्स	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर	मौसमी बीमारियों एवं अकाल राहत कन्ट्रोल रूम कार्यालय द्वारा जिला मुख्यालय, जालौर

जोधपुर शहर में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

451. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में कुल कितने चिकित्सकों व चिकित्साकर्मियों के किस-किस श्रेणी के पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में चिकित्सा विभाग के अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों व चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों का मय रिक्त अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
राजकीय चिकित्सालय नवचोकियां	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	07/2000
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	01/2005
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	01/2002
	प्रसाविका	1	02/2005
राजकीय चिकित्सालय महिला बाग	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन)	1	2001
नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र जसवंत फिमेल	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	लम्बी अवधि से
नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र उदयमन्दिर	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	लम्बी अवधि से

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। जिनको विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद को संविदा पर भरने के लिये माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे रखा है। अब राज्य सरकार से 100 नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जावेगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त कराने के प्रयास जारी हैं। प्रसाविका एवं परिवार कल्याण कार्यकर्ता के रिक्त पदों को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार भरने के प्रयास किये जायेंगे।

किशनगंज में आयोजित चिकित्सा शिविर

452. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वर्ष 2004-05 में

(श्री हेमराज मीणा,

ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से 15 मार्च, 2005 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कहां-कहां पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया व इनसे कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में पद स्थापित स्टाफ जिनके विरुद्ध वर्ष 2004-05 में ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कार्यवाही की गई उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	आशा देवी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपकेन्द्र सनवाड़ा	निलम्बित
2.	श्रीमती डेसी डी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपकेन्द खिरिया	निलम्बित
3.	श्रीमती निशा शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उच्चीकृत उपकेन्द्र भीलखेड़ा डांग	निलम्बित
4.	श्रीमती रेखा गोस्वामी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उपकेन्द्र वादीपुरा	निलम्बित
5.	श्रीमती पोनम्मा पी. जे. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उच्चीकृत उपकेन्द्र सिम्लोद	निलम्बित
6.	श्री ओम प्रकाश बैरवा मेल नर्स	उच्चीकृत उप केन्द्र रामगढ़	निलम्बित
7.	श्रीमती गीता सैन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उच्चीकृत उप केन्द्र रामगढ़	निलम्बित

(2) वर्ष 2004 से 15 मार्च, 2005 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा जिन स्थानों पर चिकित्सा शिविर आयोजित किये गये एवं आयोजित शिविरों से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

व ः 2004 से 15 मार्च, 2005 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां द्वारा जिन स्थानों पर चिकित्सा शिविर आयोजित किये गये एवं आर जित शिविरों से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

स्वास्थ्य शिविरों का विवरण	कैम्प का स न	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
आर सी एच शिविर	रेलावन	117
	फतहपुर	71
	बडगांव	51
	सेतकोलू	76
	जैपला	88
	देवरी	54
	रायथल	65
	पचेलकलां	40
	पाली	35
	मोठपुर	44
	कोटडी	46
	सारथल	102
	समरानियां	106
	बामला	78
	कोयला	57
	हरनावदाशाहजी	98
	मिर्जापुर	62
	बमोरीकलां	48
	आटोन	88

1	2	3
	कुंजरू	60
	योग	1386
अन्धत शिविर	बडवा	13
	पचेलकलं	09
	अन्त	28
	मांगरोल	32
	बारं	118
	बारं	2(
	बमूरियाकलां	16
	बारां	141
	अटरू	91
	अन्ता एन.टी.पी.सी.	43
	बारं	27
	छबड़	92
	छीपाबड़ौद	84
	भंवरगढ़	3(
	अन्ता एन टी पी सी	5(
	पलायथा	30
	किशनगंज	42
	समरानिय	34
	बारं	37
	मांगरोल	143
	फतेहपुर	15

	2	3
	कोयला	17
	रायथल	12
	बामला	17
	मिर्जापुर	24
	छबड़ा	59
	राजपुर	04
	योग	1226
संजीवनी शिविर	सीताबाड़ी	1256
	शाहबाद	2126
	किशनगंज	1675
	योग	5057
	भंवरगढ़	55
कुष्ठ रोग निवारण शिविर	कोटडी	176
	जलवाड़ा	138
	बडगांव	272
	आटोन	115
	देवरी	76
	सुन्दलक	63
	सारथल	96
	रायथल	119
	योग	1110

इसके अतिरिक्त 232 परिवार कल्याण शिविर आयोजित कर 5779 नसबन्दी आपरेशन किये गये।

किशनगढ़-ब्यावर फोरलेन सड़क का निर्मा.

453. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि किशनगढ़ से ब्यावर तक फोरलेन सड़क का निर्माण किसी योजना के तहत विचाराधीन है? यदि हां, तो इस पर किस स्तर पर कार्यवाही चल रही है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। किशनगढ़ से ब्यावर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 को फोरलेन करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्रालय को दिनांक 27.10.2004 को प्रेषित किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा भी इस मार्ग को चार लेन के लिए डी.पी.आर. बनाने हेतु बिड़ आमंत्रित की है जो दिनांक 4.4.2005 को प्राप्त हो चुकी है।

सांगोद व सुल्तानपुर पंचायत समिति (कोटा) की निर्म.णधीन सड़कें

454. श्री भरतसिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा की पंचायत समिति सांगोद व सुल्त नपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आरम्भ होने के बाद से अब तक कुल कितनी सड़कों का निर्माण किस-किस वर्ष में करवाया गया व कितनी सड़कें पूर्ण करवा दी गई तथा इन सड़कों पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम खजूरी व ग्राम किशनपुरा में व. 2002-03 में कार्य स्वीकृत किये जाने पर भी उसे आरम्भ नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(श्री भरत सिंह)

(3) क्या यह सही है कि ग्राम दिल्लीपुरा पंचायत समिति सांगोद में निर्माणाधीन सड़क को अधूरी छोड़ दिया गया है तथा जो सड़क व पुलिया बनाई गई है वह जगह-जगह से टूट गई है? यदि हां; तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण को पूरा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला कोटा की पंचायत समिति सांगोद में 15 एवं सुल्तानपुर में 3 सड़कें अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारम्भ होने के बाद स्वीकृत हुई है। इनमें से सांगोद में 5 एवं सुल्तानपुर में 1 सड़क का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। इन सड़कों पर कुल व्यय सांगोद पंचायत समिति में 152.48 लाख एवं सुल्तानपुर में 46.02 लाख रूपये किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ग्राम किशनपुरा का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्य जनवरी, 2005 में पूर्ण किया जा चुका है। सम्पर्क सड़क खजूरी के कार्य को करवाये जाने की प्रक्रिया जारी है।

(3) जी हां। वर्ष 1995-96 में ग्राम दिल्लीपुरा के लिये सड़क योजना मद में स्वीकृत हुई थी जिसके अन्तर्गत सड़क की कुल लम्बाई 2 किमी. के विरूद्ध 1.6 किमी. सड़क का निर्माण स्वीकृत राशि एवं बजट प्रावधानों के अनुसार करा दिया गया था। सड़क की साधारण मरम्मत (पेच आदि का कार्य) समय-समय पर करवाया जाता रहा है। शेष 400 मीटर लम्बाई में सड़क का निर्माण राज्य के उपलब्ध संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "अ"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण, निर्माणाधीन सड़कों का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	1/2005 तक व्यय की गई राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
		प्रथम चरण 2000-2001				
1.	सांगोद	बालाजी की थाक कि.मी. 21 से हरिपुरा मांझी	3.00	19.86	13.21	वर्ष 2001 में कार्य पूर्ण
		तृतीय चरण 2003-04				
1.	सांगोद	एम डी. आर 52 किमी. 74/600 से खजूरी	5.40	69.96	—	कार्य करवाये जाने की प्रक्रिया में है।
2.	सांगोद	जोलपा सड़क से मोई खुर्द	2.7	33.36	20.23	कार्य वर्ष 2005 में पूर्ण
3.	सांगोद	एम.डी.आर. 52 किमी. 71/200 से कोटड़ी	1.95	25.20	—	कार्य करवाये जाने की प्रक्रिया में है।
4.	सांगोद	जोलपा सड़क से किशनपुरा	1.10	39.67	35.27	कार्य वर्ष 2005 में पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
5.	सांगोद	कमोलर से डाबरीकलां	5.13	55.93	60.02	कार्य वर्ष 2004 में पूर्ण
6.	सांगोद	कमोलर से लसाड़िया	2.67	26.86	23.15	कार्य वर्ष 2004 में पूर्ण
7.	सुल्तानपुर	झाड़गांव से मोरेना	4.30	55.93	46.02	कार्य वर्ष 2004 में पूर्ण
		चतुर्थ चरण 2004-05				
1.	सांगोद	देवली ढोटी सड़क से कन्दाफल	5.75	82.47	0.01	कार्य प्रगति पर
2.	सांगोद	कुरार से बृजनगर	2.60	40.04	—	कार्य प्रगति पर
3.	सांगोद	नहरिया से देगनिया	7.00	98.32	10.00	कार्य प्रगति पर
4.	सांगोद	हिंगोनिया से बाछीहेड़ा	2.45	35.73	11.29	कार्य प्रगति पर
5.	सांगोद	धुलेट से नालोदी	6.00	107.74	38.27	कार्य प्रगति पर
6.	सांगोद	सांगोद बपावर सड़क (एमडीआर 52) से लसाड़िया खुर्द	1.70	33.98	0.93	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
7.	सांगोद	खड़िया से उमरदा	4.30	58.39	10.88	कार्य प्रगति पर
8.	सांगोद	कनवास धूलेट सड़क से बरखेड़ा	2.55	47.18	13.74	कार्य प्रगति पर
9.	सुल्तानपुर	सम्पर्क सड़क सोली	3.60	66.27	—	कार्य प्रगति पर
10.	सुल्तानपुर	किशनपुरा से बांम्या	2.775	48.36	—	कार्य प्रगति पर

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से सम्बन्धित होर्डिंग/बोर्ड में परिवर्तन

455. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि मैट्रो सिटीज को जोड़ने हेतु प्रारम्भ की गई "स्वर्णिम चतुर्भुज योजना" का नाम बदल दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त योजना के सम्बन्ध में पूर्व प्रदर्शित बोर्ड क्यों हटाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है।

कस्बा नदबई (भरतपुर) में राजकीय विश्राम स्थल निर्माण

456. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के मुख्यालय नदबई में विश्राम गृह/डाक बंगला नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब नदबई में विश्राम गृह/डाक बंगला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व इसके लिये क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नदबई 2002 से पूर्व तहसील मुख्यालय ही रहा था एवं सामान्यतया डाक बंगले आवश्यकतानुसार उपखण्ड स्तर तक ही बनाये जाते रहे है।

(2) नदबई में विश्राम गृह/डाक बंगला बनाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में व्याप्त अनियमितताएं

457. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतातने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रथम चरण में योजना के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध ऐसे गांव जो पहले से ही सड़क से जुड़े हुए थे, के प्रस्ताव स्वीकृत कर कार्य करवायें गये? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें तो इसमें कितनी हानि हुई?

(2) क्या इस सम्बन्ध में सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया गया और कितने बाकी हैं? ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिन अधिकारियों को निर्दोष पाया गया उसे भी पदोन्नति से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में विचाराधीन दोषी अधिकारियों को तो पदोन्नति दे दी गई तथा अन्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में सिर्फ पांच ग्राम जो पहले से ही सड़क से जुड़े हुए थे उनको दूसरी तरफ से सड़क से जोड़ने का कार्य स्वीकृत हुआ था और कुछ कार्य हुआ और जैसे ही यह पता चला कि इस योजना के अन्तर्गत ग्राम को एक तरफ से ही जोड़ना है, तुरन्त सड़क कार्य बन्द करवा दिया गया। इससे राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई।

(2) चूंकि राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई है इसलिये इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

बांदीकुई के सड़क विहिन पंचायत मुख्यालय

458. श्री मुरारीलाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितने पंचायत मुख्यालय डामर सड़कों से जोड़ दिये गये तथा कितने शेष हैं?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत मुख्यालय झाझीरामपुरा को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के बिना जुड़े पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल पंचायत मुख्यालयों की संख्या 44 है तथा सभी डामर सड़कों से जुड़े हुए है।

(2) झाझीरामपुरा का पंचायत मुख्यालय (भवन) डामर सड़क से जुडा हुआ है।

(3) उक्त क्षेत्र के सभी पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुए है।

सवराड़-दुदोड़ ग्राम (पाली) सड़क का डामरीकरण

459. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत की ग्राम पंचायत सवराड़ से

(डा. समरजीत सिंह)

रिसाणियां, बाली अलख जी महाराज के ओरण होते हुए दुदोड़ गांव तक के कच्चे मार्ग को डामरीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि माडा व बाली गांव भी इस कच्चे सड़क मार्ग से जुडे हुए हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क मार्ग का कब तक डामरीकरण करवा देगी?

उत्तर

(1) विधान सभा सोजत की ग्राम पंचायत सबराड़ से रिसाणियां, बाली, अलख जी महाराज के ओरण होते हुए दुढोड तक मार्ग का विवरण निम्नानुसार है।

(अ) ग्राम सबराड़ से रिसाणियां (2001 की जनगणना के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 805) किमी. 0/0 से 4/0 तक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आबादी की प्राथमिकता के आधार पर सन् 2007 तक जोड़े जाने का उद्देश्य है।

(ब) ग्राम रिसाणियां, बाली व अलख जी महाराज के ओरण किमी. 4/0 से 7/500 तक कच्चा रास्ता है।

(स) अलख जी महाराज के ओरण से धारेश्वर रेलवे स्टेशन किमी. 7/500 से 10/500 जो वर्तमान में मेटल सड़क है नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ. X में डब्लू.बी.एम. से बी.टी. द्वितीय चरण में प्रस्तावित है। स्वीकृत प्राप्त होने के बाद कार्य प्रारम्भ हो पायेगा।

(द) धारेश्वर रेलवे स्टेशन से दुढोड गांव तक किमी. 10/500 से 13/0 तक कच्चा मार्ग है।

किमी. 4/0 से 13/0 तक डामरीकरण का कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वितीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) जी नहीं। केवल बाली गांव इस कच्चे मार्ग पर है। सम्पर्क सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मांड़ा से बाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है जिसका डामरीकरण जून-2005 तक करवाया जाना प्रस्तावित है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड प्रथम, जयपुर में संधारित निविदा पंजिकाएं

460. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड प्रथम, जयपुर के कार्यालय में एग्रीमेंट रजिस्टर एवं टेण्डर ओपनिंग रजिस्टर संधारित किया जाता है? यदि हां, तो दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 से 10 मार्च, 2005 तक की अवधि के उपरोक्त रजिस्टरों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-प्रथम, जयपुर के कार्यालय में एग्रीमेंट रजिस्टर एवं टेण्डर ओपनिंग रजिस्टर संधारित किया जाता है। दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 से 10 मार्च, 2005 तक की अवधि के उपरोक्त रजिस्टरों की प्रतियां संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्न संख्या—61

(स्थगित)

शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

462. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार शहरों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी दर पर 24 घण्टे। विद्युत वितरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्ष 2001 की जनगणना पुस्तिक के अनुसार ऐसे गांव जिनकी आबादी 5000 या उससे अधिक है और उनमें 300 से अधिक सक्रिय विद्युत उपभोक्ता एवं वांछित तंत्र विद्यमान है उन सभ गांवों को शहरों की भांति 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने की योजना है। इसके अतिरिक्त ऐसे गांवों में जहां तंत्र विद्यमान नहीं है वहां निगम अपने व्यय पर संसाधनों की उपलब्धतानुसार वांछित तंत्र का विस्तार भी करेगा।

नावां में गठित स्वयं सहायता समूह

463. श्री हरीशचन्द्र (नावां) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्वयं सहायता समूह योजना क्या है? इससे किस प्रकार लाभ अर्जित होता है? इसकी जानकारी आम लोगों तक किस प्रकार पहुंचती है?

(2) राज्य में स्वयं सहातया समूह योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां में पंचायत समिति कुचामन के ग्रामीण क्षेत्रों तथा कुचामन व नावां शहरी क्षेत्र में कहां-कहां पर कितने-कितने सहायता समूह का गठन किया गया है? इनके प्रमुख कौन-कौन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वयं सहायता समूहों में किस-किस समूह को कितनी-कितनी राशि बैंकों से या अन्य किसी वित्तीय संस्था से ऋण रूप में किस-किस कार्य के लिये उपलब्ध करायी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें

(4) इन स्वयं सहायता समूहों में कहां-कहां पर कितने-कितने लोगों को किस-किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) स्वयं सहायता समूह के गठन व क्रियाकलापों सम्बन्धी जानकारी के साहित्य की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वयं सहायता समूह समान आर्थिक स्थिति वाले 10 से 20 व्यक्तियों के स्वयं के द्वारा निर्मित समूह है। समूह के सदस्य सर्वसम्मति से अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन करते हैं। इस समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा हर माह अपनी बचत राशि जितनी भी तय हो जमा करायी जाती है। तत्पश्चात समूह की आन्तरिक बचत से प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार समूह के सदस्य को ऋण दिया जाकर उनकी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ऋण की किश्तें/ब्याज की दर आदि भी समूह द्वारा ही तय की जाती है। समूह की नियमित बैठके आरम्भ हो जाने तथा समूह को गठित हुए 6 माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर समूह द्वारा बैंकों से लोन प्राप्त किया जा सकता है। समूहों द्वारा एकत्रित बचत का 10 गुना राशि तक बैंकों द्वारा ऋण दिया जा सकता है। उक्त ऋण से समूह सामूहिक रूप से आय सृजन गतिविधियां प्रारम्भ कर सकता है तथा समूह के सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इस ऋण की राशि का उपयोग कर सकते हैं। समूह द्वारा किश्तवार ऋण की अदायगी बैंकों को की जाती है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के वयक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। स्वयं सहातया समूह का मुख्य उद्देश्य छोटी आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें आय सृजन गतिविधियों से जोड़ना है।

स्वयं सहायता समूह विभिन्न विभागों द्वारा गठित किये जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, सहयोगिनियों, महिला पर्यवेक्षकों तथा अन्य विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर स्वयं सहायता समूह सम्बन्धी जानकारी ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को दी जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूह सम्बन्धी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए समय-समय पर स्वयं सहायता समूह सम्बन्धी ब्रोशर/बुक लेट/मार्गदर्शिका आदि का प्रकाशन किया गया है।

(2) राज्य में स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां में पंचायत समिति कुचामन के ग्रामीण क्षेत्रों तथा कुचामन व नावां

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

1.	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा	265 (प.स. कुचामन)
2	पंचायत समिति, कुचामन द्वारा	46 (एस.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत)
3.	नगर पालिका मण्डल, कुचामन सिटी द्वारा	5
4.	नगरपालिका मण्डल नावां द्वारा	1
5.	जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विकास	8
	कुल	325

उक्त 325 समूहों के प्रमुख के नाम समूह के आगे अंकित है। जो कि परिशिष्ट "क" (महिला बाल विकास विभाग), परिशिष्ट "ख" (पंचायत समिति कुचामन), परिशिष्ट "ग" (नगरपालिका मण्डल नावां) परिशिष्ट "घ" (जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण संस्थान) पर उपलब्ध है।

(3) स्वयं सहायता समूहों का गठन विभिन्न विभागों द्वारा किया गया है, जिन्हें विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं से ऋण/रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया है जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) स्वयं सहायता समूहों के गठन, क्रियाकलापों सम्बन्धी जानकारी दिये जाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर ब्रोशर, पोस्टर, बुक लैट, मार्गदर्शिका जारी की गयी है जो कि पुस्तिका (महिला बाल विकास विभाग) परिशिष्ट "ब" (ग्रामीण विकास विभाग), परिशिष्ट "स (स्थानीय निकाय विभाग) एवं जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के पुस्तिक परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

(श्री जीतराम)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देय भत्ते व वेतन

464. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्तमान में कितनी आंगनबाड़ी सेविकाएं कार्यरत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन सेविकाओं के वेतन व भत्ते अन्य सरकारी शिक्षकों से कम हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन सेविकाओं को भी राज्य के अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाएँ कार्यरत नहीं है। राज्य में वर्तमान में 35,821 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का चयन मानदेय आधार पर किया जाता है कार्यरत कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत स्थान	कार्यरत महिलाएं (फरवरी,05)
1	आ.बा. कार्यकर्ता	35821	35596
2	आ.बा. सहायिकाएं	35821	35612
योग		71642	71208

इस प्रकार 71,208 कार्यकर्ता व सहायिकाएँ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर फरवरी, 05 के दौरान कार्यरत है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकर्ता की तुलना सरकारी शिक्षकों से नहीं की जा सकती है। इनका चयन मानदेय आधार पर पूर्णतः अस्थाई रूप से किया जाता है। इनकी न्यूनतम शैक्षणिक व अन्य योग्यताएँ सरकारी शिक्षकों के समकूल नहीं है। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

बारां जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

465. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(1) जिला बारां में तहसीलवार किस-किस स्थान पर वर्ष 2004 में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये?

(2) जिला बारां में तहसीलवार किस-किस स्थान पर वर्ष 2004 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियुक्त किया गया?

(3) जिला बारां में दिनांक 28 फरवरी, 2005 को किस-किस आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका का पद कब से रिक्त चल रहा है?

(4) जिला बारां में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 की अवधि में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद पर किस-किस महिला को कब-कब नियुक्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में वर्ष 2004 में कोई नया आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया है।

(2) जिला बारां में तहसीलवार वर्ष 2004 में लगाई गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जिला बारां में दिनांक 28.2.05 को दो पद ही रिक्त रहे थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

तहसील	केन्द्र	नाम पद	रिक्त होने का दिनांक
किशनगंज	बालापुरा II	आं.बा. कार्यकर्ता	16.10.02
शाहबाद	रातई	सहायिका	8.1.05

(4) जिला बारां में दिनांक 1.1.04 से दिनांक 31.12.04 की अवधि में तहसीलदार/ग्रामवार लगाई गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

तहसीलवार वर्ष, 2004 में लगाई गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की सूची

तहसील	केन्द्र (ग्राम)	नियुक्त महिला का नाम व पद	नाम पद	नियुक्ति दिनांक
1	2	3	4	5
छबड़ा	1. कोटडी	श्रीमती राधाबाई शर्मा	कार्यकर्ता	02.02.2004
	2. बावडी खेड़ा	श्रीमती सुन्दरबाई मीणा	सहायिका	10.02.2004
	3. श्यामपुरा	श्रीमती कांतिबाई गाडरी	सहायिका	08.02.2004
	4. खेंजडा	श्रीमती जानकी बाई खाती	सहायिका	02.05.2004
	5. फलिया	श्रीमती रुकमणी बाई कुम्हार	सहायिका	03.05.2004
	6. भौंरा	श्रीमती सुशीला बाई ब्रा.	सहायिका	04.05.2004
	7. खातौली	श्रीमती द्रोपतीबाई बैरवा	सहायिका	06.05.2004
	8. मोरेली	श्रीमती गायत्री बाई मीणा	सहायिका	16.05.2004
बारां	1. माथानी	श्रीमती दुर्गेश नन्दनी शर्मा	कार्यकर्ता	24.12.2004
अटरू	1. बहादुरगंज	श्रीमती सीमा कुमारी नागर	सहायिका	03.12.2004
	2. रहलाई	श्रीमती कैलाश बाई बैरवा	सहायिका	08.12.2004
छीपाबड़ौद	1. गगचाना	श्रीमती गजाला खानम	कार्यकर्ता	10.09.2004
	2. बरडावदा	श्रीमती रुकमणी	सहायिका	18.12.2004
	3. छीपाबड़ौद-7	श्रीमती नसीम बानो	कार्यकर्ता	07.01.2005
अन्ता	1. मूंडला	श्रीमती कैलाशी बाई	कार्यकर्ता	27.12.2004

1	2	3	4	5
	2. हनुवतखेड़ा	श्रीमती राजेश बाई	कार्यकर्ता	25.12.2004
	3. ठिकरिया	श्रीमती ओमादेवी	सहायिका	07.02.2004
शाहबाद	1. बीची	श्रीमती विजय शर्मा	कार्यकर्ता	10.02.2004
	2. हथवारी	श्रीमती कमलेश बाई	कार्यकर्ता	15.10.2004
	3. चण्डालिया	श्रीमती शिक्षा बाई	कार्यकर्ता	08.12.2004
	4. निवाडी	श्रीमती सपना बाई	सहायिका	20.10.2004
	5. बैठा-1	श्रीमती काशी बाई	सहायिका	12.12.2004
	6. चण्डालिया	श्रीमती उमा बाई	सहायिका	14.09.2004
किशनगंज	1. ब्रहमपुरा	श्रीमती धनपाली बाई	सहायिका	09.02.2004
	2. महरावता	श्रीमती सुशीला सहरिया	सहायिका	09.02.2004
	3. गीगचा	श्रीमती मोहनी बाई	सहायिका	26.05.2004
	4.किशनगंज-1	श्रीमती मंजू बाई	कार्यकर्ता	18.03.2004
	5. पगारा	श्रीमती रामप्यारी बाई सहरिया	सहायिका	15.09.2004
	6. सोभागपुरा	श्रीमती इन्द्रा बाई	सहायिका	15.09.2004
	7. छिनोद	श्रीमती सुमित्रा बाई	सहायिका	15.09.2004
	8. लक्ष्मीपुरा	श्रीमती मक्खो बाई	सहायिका	23.12.2004
	9. खल्दा	श्रीमती राधा बाई	सहायिका	23.12.2004

बल्लभनगर के अविद्युतीकरण ग्राम

466. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में कौन-कौनसे गांव/ढाणी माडा योजना के अन्तर्गत चयनित हैं? आबादी सहित संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2003, 2004 व 2005 के दौरान उक्त गांवों में माडा योजना के अन्तर्गत कितनी राशि के कौन-कौनसे कार्य स्वीकृत किये गये? पूर्ण-अपूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों में से अपूर्ण रहे एवं प्रस्तावित कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

(4) माडा परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौनसे गावों/ढाणियों को विद्युतीकृत किया जाना शेष है? अब इन्हें कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभ नगर के भीण्डर पंचायत समिति में माडा योजना अन्तर्गत 103 ग्राम/ढाणी सम्मिलित हैं. सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) भीण्डर पंचायत समिति में माडा योजनान्तर्गत चयिनत गांवों में वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में विभिन्न योजनान्तर्गत किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

पूर्ण-अपूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट- 3 पर संलग्न है।

(3) अपूर्ण रहे एवं प्रस्तावित कार्यों को वितीय वर्ष 2005-06 में पूर्ण करने प्रयास किये जायेगें।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) माडा योजना में जिन गांवों/ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है उनकी सूची परिशिष्ट- 4 पर संलग्न है।

इन गांव/ढाणियों को वित्तीय वर्ष 2005-06 तक विद्युतीकृत करने हेतु सरकार प्रयासरत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

467. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जयपुर जिला आयुर्वेद अधिकारी "ब" क्षेत्र के अधीन कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें

(2) उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को किस दर से प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जा रहा है और वर्तमान में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की दैनिक भुगतान दर क्या निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में विभाग में कार्यरत कई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम से भी कम वेतन प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला आयुर्वेद अधिकारी, "ब" क्षेत्र, जयपुर के अधीन कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

(2) चूंकि जिला आयुर्वेद अधिकारी, "ब" क्षेत्र, जयपुर के अधीन कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं है, अतः भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। विभाग में कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अतः मिनिमम वेतन से भी कम वेतन देने का प्रश्न ही नहीं है.

परि िष्ट-1

(त रांकित प्रश्न संख्या-230 क विवरण)

परिशिष्ट '3'

1. रामनि स ग :- प्राधिकरण द्वारा रामनिवास बा . में बहुस्तरीय भूमि त प किं योजना के निर्माण एवं क्रियान्विति हेतु कन्सलटेन्ट नियुक्त करने हेतु निविदाये प्राप्त की जा चुकी है। परियोजन की अनु नित ल त 22.00 करोड़ रूपये है जिसमें लगभग 1120 कारें को र्क करने का समतुल्य स्थान प्रस्तावित है। इस परि जन की क्रि न्विति हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाना प्रस्तावित है इसकी क्रि न्विति हेतु माननीय उच्च न्यायालय से भी संशोधित स्व कृति प्र त की जावेगी।

2. रा ले दान :- न्यू गेट के पास स्थित रामलीला मैदान वर्तमान में सतह प किं स्थल के रूप में काम में आ रहा है इसके साथ ही यहां पर मेल , प्रदर्शनियां व सार्वजनिक उत्सव जैसे रामलीला इत्यादि का भी आयोजन होता रहता है। चूंकि परकोटे क नजदीक ये खुल स्थान कुछ गि ने-चुने स्थानों में से ही है अतः सतह से ऊपर बहुमंजिल पार्किं के स्थान पर द्वि-स्तरीय भूमिगत के लिए यह स्थान उपयुक्त प या गया है। वर्तमान क्षेत्रफल के आधार पर इसमें अनुम नित 250 कारों हेतु पार्किंग हेतु परियोजना प्रस्तावित है यह कार्य बी ओ टी आधार पर करवाया जावेगा। अतः परि जन की वित्तीय स्व यत्ता सुनिश्चित करने हेतु इसमें करीबन 10 प्रतिशत हिस्स व्यावसायिक उपयोग के लिए आरक्षित किय जावेग परियोजन के अनुमानित लागत 5 करोड़ रूपये है।

3. संजय ब र्किंग स्थल :- सांगानेरी गेट के पास स्थित संजय बाजार में वर्तमान में भी सतह पर कारें व स्कूटर पार्किंग की जा रही है वर्तमान प र्किंग व्यवस्था अव्यवस्थित एवं दोषपूर्ण है जिससे स्थल

का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में हाल ही में लिये गये निर्णयानुसार जौहरी बाजार से लगते हुए संजय बाजार में प्रवेश करते समय उपलब्ध खाली जमीन पर दुकानें बनाकर ऊपर दो मंजिल में पार्किंग व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नगर निगम के दबाव खाने की भूमि को भी इस्तेमाल किया जावेगा। संजय बाजार पार्किंग स्थल पर अनुमानित 6-7 हजार वर्गमीटर क्षेत्र पार्किंग के लिये उपयोग में लाया जावेगा जिस पर करीब 250 कारों के लिए पार्किंग व्यवस्था हो सकेगी। उक्त कार्य बी.ओ.टी आधार पर करवाया जावेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 10 करोड़ रूपये है।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-256 का विवरण)

Government of Rajasthan

Energy Department

No. F. 12 (30) Engergy/2004 **Dated : 18.12.2004**

The Chairman

Jaipur, Ajmer & Jodhpur Discoms.

M.D. Cell

J.V. N.L. Jaipur

R.R. No. 1456/20

Sub:- Release of connections in Hamlets (Dhanies).

With reference to discussion in the Coordination Committee and a specific proposal from JVVNL vide their letter No. JPD/Dy. CE (RE&P)/ Estt.D/2902 dated 14.12.2002 I am directed to convey the approval of the State Government to release domestic connections in Hamlets (Dhanies) subject to the following criteria:-

1. Only those hamlets be considered in the first instance, which are situated within one kilometer of the existing 11 KV/LT supply mains.

2. Applications for new connections should be invited and only those hamlets will qualify for electrification where at least 15 applications are received and deposit demand note amount.

3. Out of the total hamlets covered in the above two parameters, electrification shall be taken up in the priority of maximum applications received.

4. It is also decided to restrict the capital expenditure by Discoms to Rs. 6 crores in all three Discoms in the current financial year.

5. On an averge about Rs. 2.5 lacs per hamlet shall be spent on electrification and release of connections. Accordingly 240 hamlets only will be electrified in the current financial year and each Discom will have target of 80 hamlets in their jurisdiction.

The connections in Hamlets (Dhanies) shall be releasec strictly following the above criteria.

This scheme will be reviewed in the Coordination Committee of the Utilities in April, 2005.

(Dr. R.P. Sharma)

Dy. Secretary, Energy

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-28 (ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम) पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

बत्ती लाल (टोड़ाभीम) :

1. पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर चर्चा के लिये।

प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

2. ग्राम पंचायत बिलोट द्वारा ग्राम मऊड़ी खेड़ा तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़ में गोचर भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

राम चौधरी (चौंहटन) :

3. जलग्रहण योजना के अन्तर्गत रिमोट सेन्सिग द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में ही कार्य करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

4. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ग्रामीण विकास के अन्तर्गत विशेष कार्य करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

5. ग्रामीण विकास की क्रियान्विति में सुधार एवं विस्तार पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

6. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) :

7. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों में क्रियान्वयन में बढ़ते भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

8. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में आबंटित धनराशि का सदुपयोग नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) :

9. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ा में ग्रामीण विकास के अधूरे कार्य पूरे करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

10. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का संचालन ठीक से नहीं होने पर चर्चा के लिये.

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

11. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ग्रामीण विकास के कार्य सूचारू रूप से चलाये जाने हेतु बुहाना एवं सूरजगढ़ में विकास अधिकारी एवं स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

12. ग्रामीण विकास के अन्तर्गत किये गये कार्यों का प्रत्येक पंचायत को सीधे ही चैक से भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

13. ग्रामीण विकास के माध्यम से गांवों में घटिया किस्म के निर्माण कार्यों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

14. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित राशि का दुरूपयोग एवं पूरी राशि खर्च नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) :

15. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में ग्रामीण विकास में चल रहे रिक्त पदों से विकास कार्यों की क्रियान्विति में हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

16. गुरू गोवलकर योजना के अन्तर्गत व्यक्ति विशेष के उपयोग के लिये सभा भवन निर्माण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

17. सभी पंचायत समिति में चयनित गांधी ग्रामों के विकास के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. सभी पंचायत समितियों में एक-एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. जनवरी-फरवरी 2005 में निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायतों को जनवरी-फरवरी 2000 में दी गई प्रोत्साहन राशि की भांति 5-5 लाख दिये जाने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

श्री हरी सिंह रावत (भीम) :

20. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

21. 500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

22. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत समुचित विकास कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

23. मेवात विकास बोर्ड के विकास हेतु और अधिक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. अलवर जिले की उप तहसील गोविन्दगढ़ को पृथक पंचायत समिति बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

25. ग्रामीण विकास में विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले विकास कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति में आ रही बाधाओं पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

27. डी.पी.आई.पी. द्वारा नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के/स्वीकृत कूंचोली एवं मडका गांव की पुलियाओं को विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

28. गांवों में सम्पर्क सड़कों के निर्माण, पेयजल स्त्रोत के रूप में स्थापित ट्यूब वैल आदि विकास कार्य प्राथमिकता से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

29. सिरोही जिले ग्रामीण विकास के कार्य बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मंडी) :

30. पंचायत राज के अन्तर्गत किये जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

31. ग्रामीण विकास के तहत अकाल राहत कार्यों में पंचायतों को मेटेरियल कम्पोनेन्ट नहीं दिये जाने के फलस्वरूप पक्के कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

32. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्रामों में कराये जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

33. सभी ग्रामों पंचायतों में विकास कार्य कराये जाने हेतु अधिक राशि का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खंडार) :

34. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

35. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में डांग विकास योजना में डब्लू.बी.एम. सड़क निर्मित ग्राम सरानीखड़ा से गुन्नापुरा तथा मौरोली से ग्राम वरैला बड़ापुरा, नथुआपुरा, पन्ना तथा मोकापुरा सड़कों का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

36. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र की डांग विकास योजना में निर्मित विपरपुर से मानपुर अधूरी सड़क को पूरा करने एवं उस पर डामर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटौल) :

37. दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा में ऊंची-नीची भूमि में लघु सिंचाई योजना अनुदान द्वारा लागू करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

38. जनजाति विभाग द्वारा संचालित सहरिया छात्रावासों में वार्डन के पदों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र के निर्मित अधूरे छात्रावासों को पूरा करने की आवश्कयकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में जनजातिय क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

41. गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में हाकरधरानिकोर एनिकट, पलासमा एनीकट, भैमरियाजी की काटी एनीकट माडा योजना से बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में क्यारला नाका, नलवानिया नाका, क्यारला सोमाली में डेम बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. पंचायत समिति कोटड़ा में लोहरचा, भाडेर (उखलियात) भूतवड-मेवाडोका मठ में जनजाति हॉस्टल व पंचायत समिति गोगुन्दा में चित्रावास, मादडी छापर (विसमा) एवं गुन्दाली में छात्रावास के निर्माण की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

44. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के कृषकों की विद्युत कनेक्शनों हेतु पृथक से प्राथमिकता सूची का संधारण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम च ैधरी (बाड़मेर) :

45. बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति को कुटीर उद्योग हेतु विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बल देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) :

47. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई जनजाति क्षेत्र के बचे हुए गांवों को माडा योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में माडा योजना के छात्रावासों में बरती जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी ा रूपाल (देसूरी) :

49. जनजाति क्षेत्र में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

50. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के टाडा/माडा चयनित क्षेत्र के छात्रावासों को दी जा रही सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के टाडा/माडा चयनित क्षेत्रों में एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र खेरवाडा के माडा/टाडा चयनित अविद्युतिकृत गांवों के विद्युतिकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नानालाल अहारी)

53. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में नवीन (माडा) बालिका छात्रावास खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के टाडा/माडा चयनित पेयजल संकट से जूझ रहे गांवों को स्थायी पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-29, मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए-

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

1. जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी घोषित किये जाने के बावजूद जन सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

2. राजस्थान के विभिन्न जिलों एवं विशेषकर जयपुर के मास्टर प्लान में मनमाने ढंग से परिवर्तन कर सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने तथा लोगों को अनावश्यक लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

3. पीलीबंगा (हनुमानगढ़) में नगर विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

4. बून्दी नगर के सौन्दर्यकरण हेतु सुनियोजितरूप से मूर्त रूप देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

5. अलवर शहर में सड़कों की दयनीय स्थिति में सुधार न किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
6. अलवर शहर के नालों की सफाई न करने पर भी नगर परिषद को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

7. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि में स्थित कच्ची बस्ती के निवासियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वन विभाग की

(डा. सी.पी. जोशी)

भूमि को वन क्षेत्र से निकलवाने का कार्य अविलम्ब करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

8. रामगंजमण्डी नगर के विकास, कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन एवं कच्ची बस्ती विकास हेतु कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

9. विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज मुकदमों में आरोपित अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

10. विधान सभा क्षेत्र करौली में आवश्यक नगर विकास कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) :

11. विभाग द्वारा नगरपालिकाओं को आर्थिक संकट से उबारने हेतु आवश्यक अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

12. राज्य सरकार द्वारा राज्य में नगर निकाय क्षेत्रों में अभियान चलाकर गरीबों के मकानों को उजाड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. सीकर रोडवेज बस स्टेण्ड के पास एकत्रित होने वाले गन्दे पानी की निकासी नहीं करने से आम जनता को हो रही परेशानी के बावजूद भी नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम धोद)

14. लोसल नगरपालिका के रैगर तालाब का गन्दा पानी की निकासी नहीं होने से वहां की जनता को हो रही परेशानी के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

15. जयपुर के शास्त्री नगर एवं भट्टा बस्ती क्षेत्र में अवैध रूप से पशुओं की कटाई को रोकने में नगर निगम की असफलता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

16. जयपुर में बहुमंजली इमारतें बनाने वालों के विरूद्ध नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

17. धौलपुर नगरपालिका द्वारा गाडिया लुहारों को आवासीय जमीन के पट्टे नहीं देने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

18. धौलपुर नगरपालिका क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कालोनी में क्षतिग्रस्त सड़कें, पार्क, सफाई व्यवस्था तथा अन्य कालोनियों में सफाई, रोशनी, सड़कें, नाली की व्यवस्था में सुधार नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

19. धौलपुर नगरपालिका द्वारा नई कालोनी में विकास के नाम पर कन्वर्सन चार्ज वसूल कर उनको आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्च के लिये

20. धौलपुर नगरपालिका क्षेत्र में वधगृह नहीं होने के कारण पशुओं को घरों में काटे जाने से आमजन को हो रही परेशानी के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

21. धौलपुर नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने में भेदभाव करने एवं मंजूरीशुदा निर्मित मकानों को तोड़ने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

22. सरकार द्वारा जयपुर में भू-माफियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. राज्य में विभिन्न नगरपालिकाओं में जमीन देने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में हो रही अनियमितताओं के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

24. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.3.2005 को जयपुर विकास प्राधिकरण के 52वीं बैठक के एजेन्डे में शामिल किये बिना ही प्राधिकरण क्षेत्र की भूमियों को नगर निगम को सौंपने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

25. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजकीय भूमियों की सुरक्षा किये जाने में असफल रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

26. जयपुर शहर में संचालित पशु डेयरियों को शहर सीमा से बाहर स्थानान्तरित नहीं किये जाने के उपरान्त भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

27. जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराजनगर योजना

सुरेन्द्र पारीक

अधिकांश क्षेत्र में बसी कालोनियों को नियमित नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

28. जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर स्थित जीर्ण-क्षीर्ण सीवरेज लाईन को बदलने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जयपुर नगर के प्रमुख बाजारों में आवारा पशुओं के घूमने से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये.

30. जयपुर शहर के चार दीवारी के अन्दर स्थित थोक मण्डियों को शहर के बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. जयपुर शहर के प्रमुख बाजारों में बढ़ रहे यातायात के कारण पार्किंग स्थल निर्मित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

32. विभाग द्वारा जयपुर शहर में दिनांक 22.10.1999 के बाद ही कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये.

33. विभाग द्वारा जयपुर शहर में बढ़ रही जनसंख्या के कारण आसपास के कस्बों को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये.

34. विभाग द्वारा जयपुर शहर में 31.3.2004 तक सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में बसे परिवारों को व्यवस्थित रूप से बसाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विभाग द्वारा जयपुर शहर की आवासीय क्षेत्रों में बने परिसरों में व्यवसायिक गतिविधियों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये.

(श्री कालीचरण सर्राफ,

36. राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष में जयपुर शहर में स्थित जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दोनों ओर बेशकीमती जमीनों को कोडियों के मोल बेचने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

37. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में निर्मित डब्लू.बी.एम. सड़क जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है उन पर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) :

38. पंचायत समिति बहरोड़ एवं बानसूर में सभा भवनों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

39. डूंगरपुर के ग्रामों में पंचायतों द्वारा सही विकास कार्य नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

40. ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ किये जा रहे सौतेले व्यवहार से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

42. राज्य में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत राज्य सेवा की स्थापना नहीं करने से ग्रामीण विकास में आ रहे अवरोध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. ग्रामीण विकास विशेष कार्यक्रमों के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं आने से राज्य को हो रही आर्थिक हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम धोद)

44. ग्राम पंचायत खुडो पंचायत समिति सुजानगढ़ जिला चूरू के सरपंच के नियम से अधिक सन्तानें होने की शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

45. विभिन्न ग्रामीण योजनाओं में पूरी राशि खर्च नहीं होने एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

46. केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम व मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बाली में कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा सम्पूर्ण ग्रामीण योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र बाली में विकास कार्य एवं रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बाली के समुचित ग्रामीण विकास हेतु नवीन ग्राम पंचायतों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. केन्द्र प्रवर्तित ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना, साखमय अनुदान योजना व प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र बाली के अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति/बी.पी.एल. चयनित व सामान्य वर्ग के ग्रामीणों को आवासीय ऋण/अनुदान/नि:शुल्क आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें, नालियां, पेयजल, वृक्षारोपण, गन्दी बस्ती सुधार के कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

51. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र में अन्य निर्माण कार्यों में वन विभाग द्वारा जारी प्रतिबन्धों से मुक्ति दिलवाकर समग्र ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फलासिया में विकास कार्य एवं रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत फलासिया विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, नाली निर्माण, पेयजल, बनवासी गन्दी बस्ती सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. इन्दिरा आवास योजना, साखमय अनुदान योजना व प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास सुविधा योजना के अन्तर्गत फलासिया विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति आदिवासी/बीपीएल चयनित व सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों को आवासीय ऋण/अनुदान/निःशुल्क आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

55. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित चुनाव, राजनैतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर नहीं करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. वन विकास अभिकरण को सम्बन्धित जिला परिषद के अधिनस्थ करके वन संरक्षक वृत के स्थान पर जिला प्रमुख को अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. ग्रामीण विकास अभिकरण व राजस्व विभाग के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों का

(श्री भरत सिंह)

स्थानान्तरण करने का अधिकार शिक्षा समिति (पंचायत समिति) को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

59. गरीबी उन्मूलन योजना (डी.पी.आई.पी.) के अन्तर्गत धौलपुर जिले में हुये कार्यो में तथा कई संस्थाओं को अनियमित तरीके से दिये कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व सरपंचों पर बकाया राशि की वसूली पी.डी.आर. एक्ट के तहत कराये जाने की कार्यवाही में शिथलता बरतने के कारण वसूली नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

61. राजस्थान में पंचायत समिति बायतू की ग्राम पंचायत बायतू भीमजी की एक मात्र महिला सरपंच के 73वें संविधान संशोधन के पश्चात लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने के उपरान्त भी किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि पंचायत को न दिये जाने व सम्मानित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटौल) :

62. ग्राम पंचायत सचिवों को प्रतिदिन ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. जिला बांसवाडा में बी.पी.एल. परिवारों का पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. जिला बांसवाडा में विकलांग व्यक्तियों की सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ) :

65. राज्य के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुये ग्रामसेवक/पदेन सचिवों को सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

66. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ग्रामों में बायो ऊर्जा व बायो गैस की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

67. ई.एफ.सी. एवं टी.एस.सी. के बजट द्वारा एनिकट निर्माण कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

68. सीकर विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र 12 ग्रामों का विकास विशेष परियोजना बनाकर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये.

69. आवासीय योजनाएं एवं स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना में लक्ष्यों के उपार्जन की प्रक्रिया पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र सीकर में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की राशि के ग्रामों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

71. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बड़े फलों को रेवेन्यू विलेज (राजस्व गांव) किये जाने के लिये विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

72. राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के गांवों में पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

74. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की विशेष योजना एवं कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

75. ग्राम सेवकों का कैडर एवं पंचायत समिति के प्रधानों के अधिकार बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

76. पंचायतों का डीलिमीटेशन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. पंचायत समितियों से शिक्षा पर खर्च करवाई राशि की उपयोगिता पर चर्चा के लिये।

78. पिलानी विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समितियों में रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

79. लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भूमिहीन ग्रामीण परिवारों हेतु विकास कोष की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

81. पंचायात समिति बाड़मेर व बायतू के क्षेत्रों में इन्दिरा आवासों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अधिक से अधिक ग्रामीण हाट विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री तगाराम चौधरी)

83. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

84. भू-राजस्व अधिनियम की तर्ज पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के रेकार्ड की सुरक्षा, जिम्मेवारी व अधिकारियों का केडर एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले ग्रामवासियों के आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) :

86. स्थानीय विधायक विकास कोष की स्वीकृतियां जारी होने में आने वाली कठिनाइयों एवं इन्दिरा आवास के निर्माण में पंचायत समिति रायपुर में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) :

87. नोहर जिला हनुमानगढ़ में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारीलाल मीणा (बांदीकुई) :

88. सांवा नदी पर ग्राम चोरवाडा के पास एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विकास विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति समय पर जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खेरथल) :

90. सामुदायिक भवन किशनगढ़बास में बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9.. ग्राम सिवाणा पंचायत समिति किशनगढ़बास में सामुदायिक भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. ग्राम धासौली पंचायत समिति किशनगढ़बास में सामुदायिक भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. ग्राम मोठूका पंचायत समिति किशनगढ़बास में सामुदायिक भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. ग्राम बहादुरपुर पंचायत समिति किशनगढ़बास (अलवर) में सामुदायिक भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावत (शिव) :

95. ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी परिसम्पतियों के निर्माण कार्य के स्तर में सुधार तथा उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

96. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत अधिक से अधिक रोजगार व स्थायी सम्पतियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत सड़कें एवं नालियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत निशुल्क अनुदानित व ऋण के पुनर्भुगतान रूपी आवासीय सुविधा आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

99. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में स्थित पंचायतों के तालाबों के रख-रखाव एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त तालाबों हेतु आवश्यक राशि का आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग

100. ग्रामीण क्षेत्रों में जल-मल निकासी की पर्याप्त एवं सुचारू व्यवस्था निर्माण करने पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या–30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

1. हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिये उपयुक्त धनराशि देने के लिये चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह मीणा (सराड़ा) :

2. जनजाति उप योजना क्षेत्र में योजनाओं का संचालन ठीक नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

3. माडा योजनान्तर्गत सिकराय क्षेत्र में पेयजल हेतु अभी तक एक भी हैण्डपम्प स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

4. सरकार द्वारा जनजाति के लोगों को पूर्ण सुविधा एवं विशेष कार्यक्रम नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

5. जनजाति वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

6. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी की जनसंख्या को लाभान्वित

(डा. सी.पी. जोशी)

करने के लिए "छितराई जन संख्या आदिवासी" मद में अधिक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

7. प.स. निम्बाहेड़ा के 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी वाले गांवों को मांडा क्षेत्र की सूची में सम्मिलित करने, छोटी सादडी तहसील के 100 प्रतिशत आबादी वाले गांवों को टाडा क्षेत्र की सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

8. जनजाति उपयोजना क्षेत्र छोटी सादडी तहसील के अन्तर्गत आने वाले गांवों के योजनाबद्ध विकास, नये आश्रम छात्रावास खोलने, एनीकट निर्माण आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

9. सिरोही जिले में आदिवासियों के विकास हेतु समुचित धन आबंटित नहीं करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये.

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

10. बारां जिले के सहरिया बाहुल्य क्षेत्र के विकास हेतु कारगर कदम उठाने जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल मीणा (सलूम्बर) :

11. जनजाति क्षेत्र में महाराष्ट्र पैटर्न को पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (दीगोद) :

12. विभाग द्वारा सहरिया व अन्य जनजाति के लोगों को वन विभाग की नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भरतसिंह)

13. ग्राम बूड़दीत जिला कोटा में जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. कोटा जिले में "माण्डा" योजना की बैठके नियमित रूप से नहीं होने के कारण विकास कार्य प्रभावित होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

15. जनजाति क्षेत्र में छितरी जनजाति आबादी को सम्मिलित नहीं करने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

16. विधान सभा क्षेत्र करौली में माडा के तहत एनीकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

17. वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में माडा योजना में सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

18. डूंगरपुर जिले में आदिवासियों के अधूरे कुओं के निर्माण कार्य पूरे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. डूंगरपुर जिले में जनजाति के लोगों के लिए कुएं नहीं खोदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

20. जनजाति के गरीब किसानों के कर्जे माफ नहीं करने से पलायन की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में बसे आदिवासियों को जमीनों से बेदखल करने तथा उनको खातेदारी अधिकार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

22. राज्य सरकार द्वारा जनजाति समुदाय के उत्थान हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. बांसवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. जिला बांसवाडा के कुशलगढ़ क्षेत्र में आदिवासी परिवार के लोगों को बारह माही रोजगार दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

25. विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा/टाडा चयनित पेयजल किल्लत से पीड़ित गांवों को पम्प एवं टैंक स्कीम से पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा/टाडा चयनित अविद्युतिकृत गांवों को विद्युतिकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बाली के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण/नवीन स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र बाली के कच्चे मकानों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए पक्के कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र बाली के टाडा/माडा चयनित गांवों के लघु सीमान्त काश्तकारों के प्रकृतिजन्य सिंचाई साधन कच्चे सारण की जगह पक्के सारण निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

30. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/

(बाबूलाल खराड़ी)

छात्राओं के लिये नवीन छात्रावासों की स्वीकृति एवं निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वनवासी आदिवासी माडा/टाडा चयनित गांव बस्ती के आवास सुविधा से वंचित नागरिकों के लिए पक्के कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के टाडा/माडा में चयनित वन क्षेत्र के गांव/बस्तियों में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के टाडा/माडा चयनित वन क्षेत्र में बसे अविद्युतिकृत गांव-बस्तियों को विद्युतिकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के माडा चयनित गांव-बस्तियां व वन क्षेत्र के किसानों के प्रकृतिजन्य सिंचाई साधन कच्चे सारण को पक्के सारण में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

35. जिला बांसवाड़ा में पंचायत समिति पीपलखूट की ग्राम पंचायतों के सरपूरा मुख्यावास पर पानी की टंकी को बनाने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. जिला बांसवाड़ा के पंचायत समिति घाटोल की ग्राम पंचायत बासलीखेडा में पानी की टंकी पेयजल हेतु बनाने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

37. सरकार द्वारा जयपुर के विस्तार के मध्यनजर आवेलम्ब प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के विस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

38. विभाग द्वारा किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसी सभी कालोनियों का नियमन अविलम्ब करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा सिरसी मोड से पाल के हनुमानजी मंदिर तक जाने वाली सड़क का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विभाग द्वारा जयपुर की विभिन्न कालोनियों में सीवर लाईन डालने के उपरान्त हुये खड्डों आदि को अविलम्ब ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

41. विभाग द्वारा चौमूं में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा चौमूं शहर एवं आसपास बसी कालोनियों में सीवर लाईन डालने में पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये.

43. चौमूं से वीर हनुमानजी को जाने वाली सड़क की वर्तमान चौड़ाई बढ़ाने एवं उसके दोनों और पेड़ लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. जे.डी.ए. द्वारा स्वयं की गई आवासीय कालोनियां बसाने हेतु त्वरित कार्यवाही न करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

45. जालोर शहर में भूमिगत जल-मल निकासी व्यवस्था करने में विभागीय पहल करने हेतु चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

46. विभाग द्वारा नगरपालिकाओं में ए.डी.पी. योजना लागू करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देवबाबर (लक्ष्मणगढ़) :

47. सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित/विकसित आवासीय योजनाओं में शमसान घाट नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

48. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित आवासीय बलदेव नगर को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. बाड़मेर शहर की सीवरेज लाईन के विस्तार करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी

50. बाड़मेर शहर की कच्ची एवं गंदी बस्तियों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) :

51. आवासीय क्षेत्र में मकानों की छतों पर मोबाईल फोन के टावर लगाने से उत्पन्न समस्या एवं पाली जिला मुख्यालय पर नगर सुधार न्यास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारीलाल मीणा (बांदीकुई) :

52. विभाग द्वारा राज्य में नगरपालिका क्षेत्रों के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाकर लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

53. नगरपालिका खैरथल में बड़ा पार्क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री जयराम जाटव)

54. कस्बा किशनगढ़बास (अलवर) में पार्क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. आलम सिंह रावलोत (शिव) :

55. जैसलमेर शहर के 500 साल पुराने मकानों के पट्टे नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुदयाल वर्मा (पीपल्दा) :

56. इटावा ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सदस्य-सूची

सोमवार, 11 अप्रैल, 2005

नाम विषय	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
अनुपस्थिति अनुमति	
-श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 11 अप्रैल 2005 से 17 अप्रैल, 2005 तक	
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-थोक तेलियान/मालिया, अजमेर का राजस्व रिकार्ड	248
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-श्री बद्रीनारायण सोढाणी, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, लोसल (सीकर) का अधिग्रहण एवं संचालन	284
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-शांतिनगर-बी आवासीय योजना जयपुर का नियमितीकरण	231
वित्त	
-सेवानिवृत्त राजकर्मियों के कल्याणार्थ समिति का गठन	193

नाम — पृष्ठ संख्या

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-जालौर जिले में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चिकित्साकर्मी 289

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-पालड़ी ग्राम (जयपुर) के भूमि सैटलमैंट में व्याप्त अनियमितता 247

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-श्री गोदावत जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सादड़ी को राज्याधीन लेने हेतु निवेदन 48

श्री अशोक बैरवा (खण्डार)

तारांकित प्रशनोत्तर

स्वायत्त शासन

-स्थानीय निकायों को गृह कर की समाप्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति 34

श्री उपाध्यक्ष

अनुदान की मांग

-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्य मांग संख्या-28 का पारण 155

-जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या-30 का पारण 155

-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास मांग संख्या-29 का पारण 156

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

व्यवस्था का प्रश्न

प्रक्रिया के नियम 164 व 165 में आपराधिक कृत्य में यदि किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो सूचना देना आवश्यक 133

नाम	पृष्ठ संख्या
सूचना	
-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज	132
-सरकार के खिलाफ विधान सभा के बाहर प्रदर्शन	67
श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में उपलब्ध सुविधाएं	274
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राजकीय महाविद्यालय अजमेर को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का संघटक महाविद्यालय घोषित करने बाबत	51
श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा), मंत्री	
अनुदान की मांग	
-जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या-30 की प्रस्तुति	81
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-फलासिया के टाडा/माडा योजनाओं के अन्तर्गत चयनित गांव	2
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-हिंगोनिया गौशाला की दुर्दशा	55
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति	306

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
अनुदान की मांग	
-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्य मांग संख्या-28 पर विचार	115
-जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या-30 पर विचार	15
-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास मांग संख्या-29 पर विचार	115
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	19
स्वायत्त शासन	
-स्थानीय निकायों को गृह कर को समाप्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति	34
श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री	
अनुदान की मांग	
-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्य मांग संख्या-28 को प्रस्तुति	31
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-कस्बा नदबई (भरतपुर) में राजकीय विश्राम स्थल निर्माण	302
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (मारवाड़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	25
नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख	
-सारण (जिला ...) में लगे क्रेशर से वायु प्रदूषण	39

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बल्लभनगर तहसील के अविद्युतीकृत ग्राम	28
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता का शक्तिपीठ केन्द्र को बचाने की मांग	61
व्यवस्था का प्रश्न	
-प्रक्रिया के नियम 164 व 165 में आपराधिक कृत्य में यदि किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो सूचना देना आवश्यक	136
सूचना	
-नाहरगढ़ कस्बे में (तहसील किशनगंज जिला बारां) एक मुल्जिम की पुलिस थाने में मृत्यु	42
-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज	120
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बीकानेर शहर की अनुसूचित जाति/कच्ची बस्तियों के विकास पर व्यय	229
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-स्थानीय निकायों को गृह कर की समाप्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति	35
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थापित कर्मी	273

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	22
सार्वजनिक निर्माण	
-उत्तर-दक्षिण कोरीडोर (श्रीनगर-कन्याकुमारी) के राज्य क्षेत्र में निर्माण हेतु अनुमति	157
डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता का शक्तिपीठ केन्द्र को बचाने की मांग	59
श्री जीतराम (मालपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देय भत्ते व वेतन	310
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-बापी ग्राम (दौसा) के खसरा नम्बर-308 पर अतिक्रमण	248
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कला एवं संस्कृति	
-राज्य के संरक्षित स्मारकों में नियम विरुद्ध निर्माण	174
सूचना	
-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज	121
-सरकार के खिलाफ विधान सभा के बाहर प्रदर्शन	65

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-जोधपुर जिले के शराब ठेकेदारों से बकाया वसूली	164
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	19
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बाड़मेर के खेतों में बालू रेत के टीबों से उत्पन्न समस्या के निराकरण बाबत	47
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बाड़मेर अकालराहत शिविर में गायों की संख्या 50 हजार और बढ़ाये जाने बाबत	58
डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोतर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	18
श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-गोल्ड कार्डधारी व्यवसायियों को प्रदत्त सुविधाएं	195
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-किशनगढ़-ब्यावर फोरलेन सड़क का निर्माण	297

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राज्य में एड्स रोग की रोकथाम हेतु कार्य योजना	265
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-फलासिया के टाडा/माडा योजनाओं के अन्तर्गत चयनित गांव	8
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-फुलेरा की नगरपालिकाओं में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें	222
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मियों द्वारा जारी फर्जी पट्टा प्रकरण	187
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) राज्य मंत्री	
अनुदान की मांग	
-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास मांग संख्या-29 की प्रस्तुति	81
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-जयपुर शहर हेतु पार्किंग व्यवस्था	9
स्वायत्त शासन	
-स्थानीय निकायों को गृह कर की समाप्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति	32

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का विस्तार	157
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-बारां जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद	310
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-राणा प्रताप सागर बांध, कोटा की डूब में आये विस्थापितों को खातेदारी अधिकार	263
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-आवासन मण्डल कोटा में अनुपयोगी लोहे के दरवाजे/खिड़कियां	168
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-शिवराम कालोनी, जगतपुरा (जयपुर) का सुविधा क्षेत्र	225
श्री बनवारी लाल (धौलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-धौलपुर जिले के विधायकों को पूल वाहन की सुविधा	221

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-फलासिया के टाडा/माडा योजनाओं के अन्तर्गत चयनित गांव	1
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-संविदा आधार पर आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती में व्याप्त अनियमितताएं	159
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण में आवासीय योजनाओं का अभिलेख ज़मा कराने में दोषी समितियों के विरुद्ध कार्यवाही	228
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता का शक्तिपीठ केन्द्र को बचाने की मांग	61
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-धौलाई ग्राम जयपुर की पत्रकार कलोनी में आधारभूत सुविधाएं	243
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	27

नाम	पृष्ठ संख्या
यातायात एवं परिवहन	
-जयपुर शहर हेतु पार्किंग व्यवस्था	9
स्वायत्त शासन	
-स्थानीय निकायों को गृह कर की समाप्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति	33
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-सांगोद व सुल्तानपुर पंचायत समिति कोटा) की निर्माणधीन सड़कें	297
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अन्ता-सांगोद मार्ग स्थित परवन नदी पर पुलिया निर्माण	171
श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-श्रीडूंगरगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद	280
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से सम्बन्धित होर्डिंग/बोर्ड में परिवर्तन	302
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	21

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
व्यवस्था का प्रश्न	
-प्रक्रिया के नियम 164 व 165 में आपराधिक कृत्य में यदि किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो सूचना देना आवश्यक	135
सूचना	
-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज	129
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बांदीकुई के सड़क विहिन पंचायत मुख्यालय	304
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-फलासिया के टाडा/माडा योजनाओं के अन्तर्गत चयनित गांव	4
वित्त	
-लेखाकार के पदों पर आरक्षित वर्ग के कर्मियों की पदोन्नति	186
श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जोधपुर शहर में ए.डी.बी. परियोजना के तहत चल रहे कार्य	44
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता का शक्तिपीठ केन्द्र को बचाने की मांग	62
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-आवासन मंडल द्वारा विधायकों/सांसदों को आवास सुविधा	225

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-राज्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन हेतु कार्य-योजना	182
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	22
सूचना	
-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज	120
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सम्पदा	
-श्रीजी की मोरी, चौकड़ी सरहद, जयपुर स्थित राजकीय सम्पत्तियां	243
सूचना	
-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज	118
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-बल्लभनगर के अविद्युतीकृत ग्राम	314
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बल्लभनगर तहसील के अविद्युतीकृत ग्राम	28
श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा)	
सूचना	
-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज	119

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री रमेश खींची (कठूमर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-अम्भोरी ग्राम पंचायत समिति झोटवाड़ा (जयपुर) में अनुसूचित जाति की भूमि पर अवैध कब्जा 178

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-सीकर शहर में आर.पी.एम.टी. का केन्द्र खोले जाने की मांग 49

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-धांधोला-धुवाला ग्राम (भीलवाड़ा) की डूब क्षेत्र में आई पुलिया का पुनर्निर्माण 16

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता का शक्तिपीठ केन्द्र को बचाने की मांग 61

व्यवस्था का प्रश्न

-प्रक्रिया के नियम 164 व 165 में आपराधिक कृत्य में यदि किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो सूचना देना आवश्यक 146

सूचना

-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज 124

-सरकार के खिलाफ विधान सभा के बाहर प्रदर्शन 65

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जैन वाटिका आवासीय योजना का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन 230

नाम	पृष्ठ संख्या
राजस्व	
-मुण्डावर तहसील कार्यालय (अलवर) में भूमि पैमाइश व पत्थरगढ़ी हेतु लम्बित आवेदन	245
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरूद्ध कार्यवाही	26
स्वायत्त शासन	
-स्थानीय निकायों को गृह कर की समाप्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति	32
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-राजकीय विश्राम स्थलों में ठहराव हेतु नियम	215
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरूद्ध कार्यवाही	28
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता का शक्तिपीठ केन्द्र को बचाने की मांग	63
-हनुमानगढ़ और गंगानगर में नहरें पक्की करने में विश्व बैंक के मापदण्डों की पालना न होना	63
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-जयपुर जिले के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान	315

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता का शक्तिपीठ केन्द्र को बचाने की मांग	61
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन	285
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-फलासिया के टाडा/माडा योजनाओं के अन्तर्गत चयनित गांव	3
व्यवस्था का प्रश्न	
-प्रक्रिया के नियम 164 व 165 में आपराधिक कृत्य में यदि किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो सूचना देना आवश्यक	136
श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-धांधोला-धुवाला ग्राम (भीलवाड़ा) की डूब क्षेत्र में आई पुलिया का पुनर्निर्माण	15
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
सार्वजनिक निर्माण	
-कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड प्रथम, जयपुर में संधारित निविदा पंजिकाएं	306

नाम	पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास

-फलासिया के टाडा/माडा योजनाओं के अन्तर्गत चयनित गांव 3

यातायात एवं परिवहन

-जयपुर शहर हेतु पार्किंग व्यवस्था 13

व्यवस्था का प्रश्न

-मांग संख्या-28 एवं मांग संख्या-30 का अमाउंट एक ही होने के कारण 73

सूचना

-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज 117

-सरकार के खिलाफ विधान सभा के बाहर प्रदर्शन 65

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-सवराड़-दुदोड़ ग्राम (पाली) सड़क का डामरीकरण 304

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-भीनमाल राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पद 72

श्री सांग सिंह भाटी (जैसलमेर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र के केमानों को आवंटित असिंचित भूमि 91

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही 24

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
अनुदान की मांग	
-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्य मांग संख्या-28 पर विचार	82
-जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या-30 पर विचार	82
-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास मांग संख्या-29 पर विचार	82
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-फलासिया के टाडा/माडा योजनाओं के अन्तर्गत चयनित गांव	5
सूचना	
-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज	123
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-बापी ग्राम (दौसा) के खसरा नम्बर 308 पर अतिक्रमण	248
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	24
यातायात एवं परिवहन	
-जयपुर शहर हेतु पार्किंग व्यवस्था	13
सार्वजनिक निर्माण	
-कोटपूतली की क्षतिग्रस्त सड़कें	181
श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कैलाशनगर-नन्दगांव कालोनी में आवश्यक सुविधा	227

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री सुरेश मीणा (करौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

देवस्थान

-दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट, जयपुर द्वारा अवैध निर्माण 263

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही 28

महिला एवं बाल विकास

-कार्यालय बाल विकास परियोजना करौली द्वारा क्रय सामग्री 169

श्री सुशील कटारा (चौरासी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-गम्भीर रोग उन्मूलन कार्यक्रम में संलग्न संस्थाएं 278

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-जोधपुर शहर में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद 291

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा विकास कार्य 176

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में व्याप्त अनियमितताएं 303

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में भूमि उपलब्ध होते हुए भी काश्त के लिए आबंटित न करना	53
श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-नावां में गठित स्वयं सहायता समूह	307
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-नावां व कुचामन शहर में पुनर्गठित पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में	45
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-भीम की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण	168
श्री हीरालाल (निवाई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही	17
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बामनवास में पेयजल समस्या	43
सूचना	
-यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज	118

नाम — पृष्ठ संख्या

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-किशनगंज में आयोजित चिकित्सा शिविर 292

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-नकली घी उत्पादकों/वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही 24

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-बारां जिले में स्थित समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की सुव्यवस्था 53

याचिका

-वीची (शाहबाद) एवं बादीपुरा (किशनगंज) पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने बाबत 55

-शाहबाद तहसील के सेमली फाटक का जीर्णोद्धार बाबत 55

सूचना

-नाहरगढ़ कस्बे में (तहसील किशनगंज जिला बारां) एक मुल्जिम की पुलिस थाने में मृत्यु 41